बिहार सरकार

2023

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना

बिहार शरीफ

स्वच्छ, हरित, आपदारोधी एवं विकसित बिहार शरीफ हेतु कार्ययोजना

नगर निगम, बिहार शरीफ, नालन्दा, बिहार

(सीड्स टेक्निकल सर्विसेस प्रा0लि0, नई दिल्ली द्वारा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना के सौजन्य से विकसित)

संदेश

शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0,
जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
नालन्दा

नालन्दा जिला बिहार के प्रमुख जिलों में से एक है, यह जिला विभिन्न धर्मों के प्रमुख स्थलों, पुरातात्विक–सांस्कृतिक धरोहरों, मनोरम प्राकृतिक अनुभवों तथा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। जिले के राजगीर तथा नालन्दा विश्वविद्यालय में देश–विदेश के प्रमुख भागों से सैलानियों का आगमन होता रहता है। जिले में पर्यटन के बढनें से नगरीय क्षेत्रों विशेषकर बिहार शरीफ नगर निगम का क्षेत्र व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बिहार शरीफ नालन्दा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय होने के कारण भी तीव्र नगरीकरण की ओर अग्रसर है। बिहार शरीफ को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने से नगर निगम परिक्षेत्र में सार्वजनिक संरचनाओं का विकास, नागरिक सेवाओं, ट्रैफिक प्रबंधन, आपात्कालीन प्रबंधन, जल निकासी, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता गतिविधियों जैसे पहलुओं पर बहु–आयामी पहल हो रहे हैं ताकि नागर सेवाओं को और बेहतर व टिकाऊ बनाया जा सके। नालन्दा जिला तथा इसका नगरीय विभिन्न आपदाओं से प्रभावित होता रहा है। बिहार शरीफ नगर निगम के कई क्षेत्र बाढ़, भूकम्प, अगलगी, महामारी, वज्रपात, लू, शीतलहर, सड़क दुर्घटना, डूबने की घटना जैसी कई आपदाओं के दृष्टिगत बेहद संवेदनशील हैं तथा नगरीय क्षेत्र के समावेशी विकास व आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए ताकि संबंधित विभागों, रिस्पांस एजेंसियों, जनप्रतिनिधियों, हितभागियों, स्वैच्छिक संगठनों व आमजन के सहयोग से आपदाओं के विभिन्न चरणों यथा पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर, राहत, पुर्ननिर्माण में समन्वित व क्रियाशील रूप से कार्य करते हुए आपदाओं के प्रभाव में आपेक्षित कमी लाई जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में **नगर आपदा प्रबंधन योजना**, **बिहार शरीफ** का निर्माण किया गया है। इस योजना में आपदाओं के प्रभाव, जोखिम आंकलन, नाजुकता आंकलन, संसाधन मानचित्रण, क्षमता निर्माण, संबंधित विभागों व रिस्पांस एजेंसियों के कार्य–दायित्वों, वित्तीय प्रबंधन, मानक संचालन प्रक्रियाओं, इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम (आई0आर0एस0), आपदावार कार्ययोजना जैसी महत्वपूर्ण बातों का समावेश किया गया है जिससे संबंधित हितभागियों में कार्यदायित्वों के प्रति स्पष्टता रहे तथा वे कार्यों का सम्पादन निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप करने में सक्षम होंगे। इस योजना में, आमजन व हितभागियों को जागरूक व संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षण व मॉकड्रिल कार्यक्रमों के आयोजन पर व्यापक रूप से जोर दिया गया है। यह योजना सेण्डाई फ्रेमवर्क व बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 के अर्न्तनिहित सिंद्धान्तों के अनुरूप तैयार की गई है जिससे भविष्य में घटित होने वाली आपदाओं का प्रभावी रूप से न्यूनीकरण करते हुए बिहार शरीफ नगर निगम को आपदारोधी, हरित व विकसित बनाया जा सके।

आशा है कि **नगर आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ** निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में एक मार्गदर्शक, सार्थक व सहायक दस्तावेज सिद्ध होगी।

हार्दिक शुभेच्छओं सहित

(शशांक शुभंकर)

संदेश

तरनजोत सिंह भा0प्र0से0,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, बिहार शरीफ,
नालन्दा

आपदाओं के प्रभावों के कारण व्यापक रूप से जानमाल की क्षति होने के साथ–साथ संरचनाओं व पर्यावरण का नुकसान होता है। आधुनिक परिदृश्य में आपदाओं का प्रकोप दिनों–दिन बढ़ता जा रहा है व जलवायु परिवर्तन, तीव्र अनियोजित नगरीकरण व अन्य प्राकृतिक–मानवजनित कारणों से आपदाओं की पुनरावृत्ति में वृद्धि हुई है। आपदाओं के दौरान प्रभावी रूप से राहत–बचाव कार्यों को संचालित करना व प्रभावित समुदायों को राहत पहुँचाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज आवश्यकता है कि विकास की गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण का समावेश प्रभावी ढ़ंग से किया जाए तथा आपातकालीन प्रबंधन से जुड़े सभी हितभागियों का क्षमतावर्द्धन किया जाए ताकि अन्तर विभागीय समन्वय से आपदाओं की रोकथाम की जा सके व प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी रूप से राहत–बचाव कार्यों का संचालन करते हुए संभावित क्षति को कम किया जा सके। बिहार शरीफ जहां एक ओर विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है, वहीं इस क्षेत्र में आपदाओं की संवदेनशीलता भी विद्यमान होने से होने वाली संभावित क्षति के न्यूनीकरण हेतु **''नगर आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ''** का विकास बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना व सीड्स टेक्निकल सर्विसेस प्रा0लि0, नई दिल्ली के सहयोग से किया गया है। इस प्रस्तुत योजना में आपदाओं से निपटने हेतु न्यूनीकरण, पूर्व तैयारियों, प्रत्युत्तर, क्षमतावर्द्धन जैसे कार्यान्वित किए जाने वाले पहलुओं को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार व नगर विकास विभाग, बिहार के दिशानिर्देशों के अनुरूप समयबद्ध व योजनाबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित विभागों, रिस्पास एजेंसियों व हितभागियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस योजना में, आपदाओं से निपटने हेतु वार्डवार माइक्रो प्लान का प्रावधान किया गया है जिससे संबंधित विभागों, सहयोगी एजेंसियों, जनप्रतिनिधियों व समुदाय के मध्य बेहतर तालमेल स्थापित कर आपदाओं के प्रभाव का न्यूनीकरण किया जा सके। इस योजना में संबंधित पदाधिकारियों, अभियंताओं एवं कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिससे कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे। साथ ही, कार्यों के प्रभावी एवं नियमित अनुश्रवण करने हेतु विभागीय निर्देशों के आलोक में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ***''नगर आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ''*** का निर्माण एक महत्वपूर्ण पहल है। आशा है कि यह योजना आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन एवं प्रत्युत्तर में सम्बन्धित पदाधिकारियों, विभागों, एजेंसियों व आमजन को मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना को और प्रभावी एवं प्रसांगिक बनाने हेतु आप सभी के महत्वपूर्ण सुझावों का स्वागत है।

शुभकामनाओं सहित

(तरनजोत सिंह)

विषय सूची

प्रमुख शब्दावलियां व परिभाषाएं		**1**
तालिका सूची		**4**
चित्र सूची		**6**
प्राक्कथन एवं आभार		**7**
भाग–1 (संस्थागत तंत्र एवं क्षमतावर्द्धन योजना)		
अध्याय–1 (परिचय)		
1.1	योजना की रूपरेखा	**10**
1.2	नगरीय आपदा प्रबंधन योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य	**11**
1.3	नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ का कार्यक्षेत्र (परिक्षेत्र)	**12**
1.4	योजना तैयार करने की कार्यप्रणाली	**12**
1.5	नगरीय आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन	**15**
1.6	नगर निगम, बिहार शरीफ का प्रशासनिक तंत्र	**16**
अध्याय–2 (बिहार शरीफ–नगर निगम का विवरण)		
2.1	पृष्ठभूमि, जलवायु एवं तापमान	**17**
2.2	बिहार शरीफ नगर निगम की भौगोलिक स्थिति	**21**
2.3	सांस्कृतिक इतिहास	**21**
2.4	बिहार शरीफ की स्थलाकृति	**21**
2.5	जल संसाधन	**22**
2.6	शहरी विकास	**24**
2.7	जनसंख्या घनत्व	**24**
2.8	साक्षरता एवं शिक्षण संस्थान	**25**
2.9	सामाजिक संरचना	**26**
2.10	सड़क एवं पहुँच मार्ग	**26**
2.11	भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण	**27**
2.12	स्लम क्षेत्र	**28**
2.13	प्रमुख आर्थिक संकेतक एवं विवरण	**30**
2.14	नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विवरण	**31**
2.15	प्रमुख स्थल एवं महत्वपूर्ण संरचनाए	**32**
अध्याय–3 (नगर निगम, बिहार शरीफ में आपदाओं के अनुकूलन हेतु पर्यावरण एवं कचरा प्रबंधन संबंधी प्रावधान		
3.1	नगरीय क्षेत्रों में आपदाओं के अनुकूलन में पर्यावरण एवं कचरा प्रबंधन का महत्व	**34**
3.2	ठोस कचरा प्रबंधन	**35**
3.3	चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन	**37**
3.4	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	**37**
3.5	ई–कचरा प्रबंधन	**40**
3.6	निर्माण सामग्री अपशिष्ट प्रबंधन	**41**
3.7	जलवायु उत्प्रेरित जोखिम	**41**

3.8	पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव के आलोक में पारिस्थिकी संरक्षण कार्य	41
3.9	जल जीवन हरियाली	42
3.10	आपदाओं के उपरान्त पूर्व से बेहतर निर्माण	42
अध्याय–4		
नगर निगम, बिहार शरीफ में खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता तथा क्षमता विवरण		
4.1	बिहार शरीफ में आपदाओं का इतिहास	44
4.2	बिहार शरीफ में प्रमुख खतरों का मौसमी मैट्रिक्स	45
4.3	बाढ़	45
4.4	सूखा, पेयजल संकट एवं जल प्रदुषण	47
4.5	गर्म हवा/लू (हीटवेव)	47
4.6	शीतलहर	49
4.7	भूकम्प	50
4.8	अगलगी	51
4.9	वज्रपात/ठनका	51
4.10	चक्रवाती तूफान/आंधी/ओलावृष्टि	52
4.11	जैविक आपदा/महामारी	52
4.12	वायु प्रदुषण	53
4.13	सड़क दुर्घटना	54
4.14	खतरा, नाजुकता, क्षमता एवं जोखिम आंकलन (HVCRA) की कार्यप्रणाली	54
4.15	विकास प्रक्रिया से उत्पन्न नये जोखिम	54
अध्याय–5		
(संस्थागत व्यवस्था)		
5.1	आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना	55
5.2	नगर निगम में आपदा प्रबंधन की संरचना	55
5.3	बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार गठित समितियां	56
5.4	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005	57
5.5	संप्रति नगर निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों के स्वीकृत पद	57
5.6	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा	58
5.7	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	58
5.8	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार	58
5.9	राज्य कार्यकारिणी समिति, बिहार	59
5.10	बिहार राज्य डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क	59
5.11	जिला सड़क सुरक्षा समिति, नालन्दा	59
5.12	मोटरवाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण (यथा संशोधित नियमावली 2021)	59
5.13	जिला परिषद	60
5.14	नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस)	60
5.15	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल	60
5.16	राज्य आपदा मोचन बल, बिहार	60
5.17	शिक्षा विभाग (मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम), बिहार	60
5.18	जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र, नालन्दा	61
5.19	बहु–एजेंसी समन्वय प्रक्रिया एवं जिम्मेदारी	61

5.20	जिला आपदा प्रबंधन योजना, नालन्दा से इस योजना का संयोजन	62
5.21	नगर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति	62
5.22	वार्ड राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति	62

अध्याय–6
आपदाओं के विभिन्न चरणों में विभागों एवं रिस्पांस एजेंसियों की भूमिका

6.1	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर व राहत कार्यों हेतु किए गए प्रावधान	63
6.2	पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर एवं राहत कार्य के चरण में विभागों व एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं उनकी भूमिकाएं	64
	6.2.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा	64
	6.2.2 नगर निगम, बिहार शरीफ	65
	6.2.3 पुलिस विभाग, नालन्दा	66
	6.2.4 भवन निर्माण कार्य प्रमण्डल, नालन्दा	66
	6.2.5 विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नालन्दा	67
	6.2.6 जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा	67
	6.2.7 अग्निशामालय, बिहार शरीफ	68
	6.2.8 पुलिस उपाधीक्षक (ट्रैफिक), बिहार शरीफ	68
	6.2.9 भारत संचार निगम लिमिटेड/दूरसंचार प्रदाता एजेंसियां	69
	6.2.10 जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा	69
	6.2.11 कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, नालन्दा	69
	6.2.12 जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नालन्दा	70
	6.2.13 समेकित बाल विकास परियोजना, नालन्दा	70
	6.2.14 कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन, नालन्दा	70
	6.2.15 कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन, नालन्दा	70
	6.2.16 वन प्रमण्डल, नालन्दा	71
	6.2.17 जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालय, नालन्दा	71
	6.2.18 मीडिया	72
	6.2.19 गैर सरकारी संगठन/समुदाय आधारित संगठन	72
	6.2.20 बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स, बिहार	72
	6.2.21 जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नालन्दा	72
	6.2.22 जिला बाल संरक्षण कोषांग, नालन्दा	73

अध्याय–7
क्षमता निर्माण आधारित गतिविधियों के संचालन संबंधी कार्ययोजना

7.1	संस्थागत क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण	74
7.2	समुदाय तथा सामुदायिक संस्थाओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम	79
7.3	आपदा जोखिम न्यूनीकरण सामुदायिक जन–जागरूकता	79
7.4	मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन	81
7.5	बिहार शरीफ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु उपर्युक्त स्थल	82
7.6	प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों व मॉकड्रिल के आयोजन हेतु वित्तीय प्रबंध	82

अध्याय 8
वित्तीय व्यवस्था

8.1	नगरीय आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय व्यवस्थाः बिहार शरीफ	83
8.2	राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि	85
8.3	राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष	85

8.4	अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग	85
8.5	क्षमता निर्माण कोष	86
8.6	प्रधानमंत्री राहत कोष	86
8.7	मुख्यमंत्री राहत कोष	86
8.8	सांसद राहत कोष	87
8.9	केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनाएं	87
8.10	स्मार्ट सिटी परियोजना, बिहार शरीफ	87
8.11	अन्य वित्तीय स्त्रोत	87
8.12	कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0)	87
अध्याय–9		
योजना का अनुश्रवण, आकलन तथा अद्यतनीकरण		
9.1	अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का महत्व	88
9.2	अनुश्रवण तथा मूल्यांकन	88
9.3	योजना के अद्यतन की कार्रवाई	89
भाग–2 (आपातकालीन प्रबंधन, राहत एवं पुनर्निर्माण कार्ययोजना)		
अध्याय–10		
आपातकालीन प्रबंधन तथा संस्थागत तंत्र		
10.1	आपात्कालीन प्रबंधन हेतु किए गए संस्थागत प्रावधान	91
10.2	जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन समूह	91
10.3	नगर निगम, बिहार शरीफ में आपात प्रबंधन समूह	92
10.4	एकीकृत कमान्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर (आई0सी0सी0सी0) का संचालन	92
10.5	पूर्व सूचना तंत्र	93
10.6	सहायक यंत्र एवं संयंत्र	93
10.7	जिला प्रशासन एवं अन्य एजेंसियों से संयोजन	93
10.8	नगर आपदा प्रबंधन समिति	94
10.9	आपातकालीन समर्थन कार्य	94
10.10	घटना प्रक्रिया तंत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया	95
10.11	इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम	98
अध्याय–11		
पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन		
11.1	संभागवार आपदा क्षति आंकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी	101
11.2	पीड़ितों कों राहत	102
11.3	आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन	103
11.4	जीवन प्रदायी भवनों की मरम्मती	103
11.5	अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण	103
11.6	आजीविका का पुनर्स्थापन	103
11.7	चिकित्सा सुविधा का पुनर्स्थापन	104
11.8	दीर्घकालिक पुर्नवापसी	104
अध्याय–12		105
वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (बाढ़ एवं जल जमाव)		
अध्याय–13		130
वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (अगलगी)		

अध्याय–14 **वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (भूकम्प)**		**145**
अध्याय–15 **वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (सुखा, पेयजल संकट एवं लू/गर्म हवा)**		**161**
अध्याय–16 **वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (शीतलहर)**		**183**
अध्याय–17 **वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (सड़क दुर्घटना)**		**189**
अध्याय–18 **वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (भीड़ प्रबंधन एवं प्रमुख धार्मिक आयोजन)**		**194**
अध्याय–19 **वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (महामारी)**		**197**
अध्याय–20 **वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (जीवनरक्षक सुविधाएं व अस्पताल प्रबंधन)**		**203**
अध्याय–21 **वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (वज्रपात)**		**218**
अध्याय–22 **संचार योजना**		
22.1	बिहार शरीफ के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदाधिकारियों, अभियंताओं, कर्मियों का सम्पर्क विवरण	**223**
22.2	जनप्रतिनिधियों का सम्पर्क विवरण (बिहार शरीफ)	**227**
22.3	नगर निगम, बिहार शरीफ के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों की सूची व सम्पर्क विवरण	**233**
22.4	विभिन्न संसाधनों व उपकरणों के सेवा–प्रदाताओं का सम्पर्क विवरण	**236**
22.5	हेल्पलाइन नम्बर	**261**
22.6	बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत कार्यरत मानव संसाधन का विवरण	**262**
22.7	बिहार शरीफ के मीडिया प्रतिनिधियों (प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक) की सूची	**263**

प्रमुख शब्दावलियां (Abbreviation)

BSMC	**Bihar Sharif Municipal Corporation**	बिहार शरीफ नगर निगम
BSDMA	Bihar State Disaster Management Authority	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
Bihar DRR Roadmap	Bihar Disaster Risk Reduction Roadmap	बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप
ºC	Centigrade	सेंटीग्रेड
CBO	Community Based Organization	समुदाय आधारित संगठन
CHC	Community Health Centre	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
CMG	Crisis Management Group	आपात् (संकट) प्रबंधन समूह
CMRF	Chief Minister Relief Fund	मुख्यमंत्री राहत कोश
CSO	Community Society Organization	सामुदायिक समिति संगठन
DDMA	District Disaster Management Authority	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DEOC	District Emergency Operation Centre	जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र
DH	District Hospital	सदर अस्पताल
DM	District Magistrate	जिलाधिकारी
DMD	Disaster Management Department	आपदा प्रबंधन विभाग
DMT	Disaster Management Team	आपदा प्रबंधन दल/टास्कफोर्स
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
ESF	Emergency Support Functionaries	आपात सहाय्य हितभागी
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
GPS	Global Position System	वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली
HRVCA	Hazard, Risk, Vulnerability, Capacity, Analysis	खतरा, जोखिम, नाजुकता, क्षमता आंकलन
IMD	Indian Meteorological Department	भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
IAG	Inter Agency Group	अन्तर एजेंसी समन्वय समूह
ICCC	Incident Command and Control Centre	आपात् कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र
IPCC	International Panel on Climate Change	जलवायु परिवर्तन हेतु अर्न्तराष्ट्रीय पैनल
CC	Climate Change	जलवायु परिवर्तन
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवाएं
IRS	Incident Response System	आपात् प्रत्युत्तर प्रणाली
MLA	Member of Legislative Assembly	विधायक
MP	Member of Parliament	संसद सदस्य
MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
NDMA	National Disaster Management Authority	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

NDRF	National Disaster Response Fund	राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष
NDRF	National Disaster Response Force	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
NGOs	Non-Governmental Organization	गैर सरकारी संगठन
NCC	National Cadet Core	नेशनल कैडेट कोर
NSS	National Social Scheme	राष्ट्रीय सेवा योजना
NYKS	Nehru Yuva Kendra Sangathan	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
PDS	Public Distribution System	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
PHC	Primary Health Centre	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMAY	Prime Minister Awas Yojna	प्रधानमंत्री आवास योजना
PMNRF	Prime Minister National Relief Fund	प्रधानमंत्री राश्ट्रीय राहत कोश
QRT	Quick Response Team	त्वरित प्रत्युत्तर दल
SDMF	State Disaster Mitigation Fund	राज्य आपदा मोचन कोश
SDRF	State Disaster Response Fund	राज्य आपदा मोचन कोश
SDRF	State Disaster Response Force	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
SHG	Self Help Group	स्वयं सहायता समूह
SOP	Standard Operation Procedure	मानक संचालन प्रक्रिया
SP	Superintendent of Police	पुलिस अधीक्षक
UN	United Nations	संयुक्त राष्ट्र संघ
UNDRR	United Nations Disaster Risk Reduction	संयुक्त राष्ट्र संघ–आपदा जोखिम न्यूनीकरण
WASH	Water Sanitation and Hygiene	जल, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता

आपदाओं से सम्बंधित परिभाषाए

जोखिमों एवं आपदाओं से सम्बंधितं परिभाषाओं को समझना आवश्यक है, इससे आकस्मिक प्रबंधन एवं आपदा जोखिम प्रबंधन से सम्बंधित विभिन्न क्रियाशील अवधारणाओं को समझने में सहायता मिलती है।

यू.एन.आई.एस.डी.आर. द्वारा 2009 में दी गई परिभाषा के अनुसार,

जोखिम, एक घातक परिघटना, मानव गतिविधि या स्थिति है, जो जीवन की क्षति, चोट या अन्य स्वास्थ्य प्रभावों, संपत्ति की क्षति, आजीविका और सेवाओं की क्षति, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान, या पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकती है।

जोखिमों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है–

- भू–वैज्ञानिक जोखिम में वे प्राकृतिक गतिविधियां सम्मिलित हैं जो बायो स्फेयर यथा भू–वैज्ञानिक, भू–आकृति विज्ञान, भू–तकनीकी और जल–भूवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होती हैं।
- जल–मौसम आधारित संबंधित जोखिमों यथा वायुमंडलीय, जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान जैसी प्राकृतिक घटनाएं सम्मिलित हैं।

- जैविक जोखिम ऐसी जैविक प्रक्रियाएं हैं जिनका प्रसार जैविक जीवों (जैसे कीटों तथा पशु वेक्टर) तथा विषाक्त पदार्थों और सूक्ष्म जीवों के संपर्क में आने से होता है।
- तकनीकी जोखिम की उत्त्पत्ति तकनीकी या औद्योगिक दुर्घटनाओं, खतरनाक प्रक्रियाओं व मानव–विफलताओं के कारण होती है।
- पर्यावरणीय ह्रास के कारण उत्पन्न विभिन्न जोखिमें उदाहरण स्वरुप औद्योगिक एवं मानवीय गतिविधियों से हो रहे भूमि–क्षरण, निर्वनीकरण, जैव विविधता की क्षति, पर्यावरण प्रदूषण आदि सम्मिलित हैं।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (2017) आपदाओं को निम्नवत परिभाषित करती है–

आपदा, ''किसी समुदाय या समाज के सामान्य क्रियाकलापों में आकस्मिक एवं गंभीर व्यवधान है। आपदा से व्यापक स्तर पर मानव, भौतिक सामग्रियों (परिसम्पत्तियों), आर्थिक या पर्यावरणीय आदि प्रभावित होते हैं तथा इनकी क्षति होती है, जिससे प्रभावित समुदाय या समाज की अपने संसाधनों का उपयोग कर आपदा से निपटने की क्षमता से परे होता हैं।

आपदाएं भारी संकट या व्यवधान उत्त्पन्न कर सकती हैं जो जीवन व आजीविका को क्षति पहुंचाने के साथ प्रभावित समुदाय के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। आपदा शब्द के कई निहितार्थ हैं। भारतीय संदर्भ में, आपदाओं से निपटने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाकर आपदा प्रबंधन के प्रतिमानों में बदलाव लाने में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार ***आपदा***, एक अनिष्ट, संकट या गंभीर दुर्घटना है, जो प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों या लापरवाही से घटित होती है।

आपदाओं के प्रभावों की अनुभूति समुदाय को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से होती है,तथा मानवीय गतिविधियों के क्रियाकलापों के बढ़ते प्रभावों से आपदा जोखिमों की तीव्रता एवं घटनाओं में सामान्यतः वृद्धि हो रही है। आपदा जोखिम वस्तुतः खतरों ,नाजुकताओं ,संभावित जोखिमों एवं क्षमताओं का जटिल कार्यसंचरण अथवा प्रक्रिया है। संवेदनशीलताओं के बढ़ने व विभिन्न खतरों के प्रभाव क्षेत्र (**Exposure**) में आने से आपदाओं तथा इसके प्रभावों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे कारक जो नाजुकता व खतरों के जोखिमों को बढ़ाते हैं, वो आपदा प्रभावों के जोखिमों में वृद्धि कर सकते हैं, जबकि क्षमता का निर्माण करने वाले कारक आपदा प्रभावों के जोखिमों का न्यूनीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, आपदा जोखिमों को कम करने के लिए समुदायों की क्षमताओं को बढ़ाना व जोखिमों/नाजुकताओं को कम करना आवश्यक है तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण का सिद्धान्त इसी अवधारणा पर आधारित है।

तालिका सूची

टेबल संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नगरीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने में प्रमुख 03 हितभागियों की भूमिका	11
2.	नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण एवं गतिविधियों का विवरण	13
3.	नगर निगम, बिहार शरीफ का प्रशासनिक तंत्र	16
4.	बिहार शरीफ में मासिक तापमान	19
5.	मासिक वर्षा और वर्षा प्रवणता	20
6.	जनसख्या घनत्व विवरण	24
7.	बिहार शरीफ में साक्षरता दर	26
8.	बिहार शरीफ में जनसख्या की सामाजिक संरचना	26
9.	भूमि आवरण	28
10.	स्लम जनसख्या	29
11.	मलिन बस्तियों की सूची	30
12.	कार्यशील जनसंख्या	30
13.	नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विवरण	31
14.	बिहार शरीफ में प्रमुख स्थल एवं महत्वपूर्ण संरचनाएं	32
15.	बिहार शरीफ में सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी दण्ड/जुर्माना	39
16.	जल जीवन हरियाली की उपलब्धि	42
17.	बिहार शरीफ में प्रमुख खतरों का मौसमी मैट्रिक्स	45
18.	भूकम्प से क्षति का आंकलन	50
19.	नगर निगम के कार्यों का वर्गीकरण	61
20.	नगर राहत एवं अनुश्रवण सह निगरानी समिति	62
21.	पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर एवं राहत कार्यो में विभागों व एजेसियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य	64
22.	बिहार शरीफ, नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों , कर्मियों का संस्थात्मक प्रशिक्षण	75
23.	सामुदायिक संस्था हेतु जागरूकता कार्यक्रम	79
24.	आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम	80
25.	मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन	81
26.	बिहार शरीफ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु उपर्युक्त स्थल	82
27.	आपातकालीन प्रबंधन हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन	91
28.	संभागवार आपदा क्षति की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी	101
29.	बिहार शरीफ के प्रमुख नालों का विवरण	107
30.	बिहार शरीफ में प्रदुषित जल का शोधन तथा पुनर्उपयोग	107
31.	नगरीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से प्रभावित मोहल्ले तथा वार्ड स्तर पर उपलब्ध संसाधनों की सूची	107
32.	बाढ/जल–जमाव में पूर्व, दौरान व पश्चात् किए जाने वाले कार्य	123
33.	बाढ़–आमजन हेतु महत्वपूर्ण सलाह	127
34.	अगलगी, व्यवसायिक दुर्घटना एवं औद्यौगिक दुर्घटना	130
35.	अगलगी की दृष्टि से नगर निगम, बिहार शरीफ के संवेदनशील औद्योगिक इकाइयां	132
36.	अगलगी की दृष्टि से संवेदनशील स्थल	132

37.	बिहार शरीफ में अगलगी का इतिहास	134
38.	बिहार शरीफ में घटित होने वाली अगलगी का प्रकार	134
39.	बिहार शरीफ में भवन संरचना एवं अग्नि प्रवणता	135
40.	बिहार शरीफ में फायर ऑडिट संबंधी प्रतिवेदन	135
41.	अगलगी से निपटने हेतु उपलब्ध संसाधन एवं उपकरणों की संख्या	135
42.	संबंधित विभागों द्वारा अगलगी की रोकथाम, प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई	137
43.	बिहार शरीफ क्षेत्र व आसपास के फायर हाईड्रेन्ट की सूची	140
44.	बिहार शरीफ के प्रमुख तालाबों व घाटों की सूची	141
45.	बिहार शरीफ में फायर टेंडर का विवरण	142
46.	बिहार शरीफ के आसपास भूकम्प का इतिहास	145
47.	जर्जर भवन बाहुल्य क्षेत्र	147
48.	नगर निगम, बिहार शरीफ में भूकम्प की दृष्टि से जर्जर भवनों की सूची	148
49.	विभिन्न चरणों में भूकम्प न्यूनीकरण व प्रबंधन हेतु किए जाने वाले कार्य	151
50.	भूकम्प के दौरान रिस्पांस हेतु विभागों एवं रिस्पांस एजेसी के पास उपलब्ध उपकरणों व संसाधनों का विवरण	156
51.	प्रमुख अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों, ट्रामा सेन्टर, आर्थोपैडिक सेन्टर व ब्लड बैंक का विवरण	157
52.	निकास मार्ग व सड़कों की सूची	158
53.	भूकम्प के दौरान शरण हेतु वार्ड में उपलब्ध खुले मैदान का विवरण	159
54.	बिहार शरीफ में भूगर्भ जल स्तर	162
55.	जल जीवन हरियाली अन्तर्गत जल संचयन संबंधी किए गए कार्य	162
56.	भीषण गर्मी/लू के दौरान विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत सब स्टेशन का विवरण	163
57.	सूखा, पेयजल संकट एवं हीटवेव से बचाव हेतु की जाने वाली कार्रवाई	163
58.	बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत ओवरहेड टावर/जल मिनार की सूची	167
59.	बिहार शरीफ में जल प्याऊ एवं नलकूपों की सूची	168
60.	नगर निगम बिहार शरीफ अन्तर्गत कुँओं की सूची	173
61.	हीटवेव से होने वाले स्वास्थ्य जटिलताओं का प्रबंधन एवं प्राथमिक उपचार	178
62.	शीतलहर से बचाव, प्रबंधन एवं न्यूनीकरण हेतु संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	184
63.	बिहार शरीफ में रैन बसेरा की सूची	186
64.	वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं का विवरण	189
65.	सड़क दुर्घटना की दृष्टि से नगर निगम, बिहार शरीफ के अन्तर्गत चिन्हित ब्लैक स्पॉट की सूची	190
66.	नगर निगम, बिहार शरीफ का ट्रैफिक प्रबंधन योजना	190
67.	बिहार शरीफ के प्रमुख चौक–चौराहे की सूची	191
68.	सड़क सुरक्षा हेतु संबंधित विभागों का कार्य एवं दायित्व	191
69.	बिहार शरीफ के 02 प्रमुख स्थानीय आयोजन में भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से की जाने वाली व्यवस्थाएं	194
70.	नगर निगम, बिहार शरीफ में भीड़ की दृष्टि से संवेदनशील स्थल	196
71.	नालन्दा जिले में विभिन्न महामारियों का प्रभाव	197
72.	नगर निगम क्षेत्र में महामारियों का प्रमुख कारण तथा रोकथाम के उपाय	198

73.	महामारियों से निपटने हेतु नालन्दा जिले तथा नगर निगम, बिहार शरीफ में उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों की सूची	200
74.	महामारी प्रबंधन हेतु संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	200
75.	पार्थिव शवों के प्रबंधन हेतु बिहार शरीफ में शवदाह गृह एवं कब्रिस्तानों की सूची	202
76.	अस्पताल, विद्यालय एवं औद्योगिक आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालीन योजना	205–217
77.	नगर निगम, बिहार शरीफ में अधिष्ठापित तड़ित चालक एवं लाइटनिंग अरेस्टर का विवरण	219
78.	बिहार शरीफ के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदाधिकारियों, अभियंताओं कर्मियों का विवरण	223
79.	बिहार शरीफ के वार्ड पार्षद की सूची	228
80.	नगर निगम, बिहार शरीफ के अन्तर्गत संसाधनों की सूची व सम्पर्क विवरण	233
81.	विभिन्न संसाधनों व उपकरणों, सेवा प्रदाताओं का सम्पर्क विवरण	235
82.	महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बर	261
83.	बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी अन्तर्गत मानव संसाधन की सूची	262
84.	बिहार शरीफ के मीडिया प्रतिनिधियों (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक) की सूची	263

क्रम	चित्र विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बिहार शरीफ का मानचित्र	17
2.	बिहार शरीफ के वार्डो का मानचित्र	18
3.	बिहार शरीफ में तुलनात्मक तापमान	19
4.	बिहार शरीफ में मासिक वर्षा	20
5.	बिहार शरीफ में वायु विक्षोभ की गति	21
6.	बिहार शरीफ ऊँचाई विवरण	22
7.	बिहार शरीफ में प्राकृतिक जलाशय व जल स्त्रोत	23
8.	बिहार शरीफ शहर का विस्तारित क्षेत्र	24
9.	वार्डवार जनसंख्या घनत्व मानचित्र	25
10.	सड़क मानचित्र	27
11.	भूमि उपयोग–भूमि आवरण	28
12.	स्लम क्षेत्र का मानचित्र	29
13.	बिहार शरीफ का बाढ़ मानचित्र	46
14.	बिहार शरीफ वर्षवार अधिकतम तापमान	49
15.	बिहार गर्म हवा/लू का जिलावार मानचित्र	49
16.	भूकम्प मानचित्र– बिहार	50
17.	वायु प्रदूषण	53
18.	नगर निगम की समितियां	56
19.	नगर निगम के पदाधिकारियों की भूमिका	56
20.	बिहार शरीफ नगर निगम का संगठनात्मक ढ़ांचा	57
21.	इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम	99
22.	बाढ़ मानचित्र	106
23.	अगलगी मानचित्र बिहार शरीफ	131
24.	फायर हाईड्रेन्ट मानचित्र	142
25.	अग्निशमन वाहन रूटमैप	143
26.	हीटवेव संबंधी आई0ई0सी0 सामग्री	180–182
27.	वज्रपात से बचाव संबंधी जानकारी	220

प्राक्कथन एवं आभार

नालन्दा जिले के प्रशासनिक मुख्यालय व प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र के रूप में नगर निगम, बिहार शरीफ का बेहद अधिक महत्व है। नालन्दा जिले में कई प्रकार की आपदाओं का प्रभाव विद्यमान है। नालन्दा जिला भूकम्प की दृष्टि से भूकम्प संवेदनशीलता के जोन–4 के अन्तर्गत आता है। मानसून के दौरान, बिहार शरीफ नगर निगम के कई क्षेत्र पंचाने नदी, स्थानीय नालों व अन्य जल स्त्रोंतो में जल स्तर वृद्धि होने से बाढ़ व जल–जमाव की समस्या बनी रहती है। जिला वज्रपात व आंधी–तूफान जैसी आपदाओं के प्रति भी अत्यधिक संवेदनशील है। बिहार शरीफ में उपरोक्त उल्लेखित आपदाओं के अतिरिक्त अगलगी, सड़क दुर्घटना, गर्म हवा/लू, शीत लहर, सूखा, पेयजल संकट, भगदड़ व विभिन्न महामारियों का प्रकोप रहता है। नगरीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इस क्रम में यह आवश्यक है– स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली आपदाओं के प्रभावों में कमी लाने व विकास प्रक्रिया को रेजिलिएंट बनाने हेतु प्रभावी नगरीय आपदा प्रबंधन योजना (City Disaster Management Plan) का निर्माण कर क्रियान्वित करना। इस संबंध में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत भी सभी नगर निकायों का आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने का प्रावधान किया गया है।

इसी संदर्भ में, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना द्वारा सभी नगर निगमों को एक विस्तृत नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, जिसमें आपदा प्रबंधन के सभी अवयवों व कार्य योजनाओं को समावेशित किया जा सके, तैयार करने के लिए आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,पटना द्वारा नगर निगम, बिहार शरीफ को नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में सहयोग करने के लिए सीड्स टेक्निकल सर्विसेस, नई दिल्ली को प्रतिनियुक्त किया है। तत्संबंधी, एक त्रिपक्षीय एकरारनामा दिनांक 03.03.2021 को संपन्न हुआ है। इसके अनुपालन में, नगर आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ का ड्राफ्ट प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसका कार्यान्वयन संबंधित विभागों, रिस्पांस एजेंसियों, हितभागियों, जनप्रतिनिधियों व स्थानीय समुदाय द्वारा चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। इस योजना के ड्राफ्ट में कुल **22** अध्यायों व आवश्यक संख्या में परिशिष्ट को सम्मिलित किया गया है।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ में स्थानीय जोखिमों, आपदाओं, नाजुकताओं, संवेदनशीलता, क्षमता निर्माण, संसाधनों, न्यूनीकरण योजना, प्रत्युत्तर योजना, वित्तीय प्रावधानों व संबंधित हितभागियों द्वारा विभिन्न चरणों में क्रियाकलापों को समाहित किया गया है। यह योजना मैक्रो व माइक्रो कार्ययोजनाओं का सम्मिलित मिश्रण है जिसे आवश्यकतानुसार, आपदा न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर योजना आदि से संबंधित विभिन्न अध्यायों में सम्मिलित किया गया है। योजना को तैयार करने के लिए प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। इस हेतु नगर निगम, बिहार शरीफ के प्रत्येक वार्ड का अध्ययन कर स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों, कर्मियों से आपदाओं की संवेदनशीलता, प्रत्युत्तर क्षमता के बारे में फीडबैक प्राप्त किया गया। जिला प्रशासन, नालन्दा व नगर निगम, बिहार से संबंधित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों व कर्मियों के सहयोग

से आपदाओं के प्रभावों व इससे निपटने संबधी क्षमताओं, संसाधनों, कुशलताओं, तकनीकी पहलुओं आदि के संबंध में जानकारी एकत्र करते हुए विश्लेषण किया गया है तथा आवश्यक रणनीतियों का निर्धारण अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालिक रूप से किया गया है।

जिला प्रशासन, नालन्दा व नगर निगम, बिहार शरीफ हेतु यह आवश्यक है कि इस समेकित नगर आपदा प्रबंधन योजना को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जाए जिससे नगरीय क्षेत्र में व्याप्त व भविष्य की नाजुकताओं के प्रभावों को कम किया जा सके तथा यह आपदा जोखिम को रोकने में सहायक हो सके। योजना में संचालित योजनाओं व संरचनाओं के निर्माण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्वों के समावेश पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि आपदा के समय प्रत्युत्तर, बचाव, सहाय्य तथा पुर्नप्राप्ति के क्रम में समुदाय की कम से कम क्षति हो सके। इस योजना को राष्ट्रीय व राज्य स्तर के मानकों के अनुरूप बनाया गया है तथा संबंधित हितभागियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भूमिकाओं को स्पष्ट किया गया है।

इस योजना के निर्माण के क्रम में, सीड्स टेक्निकल सर्विसेस को जिलाधिकारी, नालन्दा, उप विकास आयुक्त, नालन्दा, नगर आयुक्त, बिहार शरीफ, अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन, नालन्दा, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा सहित जिला व नगर निगम प्रशासन से संबंधित अन्य पदाधिकारियों, प्रोग्रामर व कर्मियों का निरन्तर सहयोग प्राप्त हुआ है, जिससे इस नगर आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ का निर्माण संभव हो सका है।

आशा है कि यह योजना नगर निगम, बिहार शरीफ व नालन्दा जिले को आपदारोधी, हरित, स्वच्छ व विकसित बनाने में सहायक होगी।

(सीड्स टेक्निकल सर्विसेस टीम)

भाग–1

(संस्थागत तंत्र एवं क्षमतावर्द्धन योजना)

अध्याय–1
परिचय

1.1 योजना की रूपरेखा

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ एक व्यापक एवं समेकित योजना है। यह योजना नगरीय क्षेत्रों में घटित होने वाली बहु–आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने की एक प्रासंगिक रणनीति की रूपरेखा प्रदान करती है। साथ ही; प्रभावी नगरीय आपदा प्रबंधन के लिए एक एकीकृत व समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह योजना नगरीय क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट प्रकार के जोखिमों की पहचान करने के साथ–साथ नाजुकताओं व क्षमताओं का विवरण प्रस्तुत करने में सहायक है। इस योजना में नगर स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व–तैयारी, प्रभावी प्रत्युत्तर तथा पुनर्स्थापन (पुनर्वास) की योजनाओं को संस्थागत रूप से क्रियान्वित करने का एक कार्य संचरण एवं रुपरेखा है।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन, क्षमता निर्माण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन उपायों को लागू करने, आपदा जोखिमों को कम करने की प्रशासनिक रणनीति तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वित्तीय संसाधनों को उपलब्ध कराने में सहायक है। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजना को समन्वित रूप से लागू करने का एक गंभीर प्रयास है। इस योजना का कार्यान्वयन नगर निकायों, समुदायों और विभिन्न सरकारी विभागों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देकर आपदाओं से निपटने हेतु एकीकृत तथा समन्वित प्रयासों को बढावा देती है।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आपदा प्रबंधन व न्यूनीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने तथा शहर में व्याप्त व भविष्य की आपदाओं के परिप्रेक्ष्य में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों को समाहित किया गया है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) राज्य में जोखिम न्यूनीकरण के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों–रेज़ीलिएन्ट गाँव, रेज़ीलिएन्ट आजीविका, रेज़ीलिएन्ट आधारभूत सेवाएँ, रेज़ीलिएन्ट क्रिटिकल अवसंरचना तथा रेज़ीलिएन्ट शहर को चिन्हित किया गया है। 5 चिन्हित क्षेत्रों में से 4 क्षेत्र आपदाओं से निपटने के लिए नगर निकायों की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण हेतु अत्यंत आवश्यक हैं।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 के अनुरूप ''रेज़ीलिएन्ट शहर'' का निर्माण ही ''नगर आपदा प्रबंधन योजना'' की मूल अवधारणा है, यह अवधारणा स्वतः रेज़ीलिएन्ट आजीविका, आधारभूत संरचनाओं तथा आधारभूत सेवाओं के सशक्तिकरण पर जोर देती है। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के प्रभावी संचालन से शहर में उपलब्ध मौजूदा क्षमताओं का सशक्तिकरण और टिकाऊ विकास संभव होगा। स्थानीय प्रकृति के अनुसार भौगोलिक, सामाजिक–आर्थिक व पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण आपदाओं की नाजुकता व जोखिम अलग–अलग होते हैं। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना शहर के विकास के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में आवश्यकता के अनुरूप शहरी क्षेत्र में घटित होने वाली आपदाओं से संबंधित मुद्दों को मुख्य धारा में लाकर तथा आपदा प्रबंधन की एक प्रासंगिक एवं प्रभावी रणनीति का निर्धारण करने में सहायक है।

टेबल संख्या–1

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने में प्रमुख 03 हितभागियों की भूमिका–

1– बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–	2– टेक्निकल संस्थान के रूप में सीडस टेक्निकल सर्विसेज	3– नगर निगम, बिहार शरीफ
▪ योजना बनाने हेतु प्रारूप का निर्माण व स्वीकृति ▪ क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों तक आंकड़ा एकत्रीकरण हेतु पहुँच सुगम बनाना। ▪ नगर निगम से समन्वय स्थापित कराना। ▪ प्रगति की समीक्षा एवं योजना की स्वीकृति। ▪ योजना बनाने की प्रक्रिया की निगरानी व प्रगति की समीक्षा करना	▪ सी.डी.एम.पी. की तैयारी करने व आंकड़ा संकलन हेतु प्रपत्र बनाना तथा आकड़ों का सत्यापन करना। ▪ वार्डों से आंकड़ों व सूचनाओं का संग्रहण करना तथा विश्लेषण करना। ▪ नगर निगम से चर्चा कर व समन्वय करना। ▪ प्राधिकरण को विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराना। ▪ योजनाबद्ध व समयबद्ध कार्य सम्पादित करना। ▪ सी.डी.एम.पी. पर जिला प्रशासन/नगर निगम से अनुशंसा प्राप्त कर प्राधिकरण को प्रेषित करना।	▪ अन्य विभागों व कार्यालयों से समन्वय स्थापित कराना। ▪ वरीय पदाधिकारी को प्रभारी नामित करना। ▪ सभी संबंधित आंकडा उपलब्ध कराना तथा जिला/नगर स्थित विभागो से समन्वय स्थापित करना। ▪ प्रभारी द्वारा समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन कर विचार–विमर्श करना। ▪ हितधारकों के साथ बैठक समूह चर्चा में सूत्रधार का कार्य करना। ▪ जिलाधिकारी, नालन्दा को प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

1.2 नगर निगम आपदा प्रबंधन योजना का लक्ष्य एवं उद्देश्य

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ "आपदा जोखिम प्रबंधन" से सम्बंधित किए जाने वाले आवश्यक प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना है, इस योजना को प्रभावी व कार्यशील बनाए रखने के लिए बिहार शरीफ में उत्पन्न हो रही आपदाओं की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष लक्ष्यों व उद्देश्यों को चिन्हित किया गया है जिससे आपदाओं के स्वरूप में होने वाले बदलावों के अनुरूप संबंधित विभाग, हितभागी व स्थानीय समुदाय बचाव, न्यूनीकरण व प्रत्युत्तर संबंधी कार्रवाई करने में सक्षम हो सकें। योजना में आवश्यक रणनीतियों को अपनाने, न्यूनीकरण प्रावधानों को प्रभावी कार्रवाई कर लागू करना व हितभागियों/समुदायों में सुरक्षा की संस्कृति का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2019, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 व राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार के विभिन्न नीतिगत सिद्धान्तों व उद्देश्यों को अपनाया गया है, जिसका मूलमन्त्र है–

"सरकारी, रिस्पांस एजेंसियों एवं गैर सरकारी हितभागियों द्वारा मिलजुलकर बेहतर रोकथाम, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी उपायों को पूर्वाभ्यास तथा प्रभावी रूप से संचालित कर जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना"

इस योजना का प्रारंभिक उद्देश्य शहर के आपदा जोखिम अनुकूलन (Disaster Risk Resilience) हेतु नगर निगम क्षेत्र का भू–जलवायु परिस्थिति, जनसांख्यिकी, पूर्व के आपदा इतिहास तथा सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पारिस्थितकी के आधार पर नगर की बहु–आपदा जोखिम के

अनुसार सवेदनशील स्थलों, आबादी, जनसंख्या, सरकारी तथा निजी संपत्तियां, आधारभूत संरचनाओं तथा मूलभूत सुविधा प्रदान करने वाली सेवाओं के संदर्भ में जोखिमों की पहचान कर रोडमैप के अनुसार 2015–30 तक के लिए निर्धारित निम्नांकित लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है–

(क) वर्ष 2030 तक प्राकृतिक आपदाओं से मानव क्षति को आधार आंकडों (Base Line) की तुलना में 75 प्रतिशत कम करना।

(ख) वर्ष 2030 तक परिवहन संबंधी आपदाओं (सड़क, रेल, नाव दुर्घटना) में आधार आकड़ों की तुलना में पर्याप्त कमी करना ।

(ग) वर्ष 2030 तक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या में आधार आंकड़ों की तुलना में 50 प्रतिशत की कमी करना।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना (2015–30) में उल्लेखित उपर्युक्त लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न क्रियाकलापों का निम्न प्राथमिकतानुसार निर्धारण किया गया है–

- आपदाओं के प्रभावों व इतिहास के संबंध में जानकारी एकत्र व समझ विकसित करना।
- आपदा जोखिमों व नाजुकताओं की पहचान कर उसके संबंध में पूरी जानकारी तथा इसका विस्तृत विश्लेषण करना।
- सहभागी, विस्तृत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोखिमों का विश्लेषण करते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु वार्ड स्तरीय विकास योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन।
- जोखिमों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर तदनुसार सभी हितधारको का पर्याप्त क्षमता–वर्द्धन करना व आपदा न्यूनीकरण की रणनीति तय करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजनाबद्ध रणनीतियों के संबंध में विभागों, हितभागियों, मीडिया व स्थानीय समुदायों को जागरूक करना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रशिक्षण/मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन व आपदाओं से निपटने में सहायक संसाधनों व उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु आवश्यक प्रावधान करना।
- पूर्व चेतावनी प्रणाली व आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली को सशक्त बनाना।
- संबंधित हितभागियों से संवाद स्थापित करना।

इस योजना में कार्यान्वयन योग्य (Actionable and Doable) लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न अध्यायों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

1.3 नगरीय आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ का कार्यक्षेत्र (परिक्षेत्र)

नगर आपदा प्रबंधन योजना, बिहार शरीफ के अन्तर्गत संपूर्ण बिहार शरीफ नगर निगम जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कुल 40.7 वर्ग किमी है तथा नगर निगम क्षेत्र कुल 51 वार्ड में विभक्त है। वर्तमान में, नगर निगम परिक्षेत्र की आबादी 337,819 अनुमानित है। नगर निगम का क्षेत्र अंचल कार्यालय बिहार शरीफ व रहुई अंचल के अन्तर्गत आता है। नगर निगम का सम्पूर्ण क्षेत्र बिहार शरीफ अनुमंडल के अन्तर्गत आता है।

1.4 योजना तैयार करने की कार्यप्रणाली

इस योजना का निर्माण एक त्रिपक्षीय एकरारनामा के आलोक में किया गया है। तदनुसार तीनो पक्षों की महत्वपूर्ण सहभागिता रही है। नगर निगम, बिहार शरीफ द्वारा विभिन्न विभागों से नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए जरूरी आंकड़े तथा सूचनायें एकत्रित करने का

हर संभव प्रयास किया गया है। इस योजना की तैयारी में तकनीकी सहयोग के लिये नियुक्त संस्था, सीडस टेक्निकल सर्विसेज ने नगर निगम के संबंधित पदाधिकारियों, नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों के स्थानीय कार्यालय जन–प्रतिनिधियों, वार्ड पार्षदों, एन0जी0ओ0 तथा सामाजिक कार्यकताओं से व्यापक विमर्श, चर्चा एवं क्षेत्र भ्रमण कर के जानकारियां एकत्रित की गई हैं।

इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक आकडें विभिन्न वेब साईट, जिला गजेटियर, जिला जनगणना हस्त–पुस्तिका, सांख्यिकी प्रतिवेदनों तथा अन्य स्त्रोतों से एकत्रित किया गया है। साथ ही बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से नगरीय आपदा प्रबंधन योजन प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी आदेश, अनुदेश, परिपत्र, मानक संचालन प्रक्रिया, जन जागरण हेतु पत्रक, पोस्टर इत्यादि प्राप्त किये गये है।

टेबल संख्या–2

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के प्रमुख चरण एवं मुख्य गतिविधियों का विवरण

क्रमांक	चरण	गतिविधि
1	**चरण 1–** प्राधिकरण के प्रपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर व स्थानीय स्तर पर टीम का गठन	परियोजना टीम द्वारा कार्य का बंटवारा कर नगर निगम, बिहार शरीफ के विभिन्न वार्डों में कार्य प्रारम्भ किया गया।
2	क्षेत्र भ्रमण व प्रारम्भिक प्रतिवेदन हेतु	परियोजना टीम का नगर निगम व वार्ड पार्षदों तथा प्रतिनिधियो के साथ परिचय, वार्ड का भ्रमण, आवश्यक आंकडा, मानचित्र का एकत्रीकरण
3	प्रारम्भिक प्रतिवेदन का जिलाधिकारी, नालन्दा व प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतिकरण	जिलाधिकारी, नालन्दा व बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पटना के समक्ष योजना का प्रारम्भिक प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण करना व अग्रिम कार्ययोजना का निर्माण करना।
4	**चरण 2–** योजना का ड्राफ्ट रिर्पोट	आकडों का दस्तावेजीकरण करना। क्षेत्र की प्रकोप, नाजुकता व जोखिम का विश्लेषण करना। वार्ड स्तर की मैपिगं व आपदाओं के प्रभाव की मैपिंग योजना का ड्राफ्ट रिर्पोट तैयार करना तथा प्राधिकरण के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर आवश्यक संशोधन करना।
5	**चरण 3–** योजना का अन्तिम रूप	नगर निगम के साथ योजना की चर्चा करना। वार्ड स्तर तक की संसाधनो का मानचित्रण करना। उनके सुझावों का योजना में समावेश करना योजना का अन्तिम प्रारूप का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुतीकरण करना तथा दस्तावेज प्राधिकरण में भेजना।

अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ो का सत्यापन करने के लिए संबंधित विभागों व सक्षम प्राधिकार से समन्वय स्थापित किया गया। सहभागी सूचना संकलन पद्धति को आत्मसात् कर वार्ड सर्वेक्षण में पूर्व में घटित आपदाओं के इतिहास, प्रभावित क्षेत्रों, सुरक्षित स्थलों व भवनों से संबंधित जानकारी

को एकत्र करने हेतु वार्ड के संभ्रान्त लोगों, जनप्रतिनिधियों व बुर्जुगों से सम्पर्क स्थापित किया गया। सर्वेक्षण के दौरान जमीनी स्तर की सूचनाएँ एवं लोगों के आपदाओं से संबंधित अनुभवों व उपलब्ध संसाधनों व सुविधाओं के उपयोग से संबंधित विवरण का संकलन किया गया। स्थानीय स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय समुदाय द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियों व की जाने वाली कार्रवाई के साथ प्रत्युत्तर क्षमताओं में कमियों (**Gaps in Disaster Response**) व संसाधनों के आभावों (**Lack of Resources**) के बारे में भी आवश्यक सूचनाओं को संकलित किया गया।

सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आंकड़ो का दस्तावेजीकरण कर विश्लेषण प्रतिवेदन (Analysis Report) तैयार किया गया। विभिन्न टेबुल, चार्ट, ग्राफ तथा डॉयग्राम तैयार किये गये। बहु–आपदा खतरा जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता का विस्तृत विश्लेषण तैयार किया गया। पुनः इस विश्लेषण के साथ सभी हितधारकों के साथ बैठक कर उनको इसके फलाफल की जानकारी दी गई तथा उनसे आपदा प्रबंधन के सभी मुख्य अवयवो के संबंध में उनके दायित्व एवं कर्त्व्यो तथा अपेक्षाओं की चर्चा की गई। इस चर्चा के आधार पर आपदा पूर्व तैयारी व विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पहलुओं का समावेश करने की स्पष्ट रूपरेखा तय की गई जो आपदा के प्रभावों को कम करने, आपातकालीन प्रबंधन को सशक्त करने तथा आपदा प्रत्युत्तर क्षमता को बढ़ाने में सहायक तथा प्रभावी हो।

नगरीय आपदा प्रबंधन योजना को ससमय त्वरित तथा प्रभावी रूप से लागू करने की लिए एक सुगठित आपातकालीन संचालन केन्द्र की रूपरेखा प्रभावी प्रक्रिया कार्यबलों के संस्थागत ढांचा का स्वरूप का निर्धारण किया गया। इसके अतिरिक्त संसाधन सूची तैयार की गई। भौतिक संसाधन तथा मानव संसाधन की वर्तमान उपलब्धता एवं गुणवत्ता के आधार पर इसकी प्रभावकारिता में सम्यक सुधार करने का कार्यक्रम बनाया गया है। क्षमतावर्द्धन के लिए प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षण सामग्रियां भी चिह्नित किये गये तथा इसके संचालन की कार्ययोजना भी बनाई गई। आपदा प्रभावित लोगों के बीच खतरों तथा जोखिम की पहचान तथा स्थानीय स्तर पर बाहरी सहायता पहुँचने से पहले बचाव कैसे किया जाय अथवा कौन सी गलतियां नहीं की जाए, इस बारे में उन्हें जागरूक करने के सभी उपायों की विस्तृत चर्चा की गई है।

कई प्रकार की आपदा के दौरान प्रत्युत्तर योजना, सहयोगी संस्थाओं की भूमिका तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व एवं निर्देशन में आपसी सहयोग एवं समन्वय की मानक संचालन प्रक्रिया व प्रभावी समन्वय तंत्र (Coordination Mechanism) का निर्धारण किया गया है, जिससे संबंधित हितभागियों के मध्य भ्रम की स्थिति नही रहे व त्वरित कार्यों का संचालन निर्धारित भूमिका के अनुसार समन्वित ढ़ंग से किया जा सके। पूर्व चेतावनी तंत्र का विकास, जिला नियंत्रण कक्ष, नालन्दा, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, नालन्दा व इन्टेग्रेटेड कमांड कन्ट्रोल सेन्टर, बिहार शरीफ के माध्यम से किए जाने की कार्य प्रणाली का सूत्रपात किया गया है। साथ ही, आपदा प्रभावितों या संवेदनशील आबादी को सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण तथा राहत शिविरों के संचालन की मानक प्रक्रिया का विशेष उल्लेख किया गया है।

इस योजना के निर्माण में क्षति आकलन, पीड़ितों को राहत, पुनर्वास, आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन, जीवनदायी सेवा प्रदान की जाने वाली संस्थाओं के भवनों की त्वरित मरम्मति या क्षतिग्रस्त संरचना के पुनर्निर्माण के लिए समय–समय पर सरकार द्वारा निर्गत निर्देश, परिपत्र, दिशानिर्देशों का उल्लेख विभिन्न अध्यायों में किया गया है।

योजना में प्रस्तावित कार्यों के लिए नगर निगम के वित्तीय संसाधनो की उपलब्धता का विश्लेषण किया गया है और विकास कार्यों के लिए किये जा रहे निवेश से भविष्य में आपदारोधी संरचनाओ के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

योजना का निरूपण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण को सरल, सुलभ तथा सुग्राह्यी बनाने का पूरा प्रयास किया गया है।

1.5 नगरीय आपदा प्रबन्धन योजना का क्रियान्वयन

बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, पटना द्वारा स्वीकृत नगर आपदा प्रबन्धन योजना, बिहार शरीफ के क्रियान्वयन की जवाबदेही बिहार राज्य नगरपालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 21 एवं 22 के आलोक में "नगर निगम की सभी कार्यकारी शक्तियो का उपयोग हेतु सशक्त स्थाई समिति सक्षम होगी" इसी अधिनियम के अनुच्छेद 28(2) के आलोक में सशक्त स्थाई समिति, लिखित आदेश द्वारा, इस आदेश में यथा विनिर्दिष्ट शर्तो के अधीन, अपने किन्ही शक्तियों या कार्यो को महापौर या नगर आयुक्त को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

बिहार म्यूनिसीपल एक्ट 2007 के अध्याय 39 में उद्धृत धारा 361

प्राकृतिक या प्रौद्योगिक आपदा का प्रबंधन (1) जहाँ तक संभव हो सकेगा, नगरपालिका मौसम – विज्ञान संबंधी कार्यालय सहित केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के संबद्ध पदाधिकारियों के सहयोग से मौसम आधारित नक्शा तथा प्रभावी क्षेत्र– आरेख तैयार कराएगा तथा अन्य सुसंगत आंकडे एकत्र करेगा और प्राकृतिक तथा प्रौद्योगिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए अधिष्ठापन तथा अन्य अपेक्षित सहायक उपकरण को स्थापित करने के लिए आवश्यक पहल करेगा।

(2) नगरपालिका आपदा प्रबंधन के संबंध में आपातकालीन क्रियाकलाप आयोजित करेगी तथा जन चेतना को बढ़ावा देगी।

(3) नगरपालिका योजना तथा नगर विकास प्राधिकारों के द्वारा उच्च भुकम्पीय क्षेत्रों में भूकम्प की यथा भयावहता को कम करने तथा इस संबंध में नागरिक चेतना जगाने के लिए बनाए गये विनियमों को यदि कोई हो, कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी।

आपदा प्रबंधन समिति– इस समिति के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यों के लिए अलग–अलग कार्यदल गठित किये जायेंगे और उन्हें जागरूकता एवं पूर्व तैयारी, त्वरित सूचना संचार मोचन कार्य यथा निकासी तथा बचाव, शिविर संचालन संसाधन प्रबंधन के कार्यों में प्रवृत करने हेतु समुचित नेतृत्व, निर्देशन, समन्वय इत्यादि कार्य किये जायेंगे। यह समिति जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन विभिन्न सहभागी एवं हितधारक सस्थाओं से सम्पर्क तथा समन्वय कर इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में अपनी भूमिका अदा करेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन में सरकार की नीतियाँ बिहार नगर पालिका अधिनियम, विभिन्न आपदाओं से संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं, नये सहाय्य मानदर एवं भूकम्प चक्रवाती/आंधी–तूफान, भीड़ प्रबंधन, आपदाओं से बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, वृद्धों एवं असहाय जनो की सुरक्षा, पालतू जानवरों एवं मवेशियों की सुरक्षा, मलवों का निपटान से संबंधित मार्गदर्शिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभी हितधारको एवं सहयोगी संस्थानों का क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायगा।

1.6 नगर निगम, बिहार शरीफ का प्रशासनिक तंत्र (टेबल संख्या–3)

पदनाम	प्रशासनिक कार्य
महापौर	नगर के परिक्षेत्र, आधारभूत संरचनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं आदि का प्रतिनिधित्व करना। नगर निगम, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा नगर निगम से संबंधित निर्णय लेना।
उप महापौर	महापौर की अनुपस्थिति में नगर के परिक्षेत्र, आधारभूत संरचनाओं तथा सार्वजनिक सेवाओं आदि का प्रतिनिधित्व करना। महापौर को सहयोग प्रदान करना।
नगर आयुक्त	नगर निगम के सीईओ (मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी) एवं मुख्य प्रशासक– नगर निगम के निर्णय को क्रियान्वित करना, नगर निगम के समस्त दायित्वों का निर्वहन करना, अनुश्रवण करना व वार्षिक बजट का निर्माण करना।
उप नगर आयुक्त	समय पर समस्त प्रस्तावित कार्य बजट के आधार पर कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। नगर निगम के सभी कार्यों के ससमय निष्पादन व परियोजनाओं के संचालन में सहयोग करना।
नगर प्रबंधक	स्वच्छता, पेयजल, जन सुविधाओं, संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन, नगरीय प्रबंधन व अन्य सौपे गये दायित्वों का निर्वहन करना।
लेखा अनुभाग	लेखा अनुभाग में नगर निकायों से सम्बंधित सभी प्रकार के बिल और भुगतान, कर्मचारियों के वेतन, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रेजरी लेखा के रख–रखाव आदि कार्य सम्मिलित है।
नोडल–स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	जल जनित तथा वेक्टर जनित महामारियों के रोकथाम हेतु वार्डो में साफ–सफाई व छिड़काव करना।
राजस्व अनुभाग	संपत्ति कर का मूल्यांकन, कर निर्धारण एवं संग्रहण, सभी प्रकार के म्यूटेशन के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन करना। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करना। सभी प्रकार के शवदाह गृहों व कब्रिस्तानों के रखरखाव का प्रबंधन करना।
रजिस्टार आफिसर	पंजीकरण करना तथा आवश्यक परिपत्रों को निर्गत करना।
इंजीनियरिंग अनुभाग	यह अनुभाग नगरीय क्षेत्रान्तर्गत सड़कों, नालियों, पुलियों, भवनों का निर्माण आदि के विकास में सम्मिलित है।
जल प्रशाखा	यह प्रशाखा नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनेक्शन व जलापूर्ति सम्बन्धी कार्यों का संपादन करती है।
विकास प्रशाखा	यह प्रशाखा नगर निगम के सभी विकास सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन व संचालन करती है।
सामान्य प्रशाखा	सामान्य पत्राचार, सभागार का आरक्षण, पार्क प्रबंधन, खाली भूमि,की देखरेख, जलकल टैंक की बुकिंग , सेप्टिक टैंक की साफ़ सफाई सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करना।
कंप्यूटर अनुभाग	ये अनुभाग नगर निगम की सभी प्रशाखा को आईटी सुविधा प्रदान करता है।
सूचना का अधिकार	आमजन से सुचना के अधिकार (आरटीआई) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करना और आवेदन का निष्पादन करना।
स्थापना अनुभाग	यह अनुभाग नगर निकायों के मानव संसाधन सम्बन्धी समस्त कार्यों यथा नियुक्ति, योगदान, सेवानिवृत्ति, प्रशिक्षण, उपस्थिति व वेतन संबंधी कार्यों का संपादन करता है।
नकद अनुभाग	दैनिक आधार पर विभिन्न विभागों से नकद संग्रहण का कार्य करता है।
विधि प्रशाखा	विवादित मामलों, कानूनी मामलों का पत्राचार, विधि सम्बन्धी मामलों का संपादन, माननीय न्यायालय से सम्बंधित विभिन्न कार्यों का संपादन करना।
स्टेशनरी प्रशाखा	यह प्रशाखा नगर निकाय की सभी संभागों/प्रशाखाओं/अनुभागों को दैनिक स्टेशनरी सामग्री, दस्तावेज आदि उपलब्ध कराती है।
परिवहन अनुभाग	यह प्रशाखा नगरीय क्षेत्र में परिवहन प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों का निर्वहन करती है।
बाजार प्रशाखा	यह प्रशाखा विभिन्न व्यवसायों के लिए व्यापार लाइसेंस जारी करने सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन करती है।

अध्याय–2
बिहार शरीफ–नगर निगम का विवरण

2.1 पृष्ठभूमि, जलवायु एवं तापमान

बिहार शरीफ बिहार में नालंदा जिले का जिला मुख्यालय है व स्मार्ट सिटी के अर्न्तगत चयनित हैं। नगर निगम सीमा का क्षेत्रफल लगभग 40.7 वर्ग किमी है। नगर निगम, बिहार शरीफ के परिक्षेत्र में लगभग 337,819 की आबादी वास करती है, जिसमें पुरूषों की आबादी 176392 तथा महिलाओं की आबादी 161427 है। नगर निगम, बिहार शरीफ क्षेत्र में साक्षरता दर 63.8 प्रतिशत है। नगर निगम क्षेत्र में आजीविका का मुख्य आधार व्यवसाय, पर्यटन, होटलों का संचालन व सेवा क्षेत्र है। नगर निगम के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि व कृषि आधारित व्यवसाय व गतिविधियां यहां की आबादी के जीवनयापन का प्रमुख साधन हैं। यह पुरातात्विक व ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर है तथा हाल के वर्षों में बिहार शरीफ जिला एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा है।

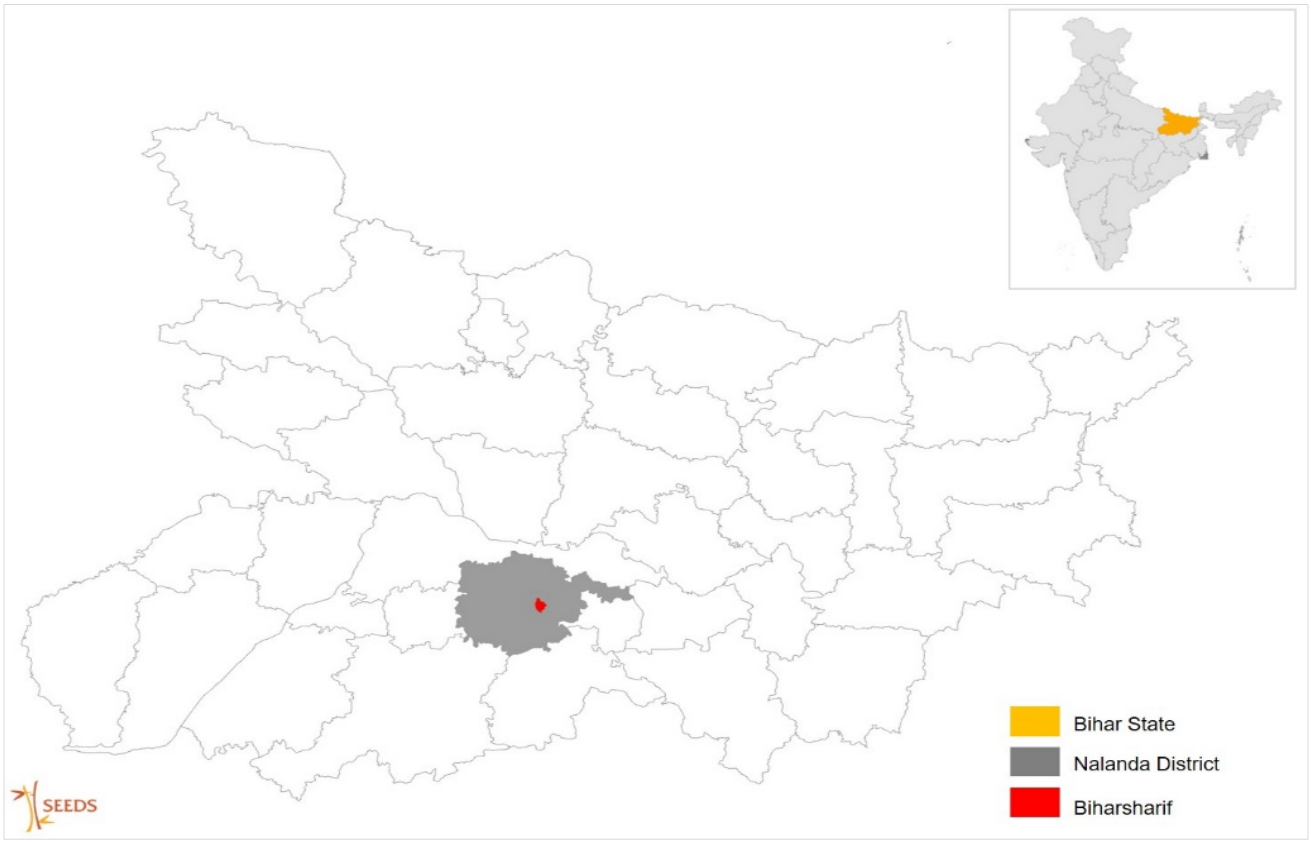

चित्र 1: बिहार शरीफ का मानचित्र

उपर्युक्त के मद्देनजर नगर निगम के सीमावर्ती क्षेत्रों में नए आवासीय आबादी का तीव्र विकास हुआ है। आसपास के ईंट भट्ठों व अन्य छोटे उघोगों पर स्थानीय निवासियों को रोजगार के लिए निर्भरता बढती जा रही है। एक पर्यटन स्थल के रूप में यह नगर बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल बोधगया, गया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, पटना और वैशाली के केंद्र में स्थित है जो पर्यटन एवं भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिहार में भ्रमण करने वाले कुल पर्यटकों में से 6 प्रतिशत पर्यटक बिहार शरीफ में घूमने आते हैं।

बिहार शरीफ में कई स्थानीय नदियाँ प्रमुखतः धोबा, पंचाने तथा गोइठवा बहती हैं। इससे जिले में बनी जलोढ़ मृदा ने कृषि भूमि को उपजाऊ बना दिया है। बिहार शरीफ की औसत वार्षिक वर्षा 1002.2 मिमी है तथा कुल वर्षा का 92.55 प्रतिशत वर्षा दक्षिण–पश्चिम मानसून से जून से अक्टूबर के दौरान ही हो जाती है। जिले की जलवायु उष्ण कटिबंधीय (**Sub Tropical**) से उप–आर्द्र (**Sub Humid**) प्रकृति की है। शीत ऋतु के दौरान यहाँ भीषण शीतलहर होती है, इसके विपरीत ग्रीष्मकालीन समय में तापमान की अधिकता के कारण भीषण लू या हीटवेव का अनुभव किया जाता है। बिहार में, यह जिला लू/हीटवेव के प्रति अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है। नालन्दा जिले की जलवायु की स्थिति बिहार के अन्य भागों से भिन्न नहीं है। मई एवं जून माह प्रायः गर्म रहता है तथा गर्म हवाएँ चलती रहती है। गर्म एवं धूलभरी हवाओं की गति 8–16 कि॰मी॰ प्रति घंटा होती है।

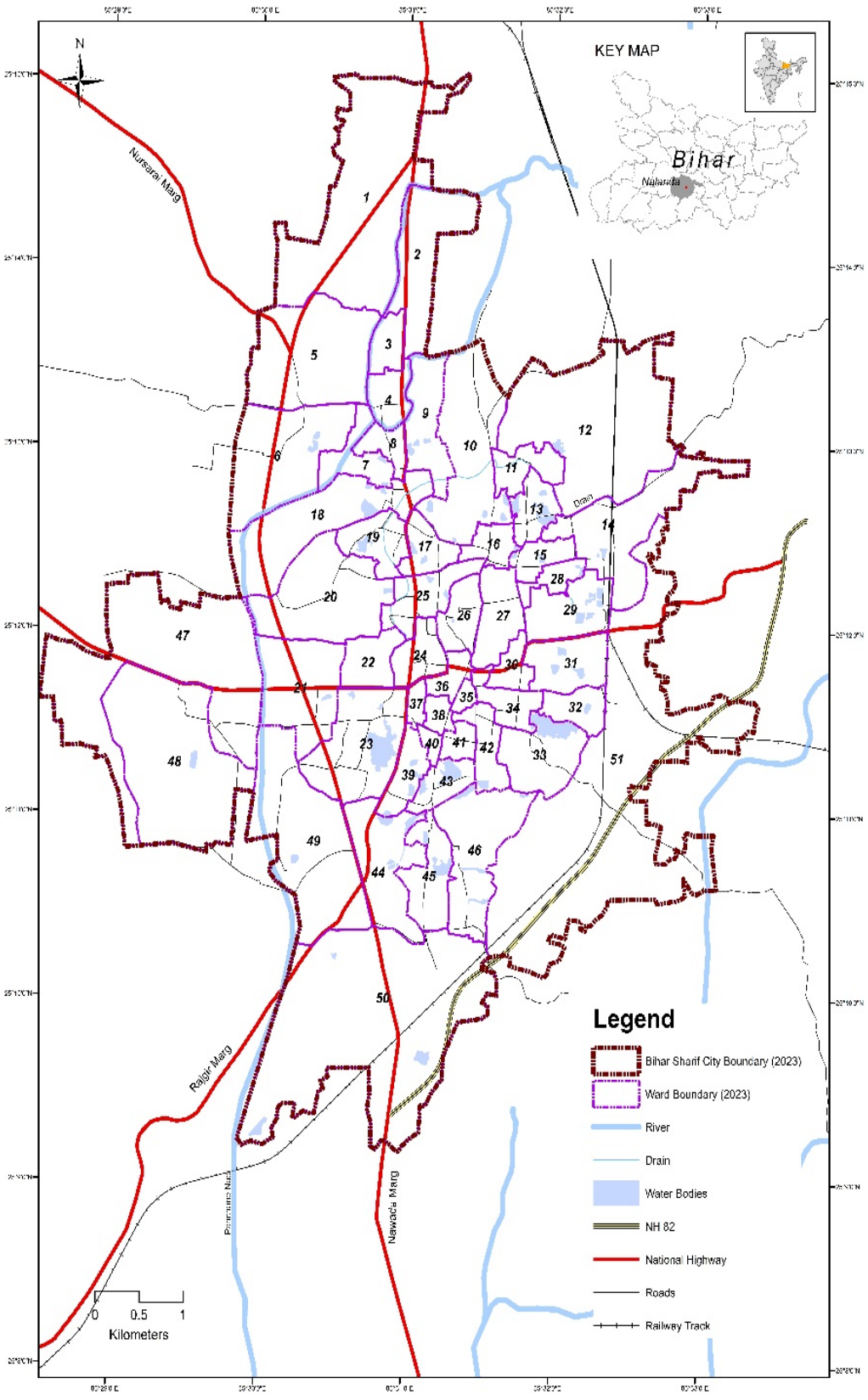

चित्र 2: बिहार शरीफ के वार्डों का मानचित्र

तापमान

बिहार शरीफ जिले का औसत तापमान 25.5ºC है। अप्रैल 2022 में नालंदा जिले का अधिकतम तापमान 41.2 ºC रिकॉर्ड किया गया है।

सीएसटीईपी द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार, शीतकाल व ग्रीष्मकाल में न्यूनतम तापमान बिहार के आरसीपी 4.5 वाले जिलों (मध्यम उत्सर्जन) में कम से कम 1 ºC से 1.5 ºC तक बढ़ोतरी होने का अनुमान है, वहीँ आरसीपी 8.5 वाले जिलों (उच्च उत्सर्जन) में न्यूनतम तापमान में कम से कम 1 ºC से 2 ºC तक बढ़ोतरी होने की संभावना है।

टेबल संख्या–4 बिहार शरीफ में मासिक तापमान

पिछले 12 वर्षो के अधिकतम व न्यूनतम तापमान का आंकड़ा–

वर्ष	अधिकतम तापमान (ºC)	न्यूनतम तापमान (ºC)	एवरेज तापमान (ºC)
2010	46.06	6.44	26.99
2011	44.58	4.26	25.61
2012	47.25	3.55	25.31
2013	44.82	1.77	25.13
2014	45.69	4.44	25.44
2015	47.51	4.78	26.38
2016	45.51	5.42	26.44
2017	45.93	3.06	26.3
2018	45.44	4.58	26.41
2019	47.39	1.99	26.27
2020	46.9	4.19	24.82
2021	42.97	4.66	25.32

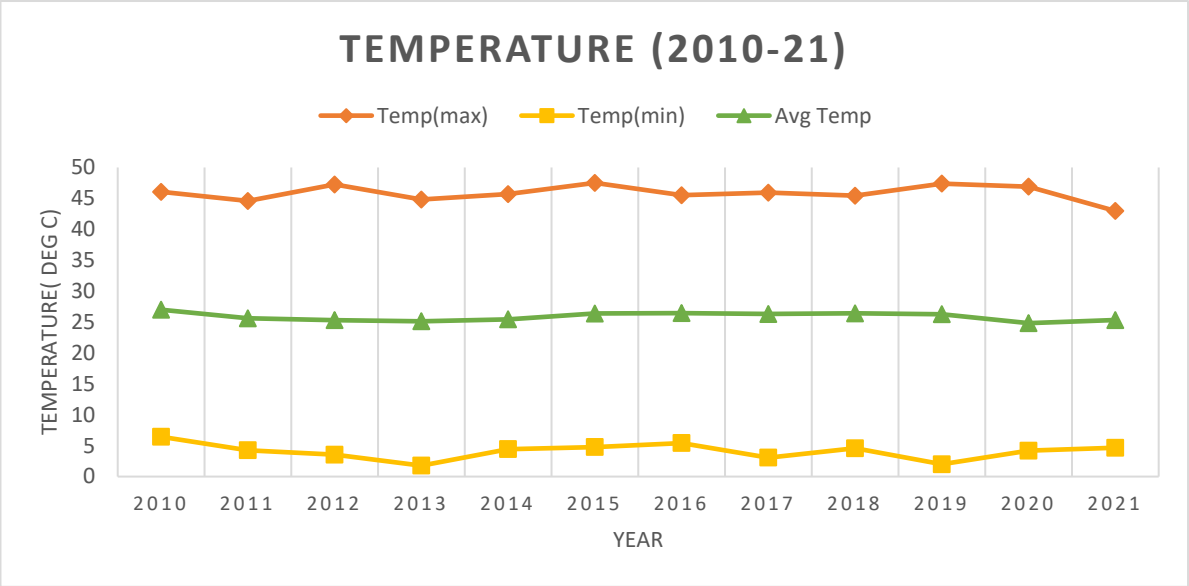

चित्र संख्या–3 (बिहार शरीफ में तुलनात्मक तापमान)

वर्षापात

बिहार शरीफ में अधिकतम वर्षा अधिकतर दक्षिण–पश्चिम मानसून के मौसम में जून से अक्टूबर तक होती है। अधिकांश वर्षा जुलाई में औसतन 322 मिमी होती है, वहीं न्यूनतम वर्षा दिसंबर माह में होती है, इस माह में औसतन 8 मिमी वर्षा ही होती है।

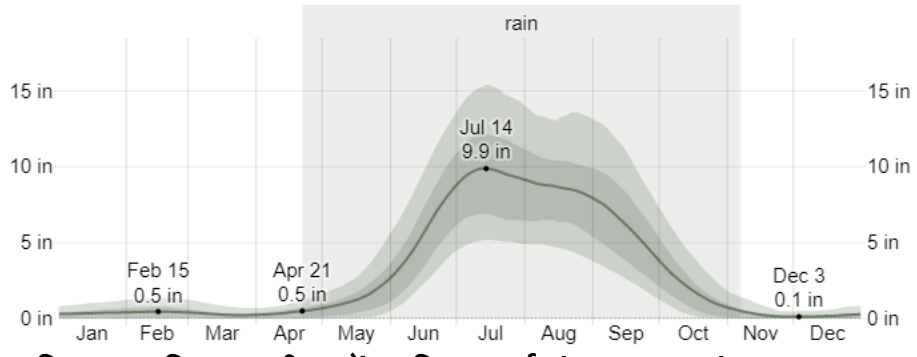

स्रोत– वेदरस्पार्क

चित्र– 4 बिहार शरीफ में मासिक वर्षा (2014–2022)

टेबल संख्या–05 मासिक वर्षा और वर्षा प्रणवता

	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जुन	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
वर्षा प्रणवता/वर्षा मिमी	16	15	1 1	1 1	39	165	322	264	205	62	6	8
आर्दता (%)	68%	59%	41%	35%	48%	63%	80%	82%	83%	78%	66%	66%
वर्षापात के दिनों की संख्या	2	2	2	2	5	12	19	19	16	5	1	1

स्रोत– जलवायु डेटा

वायु

निर्धारित विस्तृत–क्षेत्र में प्रति घंटा औसत वायु की गति व दिशा को भूमितल से 10 मीटर ऊपर मापा जाता है। वायु विक्षोभ का अनुभव स्थानीय स्थलाकृति व अन्य कारकों पर काफी हद तक निर्भर करता है। तात्कालिक वायु की गति और दिशा प्रति घंटा औसत से अधिक व्यापक रूप से भिन्न होती है। पूरे वर्ष के दौरान, बिहार शरीफ में वायु की प्रति घंटा औसत गति में महत्वपूर्ण मौसमी बदलाव का अनुभव किया जा सकता है। वर्ष का सबसे हवादार माह फरवरी से सितंबर (लगभग 7–8 माह) तक रहता है। बिहार शरीफ़ में वर्ष की अधिकतम वायुगति जून माह में होती है, जिसमें वायु की औसत गति 8.1 मील प्रति घंटा रिकार्ड की गई है। वर्ष में सितंबर से फरवरी तक वायु गति न्यूनतम रहती है। बिहार शरीफ में सबसे कम वायुगति नवंबर माह में होती है, जिसमें वायु की औसत गति 4.5 मील प्रति घंटा है।

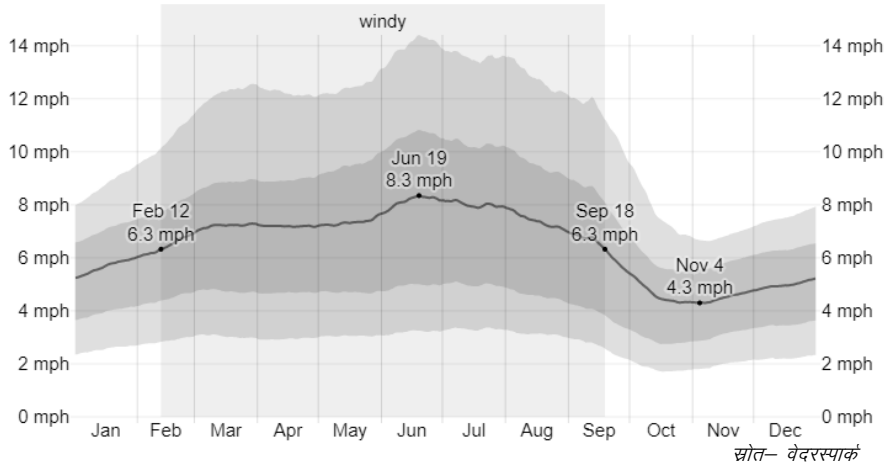

स्रोत– वेदरस्पार्क

चित्र–5 बिहार शरीफ में वायु विक्षोभ की गति

2.2 नगर निगम, बिहार शरीफ की भौगोलिक स्थिति

बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र बिहार की राजधानी पटना से 85 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व में स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से इसका अक्षांश 57'11'25 उत्तर तथा देशांतर 3'31'85 पूर्व है। बिहार शरीफ नगर निगम का कुल क्षेत्र 51 वार्डों में विभाजित है।

2.3 सांस्कृतिक इतिहास

नालंदा एक प्रसिद्ध महाविहार, शिक्षण केन्द्र एवं बौद्ध तीर्थस्थल था। यहॉ मगध (आधुनिक बिहार) के प्राचीन साम्राज्य में एक बड़ा बौद्ध मठ था। यह स्थल बिहार शरीफ शहर के पास पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण–पूर्व में स्थित है, और पाँचवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक सीखने का केंद्र था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है।

वैदिक शिक्षा के अत्यधिक औपचारिक तरीकों ने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों की स्थापना को प्रेरित करने में मदद की, जिन्हें अक्सर भारत के प्रारंभिक विश्वविद्यालयों के रूप में जाना जाता है। नालंदा 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण में और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन फला–फूला। गुप्त युग से विरासत में मिली उदार सांस्कृतिक परंपराओं के परिणामस्वरूप नौवीं शताब्दी तक विकास और समृद्धि का दौर चला।

मध्ययुगीन काल (13वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान) बिहार शरीफ कई मुस्लिम शासकों तथा वजीरों की राजधानी रही है। यह मुस्लिम संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है तथा मुस्लिम विचारों व शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। शेरशाह सूरी (1541 ईसवीं) के शासनकाल के समय बिहार प्रांत की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित कर दिया गया था। बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्र में मुगल शासकों की विभिन्न दरगाहें और मकबरे है।

2.4 बिहार शरीफ की स्थलाकृति

नगरीय क्षेत्र में कुछ पठारनुमा पहाड़ियां तथा तालाब हैं जो इसको प्रचुर जल सतह प्रदान करते हैं। जिले में 117 मीटर उच्चतम बिंदु है तथा 48 मीटर निम्नतम बिंदु है।

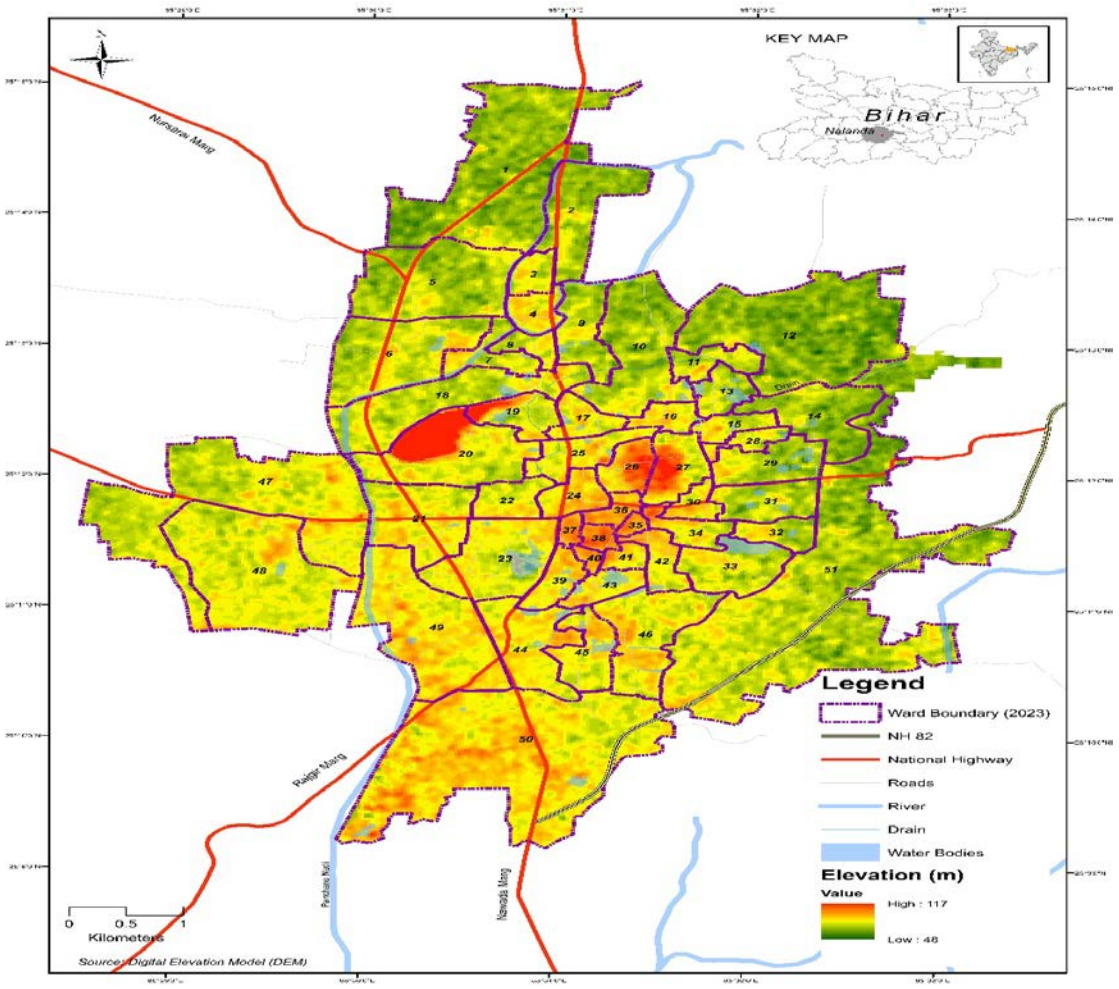

चित्र 6 बिहार शरीफ की ऊँचाई विवरण (Elevation Profile)

2.5 जल संसाधन

बिहार शरीफ नगर 73 जलाशयों एवं जल स्त्रोतों (श्रोत–जल जीवन हरियाली) जैसे प्राकृतिक संसाधनों से आच्छादित हैं। नगर और आसपास के क्षेत्रों से प्राकृतिक सतही बहाव इन जलाशयों व जल स्त्रोतों में एकत्रित होता है तथा भूगर्भ को रिचार्ज करता है। नगरीय क्षेत्र वस्तुतः मैदानी भागों में अवस्थित है, इसलिए प्राकृतिक सतही बहाव (**Surface Runoff**) में बहुत अधिक गाद होती है। वर्षों से प्राकृतिक जल स्त्रोतों में प्रवाहित हो रहे गाद के कारण ये जलाशय तथा जल स्त्रोत उथले हो गये हैं। शहरी क्षेत्र में कुल जलश्रोतो का प्रतिशत 1.85 (लगभग) हैं। जिसमें तालाब जैसे पैला पोखर, सुभाष पार्क के अन्दर बोटिगं तालाब, सिंगारहाट पहड़तल्ली लेक सहित पंचाने नदी आदि हैं।

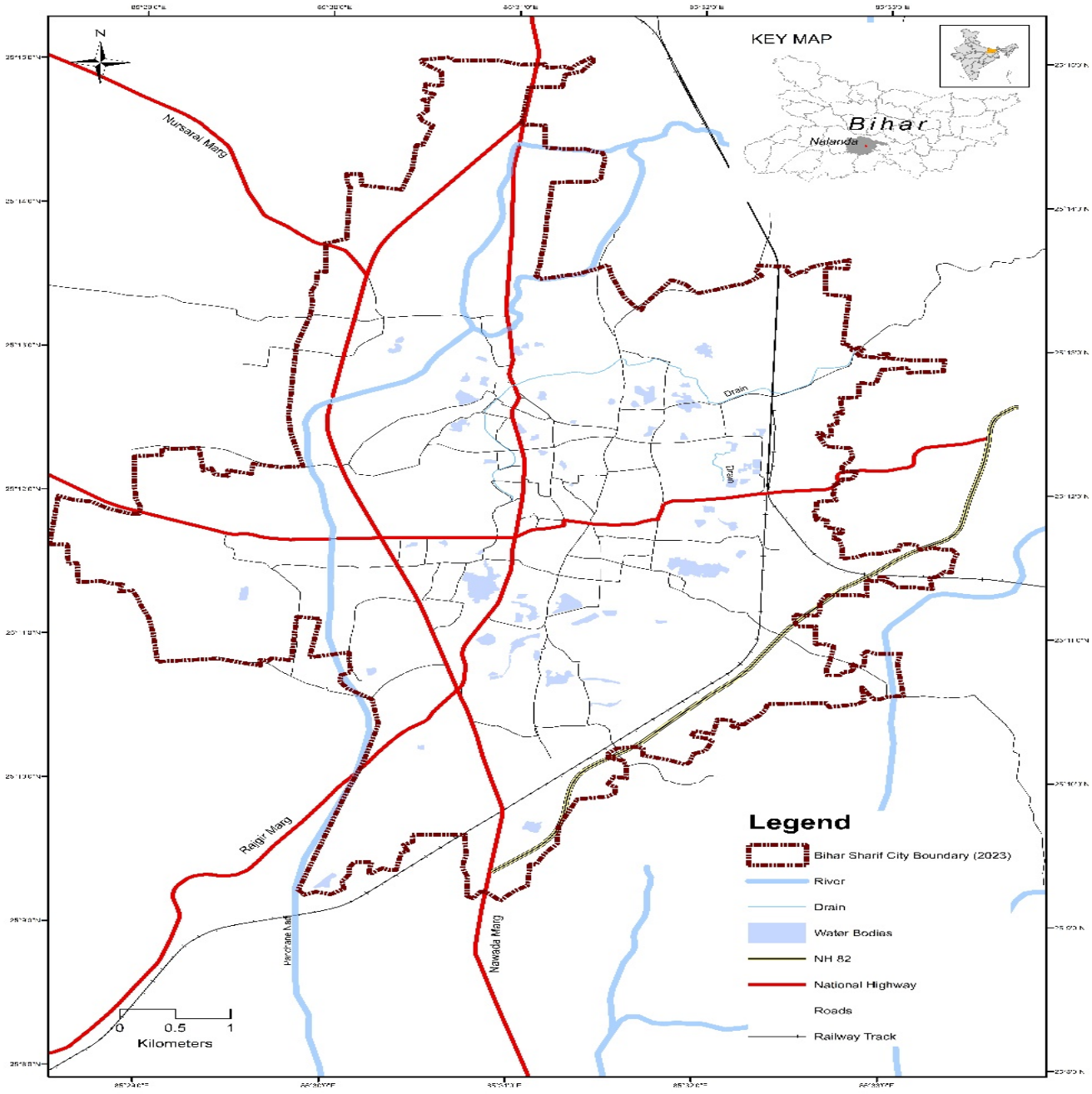

चित्र– 7 बिहार शरीफ में प्राकृतिक जलाशय व जल स्त्रोत

प्रमुख नदियाँ – धोबा, पंचाने तथा गोइठवा बहती हैं।
पहाड़– छोटी व बड़ी पहाड़ी
वनस्पति एवं जीव– बिहार शरीफ शहर के बाहर राजगीर मे हरे भरे जंगलो का क्षेत्र हैं जहॉ वाईल्ड लाईफ सेन्चुरी भी हैं। शहर में सामान्य वृक्षारोपण व जीव–जन्तुओं का स्तर अन्य शहरो जैसा ही हैं।

2.6 शहरी विकास

बिहार शरीफ शहर जनसंख्या के मामले में बढ़ रहा है और साथ ही इसके परिक्षेत्र का अत्यधिक विस्तार दक्षिणी व पूर्वी ओर राष्ट्रीय राज्यमार्ग 31 की ओर हो रहा है। इसके कारण शहर की सीमा के भीतर अनियोजित बस्तियों व स्लम क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है व इससे शहर में आधारभूत ढांचे की अपर्याप्त उपलब्धता, अनुचित जल निकासी, अपर्याप्त ठोस–कचरा प्रबंधन तथा घटिया निर्माण जैसी समस्याओं का पार्दुभाव हुआ है।

बिहार शरीफ शहर का विस्तारित क्षेत्र (चित्र संख्या–8)

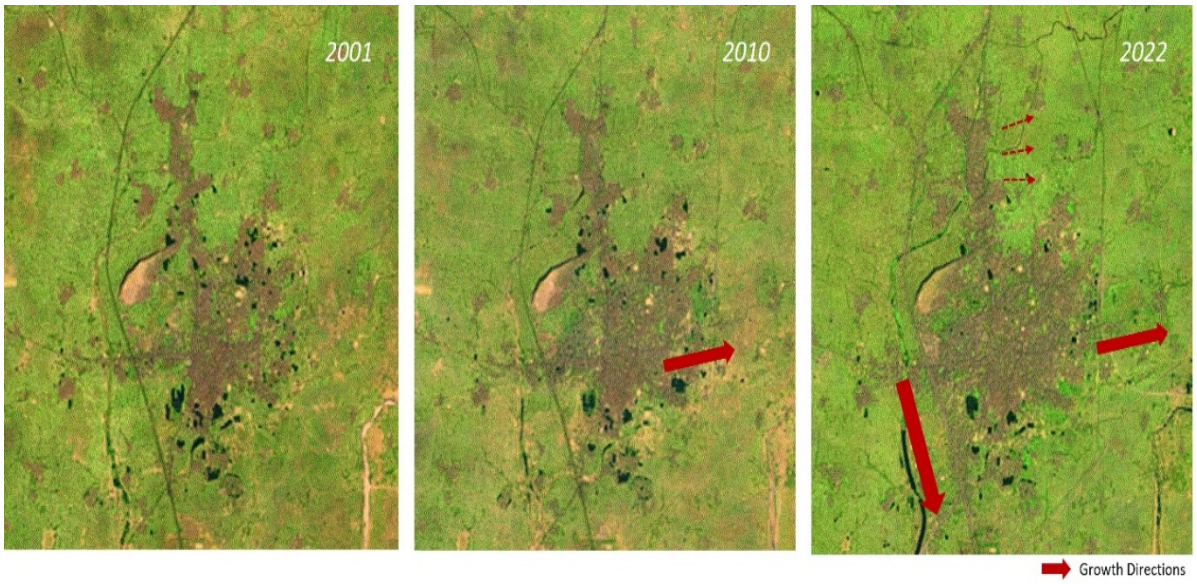

2.7 .जनसंख्या घनत्व

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार शरीफ नगर का जनसख्या घनत्व **1508** व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिहार शरीफ नगर के वार्डवार जनसंख्या घनत्व का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वार्ड नंबर 35 में है, यहाँ जनसख्या घनत्व 906 (लगभग) व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है, जबकि सबसे कम घनत्व वार्ड नंबर 51 में है, इसकी जनसंख्या घनत्व 16 (लगभग) व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है।

टेबल संख्या–6 :जनसंख्या घनत्व वितरण

क्रम संख्या	जनसख्या घनत्व (126.49 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर)	वार्ड संख्या
1	कम या 100 के बराबर	1, 2 5 6 10 12 14 18 20 21 23 33 44 46 47 48 49 50 51
2	100–300	4 7 9 11 13 17 19 22 24 25 26 27 29 31 32 34 39 42 43 45
3	300– 500	3, 8, 15 16 28 30 36 41
4	500 से अधिक	35, 37, 38 40

स्त्रोत– 2011 की जनगणना से विश्लेषण

तालिका और मानचित्र से, हम विश्लेषण कर सकते हैं कि बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्र से संबंधित अधिकांश वार्डों की जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर से कम है।

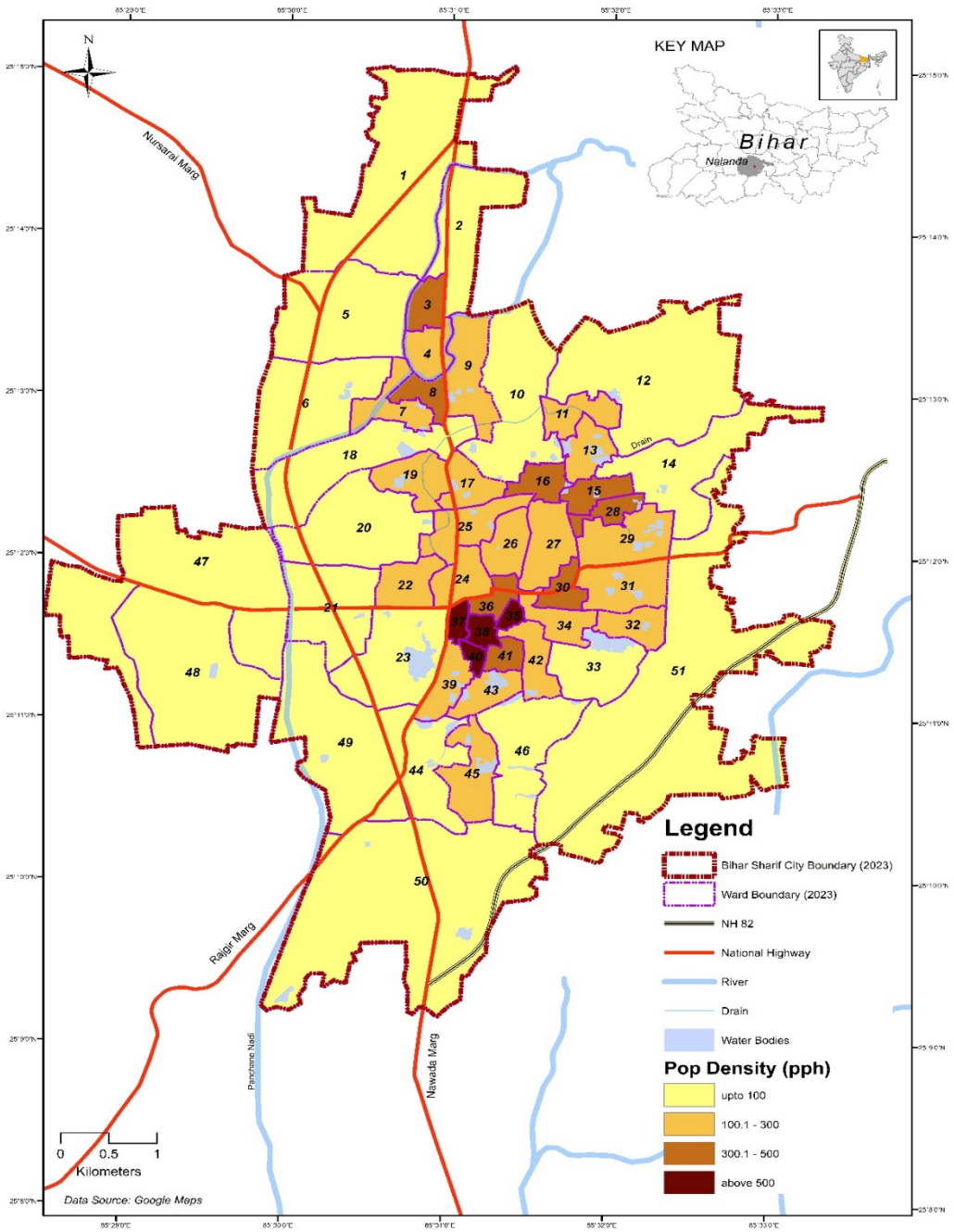

चित्र–9: वार्डवार जनसंख्या घनत्व मानचित्र

2.8 साक्षरता एवं शिक्षण संस्थान

साक्षरता किसी भी नगर की सामाजिक–आर्थिक प्रगति की कुंजी होती है। साथ ही, यह आपदाओं व आसन्न खतरों से निपटने की क्षमता का आंकलन करने में एक महत्वपूर्ण संकेतक है। शिक्षा आमजन को आपदाओं के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्र की साक्षरता दर 63.8 प्रतिशत है।

टेबल संख्या–7: बिहार शरीफ में साक्षरता दर

बिहार शरीफ नगर निगम	**साक्षर पुरुषों की संख्या**	**साक्षर महिलाओं की संख्या**	**कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या**
	106456	83329	189785
	साक्षरता दर		63.8 प्रतिशत

स्रोत– जनगणना 2011

शिक्षण संस्थान :

- प्राथमिक विद्यालय – 149
- मध्य विद्यालय – 93
- कला,विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय– 08
- अभियंत्रण महाविद्यालय– 1
- चिकित्सा महाविद्यालय–1 (नगर निगम क्षेत्र के बाहर हैं किन्तु इसकी सेवायें आवश्यकतानुसार ली जाती हैं।)
- अन्य –4

2.9 सामाजिक संरचना

नगरीय क्षेत्र की सामाजिक संरचना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य जातियों की कुल जनसख्या में हिस्सेदारी को प्रदर्शित करता है ।

टेबल संख्या–8 : बिहार शरीफ में जनसंख्या की सामाजिक संरचना

सामाजिक संयोजन	जनसंख्या	प्रतिशत का आबादी
अनुसूचित जाति	34610	10.24 प्रतिशत
अनुसूचित जन जाति	89	.026 प्रतिशत
अन्य	303120	89.7 प्रतिशत
नगर की कुल जनसंख्या	337,819	

स्रोत–जनगणना 2011

2.10 सड़क एवं पहुँच मार्ग

बिहार शरीफ नगर देश के प्रमुख हिस्सों से प्रमुख राजमार्गों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। NH 31, NH82, SH5 एवं SH6 नगर से गुजरने वाले प्रमुख राजमार्ग हैं। नगर रेल नेटवर्क के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है। इसका एक रेलवे स्टेशन है जो पटना और अन्य प्रमुख जंक्शनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। बिहार शरीफ का निकटतम वायु हवाई अड्डा पटना है।

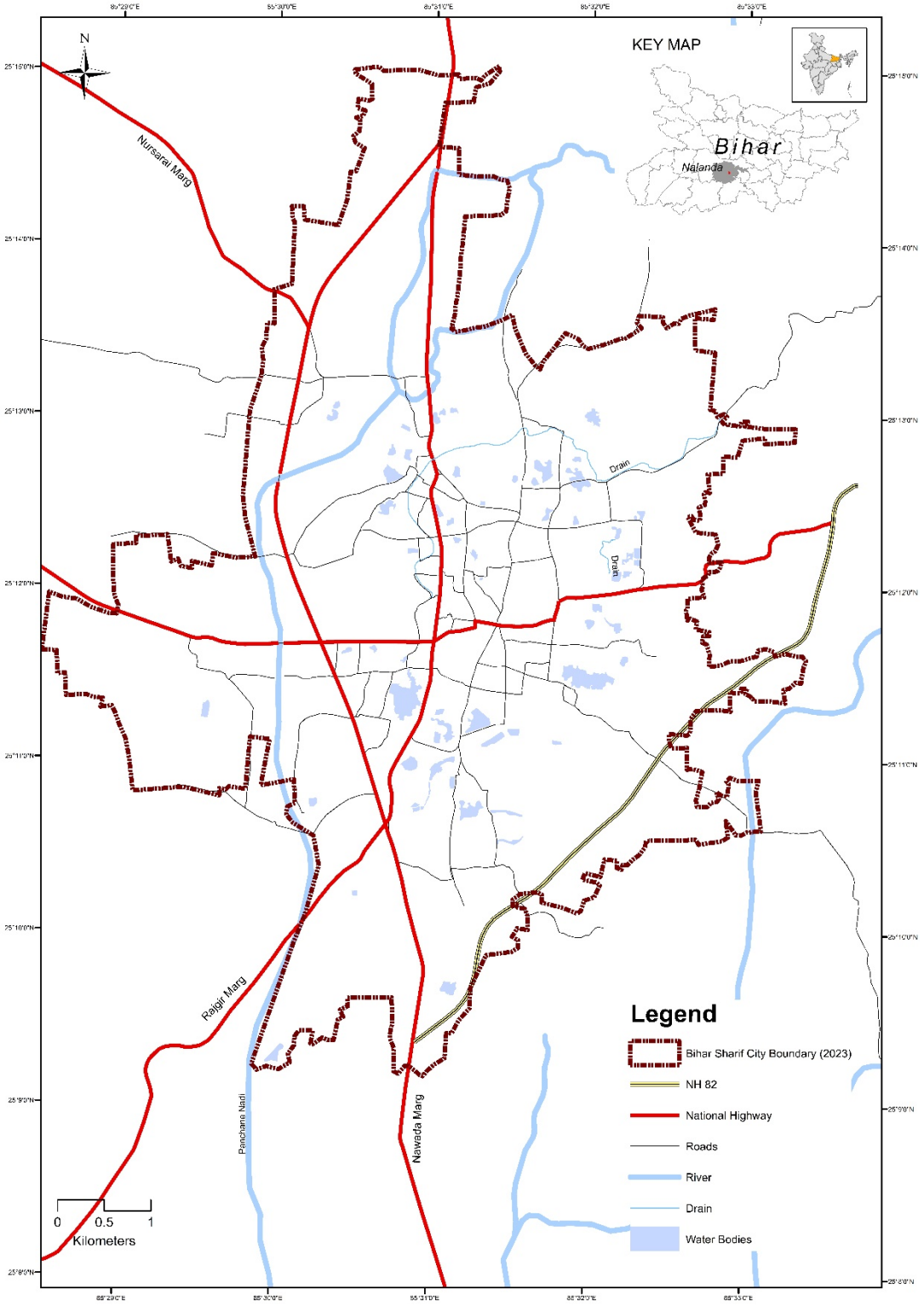

चित्र संख्या–10 सड़क मानचित्र

2.11 भूमि उपयोग एवं भूमि आवरण

भूमि उपयोग और भूमि आवरण वर्तमान रणनीतियों में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन व पर्यावरणीय बदलावों की निगरानी का एक केंद्रीय घटक बन गया है। नगरीय विस्तार से कृषि भूमि, वानस्पतिक भूमि तथा प्राकृतिक जल स्त्रोतों को गंभीर क्षति पहुंची है। वर्ष 2021 में बिहार शरीफ नगर का

लैंडसैट 8 इमेजरी का उपयोग करके भूमि उपयोग व भूमि आवरण (LULC) मानचित्र विकसित किया गया है। यह नवंबर 2021 में बिहार शरीफ के भूमि उपयोग को प्रदर्शित करता है।

टेबल संख्या–9 भूमि आवरण (लैण्ड यूज)

क्रमाकं	**भूमि आवरण** (लैण्ड यूज)	क्षेत्र (वर्ग किमी में)
1	बसावट वाली कुल भूमि	23.90
2	वनस्पति व कृषि भूमि	15.86
3	जल	0.7 लगभग
4	बंजर भूमि	0.29

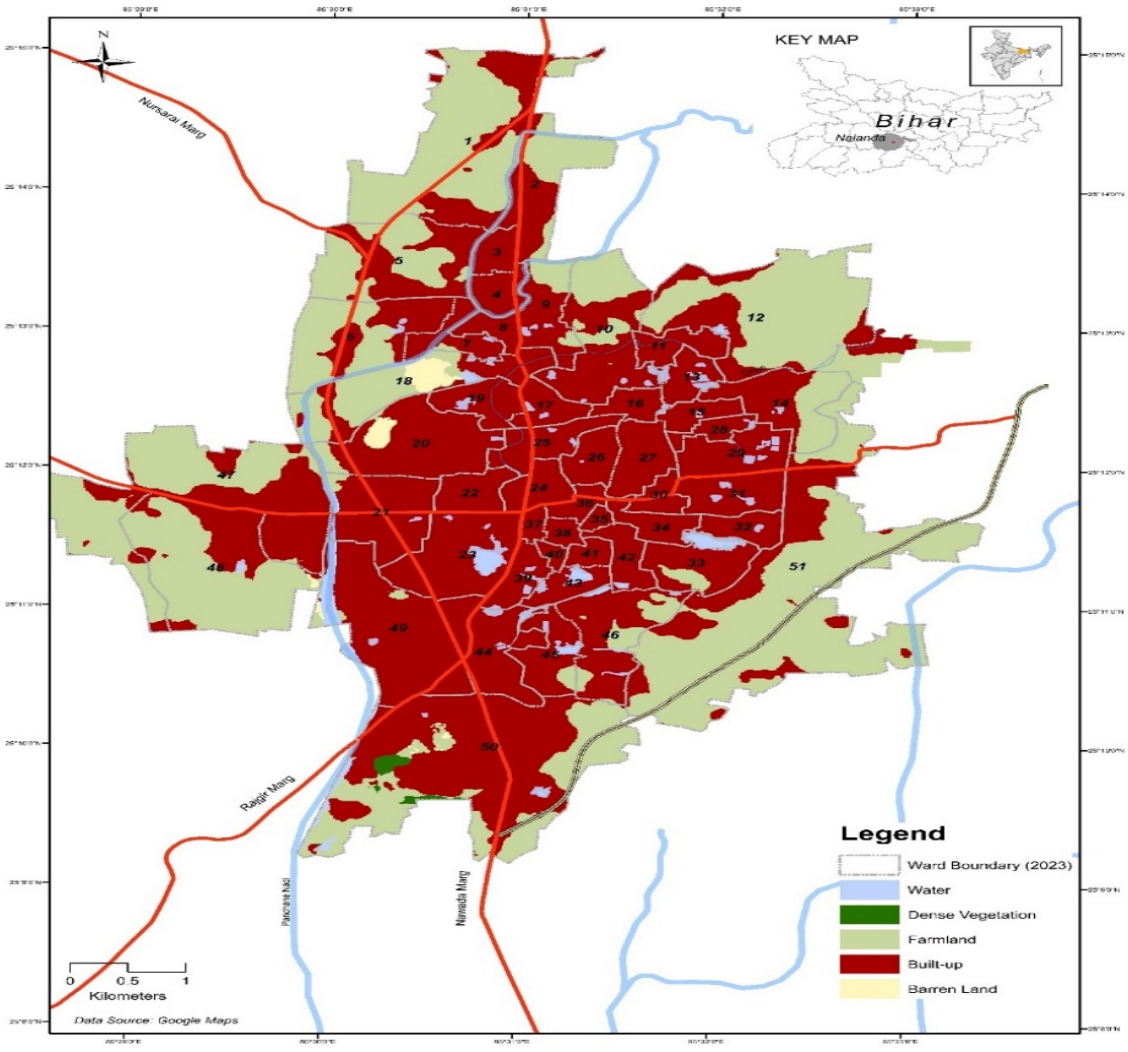

चित्र संख्या– 11: भूमि उपयोग– भूमि आवरण

2.12 स्लम क्षेत्र

स्लम क्षेत्र तथा बस्तियां नगरीय परिदृश्य का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। सामान्यतः नगरीय क्षेत्र में स्लम बस्तियां वहां के जीवन की गुणवत्ता व स्वास्थ्य का संकेत देती हैं। बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र में 33 चिन्हित स्लम बस्तियां हैं, जो शहर के अलग–अलग क्षेत्रों में झुग्गी–झोपड़ी के रूप में अवस्थित हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन स्लम बस्तियों में रहने वाली कुल जनसंख्या 21,281 है।

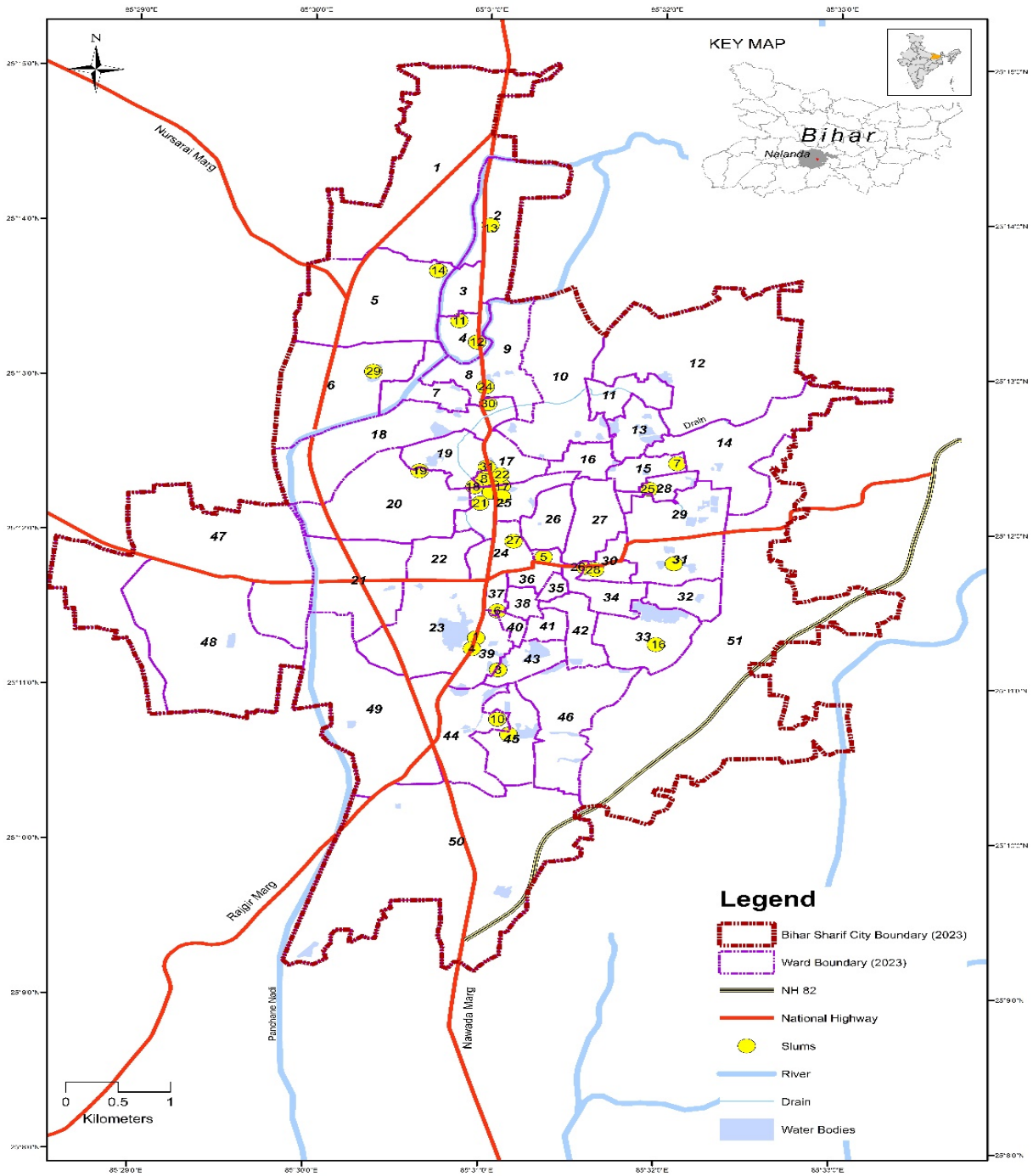

चित्र संख्या– 12: स्लम क्षेत्र का मानचित्र

टेबल संख्या–10 स्लम जनसंख्या

	कुल परिवार	परिवार का आकार	कुल जनसंख्या
बिहार शरीफ, नगर निगम	48641	6.1	297268
नगरीय क्षेत्र की स्लम बस्तियां	3259	6.5	21281

स्रोत– जनगणना 2011

टेबल संख्या– 11–मलिन बस्तियों की सूची (List of slum)

क्र. सं	बस्ति का नाम	वार्ड संख्या	परिवार संख्या	जन–संख्या
1	गगन दिवान हुंड	23	100	600
2	बड़ीदरगाह तालाब पर/कालन्दर टोला/बड़ीदरगाह पठान टोला/नया टोला	45	255	1275
3	पक्की तालाब (गुलशन बाग)	43	70	350
4	गगन दिवान	39	150	750
5	लहेरी/आलमगंज/खरदी	36	40	280
6	शेरपुर/बालुगंज/नेमगंज	42	100	500
7	कल्याणपुर/नई सराय	15	100	720
8	मधुरिया/मथुरिया	38	70	280
9	शकुनत कला/शकुन्त खुर्द	31	150	750
10	पहाड़पुर/मेहरपुर	44	100	600
11	सोहसराय/कटहल टोला	3 व 4	100	620
12	बनौली हाट/जोकियापार/मुरजुजा ऑरा	32	70	420
13	सहोखर/बबुरबन्ना/सोहडीह/बाना चेक पोस्ट	2	150	570
14	चमार टोली/सेलमपुर कप्पे कुम्या	5	375	1900
15	भारौपुर/मुरादपुर/कलाली पार (चन्दोन)	37	70	370
16	खैराबाद महलपर	33	200	1420
17	घनरपोखर/शाहपुर	41	80	320
18	तकियापर/पासवान टोला/अजीज घाट	29	130	650
19	मंसूर नगर पहाड़ टोली, सैन्गर हॉट	19	200	1250
20	कमरूद्दीनगंज/काशीतकियॉ	24	100	600
21	ईमादपूर बीघापर/चमरटोली	12	200	1400
22	लोहगंज/हरिया पोखड़	10	200	1400
23	ईमादपूर/सदपट्टी	11	70	350
24	बसार बीघहा/कोठीटोला/जलालपूर	8	50	350
25	गौड़ागढ़	28	50	250
26	खन्दक चौखण्डी पर	30	50	300
27	भैंसासुर/काशी तकिया	25	1130	650
28	चौखण्डी/हाजीपुर/कन्टाही मोहल्ला/नीमगंज	34	200	1400
29	आशा नगर	6	65	325
30	आशा नगर/हबीपुरा	7	100	625
31	कोना सराय	40	100	700

2.13 प्रमुख आर्थिक संकेतक एवं विवरण

बिहार शरीफ में निवास करने वाली जनसँख्या की व्यावसायिक संरचना इस शहर की अर्थवयवस्था की प्रकृति तथा आर्थिक आधार का प्रमुख संकेत है, वर्तमान में बिहार शरीफ में कार्यशील जनसँख्या 27.9 प्रतिशत है।

टेबल संख्या–12 कार्यशील जनसंख्या

बिहार शरीफ नगर निगम	कार्यशील पुरुष	कार्यशील महिला	कुल कार्यशील जनसंख्या
	67941	15112	83053
	कार्यशील जनसँख्या (प्रतिशत में)		27.9 प्रतिशत

स्रोत– जनगणना 2011

2.14 नगर निगम क्षेत्र में संचालित योजनाओं का विवरण (*टेबल संख्या*–13)

क्रमाकं	केन्द्र/राज्य योजना	योजना का विवरण
1	राज्य	मुख्यमंत्री शहरी निश्चय पेयजल योजना
2	केन्द्र	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (**AMRUT**)
3	केन्द्र एवं राज्य	प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (सबके लिए आवास)
4	केन्द्र एवं राज्य	आजीविका मिशन (शहरी)
5	राज्य	जल जीवन हरियाली मिशन एवं वार्ड जलापूर्ति योजना
6	राज्य वित आयोग, 15वें वित आयोग एवं राजस्व से प्राप्त आय	नाला निर्माण, सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण, सेप्टिक टैंक निर्माण, सीवरेज निर्माण, कचरा प्रबंधन (ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन), जैविक खाद निर्माण, पार्कों का रखरखाव, तालाबों/सैरातों/नदी घाटों का रखरखाव, हाईमास्ट/स्ट्रीट लाइट
7	केन्द्र एवं राज्य	बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद के सहयोग से ध्वनि प्रदुषण, वायु प्रदुषण, औद्योगिक प्रदुषण, जल प्रदुषण की रोकथाम संबधी योजनाए
8	केन्द्र एवं राज्य	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
9	राज्य	मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना
10	केन्द्र	स्मार्ट सिटी मिशन
11	राज्य	किफायती आवास और मलिन बस्ती स्लम पुनर्वास एवं पुनर्विकास नीति, 2017 के अन्तर्गत आच्छादित योजनाएं
12	राज्य	मुख्यमंत्री आदर्श निकाय प्रोत्साहन योजना
13	राज्य	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक संरचनाओं व सुविधाओं का निर्माण
14	नगर निगम की प्राप्तियां	बोर्ड के द्वारा विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन

नगर निगम, बिहार शरीफ के आय के स्त्रोत

- राजस्व
- अनापत्ति प्रमाण पत्र शुल्क
- निबंधन शुल्क
- पेयजल उपयोग शुल्क
- दण्ड एवं लाइसेंस
- होर्डिग शुल्क
- भवन कर/सम्पत्ति कर/होल्डिंग टैक्स/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से संबंधित शुल्क
- टेम्पू स्टैण्ड/बस स्टैण्ड
- टावर/केबल/इंटरनेट/ओ0एफ0सी0 शुल्क
- प्लास्टिक के प्रयोग पर दण्ड वसूली
- नगर निगम के 03 बाजार/शॉपिंग काम्पलेक्स से होने वाली आय

2.15 बिहार शरीफ में प्रमुख स्थल एवं महत्वपूर्ण संरचनाएं (टेबल संख्या–14)

क्रमाकं	शहर की पहचान	विवरण
1	मुख्य बाजार	जिला परिषद मार्केट,
2	सिनेमा घर	किसान सिनेमाघर
3	टेम्पो स्टैण्ड	खन्दक मोड़, अन्दी, रामचन्द्र बस पड़ाव व कारगिल बस पड़ाव
4	स्कूल व कालेज	एस0पी0एम कॉलेज, किसान कॉलेज, केएसटी कॉलेज, नालन्दा कॉलेज, महिला कॉलेज, पेरू महतो सोमरी कॉलेज, अल्लामा इकबाल कॉलेज, संध्या महाविद्यालय, जलालपुर, सोगरा कॉलेज
5	धार्मिक स्थल	बाबा मनिराम अखाड़ा, मॉ तारा मन्दिर, भोला मन्दिर, सूफी संत मलिक इब्राहिम बायू का मकबरा, गौरैया स्थान
6	खेल मैदान	श्रम कल्याण मैदान, क्रिकेट मैदान, दीप नगर स्टेडिएम व बाबा स्टेडियम
7	पार्क	सुभाष चन्द्र पार्क, बड़ी पहाड़ी पार्क, कारगिल पार्क, इमादपुर गार्डेन व अनुग्रह नारायण पार्क
8	अन्य प्रमुख भवन	मुख्य डाकघर, बिहार शरीफ, स्टेट बैक, समाहरणालय भवन, न्यायालय परिसर, सदर अनुमण्डल, आई0सी0सी0सी0 भवन, नगर निगम भवन, सम्राट अशोक भवन सोहडी, टाउन हॉल
9	अस्पताल	सदर अस्पताल,
10	सीसीटीवी व अन्य विवरण	बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में 448 सर्विलांस कैमरे व 141 जंक्शन हैं ए0एन0पी0आर0 कैमरा 50, आर0एल0वी0डी0 कैमरा 21, ए0टी0सी0एस0 जंक्शन 07, आई0टी0एम0एस0 09, पी0ए0 सिस्टम 15, आपातकालिन सम्पर्क बाक्स 10, प्रदुषण अनुश्रवण सेन्सर 05, मैसेज साईन बोर्ड 07, विडियो वाल 70 इंच एलईडी 2X5 स्क्रीन तथा फाईबर कनेक्शन 70 किमी की फैला हुआ हैं।
11	विवाह भवन पुलिस स्टेशन	संसाधन सूची में विवरण उपलब्ध है।
प्रकाश व्यवस्था		
क्रमाकं	व्यवस्था	परिवार जिनके पास उपलब्ध हैं (प्रतिशत में)
1	बिजली	97
2	किरोसिन	1.6
3	सौर उर्जा	0.4
4	अन्य कोई	0.5

5	बिना प्रकाश के	0.5
जल निकासी		
क्रमाक	नाली प्रवाह	परिवार जिनके पास उपलब्ध हैं (प्रतिशत में)
1	बन्द नाली	41.8
2	खुली नाली	46.6
3	कोई नाली नही	11.6
जलापूर्ति		
क्रमाक	पेयजल के श्रोत	परिवार जिनके पास उपलब्ध हैं (प्रतिशत में)
1	पाईप सप्लाई	85 (जो 7 से 11 ओभर हेड टैंक से सप्लाई किया जाता है।)
2	नल का पानी	8.0
3	ढका हुआ कुंआ का पानी	1.2
4	बिना ढका हुआ कुआ का पानी	0.4
5	चापाकल/हैण्डपम्प	3.0
6	बोरिगं का पानी	1.7
7	नदी का पानी	0.4
8	तालाब या झील का पानी	0.2
9	अन्य	2.4
शौचालय		
क्रमाक	शौचालय	परिवार जिनके पास उपलब्ध हैं (प्रतिशत में)
1	घरो में शौचालयों	93.4
2	सार्वजनिक शौचालय या अन्य	5.6

स्वास्थ्य : शहर में निम्नांकित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है –

जिला सदर अस्पताल – 1 जिसमें कुल बेड/शय्या की संख्या 300 है। जिसमें–

- मेडिसीन (80), सर्जरी एवं बर्न (10), हड्डी (60), शिशु (30)
- महिला एवं प्रसूति (40), सघन चिकित्सा वार्ड (6)।
- आपात चिकित्सा (20), अन्य (74)।
- आक्सीजन सिलेण्डर की व्यवस्था पर्याप्त हैं।

प्रत्येक माह औसतन बाह्य चिकित्सा विभाग (ओपीडी) में 26,000 तथा आंतरिक चिकित्सा विभाग (आईपीडी) में 4,000 मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

- इस अस्पताल में 9 विशेषज्ञ, 26 चिकित्सक, 53 नर्स, 41 पारा मेडिकल अर्थात कुल 129 लोग चिकित्सीय सेवा में हैं। इसके अलावे 78 अन्य स्टाफ हैं। चिकित्सीय सेवा से 2 एवं कर्मचारी वर्ग से 6 कर्मी अगलगी सुरक्षा में भी प्रशिक्षित हैं। अस्पताल में अल्ट्रासांउड एवं एक्स–रे की 1–1 मशीनें हैं। बिजली नहीं होने पर सोलर पैनेल की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ से अग्निशमन ऑफिस 1 कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित है।
- **निजी अस्पताल/स्वास्थ्य सुविधाएँ :** जिला मुख्यालय बिहार शरीफ एवं निकटवर्ती अनुमण्डलों में अच्छी निजी चिकित्सीय व्यवस्था है। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा निजी अस्पताल व क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत विवरण टेबल सं0 51 में उपलब्ध है।

अध्याय–3
नगर निगम, बिहार शरीफ में आपदाओं के अनुकूलन हेतु पर्यावरण एवं कचरा प्रबंधन संबंधी प्रावधान

3.1 नगरीय क्षेत्रों में आपदाओं के अनुकूलन में पर्यावरण एवं कचरा प्रबंधन का महत्व

नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण व कचरा का समुचित प्रबंधन नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने तथा आपदाओं के प्रभावों में कमी लाने में बेहद सहायक है। नगरीय क्षेत्रों में घटित होने वाली विभिन्न आपदाओं व समस्याओं यथा जल–जमाव, वायु प्रदुषण, महामारियों, स्वास्थ्य विकारों आदि के प्रमुख कारण पर्यावरणीय पहलुओं की अनदेखी, ठोस कचरा का प्रबंधन नहीं होना तथा अनियोजित विकास हैं। बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि उपरोक्त मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में सुनियोजित विकास को बढ़ावा दिया जाए तथा शहर में पर्यावरणीय स्वच्छता को बेहतर करने हेतु कचरा का निपटान व हरित आवरण को बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए यह आवश्यक है कि नगर निगम, बिहार बिहार शरीफ के सभी वार्डों को हरित व स्वच्छ बनाने हेतु प्रभावी रणनीति व माइक्रो योजना बनाई जाए तथा इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकार के निर्गत आदेशों व दिशानिर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाए।

नगर निगम, बिहार शरीफ को एक आपदा अनुकूलित नगर (Disaster Resilient City) के रूप में विकसित करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वार्डों में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे स्थानीय समुदाय स्वतः स्फूर्त तथा गतिशील सामाजिक इकाई के रूप में नगर निगम प्रशासन के साथ मिलजुलकर कार्य करते हुये ऐसी क्षमता हासिल कर लें जिससे कि पर्यावरण संरक्षण व कचरा का निस्तारण हो सके। इसी के अनुरूप समुदायों को आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए बहु–आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित जोखिमों के पूर्वानुमान करने में सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि इस पूर्वानुमान आधारित चेतावनी या सलाह को आपदा के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवारों तक पहुँचाने के लिए प्रभावी तंत्र क्रियाशील किये जा सकें। आपदा जोखिम की सटीक जानकारी के परिप्रेक्ष्य में ही बचाव, न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर की प्रभावी कार्रवाई की जा सके तथा नयी विकास योजनाओं का निरूपण एवं क्रियान्वयन किया जा सके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुये पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के संरक्षण पर पर्याप्त बल दिया जा सके। ये गतिविधियां आपदाओं से उबरने में भी बेहद सहायक व प्रभावी हैं। इसके दृष्टिगत, समुदाय द्वारा एक सुरिक्षत जीवन शैली अपनाई जायेगी तदनुसार समुचित आचार–विचार– व्यवहार अपनाये जायेगें जैसे किः–

- नगर क्षेत्रों में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा लागू विनियमों व प्रावधानों का अनुपालन करना।
- हरित जीवन शैली अपनाना व वन आच्छादन क्षेत्र में वृद्धि करना।
- स्थानीय आपदाओं की दृष्टि से सुरक्षित मकान का निर्माण करना। भवन निर्माण संहिताओं के अनुसार निर्माण की कार्रवाई करना।
- आपदा काल में सुरक्षित जगहों पर शरण लेना ।
- पूर्व सूचना प्रणाली की स्थापना व बेहतर ढ़ंग से चेतावनी का प्रसारण
- आपदा के बारे में कल्पित पूर्व धारणाओं से दूरी बनाना ।
- महामारी अनुकुलन हेतु सुरक्षित एवं स्वच्छ व्यवहार अपनाना ।

- स्वच्छ पेयजल का उपयोग एवं सुरक्षित भंडारण करना। शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- जिजीविषा (जीवन जीने के कौशल) से युक्त होना ।
- नगर निगम, प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में सहयोग करना।

नगरीय भावना को आत्मसात करने, सामुदायिक सहयोग, टिकाउ जीविका विकल्प तथा जीवन व्यवहार को अपनाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

I. नगर निगम द्वारा न्यून तीव्रता (**L1**) की आपदाओं को अपने स्तर पर हीं निपटान करने की क्षमता प्राप्त की जायेगी।

II. शहरी समुदाय तक पूर्व चेतावनी सूचना ससमय पहुँचाना तथा निकासी खोज एवं बचाव और सुरक्षित जगह पर स्थानान्तरण के साथ आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता तथा अन्य सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा बिहार नगर पालिका अधिनियम, 2007 में किये गये प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

III. सक्रिय सामुदायिक संस्थाओं द्वारा जोखिम विश्लेषण, जोखिम सूचना प्रवाह, पूर्व तैयारी तथा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अभियान को गति प्रदान की जायेगी। इसके लिए–

- वार्ड स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीरकरण हेतु बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 30 के आलोक में 'वार्डों की समिति गठित की जायेगी जो जोखिम विश्लेषण आधारित जोखिम न्यूनीकरण की योजना का क्रियान्वयन करेगी।
- वार्ड स्तर पर बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 31 के आलोक में गठित 'वार्ड समिति और क्षेत्र सभा आपात्कालीन प्रत्युत्तर दल (**ERT**) का काम करेगी। इसमें वार्ड पार्षद, नागरिक सुरक्षा से जुड़े सदस्य सेवा प्रदाता संस्थायें तथा समुदाय से चुने गये गणमान्य जो पूर्व तैयारियों एवं प्रत्युत्तर का पूरा–पूरा ख्याल रखेगे।

IV. जोखिम विश्लेषण, योजना का निरूपण, सूचना प्रसारण, पूर्व तैयारी तथा न्यूनीकरण समावेशी एवं सहभागी तरीके से की जायेगी जिसमें बच्चों, किशोरों, बुढ़ों, महिलाओं, विकलांगों तथा पारंपरिक रूप से अभावग्रस्त, अल्पसंख्यक समूह के आवश्यकताओं तथा इन सभी की क्षमताओं के मद्देनजर समुचित तकनीकी प्रथा (GIS Mapping) या अन्य विधाओं का उपयोग किया जायेगा। यह कार्य बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 32 के आलोक में गठित विषय समितियों के सहयोग से किया जायेगा।

V. पहले से जमा किये गये जरूरी सामानों तथा जीवन बचाने वाले उपकरणों तक समुदाय की पहुँच सुलभ और आसान बनाई जायेगी।

VI. हर हाल में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण सेवा, आवास, उर्जा आपूर्ति, पुल–पुलिया, सड़क संपर्क तथा दूर संचार सेवाओं को शहर में सतत् बहाल रखने का प्रयास किया जायेगा या इसमें व्यवधान आने पर इसे यथाशीघ्र बहाल करने की कार्रवाई की जायेगी।

3.2 ठोस कचरा प्रबंधन

बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी का रूप देने हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा हैं जिसमें कचरा प्रबन्धन (ठोस एवं तरल) पर चिन्हित कार्य किये जायेंगे व साथ ही 2016 की मार्गदर्शिका का प्रभावी अनुपालन हेतु एवं Landfill हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग का पत्रांक 610 दि. 26.02.2019 द्वारा स्थानीय निकाय के कर्त्तव्यों को निर्धारित किया गया है, साथ ही बिहार सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति एवं रणनीति के तहत्

केन्द्रीकृत तथा विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण दोनो का विकल्प दिया गया है। कचरा के उत्पन्नकर्ता को अपशिष्ट को पृथककृत (Segregation) कर अलग–अलग डिब्बो में भंडारित करने का दायित्व है तथा नगर निकायों को पृथककृत कचरा को एकत्रित कर प्रसंस्करण स्थल तक परिवहन कर प्रसंस्करण करने का दायित्व है।

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा Sanitary landfill विकसित करने का निदेश निर्गत किया गया है। नगर विकास विभाग के पत्रांक 936 दि. 02.04.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत Sanitary landfill विकसित करने के लिए रैयती भूमि के अधिग्रहण किये जाने का निदेश निर्गत है। इसका मापदंड है शहर से आबादी विहीन इलाके में 10 कि.मी. की दूरी के अंतर्गत 10 एकड़ (नगर निगम के लिए) भूमि भरण स्थल नदी से 100 मीटर तालाब से 200 मीटर, राजमार्गो, आवास स्थलों, सार्वजनिक उद्यानों और जल आपूर्ति कुओं से 200 मीटर पर होनी चाहिये। नमभूमि व संवदेनशील क्षेत्रो और 100 वर्षो से यथा दर्ज बाढ़ के मैदानों के अंदर भूमि भरण स्थल के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है।

• कम्पोस्टिंग के साथ सूखे कचरे का भी पुनः इस्तेमाल करने योग्य करने की व्यवस्था कबाड़ी के माध्यम से की जानी है। विकेन्द्रित कचरा प्रसंस्करण पर विशेष बल दिया गया है। बिहार सरकार नगर एवं आवास विभाग के पत्रांक 1353 दि. 28.05.19 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत घर–घर जाकर संग्रहन के क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शिका निर्गत किया है।

ठोस कचरा का प्रसंस्करण एवं निपटान

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा सभी नगर निगमों को उपलब्ध करायी गयी मार्गदर्शिका–ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण एवं निपटान में इस बात का उल्लेख है कि अन्य नगर निगमों में किये जा रहे विशिष्ट कार्यों को अपने निकाय में अपनाया जा सकता है। इस क्रम में–

पिट कम्पोस्टिंग– मुजफ्फरपुर मॉडल का जिक्र है जिसमे कचरे से खाद बनाने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है साथ ही मुजफ्फपुर जैविक खाद के नाम से पैकेजिंग बिक्री एवं राजस्व रिकार्ड संधारण के तरीके बताये गये है।

इसी प्रकार से ठोस कचरा प्रबंधन के मुंगेर एवं सुपौल मॉडल का भी उल्लेख है जिसे सुविधानुसार अपनाया जा सकता है। मार्गदर्शिका में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कचरों में से कुछ चुनिन्दा वस्तुओं को एकत्रित कर कबाड़ी वालों के हाथ बेचने तथा इस कार्य में लगे महिलाओं को 200 रूपये तक भुगतान का जिक्र हैं।

स्मार्ट सिटी योजना के अर्न्तगत सम्मिलित कार्य–

- सूखा एवं गीला कचरा का पृथक्कीकरण तथा प्रसंस्करण कर जैविक उत्पाद बनाना।
- कूड़ा–कचरा व निष्प्रायोज्य सामग्री का समुचित निपटान
- समुदाय के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण व जागरूकता
- कचरे वाली गाड़ी का जीपीएस आधारित निगरानी
- ओ0एफ0आई0डी0 टैगयुक्त कुड़ेदान
- शहर में वायु प्रदुषण की रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय करना।
- शहरी क्षेत्र में हरित आवरण में वृद्धि करना।

3.3 चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, जाँच घर दवा दुकान तथा नर्सिंग होम से कई प्रकार का चिकित्सीय अपशिष्ट निकलता है। दवा दुकानों से एक्सपायर की हुई दवा, जाँच घर से संक्रमित खून, पेशाब, मानव मल इत्यादि का नमूना अथवा हाईपो (रसायन) नर्सिंग होम से संक्रमित मरहम–पट्टी इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज से उपरोक्त सभी प्रकार के चिकित्सीय अपशिष्ट बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। इन सबों को अन्य ठोस अथवा कार्बनिक अपशिष्ट के लिए निर्धारित वेस्ट डिस्पोजल स्थानों पर डम्प करने से पर्यावरण के प्रदूषित होने का खतरा कई गुणा बढ़ जाता है। साथ ही ये अपशिष्ट संक्रामक प्रकृति के होते है। इस प्रदूषण से शहर को बचाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 (2018 तथा 2019 में संशोधित) तथा विभिन्न मार्गदर्शिकाओं के अनुसार ही उत्सर्जित अपशिष्ट का शत प्रतिशत निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। यह अपशिष्ट चिकित्सा, जाँच अथवा कोविड–19 के क्वारंटीन किए गए मरीजो के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके हैंडलिंग, उपचार तथा निस्तारण के दौरान इन मार्गनिर्देशिकाओं तथा नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। प्रमुख दिशा निर्देश निम्नांकित है–

1. कचरे को उचित कूड़ेदान (कलर कोडेड) में ही डाले ।
2. बायोमेडिकल कचरे को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार केन्द्र पर ही भेजी जाये।
3. कचरे को उचित रंग के थैले में ही डालें।
4. कचरे की उत्पत्ति स्थान पर ही उसे अलग करें।
5. कचरे को सही रूप से उपचार करने हेतु उसे उचित लाइनर में रखे ।
6. कचरे को इकट्ठा करने व लाने लेजाने के समय इसे मिश्रित न करें।
7. बिखरे हुये तरल पदार्थ का तुरंत प्रबंधन किया जाय ।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के सभी जिलो के वैसे स्वास्थ्य उपचार सुविधा संस्थानो को सूचीबद्ध किया है जिन्होने जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का सुरक्षित निष्पादन से संबंधित पर्षद से सहमति अथवा प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है। यह सूची वेब साईट bspcb.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। समय–समय पर असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा ऐसे संस्थानों का अनुश्रवण किया जाता है।

22 फरवरी 2022 को राज्यस्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में लिए गये निर्णयों के अनुसार सभी सिविल सर्जन एवं जिला पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे सभी स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं (**HCF**) जो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से बिना प्राधिकार प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित है को बंद करने की कार्रवाई की जाय।

3.4 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीथाइलीन टेरेफेथेलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाईल. कम घनत्व पोलीथाइलीन पोलीप्रोपलिन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रोलोनी ट्रीइलीन, बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री. पॉलीफेनिलीन ऑक्साइड, पॉली कार्बोनेट, पॉलीब्यूटिलीन अंतर्विष्ट है। उपरोक्त रासायनिक मिश्रण से बने ठोस तत्व अपने मूल स्वरूप में तब तक बने रहते हैं जब तक इन्हें जलाया न जाय या दूसरे रसायनो से गलाया न जाय। मिट्टी या पानी के बीच जमा होकर ये माइक्रो आर्गेनिज्म के या जलीय जीव जंतुओं के जीवन चक्र में अनेक प्रकार से व्यवधान उत्पन करते है तथा पारिस्थितिकी

तंत्र का स्वरूप बदलने की क्षमता रखते है। अतः सतर्कता पूर्वक इसका प्रबंधन आवश्यक है। प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रीकरण, भंडारण, परिवहन, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्ति, पुनः उपयोग, कम्पोस्टिंग इत्यादि किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त अधिनियम की कंडिका 6 में ''स्थानीय निकाय का दायित्व का विस्तार से उल्लेख किया गया है एवं उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना अधिरोपित करने, कंडिका 5 में प्लास्टिक

चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के संबंध में

आवश्यक सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वार निर्गत प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संषोधन) नियम, 2021 की अधिसूचना संख्या– G.S.R 571 (E) दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा चिन्हित एकल उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, परिवहन, बिक्री एवं उपयोग पर संपूर्ण भारतवर्ष में दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना है।

प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन (संषोधन) नियम, 2021 के नियम 4(2) के तहत निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक (पॉलीस्टाइरीन एवं एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल सहित) के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा:'

(क) ईयर–बड की प्लास्टिक डंडी, बैलून का प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक झंडे, कैन्डी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, पॉलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) का सजावट में उपयोग;

(ख) प्लास्टिक (थर्मोकोल सहित) के प्लेट, कप, गिलास, कटलरी के समान जैसे– काँटा, चम्मच, छूरी, स्ट्रा, ट्रे, मिठाई के डब्बों को लपेटने हेतु पतले प्लास्टिक के सीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट के पैकेट की पैकेजिंग, 100 माइक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर, स्टरर इत्यादि।

उपरोक्त प्रतिबंध कंपोस्टयोग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं (कैरी बैग को छोड़कर) पर लागू नहीं होंगे।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 525 दिनांक 18.06.2021 एवं 1012 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा भी उपरोक्त चिन्हित एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या– 943 दिनांक 24.10.2018 एवं 1043 दिनांक 11.12.2018 द्वारा सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (नन–उवेन प्लास्टिक कैरी बैग सहित) के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग को राज्य की परिसीमा में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

इस आम सूचना के द्वारा उल्लेखित उत्पादों के उत्पादनकर्त्ता, संग्रहणकर्त्ता, थोक एवं खुदरा बिक्रेता, दूकानदार, ई.–कॉमर्स कम्पनियाँ, शॉपिंग सेन्टर, मॉल, सिनेमाघरों, पर्यटन स्थल, विद्यालय, कॉलेज परिसर, अस्पताल परिसर के स्वामी / अधिभोगी, संस्था एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त चिन्हित सामानों का उपयोग क्रमवार कम करते हुए दिनांक 30.06.2022 तक पूर्णतः रोक दें। दिनांक 01.07.2022 से चिन्हित प्लास्टिक के समानों का उत्पादन, आयात, संग्रहण, परिवहन, वितरण, बिक्री एवं उपयोगकर्त्ताओं के विरूद्ध नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

उक्त सूचना के माध्यम से सभी हितधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने–अपने क्षेत्राधिकार में उक्त उत्पादों की उपलब्धता दिनांक 30.06.2022 तक शून्य कर लें।

उपरोक्त नियमों के उल्लंघनकर्त्ताओं के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत समानों की जब्ती, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति, संस्थानों, व्यवसायिक परिक्षेत्रों, औद्योगिक इकाईयों को बंद करना शामिल हो सकता है।

सदस्य–सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

ई मेल–msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट–http://bspcb.bihar.gov.in

अपशिष्ट प्रबंधन में किये जाने वाले प्रक्रिया तथा मानदंडों का उल्लेख है, अन्य कंडिकाओं में विभिन्न हितधारको के विहित दायित्वों एवं कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। यह अधिनियम प्लास्टिक कचरे के उत्पादन को कम करने, प्लास्टिक कचरे को फैलने से रोकने और अन्य उपायों के पूर्व स्त्रोत पर ही कचरे का अलग भंडारण सुनिश्चित करने पर जोर देता है साथ ही स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतो अपशिष्ट उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं, खासकर फुटपाथ विक्रेताओं के लिए भी जिम्मेदारियां तय करता है।

2016 के बाद 2019, 2021 एवं 2022 में इस अधिनियम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनेको संशोधन किये हैं। इसमें प्लास्टिक का 4 श्रेणियों में वर्गीकरण, पैकेजिंग विधि का निर्धारण, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र के प्रावधान, प्रदूषण भुगतान सिद्धांत, पर्यावरण मुआवजा, मोनेटरिंग तथा नियंत्रण के लिए CPCB द्वारा केन्द्रीकृत ऑनलाईन पोर्टल की स्थापना का आह्वान् किया गया है।

उपरोक्त अधिनियमों के आलोक में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पोर्टल bspcb.bihar.gov.in के Notice board पर क्रमांक 12 पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाये जाने की सूचना सदस्य सचिव बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा जारी की गई है। इसमें पोलीस्टाइरीन एवं एक्सपेंडेड पोलीस्टाइरीन अथवा थर्मोकोल से बने इयर बड़ की प्लास्टिक की डंडी, बैलून का प्लास्टिक डंडी, कैंडी में लगी प्लास्टिक की डंडी, आईसक्रीम की डंडी, थर्मोकोल का सजावट में उपयोग, इसका प्लेट, कप, गिलास जैसे कांटा चम्मच, छूरी, स्ट्रा, मिठाई के डब्बो को लपटने हेतु पतले प्लास्टिक के सीट, आमंत्रण पत्र, सिगरेट की पैकेट की पैकेजिंग 100 माईक्रोन से कम के पी.वी.सी. बैनर इत्यादि जो कंपोस्टिंग योग्य नहीं है तथा सभी प्रकार के कैरी बैग के उत्पादन, आयात, परिवहन, संग्रहण, वितरण एवं बिक्री पर दिनांक 01.07.2022 से पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

इस नियम का उल्लघन किये जाने पर नियम संगत कार्रवाई की चेतावनी के साथ 30.06. 2022 तक स्टाक शून्य करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व में इस अधिनियम को लागू करने की समय सीमा हितधारकों के अनुरोध पर कई बार बढ़ायी जा चूकी है।

नगर निगम, बिहार शरीफ में सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी दण्ड/जुर्माना

(टेबल संख्या–15)

क्र0स0	अपराध	प्रथम बार	द्वितीय बार	प्रत्येक बार दुहराए जाने पर
1	मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण, व्यवसाय, भंडारण विक्रय	रू 2000	रू 3000	रू 5000
2	प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोगकर्ता			
अ	वणिज्यक उपयोगकर्ता	रू 1500	रू 2500	रू 3500
ब	घरेलू उपयोगकर्ता	रू 100	रू 200	रू 500
3	मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रावधानों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नहीं किए गए हों, में	रू 2000	रू 3000	रू 5000

	वस्तुओं का उपयोग, विक्रय या उसे उपलब्ध करना।			
4	प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना	रू 2000	रू 3000	रू 5000
5	सार्वजनिक स्थानों, पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों में प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाना।	रू 1000	रू 1500	रू 2000
6	शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना और इस उपविधि के अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई खेल आयोजित या एक सौ पचास से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति	रू 1500	रू 2000	रू 2500

इस उपविधि के प्रावधानों में यथा वर्णित मामलों में किसी व्यक्ति (विनिर्माता उत्पादक, आयातक, रिटेलर, स्ट्रीट वेंडर, स्टॉकिस्ट इत्यादि) के पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त कर लिया जाएगा।

3.5 ई–कचरा प्रबंधन

नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित रिहाईशी मकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानो सरकारी दफ्तरों, शिक्षण संस्थानो तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इनमें से प्रतिवर्ष अनेको उपकरण या तो अपनी ''कार्य जीवन'' पूरा कर लेने के कारण, किसी कम्पोनेंट के जल जाने के कारण अथवा द्रुतगति से तकनीकी उन्नयन के कारण प्रचलन से बाहर कर दिये जा रहे है। किसी इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान का नया प्रतिरूप आते ही पुराना बेकार होकर अपशिष्ट में बदल जाता है जो ई–कचरा के नाम से जाना जाता है। इनमे से मुख्य हैं– पुराने मोबाईल हैण्ड सेट तथा इसके 'एसेसीरिज', बैट्री, ईयर/हेड फोन इत्यादि। पुराना कम्प्यूटर, प्रिंटर, की–बोर्ड, माउस, सी. डी. सी.पी.यू. मोनिटर, स्पीकर एवं इससे संबंधित 'एसेसीरिज' तथा टी.वी., एयर कंडीशनर रेफ्रीजेरेटर, एल.ई.डी./सी.एफ.एल.–बल्ब/ट्यूब लाईट, मिक्सी, माईक्रोवेव रहे है। इन संयंत्रो के निर्माण में पारा, रांगा, आरसेनिक, कैडमियम, सेलेनियम, हेक्साभेलेन्ट क्रोमियम इत्यादि हजारो जहरीले पदार्थों का उपयोग होता है, जिसे खुले वातावरण में अन्य ठोस कचरों की तरह निपटारा नहीं किया जा सकता। अन्यथा कालान्तर में यह पर्यावरण को प्रदूषित कर मानवता के लिए घोर संकट पैदा कर सकते है। इसका खुले में निस्तारण स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को खतरा पैदा कर सकता है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बिहार के सभी जिलो के लिए ई–वेस्ट कलेक्शन के लिए कुछ विशिष्ट निजी एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानो को चिह्नित किया है, जो इसका सुरक्षित निपटारा करने की तकनीकी प्रक्रिया से वाकिफ है। इसकी सूची वेब साईट bspcb.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है । बिहार शरीफ के लिए नामित संस्थानो की सूची निम्नवत है –

1	सैमसंग इन्ना इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि., न्यू मो0 प्लाजा, नजदीक देवी स्थान, पुलपर, बिहार शरीफ 803101	06112–231177
2	इल्टेक एप्लीएन्सेज प्रा0 लि0 डे–टू–डे मोबाईल, स्टेशन रोड, बिहार शरीफ 805110	9386611311

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा बिहार के ई–अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इससे जुड़े निर्माता, उत्पादक, मुख्य डीलर, पुनः चक्रणकर्ता एवं खुदरा व्यापारियो के लिए

निर्देशों का पालन करने हेतु विभिन्न समाचार पत्रो व मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया गया है जो उनके लिए बाध्यकारी हैं, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

3.6 निर्माण सामग्री अपशिष्ट प्रबंधन

तीव्र विकास की प्रक्रिया में पुराने भवन रोड, पुल–पुलिया, कारखाना परिसर इत्यादि को ध्वस्त कर उसकी जगह नई इमारतें तथा संरचनाओं का निर्माण के क्रम में बहुत बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित होता है। नगर निगम क्षेत्र में प्रतिदिन स्वच्छता एवं सफाई से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के साथ इन निर्माण सामग्री अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन तथा पूर्व निर्धारित लैंडफिल साईट पर डिस्पोजल किये जाने से अनेक समस्यायें उत्पन्न हो सकती है। अतः इन निर्माण अपशिष्टों तथा साईट क्लीयरेंस से उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट के कम से कम मात्रा को चिहित लैंड फिल साईट तक ले जाया जाय इसके लिए इसका सुविचारित प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसमें से पुनः उपयोग योग्य सामग्रियों को अलग कर उन्हें लैंड फिल साईट तक पहुँचने से रोका जा सकता है।

निर्माण अपशिष्टों में मुख्यतः कक्रीट के बड़े छोटे टुकड़े, लकड़ी के तख्ते तथा चौखट, धातु, ईंट, पत्थर, ग्लास और प्लास्टर के टुकड़े मिलते हैं। धातु, लकड़ी व ग्लास का पुनर्चक्रण आसान है परंतु कंक्रीट तथा प्लास्टर के टुकड़ो का भी पुनर्चक्रण के नवाचारी प्रयोग किये जा सकते है। देखा गया है कि जहाँ तहाँ बिखरे सामग्री वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बनता है तथा वायुमंडल में कई दिनों तक बना रहता है ।

3.7 जलवायु उत्प्रेरित जोखिम

जलवायु परिवर्तन उत्प्रेरित जोखिम सहित अन्य आपदा से उत्पन्न जोखिम की जानकारी के अनुसार पूर्व तैयारी न्यूनीकरण, आपदा मोचन, आपदाओं से उबरने के उपरांत पूर्व से बेहतर निर्माण के लिए नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल एवं समन्वय के साथ सभी कार्य किये जायेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, पृथ्वी विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद बिहार शरीफ इकाई से समय–समय पर प्राप्त चेतावनी तथा सलाह के अनुरूप सभी हितधारको के साथ सभी नगरवासी मिलकर एक सकुशल और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु आपदा का शमनीकरण एवं न्यूनीकरण के लिए खतरों एवं जोखिम की पहचान कर सकेंगे। इसके लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

3.8 पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव के आलोक में पारिस्थितिकी संरक्षण कार्य

शहर की परिस्थितिकीतंत्र (Ecosystem), प्राकृतिक जल बहाव मार्गो तथा बसावटों की आकृति के आधार पर बिहार भवन उपविधि 2014 के अध्याय 3 में उल्लेखित कंडिका 27 के आलोक में भूमि का क्षेत्रीकरण (Zoning) करने के बाद ही शहरीकरण योजना का स्वरूप निर्धारित किया जायेगा। नगर विकास विभाग द्वारा वर्ष 2011 में City Development Plan तैयार कराई गई है। इसमें पारिस्थितिकी संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया हैं। वन प्रमंडल द्वारा शहर के विभिन्न सरकारी एवं निजी परिसरों में वृहत पैमाने पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा पूरे शहर में पार्कों, सार्वजनिक स्थलों, सरकारी आवासीय/कार्यालय परिसरों में वृक्षारोपण का दायित्व वन प्रमंडल बिहार शरीफ को दिया गया है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर इस संबंध में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन समय–समय पर किया जाता है।

शहरी विकास एवं नये निर्माण कार्यो के लिए कभी–कभी कोई वृक्ष बाधा प्रतीत होते हैं। जबकि ऐसे वृक्षों से शहरी Heat Island effect को कम करने, छाया मुहैया कराने, प्रदूषण नियंत्रित करने, भू–क्षरण रोकने, कार्बन सचयन इत्यादि के दृष्टिकोण से अमूल्य है। साथ ही ये असंख्य

पशु–पक्षियों एवं कीटों की आश्रय स्थली भी है। ये वृक्ष समूह स्वयं में एक पारिस्थितिकी तंत्र हैं। वृक्षो की अंधाधुंध कटाई से वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण तथा वैश्विक तापमान वृद्धि (Global warming) एवं इस कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन का मनुष्य एवं पशुओं पर कुप्रभाव पड़ता है।

3.9 जल जीवन हरियाली

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप वर्षापात में कमी एवं भू–गर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने के कारण भू–जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। उक्त के आलोक में राज्य में बढ़ती जनसंख्या, मानवीय गतिविधि एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न परिस्थितिकीय चुनौतियों से निपटने तथा राज्य में परिस्थितिकीय संतुलन का संधारण करने के व्यापक एवं बहुआयामी उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार ने 'जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की अनूठी पहल की है जिसे इस शहर के नगर निगम क्षेत्र में भी लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत–

- जल को प्रदूषण मुक्त रखने
- इसके स्तर को संतुलित बनाये रखने
- पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने
- हरित (वृक्ष/वन) आच्छादन को बढ़ावा देने
- नवीकरणीय उर्जा के उपयोग
- उर्जा की बचत पर बल देने तथा बदलते पारिस्थितिको परिवेश के अनुरूप कृषि एवं

संबद्ध गतिविधियों को नये आयाम देने के लिए काम किया जाना है। इस मद में प्राप्त राशि का उपयोग नगर निगमों द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत निम्नलिखित घटकों के लिए किया जाएगा–

(क) नगर निकायों के स्वामित्व के भवनों में Rain Water Harvesting निर्माण
(ख) अतिक्रमण मुक्त कुँओं के पास सोख्ता निर्माण
(ग) खुले मैदानों में सोख्ता निर्माण
(घ) प्याऊ/स्टैंड पोस्ट/चापाकल के पास सोख्ता निर्माण
(ड) अतिक्रमण मुक्त तालाबों/पोखरों का उड़ाहीकरण/जीर्णोद्धार
(च) अतिक्रमण मुक्त कुओं का उड़ाही/जीर्णोद्धार

टेबल संख्या–16 (जल जीवन हरियाली की उपलब्धि)

बिहार शरीफ में निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति
73 चिन्हित तालाबो मे से 22 का जीर्णोद्धार कार्य होना	60 प्रतिशत
204 कुओ में से 144 का जीर्णोद्धार कार्य होना	100 प्रतिशत
61 चिन्हित चापाकलो में से 45 का कार्य	100 प्रतिशत

नोट :– इसके अतिरिक्त हरित वृक्ष रोपण का कार्य वन प्रमंडल द्वारा कराया गया है।

3.10 आपदा के उपरांत पूर्व से बेहत्तर निर्माण

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 33 के आलोक में गठित तदर्थ समिति द्वारा अपने स्तर पर पूर्व से बेहतर निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जायेगा जिसकी स्वीकृति सशक्त स्थाई समिति द्वारा दी जायेगी। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य आपदा जोखिम के प्रबंधन हेतु नगर निगम एवं नगर में स्थित विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का सुदृ

ढीकरण तथा भौतिक एवं मानव संसाधन के संदर्भ में पर्याप्त क्षमतावर्द्धन करना है। नगर में जो भी निवेश होने जा रहे है, वे सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के दृष्टिकोण से भी जांच परख कर किये जाएगे। मितव्ययिता को दृष्टिगत रखकर जोखिम को नजर अंदाज नहीं किया जायेगा।

भविष्य में आनेवाली सभी प्रकार के उच्च, मध्यम एवं न्यून तीव्रता की आपदाओं के दौरान प्रभावी प्रत्युतर के लिए हर प्रकार की पूर्व तैयारी समय से पूर्व कर ली जायगी तथा आपदा के बाद पुनर्वासन पुनर्स्थापन तथा पूर्व से बेहतर पुनर्निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

बहु संस्था सामंजस्य तथा आपातकालीन आदेश श्रृंखला को स्पष्ट किया जायेगा। सभी हितधारको के दायित्व एवं कर्तव्यों का स्पष्ट निर्धारण किया जायेगा ताकि किसी प्रकार का असमंजस अथवा अवरोध की स्थिति न बनने पाये। इस योजना के ठोस क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा सतत् सुधार की दिशा पहले से तय रहेगी ताकि मानवता को इसका अधिकतम लाभ मिले।

अध्याय–4

नगर निगम, बिहार शरीफ में खतरा, जोखिम, नाजुकता तथा क्षमता विवरण

4.1 बिहार शरीफ में आपदाओं का इतिहास

बिहार शरीफ बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित नालंदा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है तथा प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है। बिहार शरीफ के आपदा इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इसके नगरीय क्षेत्र में विभिन्न आपदाओं का खतरा रहा है। सामान्यतः नगर निगम, बिहार शरीफ के क्षेत्र भूकम्प, बाढ़, जल–जमाव, गर्म हवा/लू, पेयजल संकट, सूखा, अगलगी, सड़क दुर्घटना, वज्रपात, आंधी–तूफान, महामारी जैसे संकटों व घटनाओं के प्रति संवेदनशील है।

बिहार शरीफ में पूर्व में भूकंप की किसी प्रकार की बड़ी घटना नहीं हुई है, अपितु बिहार के भूकम्प मानचित्र में यह नगर अति उच्च जोखिम वाले क्षेत्र (जोन IV)के अंतर्गत वर्गीकृत है। जिले में बाढ़ व जल–जमाव का व्यापक प्रभाव है, जिस कारण नगरीय क्षेत्र में भी कई क्षेत्र बाढ़ व जल–जमाव से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ वर्षों में झारखण्ड व दक्षिणी बिहार में अतिवृष्टि होने से नदियों के जलस्तर में अचानक वृद्धि होती है, फलस्वरूप नगरीय क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कई बार, नालों में प्लास्टिक कचरा के कारण नालों से समुचित जल निकासी नहीं हो पाने के कारण भी कुछ क्षेत्रों में जल–जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। हाल के वर्षों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि नगर निगम, बिहार शरीफ के क्षेत्रों में वर्ष 2018 में गंभीर जल–जमाव की समस्या व्याप्त हो गयी थी।

ग्रीष्मकाल के चरम (मध्य) में बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्र में लोगों को लू/हीटवेव की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों का तापमान 05 ºC अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य विकारों, पेयजल संकट, सूखा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत शीतकाल में, बिहार शरीफ में गंभीर शीतलहर का प्रभाव होता है। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म हवा/लू व असामान्य शीतलहर की घटनाओं में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही हैं। नालन्दा जिला वज्रपात व आंधी–तूफान के प्रति बिहार के अति–संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है, तथा इसका प्रभाव नगर निगम, बिहार शरीफ की सीमावर्ती व ग्रामीण क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में अधिक होता है। शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक केन्द्र, औद्योगिक ईकाइयों, स्लम क्षेत्रों की बढ़ती आबादी, कई मोहल्लों के सघन होने तथा संकरी गलियों के कारण अगलगी की प्रवणता अधिक है तथा इसका प्रभाव गर्मी के दिनों व शीतलहर के समय बढ़ जाता है। नगरीय क्षेत्रों में अगलगी के अन्य कारणों में विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरणों का निर्धारित क्षमता से अधिक प्रयोग व उपकरणों की गुणवत्ता अच्छी नही होने से हुई शार्ट सर्किट से भी होती है। नगरीय क्षेत्रों में कई प्रमुख बाजार, दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल हैं जिससे भगदड़ की संभावना विभिन्न पर्व–त्यौहारों में अधिक हो जाती है। नगर निगम, बिहार शरीफ निकटवर्ती जिलों व बिहार की राजधानी से प्रमुख सड़कों के माध्यम से जुड़ा हुआ है जिस कारण सड़कों पर कई ब्लैक स्पॉट बन गए हैं तथा निरन्तर सड़क दुर्घटनाए होती रहती हैं।

नगरीय क्षेत्रों में इसके प्रभावों से निपटने हेतु आपदा एवं विकास के पहलुओं में निरंतरता के साथ समन्वय लाना आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार शरीफ को आपदाओं की दृष्टि से एक रेज़िलिएन्ट नगर बनाने के लिए नगरीय विकास योजनाओं, स्वच्छता योजना एवं आपदा प्रबंधन योजनाओं को समन्वित व सशक्त रूप से क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है।

4.2 बिहार शरीफ में प्रमुख खतरों का मौसमी मैट्रिक्स (टेबल संख्या–17)

बिहार शरीफ में चिन्हित किए गए प्रमुख खतरों का मौसमी मैट्रिक्स निम्न तालिका हैं–

क्र0स0	प्रकोप	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
1	बाढ़												
2	जलजमाव												
3	पानी की कमी / जल संकट												
4	लू / हीटवेव												
5	सुखा												
6	शीतलहर												
7	भूकम्प												
8	अगलगी												
9	ओलावृष्टि												
10	वज्रपात												
11	चक्रवात												
12	जैविक आपदा और महामारी												
13	भीड़ सुरक्षा												
14	सड़क दुर्घटनाएँ												
15	मौसमी बीमारी												
16	सब्जी की खेती पर जैविक संक्रमण												
17	वायु प्रदुषण												

तीव्रता मापक– उच्च मध्यम

4.3 बाढ़

बाढ़ का प्रभाव प्रमुख नदियों व जल स्त्रोतों के निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। बाढ़ की समस्या प्रमुखतया नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी व उसके प्रबंधन के समुचित उपाय नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न होती है। शहरों में व्यापक एवं एकीकृत जल निकासी का माडल नहीं होने के कारण

भी नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति व्याप्त हो जाती है। साथ ही, नगरीय क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, जहां मानसून अवधि के दौरान जलजमाव देखा जाता है।
शहर में बहने वाली नदी से वार्ड नं0 4, 5, 7, 8, 14, 19, 20, 21, 47, 48, 50 का आधा वार्ड व वार्ड 51 पूर्णरूप से बाढ़ से प्रभावित होता रहा हैं जो वार्षिक नही हैं।

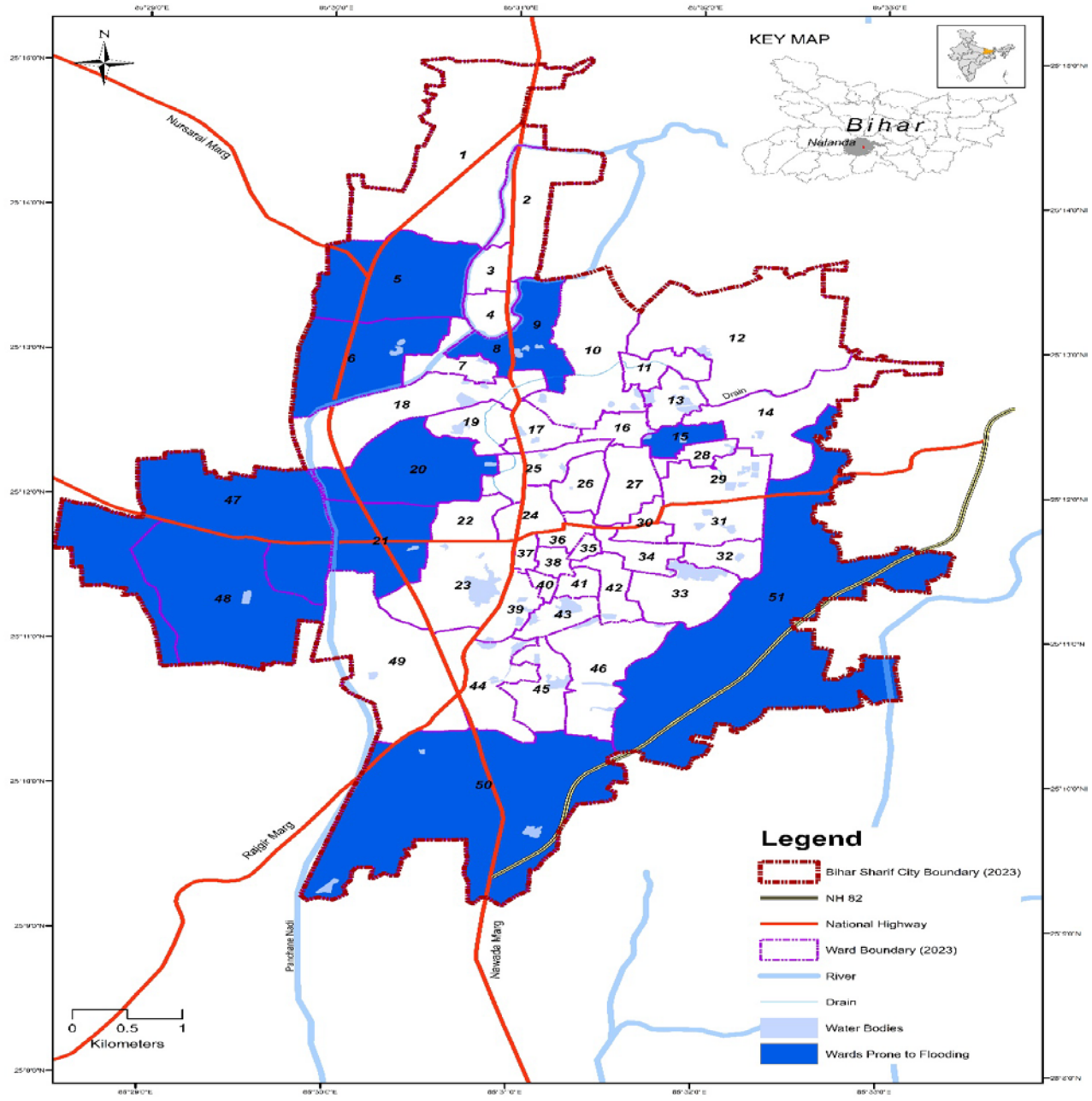

चित्र संख्या–13– बिहार शरीफ में बाढ़ मानचित्र

जल निकासी की समस्या

स्थानीय लोगों द्वारा कई प्रकार के ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, सैनटरी पैड, पूजा सामग्री, घरेलु कचरों आदि को निर्धारित कूड़ा स्थल व कूड़ा संग्रहण हेतु प्रतिनियुक्त वाहन में नहीं डालकर निकटतम जल श्रोतों जैसे तालाबों, नालों व नदियों में फेंक दिया जाता हैं। फलस्वरूप, ऐसे कचरों

के कारण जल श्रोतों का बहाव मार्ग अवरूद्ध हो जाता है तथा जल श्रोतों की जल संग्रहण क्षमता भी कम हो जाती है। इससे मानसून के दौरान व्यापक स्तर पर जल–जमाव की समस्या से कई क्षेत्र ग्रसित रहते हैं। सामान्य समय में भी कई क्षेत्रों में अतिक्रमण, पाइपलाइन फटने व निर्माणाधीन कार्यों के कारण भी जल–जमाव की समस्या हो जाती है। जल जमाव होने से प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन की समस्या हो जाती है तथा इन क्षेत्रों में महामारियों जैसे डेंगू बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, फाईलेरिया आदि का प्रसार बढ़ जाता है। ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में जल श्रोतों के रखरखाव व कचरा प्रबंधन हेतु समुचित रणनीति बनाए जाने के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को जागरूक तथा संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जल निकासी सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण नहीं होने से दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के जोखिम रहते हैं जो स्थानीय निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में भी विषम प्रभाव डालते हैं।

जल–जमाव की दृष्टि से मानसून के दौरान नगरीय क्षेत्र की वार्ड संख्या 4,5,7,8,14,18, 19,20,39,43,50 और 51 सर्वाधिक रूप से प्रभावित होते हैं।

4.4 सूखा, पेयजल संकट एवं जल प्रदूषण

जल संकट एक महत्वपूर्ण चुनौती है जो साधारणतया वर्ष के ग्रीष्मकाल में, दूसरे शब्दों में कहें तो सुखाड़ प्रभावित महीनों के दौरान होती है जब भू–जलस्तर में सतही जल की उपलब्धता की कमी व भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण कमी हो जाती है। नालन्दा जिला बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में अवस्थित है जिसके कारण बिहार शरीफ सुखा आपदा के प्रति अति–संवेदनशील है तथा यहाँ ग्रीष्मकाल में भूजल स्तर में भारी गिरावट होने से जल संकट एवं जल प्रदूषण की समस्या व्याप्त हो जाती है, इसके विषमकारी प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ते हैं। कुल वार्डो में से वार्ड न0 15, 16, 17, 19, 20, 26, 31, 32, 34 और 38 अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित होता हैं, जिसका प्रमुख कारण सामान्य समय में भी ज्यादा जल की बर्बादी होने से भी समस्या उत्पन्न हो रही है। सुखा पड़ने तथा पेयजल संकट होने से स्थानीय नागरिकों को जलापूर्ति उपलब्ध कराने हेतु नगर प्रशासन, बिहार शरीफ को प्रभावित क्षेत्रों में जल–प्याऊ, जल टैंकर, पम्प हाउस आदि को अधिक क्रियाशील करना पड़ता है।

शहर में अन्य प्रदुषण के साथ–साथ जल प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है इससे भू–गर्भ जल प्रभावित हो रहा है तथा लोगों को स्वास्थ्य विकारों का सामना करना पड़ता है। जल प्रदुषण बढ़ने का मुख्य कारण जलाशयों के प्रदूषित होने व नालों–नालियों का सही प्रबन्धन नहीं होना है।

4.5 गर्म हवा/लू (हीटवेव)

गर्म हवा एक ऐसी स्थिति है जिसमें अधिकतम तापमान सामान्यतः अधिक हो जाता है तथा इसके प्रभाव में आने पर यह मानव शरीर के लिए घातक हो जाती है। गर्म हवा/लू को मात्रात्मक रूप से सम्बंधित परिक्षेत्र के वास्तविक तापमान या सामान्य तापमान की निर्धारित सीमा में हो रहे परिवर्तन से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ देशों में गर्म हवा/लू को तापमान और आर्द्रता आधारित ताप सूचकांक अथवा उच्चतम तापमान की प्रतिशतता के रूप में भी गर्म हवा/लू को परिभाषित किया जा सकता है। अर्न्तराष्ट्रीय पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आई0पी0सी0सी0) द्वारा जारी 6वीं रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि जिस प्रकार से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है, उससे मैदानी भागों में असामान्य रूप से बाढ़, लू, सूखा जैसी आपदाओं की आवृत्ति में वृद्धि होगी।

नालन्दा जिले तथा बिहार शरीफ का गर्म हवा/लू के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र बिहार के दक्षिणी भाग में अवस्थित होने के कारण गर्म हवा/लू के प्रति अति–संवेदनशील क्षेत्र है। सामान्यतः गीष्मकाल (मार्च से जून) के दौरान गर्म हवा/लू का प्रभाव रहता है। पिछले वर्षों में बढ़ते तापमान और गर्मी के तनाव के कारण बिहार राज्य में गया, नालंदा और औरंगाबाद जिलों में 184 से अधिक लोगो की मौत हो गई थी। नगर निगम, बिहार शरीफ के कई क्षेत्र गर्म हवा/लू के कारण जल संकट, विद्युत आपूर्ति संकट जैसी समस्याओं के प्रभावित हो जाते हैं। स्थानीय लोगों विशेषकर मजदूरों व छोटा व्यवसाय करने वाले लोगों को असामान्य ताप में वृद्धि हो जाने के कारण स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

बिहार में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पटना द्वारा गर्म हवा/लू की घोषणा तब की जाती है जब मौसम विज्ञान द्वारा अधिष्ठापित किये गये कम से कम 2 स्टेशनों में लगातार 2 दिनों तक तापमान की स्थिति निम्नवत् होती हैं–

सामान्य तापमान से परिवर्तन के आधार पर

क) लू/हीट वेव – जब सामान्य तापमान से परिवर्तन 4.5 से 6.4 ºC होता है

ख) गंभीर लू/हीट वेव – जब सामान्य तापमान से परिवर्तन 6.4 ºC अधिक हो

वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर

क) हीट वेव – जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 ºC से अधिक या उसके बराबर हो

ख) गंभीर लू/हीट वेव – जब वास्तविक अधिकतम तापमान 47 ºC से अधिक या उसके बराबर हो

इस दौरानं लू/हीट वेव सामान्यतया ग्रीष्मकाल यथा मार्च से जून के दौरान, हालाँकि जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से कभी–कभी जुलाई तक भी इसका प्रभाव अनुभव किया गया है।

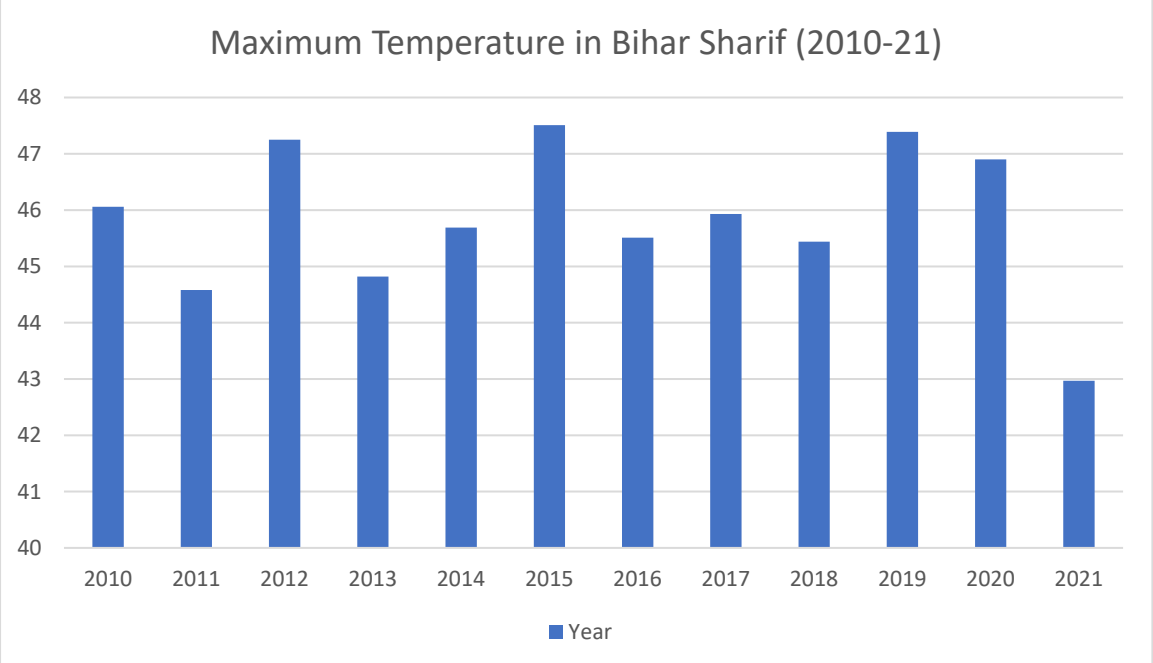

चित्र– 14 बिहार शरीफ में वर्षवार अधिकतम तापमान

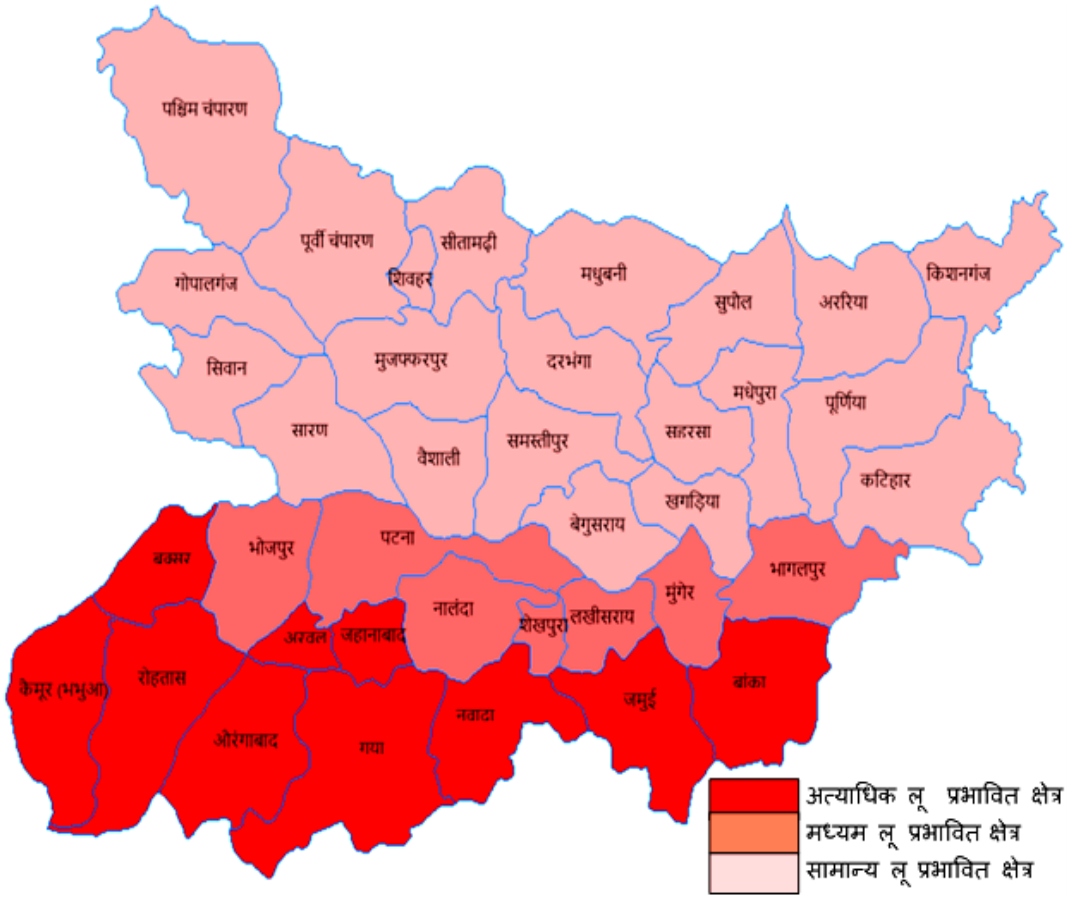

चित्र– 15 बिहार में गर्म हवा/लू का जिलावार मानचित्र

4.6 शीत लहर

शीत लहर एक सामान्य मौसमीय घटना है जो साधारणतया सतह पर वायुमंडल के निम्न तापमान में तीव्र गिरावट के कारण होती है, जिससे सामान्य तापमान अत्यधिक कम हो जाता है, वायु दबाव में तीव्र वृद्धि, वायु गति तेज़ होना तथा ओलापात या बर्फबारी से मौसम ख़राब होना जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10ºC या उससे कम होने को शीत लहर की स्थिति मानी जाती हैं। शीत लहरें मौसमी परिस्तिथियां होती हैं, जिसका प्रभाव नवंबर से मार्च तक विभिन्न चरणों में अनुभव किया जाता है, इनमें से अधिकतर चरणों को दिसंबर, जनवरी व फरवरी माह के दौरान अनुभव किया जा सकता है। बिहार शरीफ शीतलहर आपदा के प्रति अति–संवेदनशील क्षेत्र है, यह क्षेत्र शीतकाल के दौरान बिहार के सबसे कम तापमान वाले क्षेत्र में सम्मिलित है।

4.7 भूकंप

पृथ्वी की सतह पर अनुरेखीय स्वरूप (लिनामेंट) यथा "फाल्ट लाईन" के आधार पर बिहार के भूकंप प्रवण जिलों का मानचित्र जो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्गत राज्य आपदा प्रबंधन योजना में मुद्रित है, इस मानचित्र में दर्शाया गया है कि नालन्दा जिला (बिहार शरीफ) के उत्तर में एक ''मेगा लिनामेंट'' (वृहत अनुरेखीय स्वरूप) अवस्थित है। इसके अतिरिक्त उत्तरी– पश्चिमी भाग में एक ''इन्टरमिडिएट लिनामेंट'' तथा दक्षिणी भाग में तीन ''इन्टरमिडिएट लिनामेंटस'' अवस्थित हैं। लिनामेंट धरती के सतह पर चिह्नित एक रैखीय विशेषता है जो अपभ्रंश (फॉल्ट) के रूप में जानी जाती है। यह भुगर्भीय संरचना के रूप में परिभाषित है। जिला सिस्मिक जोन–IV में होने के कारण इसके फॉल्ट लाइन के आधार पर आधा दर्जन प्रखंडों में सर्वाधिक खतरे की संभावना है।

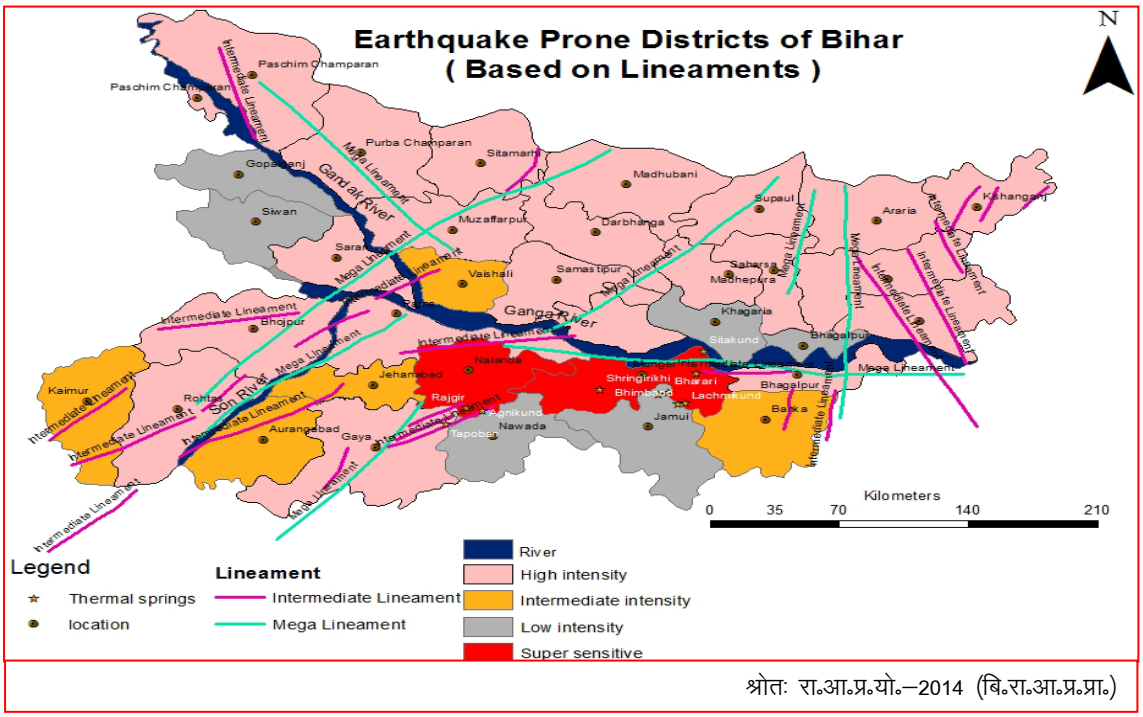

श्रोतः रा॰आ॰प्र॰यो॰–2014 (बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰)

चित्र संख्या–16 (भूकम्प मानचित्र–बिहार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 1934 के भूकंप को सर्वाधिक खतरनाक मानते हुए एक वृहद अध्ययन कराया है। इसमें 2011 के जनगणना के अनुसार अवस्थित मकानों की संख्या का आकलन करते हुए यह जानने का प्रयास किया गया है कि अगर नालन्दा जिला में 1934 के स्तर का भूकंप आये तो दिन या रात के समय में किस स्तर की क्षति की संभावना हो सकती है।
इस अध्ययन के अनुसार, नालन्दा जिला में भूकंप पुनरावृत्ति की काल्पनिक क्षति नीचे सारणी में देखी जा सकती है।

भूकंप के काल्पनिक क्षति का आकलन (1934 के संदर्भ में) टेबल संख्या–18

नगर निगत	नगर पंचायत	कुल मकान	संभावित घरो के क्षति की श्रेणी				संभावित क्षति			
			NG5	NG4	NG3	NG2	मनुष्य की क्षति		पुनः निर्माण	मरम्मत
							प्रतिकूल समय	अनुकूल समय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

बिहार शरीफ	**IV**	**101,345**	2,208	23,757	55,928	14,474	1,869	617	25,964	70,402

NG5—पूर्ण क्षति । मकानों का धराशायी होना।

NG4—विनाश, दीवारों के बीच दरार, भवनों का कुछ हिस्सा धाराशायी होना, भवन की भीतरी दीवारों का गिरना।

NG3—भारी क्षति, दीवारों में लंबी तथा प्लास्टर में गहरी दरारे पड़ना, चिमनी का धाराशायी होना।

NG2—साधारण क्षति, दीवारों तथा पलास्टर में छोटी हल्की दरारे प्लास्टर का झड़ना, टाईल्स का फिसलना, चिमनी का क्षतिग्रस्त होना।

नोट : (1) प्रतिकूल समय – रात, अनुकूल समय – दिन,

(2) NG= Number of Houses under Damage Grade

(विस्तृत रिपोर्ट बि॰रा॰ आ॰ प्र॰ प्रा॰ द्वारा प्रकाशित 1934 के भूकंप तीव्रता के समतुल्य भूकंप की पुनरावृति से बिहार के विभिन्न जिलों में संभावित काल्पनिक क्षति का परिदृश्य अगस्त–2013 को वेबसाईट www.bsdma.org के पब्लिकेशन एवं रिपोर्ट सेक्शन में देखा जा सकता है।)

4.8 अगलगी

बिहार शरीफ में अगलगी एक बड़े खतरा के रूप में चिन्हित की गई है। इससे ना केवल संपत्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचती है बल्कि जीवन की संभावित क्षति का भी कारण बनती है। अगलगी का प्रभाव एवं इसकी प्रवणता बिहार शरीफ में अत्यधिक है। नगरीय क्षेत्र के कई क्षेत्र अत्यंत सघन एवं व्यवसायिक महत्व के हैं तथा स्लम क्षेत्रों की बढ़ती संख्या भी अगलगी की संवेदनशीलता को बढ़ाती है। वहीं निजी एवं सरकारी भवनों, बाजारों तथा कार्यालयों में पुराने जीर्णशीर्ण तारो के कारण विद्युत के शॉट सर्किट से अगलगी लगने की घटना होती रहती है। बड़ी पहाड़ी के निकट बसे मुहल्लों व स्लम बस्तियों में गलियॉ बहुत सकरी/पतली व पहाड़ियों पर बसे हुए घर भी हैं जिससे अगलगी की घटना होने पर फायर बिग्रेड की गाड़ियों का जाना प्रभावित क्षेत्रों में सम्भव नही हैं। नगरीय क्षेत्र में अगलगी की घटनाओं की रोकथाम एवं प्रत्युत्तर के लिए एक अग्निशामालय (Fire Station) है। नगर निगम, बिहार शरीफ के परिक्षेत्र में हो रही वृद्धि से भविष्य में अगलगी से निपटने के लिए अतिरिक्त अग्निशामालय की आवश्यकता है। साथ ही, स्थानीय लोगों को अग्नि सुरक्षा तथा बेहतर रिस्पांस पर प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।

नगर निगम, बिहार में अगलगी संवेदनशीलता के मौसमी मैट्रिक्स का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि अगलगी का प्रभाव मार्च, अप्रैल तथा मई के महीनों में अधिक होता है, इस समय तापमान अधिक होने, वायुमंडल नमी कम होने, गर्म हवा/लू व इसके पठारी क्षेत्रों में लगातार शुष्कता के बने रहने पर अगलगी की प्रबल संभावना बन जाती है। अगलगी किसी भी जगह हो सकता है। इसलिए, इसको कम करने तथा निपटने हेतु हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है।

4.9 वज्रपात/ठनका :

बिहार के दक्षिणी भाग वज्रपात के प्रति अति–संवेदनशील जिले हैं तथा नालन्दा जिला में भी वज्रपात का प्रभाव अधिक है। विगत वर्ष 2016 में बिहार में 57 लोगों की मृत्यु एक हीं दिन वज्रपात से हो गयी। वज्रपात एक ऐसी आपदा है जिसका प्रभाव मानसून के दौरान व चक्रवातीय दबाव पड़ने पर होने वाली मेघ गर्जन से अधिक होता है। वज्रपात एक ऐसी आपदा है जिसका पूर्वानुमान पूर्व से उपलब्ध नहीं है। भारत मौसम विज्ञान विभाग व अन्य अर्न्तराष्ट्रीय मौसम सेवा प्रदाताओं के द्वारा वज्रपात में तात्कालिक चेतावनी (Nowcast Warning) ही उपलब्ध है, जिसे परिस्थिति के अनुसार 30 मिनट से 03 घंटें पूर्व जारी किया जा सकता है। वज्रपात से निपटने के लिए सबसे

बड़ी चुनौती है कि सामुदायिक स्तर पर मौसम एजेंसियों की चेतावनी का तीव्र व प्रभावी प्रसार करना तथा आमजन के दौरान चेतावनी प्राप्त होने पर तुरंत बचाव कार्रवाई करना। जब पृथ्वी की ओर वज्रपात चलता है तो काफी मात्रा में विद्युत निरावेश बादलों से पृथ्वी की ओर चल देती है। विद्युत निरावेश का भय तब अधिक हो जाता है जब बादलों के भीतर विद्युत आवेश की मात्रा बढ़ती है। 'फिल्ड मिल' यंत्र के द्वारा बादलों के भीतर के आवेश का मापन हो जाता है। जैसे हीं यह एक निर्धारित सीमा में पहुँचता है इसके पृथ्वी पर गिरने की सम्भावना बनने लगती है। वज्रवात के आघात से बचने हेतु जागरूक होना व इन्द्रव्रज एप से वज्रपात गिरने से पहले की जानकारी हम ले सकते हैं। नगर निगम, बिहार शरीफ के क्षेत्र में विद्युत संरचनाओं व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में ताड़ित चालक व **Lightning Arrester** अधिष्ठापित होने के कारण वज्रपात का प्रभाव कम रहा है। नगर निगम, बिहार शरीफ के ग्रामीण क्षेत्रों के समीपवर्ती क्षेत्रों में वज्रपात का प्रभाव व्याप्त है। ऐसे क्षेत्रों में कार्ययोजना बनाकर ताड़ित चालक व **Lightning Arrester** को अधिष्ठापित किए जाने की आवश्यकता है। वज्रपात में मानव व पशुओं की तुरंत मृत्यु हो जाती है अथवा घायल हो जाते हैं। इसके प्रभाव उँचे वृक्षों व भवनों पर अधिकतर होती है। सुदुर ग्रामीण क्षेत्रों में पारम्परिक घरों में भी वज्रपात का प्रभाव देखा गया है।

4.10 चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि :

चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि आदि वर्ष के शुरूआती महीनों में ज्यादातर घटित होती है। ऐसी हालात में सबसे ज्यादा क्षति एवं खतरे का प्रभाव आवास क्षति (फूस/बांस निर्मित), मानव मृत्यु/पशु मृत्यु/घायल, यातायात एवं संचार सेवा में बाधा, संरचनात्मक ढ़ाँचों को नुकसान एवं जल में वेग उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। चक्रवाती तूफान (तेज गति हवा) से शहरी क्षेत्र के साथ साथ संपूर्ण जिला प्रभावित होता है जहाँ 47 मीटर/सेकेण्ड की दर से आने की आशंका बनी रहती है। मानसून व गर्मी के दिनों में आंधी का प्रभाव नगर निगम, बिहार शरीफ में अधिक देखने को मिलता है। चक्रवातीय तूफानों व आँधी से पेड़–पौधों की क्षति, संरचनात्मक क्षति, विद्युत तारों को नुकसान, पेयजल आपूर्ति क्षतिग्रस्त होना जैसे प्रभाव होते है।

4.11 जैविक आपदा/महामारी

नगरीय क्षेत्रों में जल–जमाव होने से कई प्रकार के जल जनित व वेक्टर जनित महामारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। नगर निगम, बिहार शरीफ के क्षेत्रों में डेंगू, मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड आदि का प्रभाव पूर्व के वर्षों में देखने को मिलता है। वर्ष 2020–21 से 2022–23 में कोविड–19 महामारी से 10000 से अधिक व्यक्ति नगरीय क्षेत्रों में प्रभावित हुए है तथा इससे 290 व्यक्तियों की मृत्यु प्रतिवेदित हुई है। जैविक आपदाओं व महामारियों के प्रभावों में कमी लाने के लिए आवश्यक है कि स्थानीय लोगों को स्वच्छता आदतों के प्रति जागरूक किया जाए तथा महामारी प्रभावित क्षेत्रों में विषाणुनाशक का छिड़काव नियमित रूप से किया जाए। इसके प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जाए।

4.12 वायु प्रदूषण (चित्र संख्या–17)

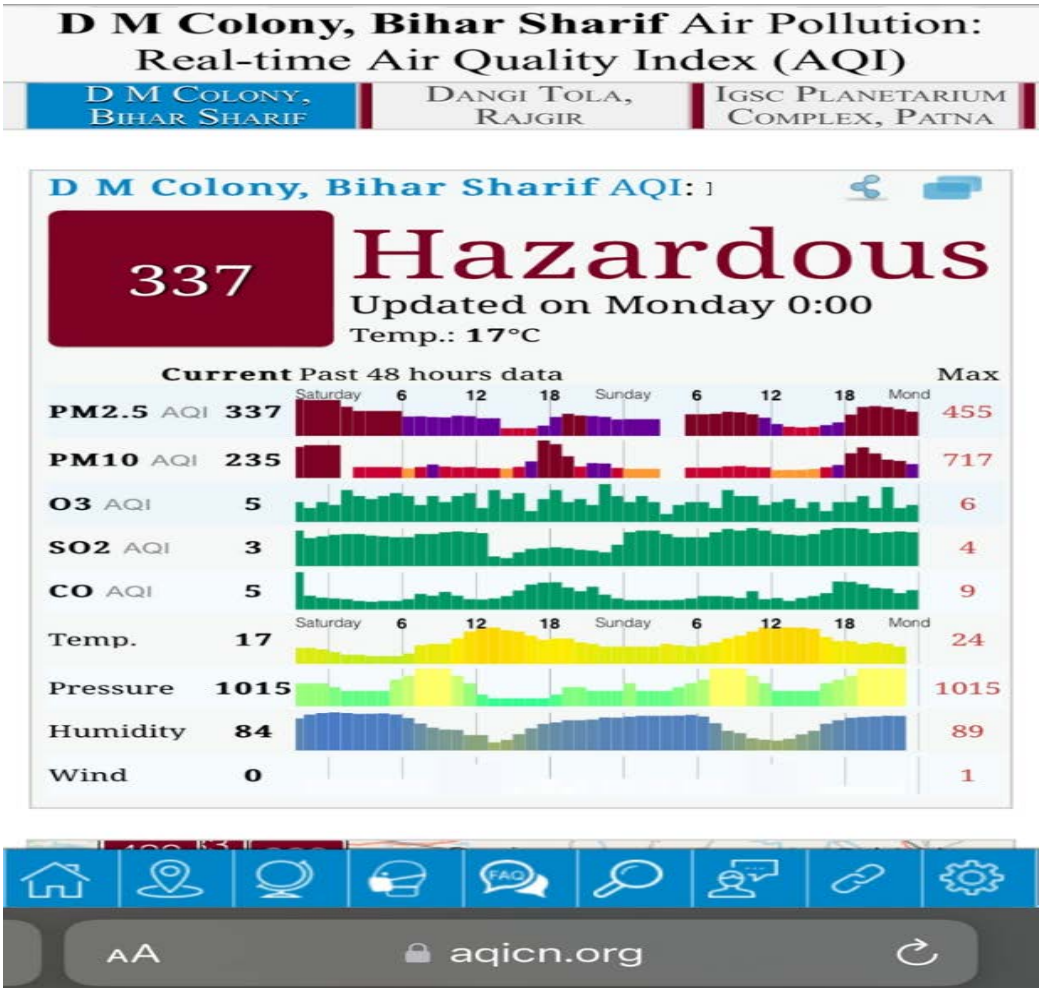

नगर निगम, बिहार शरीफ दक्षिण बिहार का प्रमुख शहर है तथा इसके नगरीय क्षेत्रों का लगातार विस्तार हो रहा है। नगर के क्षेत्रों में सघन आबादी होने, घरों में जलने वाले उपकरणों, औद्योगिक प्रतिष्ठान होने तथा व्यवसायिक बाजार होने से, सड़कों पर उड़ने वाली धूल, वाहनों से उत्सर्जित प्रदूषक, खुले में कूड़ा जलाना, निर्माण गतिविधियाँ, होटलों/रेस्टोरेन्ट की पारम्परिक चिमनियों से निकलने वाले प्रदुषित धुँए से वायु प्रदूषण अधिक हो रहा है। नगर निगम, बिहार शरीफ में प्रमुख प्रदूषकों में अति–सूक्ष्म कण (Particulate Matter), कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर खतरनाक पाया गया है जो स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख चिंता का विषय है। बाहरी व आंतरिक वायु प्रदूषण श्वसन तथा अन्य बीमारियों का कारण बनता है, वर्तमान में वायु प्रदूषण रोगों की संख्या तथा मृत्यु दर में वृद्धि का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। बिहार शरीफ में आजीविका का श्रोत पर्यटन है तथा यदि समय से वायु प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम नहीं की गई तो पर्यटन के क्षेत्र में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सामान्यतः विदेशी सैलानी वायु प्रदूषण के सूचकांकों का अध्ययन कर ही पर्यटन व

देशाटन संबंधी निर्णय लेते हैं। वायु प्रदूषण की गुणवत्ता सूचकांक मापन हेतु शहर में एक डीएम कालोनी व शहर से बाहर एक डागी टोला राजगीर में यन्त्र स्थापित हैं।

4.13 सड़क दुर्घटनाएँ

सड़क दुर्घटनाएं व इसके प्रभाव (वाहनों व संरचनात्मक क्षति, मानव जीवन/अंगों की क्षति तथा घायल) अर्थवयवस्था में सामाजिक लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण हैं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु तथा अन्य क्षति मानवजनित आपदाओं की श्रेणी में आती हैं, इनकी रोकथाम बेहतर यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा संकेतकों में वृद्धि, बेहतर आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली (ट्रामा सेण्टरों के संचालन) एवं आपातकालीन प्रबंधन (एम्बुलेंस सेवा) से की जा सकती है। व्यक्तिगत सुरक्षा की कमी जैसे हेलमेट तथा ओवर स्पीडिंग सहित सड़क यातायात नियमों के पालन नहीं करने के कारण भी सड़क दुर्घटनाओं की प्रवणता में वृद्धि हो जाती है। वर्ष 2022 में 32 सड़क दुघटनाए हुई है, जिसमें 34 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं।

चिह्नित दुर्घटना स्थल : शहर में घटित दुर्घटनाओं का अध्ययन करने पर पता चलता है कि सर्वाधिक घटनायें निम्न सड़कों पर प्रतिवेदित हुई है।

- एन.एच. 31 बायपास (20 व्यक्ति), एन.एच. 30ए (7), एन.एच. 31 (114), एन.एच. 82 (56), एन.एच. 110 (25),
- एस.एच0 78 मुख्य जिला सड़कों पर 12 घटनाएँ हुई।

4.14 खतरा, नाजुकता, क्षमता एवं जोखिम आकलन (HVCRA) की कार्यप्रणाली

बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र के लिए नगरीय आपदा प्रबंधन योजना (CDMP) के निर्माण हेतु खतरा, नाजुकता, क्षमता एवं जोखिम आकलन (HVCRA) करने के लिए प्राथमिक व द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग किया गया है जिसमें नगरीय क्षेत्र के समस्त वार्डो का खतरा, नाजुकता, क्षमता एवं जोखिम अभ्यास निम्न तरीके से किया गया है–

1. वार्ड पार्षद व अन्य हितभागी के साथ सीधा संवाद कर प्रकोप, संवेदनशीलता, क्षमता, मौसम आधारित व कारण आधारित जोखिमों की पहचान करना ।
2. वार्ड समुदाय के साथ विषय आधारित चर्चा करना।
3. एकत्रित आकड़ो का विश्लेषण किया गया।
4. विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बैठक कर आवश्यक आंकड़े एकत्र किए गए।

4.15 विकास प्रक्रिया से उत्पन्न नए जोखिम

जिला प्रशासन एवं नगर निगम को नगरीय विकास की दृष्टि से सूक्ष्म स्तरों पर मौजूद विभिन्न नाजुकताओं का अध्ययन तथा विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम के क्षेत्रों में नए आवासीय क्षेत्र बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सड़कें, भवन, बिजली, पुल और अन्य संबद्ध आधारभूत संरचना का कार्य तीव्रता से प्रगति में है। नगरीय क्षेत्रों में अनियमित आधारभूत संरचनाओं के कारण भौतिक नाजुकताओं के बढ़ने की संभावना है, यह विकास संबंधी गतिविधियों के कारण और अधिक जोखिमयुक्त हो सकता है। अतः यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि विकास से नए जोखिमों का निर्माण नहीं हो, साथ ही, मौजूदा जोखिमों में वृद्धि नहीं होने पाए।

नोट–क्षमता एवं संसाधनों से संबंधित विवरण अध्याय 22.4 में उपलब्ध है।

अध्याय–5
संस्थागत व्यवस्था
(Institutional Arrangements)

5.1 आपदा प्रबंधन की संस्थागत संरचना

माननीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा सभी योजनाओं एवं गतिविधियों के सम्पादन हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाता हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन सम्बन्धी समस्त क्रियाकलापों से संबंधित नोडल विभाग गृह मंत्रालय है। इसके अन्तर्गत सुरक्षा कैबिनेट समिति (जलवायु परिवर्तन अनुकूलन) व राष्ट्रीय क्राइसिस प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) आपदा प्रबंधन के संबंध में निर्णय लेने के उच्चतम स्तर पर गठित प्रमुख समितियां हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एकीकृत तथा समग्र आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय, राज्य, जिला व स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचना स्थापित करने की आवश्यकता को बल देता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है, वहीँ क्षेत्रीय स्तर की आपदा प्रबंधन योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य तथा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रभाग के स्तर पर गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee) द्वारा वित्तीय एवं अन्य सहयोग प्राप्त होता है जबकि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर पर गठित राज्य कार्यकारी समिति (State Executive Committee) द्वारा आपदा प्रबंधन सम्बंधित समस्त कार्यो एवं गतिविधियों के सम्पादन हेतु आवश्यक वित्तीय तथा नीतिगत सहयोग प्राप्त होता है।

राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर क्षमताओं के विकास, सुदृढ़ीकरण, शोध व नवाचार हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित किया गया है, इसी प्रकार से राज्यों में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जा सकती है ताकि आपदाओं से कुशलतापूर्वक निपटने एवं समुचित प्रबंधन करने के लिए विभागों, रिस्पांस एजेंसियों, संस्थानों, अन्य हितभागियों एवं समुदाय की क्षमताओं का विकास किया जा सके। नगरीय स्तर पर, नगर प्रशासन के विभाग/प्रशाखाएं तथा विभिन्न आपदा सहाय्य विभाग/एजेंसियां जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन, निर्देशन व अंतर विभागीय समन्वय में कार्य करती हैं।

विकास योजनाओं को आपदारोधी बनाने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण की सोच का समावेश सभी सरकारी, गैर सरकारी संगठनों, नागर समाज व समुदाय की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत सम्बंधित विभागों के कार्यों एवं दायित्व को सन्निहित करते हुए एकीकृत आपदा प्रबंधन योजना का विकास किया गया है।

5.2 नगर निगम में आपदा प्रबंधन की संरचना

भारतीय संविधान के 74वीं संशोधन के अनुरूप 'स्थानीय स्वशासन' के लिये शहरी स्थानीय निकाय के उद्देश्य से **''बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007''** को मुर्त रूप दिया गया है। बिहार में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 में सुरक्षित शहर की कल्पना की गई है, अतः नगरीय स्तर पर ''फस्ट रिस्पॉडर मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से नगर निगम की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम होगें, खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक पूर्व–चेतावनी, सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में ये प्रमुख भूमिका का निर्वहन करेगें।

5.3 बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार गठित समितियां

उपरोक्त अधिनियम के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार निम्न समितियाँ क्रियाशील होगीं। इसके सदस्य वाडों के चुने हुए पार्षद होंगे। इन समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में नगर निगम अपने कृत्यों का संपादन करेगी।

नगर निगम की समितियाँ (चित्र संख्या–18)

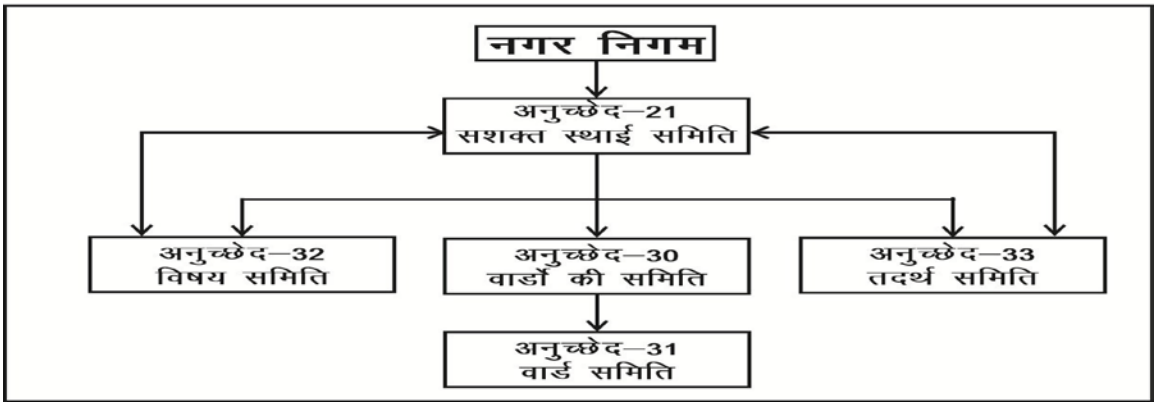

वार्ड समूह की सभी समितियां सशक्त स्थाई समिति के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन, वार्डो के समूह की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत परिसरों के संभरण, पाईपों एवं जल निकासी एवं मल निकासी संयोजनों, वर्षा के कारण या अन्यथा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर जमा जल का निकासी, ठोस अपशिष्टों के संग्रह और हटायें जाने विसंक्रमण के उपबंध स्वास्थ्य परीक्षण सेवाओं तथा गंदी बस्ती सेवाओं के उपबंध रोशनी की व्यवस्था कोटि 4 एवं कोटि 5 की सड़कों की मरम्मति पार्को नालियों और गलियों का रख रखाव का कार्य सशक्त समिति द्वारा समय–समय पर अवधारित विनियमावली के अनुरूप करेगी।

वार्ड समूह की सभी समितिया सशक्त स्थाई समिति के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन, वार्डो के समूह की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत परिसरों के समरण, पाईपों एवं जल निकासी एवं मल निकासी संयोजनों वर्षा के कारण या अन्यथा सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर जमा जल का निकासी ठोस अपशिष्टों के संग्रह और हटायें जाने, विसंक्रमण के उपबंध स्वास्थ्य परीक्षण सेवाओं तथा गंदी बस्ती सेवाओं के उपबंध, रोशनी की व्यवस्था, कोटि 4 एवं कोटि 5 की सड़कों की मरम्मति, पार्कों, नालियों और गलियों का रख रखाव का कार्य सशक्त समिति द्वारा समय–समय पर अवधारित विनियमावली के अनुरूप करेगी।

नगर निगम के पदाधिकारियों की भूमिका (चित्र संख्या–19)

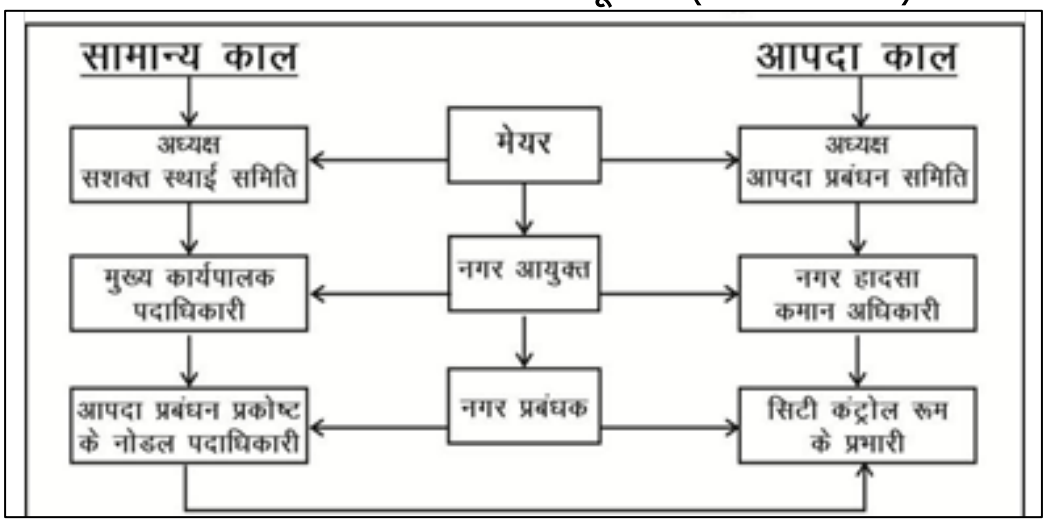

5.4 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुच्छेद 32 एवं 41 के आलोक में नगर निगम बिहार शरीफ, आपदा प्रबंधन से जुड़े अपने विभिन्न दायित्वों एवं कृत्यों का बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 का अनुच्छेद 47 (5) क तथा 361 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में संस्थागत स्वरूप में निर्वहन करेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 32 के अनुसार भी प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार (नगर निगम) की अपने क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना है। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक 1388 दि. 24.07.2004/1004 दि. 08.07.2005, 2016 दि. 14.08.2006 एवं 3883 दि. 11.12. 2007 के आलोक में गठित जिला, नगर निगम तथा वार्ड स्तर पर गठित बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति का दायित्व निर्धारित किया गया है।

5.5 सप्रति नगर निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों के स्वीकृत पद

सप्रति नगर निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों के स्वीकृत पद के अनुसार संस्थागत स्वरूप निम्नवत है–

बिहार शरीफ नगर निगम का संगठनात्मक ढांचा (चित्र संख्या–20)

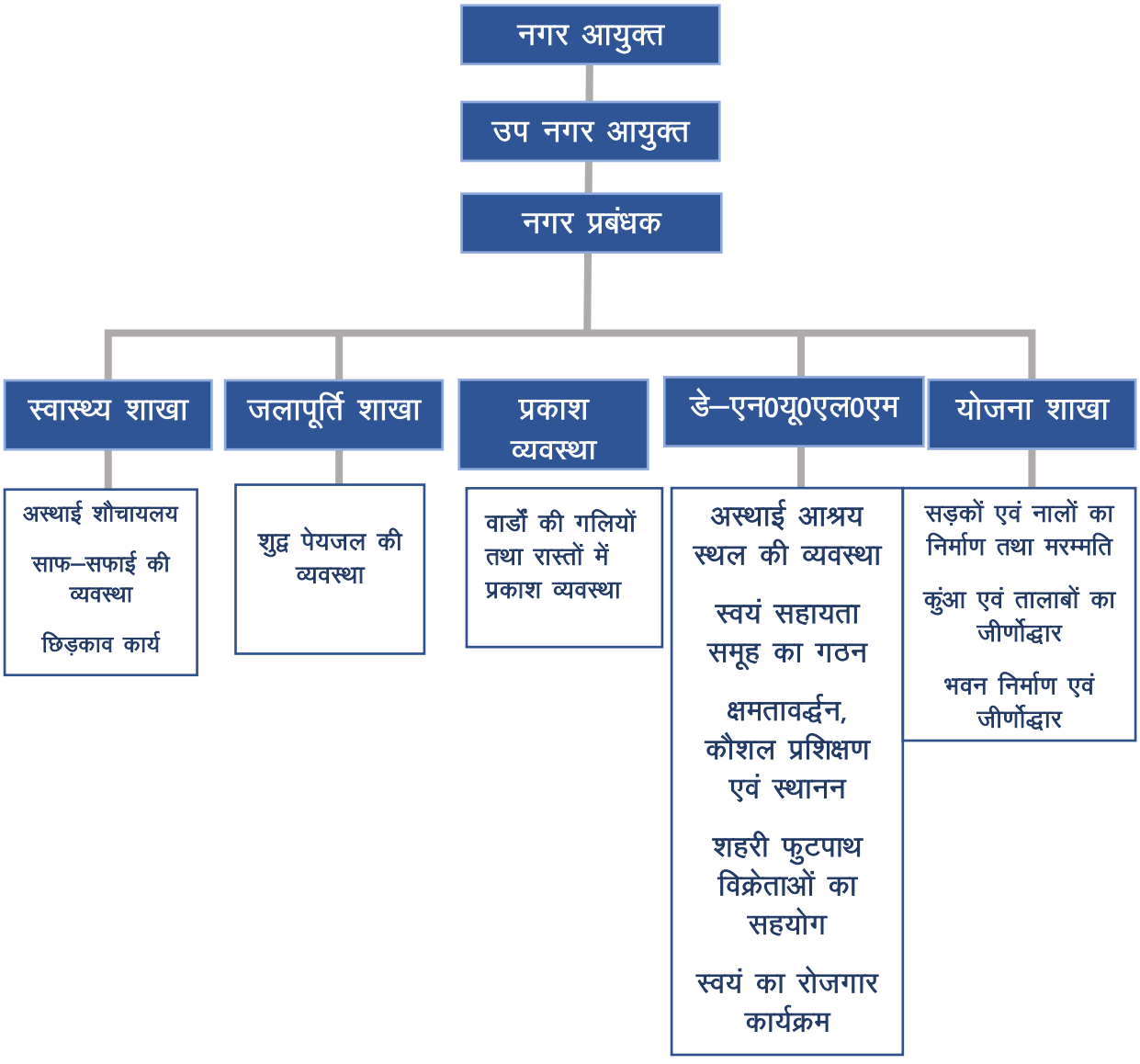

नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता मेयर करेंगे। अनुच्छेद 21 के अनुसार सशक्त स्थायी समिति में मेयर, उप–मेयर तथा सात अन्य वार्ड पार्षद होगें। अनुच्छेद–22 के अनुसार नगर निगम के सभी कार्यकारी शक्ति सशक्त स्थायी समिति में निहित होगे जो नगर निगम के लिए उत्तरदायी होगा।

5.6 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) में किए गए प्रावधान के आलोक आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा दिनांक 30.06.2008 को निर्गत राज्यादेश से बिहार के सभी जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है–

जिलाधिकारी	पदेन अध्यक्ष
जिला परिषद् के अध्यक्ष	सह अध्यक्ष
पुलिस अधीक्षक	सदस्य
उप–विकास आयुक्त	सदस्य
असैनिक शल्य चिकित्सक	सदस्य
अपर समाहर्ता, आपदा प्रबंधन	प्रभारी पदा0/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला में वरीयतम अभियंता	सदस्य

5.7 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना 16.11.2007 को गठित की गई हैं जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त एक माननीय उपाध्यक्ष तथा 02 माननीय सदस्य सम्प्रति कार्यरत हैं। इसका मुख्यालय पटेल भवन, बेली रोड, पटना में अवस्थित है। प्राधिकरण के स्तर से आपदाओं के न्यूनीकरण, प्रबंधन, मानक संचालन प्रक्रिया, आपदा प्रबंधन योजना, विभागों/हितभागियों का क्षमतावर्द्धन, अध्ययन/शोध, अन्तर–विभागीय समन्वय जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशाला का आयोजन करती है। प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से विकास योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्यधारा में लाने की दिशा में भी कार्य किया जाता है तथा इस संबंध संबंधित विभागों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जाती है। प्राधिकरण के स्तर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में नवाचार संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का संचालन किया जाता है।

5.8 आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार राज्य में आपदाओं के समुचित प्रबंधन, पूर्व–तैयारी, आपातकालीन प्रबंधन, रिस्पांस, राहत कार्यों का संचालन, राहत/आनुग्रहिक राहत वितरण, वित्तीय प्रबंधन, पुर्नवास, पुर्ननिर्माण, क्षमता निर्माण जैसे कार्यों हेतु नोडल विभाग है। विभाग द्वारा आपदाओं के रोकथाम, न्यूनीकरण, नीति निर्माण, मानक संचालन प्रक्रिया आदि का क्रियान्वयन करने के साथ–साथ आपदा प्रबंधन से संबंधित कानून का अनुपालन जिलों में कार्यरत जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्रों व अन्य संबंधित आपात् सहाय्य विभागों के समन्वय से करती है। विभाग राज्य आपदा मोचन कोष (एस0डी0आर0एफ0) एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस0डी0एम0एफ0) के व्यय एवं प्रबंधन हेतु नोडल विभाग है। राज्य सरकार के द्वारा विकास प्रबंधन संस्थान, पटना में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की गई है।

5.9 राज्य कार्यकारिणी समिति, बिहार

इसकी राष्ट्रीय योजना एवं राज्य योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी हैं। यह राज्य में आपदा के प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी निकाय के रूप में कार्य करती है। इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव, बिहार सरकार होते है। राज्य कार्यकारिणी समिति आपदा प्रबंधन संबंधी व्यय, आकस्मिक प्रबंधन हेतु व्यय, नीतियों व योजनाओं का सम्यक विचारोपरांत निर्णयों के अनुमोदन हेतु अनुशंसा करती है।

5.10 बिहार राज्य डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क (BSDRN)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने– आपदा प्रबंधन के लिए वृहद व उपयोगी 'डेटाबेस' तैयार किया है। यह रिसोर्स नेटवर्क वेब आधारित है, जो सरकार के पदाधिकारियों, रिस्पांस एजेंसियों तथा आपदा प्रबंधको के लिए उपलब्ध है। इस क्षेत्र में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने खोज एवं बचाव उपकरण, कुशल मानव संसाधन, परिवहन, खाद्य एवं जलश्रोत, सुरक्षा एवं आश्रय तथा आपातकालीन आपूर्ति एवं सेवाएं जैसे छः वर्गों में सूचनाएं उपलब्ध करायी है। इस पोर्टल पर लगभग 8000 उपलब्ध संसाधन की जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर मोबाईल एप्प के जरिये से सचेत रहने हेतु जन संदेश (Mass Messaging) पहुँचाने के लिए व्यवस्था की है। इसमें जिलाधिकारी (38) उप समाहर्ता (38) बी.डी.ओ. (534) अंचलाधिकारी (534) फोकल शिक्षक (1542) नाव–नाविक मालिक (3820), पंचायत जन प्रतिनिधि (चयनित 207429 गैर चयनित 435699). जीविका दीदी (148890), आशा कार्यकर्ता (77542) आंगनबाड़ी सेविका (45946) अन्य प्रशिक्षित अभियंता एवं राजमिस्त्री आदि जुड़े है। अब तक इस जन संदेश का उपयोग पूर्व चेतावनी, आपदा की तैयारी, न्यूनीकरण, जागरूकता, बचाव, क्या करें, क्या न करें के विषयों पर किया गया है। इस वेब पोर्टल का प्रबंधन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के द्वारा किया जाता है।

5.11 जिला सड़क सुरक्षा समिति, नालन्दा

जिला में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा समिति का गठन सन् 2019 में कर लिया गया है। इस समिति के पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं तथा जिला परिवहन पदाधिकारी सचिव के रूप में पदेन हैं। सदस्यों में नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, असैनिक शल्य चिकित्सक, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग आदि को सदस्य के रूप मे नामित किया गया है। समिति सड़क सुरक्षा संबंधित कार्यों की समीक्षा, निर्देश, अध्ययन तथा समय–समय पर सड़क दुर्घटनाओं के न्यूनीकरण हेतु संबंधित विभागो को आदेश जारी करती है।

5.12 मोटरवाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण (यथा संशोधित नियमावली 2021)

बिहार उन अग्रणी राज्यों में है जिसने सड़क दुर्घटना में मृतकों या गंभीर रूप से घायलों को त्वरित क्षतिपूर्ति/सहायता राशि प्रदान करने के उद्देश्य से मोटरवाहन अधिनियम में संशोधन करते हुए राज्य स्तरीय न्यायाधिकरण गठित किया है। मोटरवाहन अधिनियम 1988 के अंतगर्त बिहार मोटर गाड़ी (संशोधन 1) नियमावली 2021 का बिहार गजट में प्रकाशन किया गया है तथा वाहन जनित दुर्घटनाओं से उद्भूत मुआवजा वाद राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण में ही दायर किया जा सकेगा। उन मुआवजा वादों का निष्पादन उपर्युक्त नियमावली के विहित प्रावधानों के अंतगर्त किया जा सकेगा। इस हेतु नियमावली में नियम 28 अंतःस्थापित किया गया है। इस प्रावधान के लागू होने से संबंधित व्यक्तियों को अनावश्यक भाग–दौड़ से बचाया जा सकेगा।

5.13 जिला परिषद

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर जिला परिषद् के साथ नगर निगम है। विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। नगर निगम को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने नगरीय योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

5.14 नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)

बिहार शरीफ में सिविल डिफेन्स (नागरिक सुरक्षा) की इकाई अन्य जिले की तरह सक्रिय नही हैं जिसे सक्रिय करने की पहल आवश्यक हैं जिससे बाढ़ सहायता, पितृपक्ष/पिण्डदान, दुर्गापूजा, छठ आदि में भीड़ नियंत्रण तथा कोरोना काल में काम लिया जा सके व आपदाओं के दौरान बचाव एवं राहत प्रदान करने तथा आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए नागरिक सुरक्षा इकाईयों का उपयोग किया जा सके।

5.15 राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF)

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के दिये गये प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। बिहार प्रांत के आपदा प्रवण स्थिति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक इकाई का (बटालियन सं. 9) पटना जिले के बिहटा में अवस्थित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल देश–विदेश में आपदा प्रत्युत्तर एवं आपातकालीन प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित एवं विशेषज्ञ दल है। आपदा प्रत्युत्तर में विश्व स्तर पर यह दल तीसरा सर्वोत्तम बल है। शान्तिकाल में इस दल के द्वारा आपदाओं से बचाव, आपदाओं के न्यूनीकरण, बचाव विधियों पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों, कर्मियों, युवा स्वयंसेवकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों अन्य को प्रशिक्षित किया जाता है।

5.16 राज्य आपदा मोचन बल (SDRF), बिहार

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के तर्ज पर बिहार राज्य में मार्च 2010 में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा राज्य आपदा मोचन बल का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बिहटा में अवस्थित है। राज्य आपदा मोचन बल भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तरह विशेषज्ञ रिस्पांस बल है तथा सभी प्रकार की स्थानीय आपदाओं में आपदा प्रत्युत्तर व आपातकालीन प्रबंधन करने हेतु जिम्मेवार है।

5.17 शिक्षा विभाग (मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम), बिहार

शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यालय के माध्यम से समुदाय तक आपदा सुरक्षा एवं न्यूनीकरण हेतु मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। इस योजना के प्रभावी संचालन हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, जिला शिक्षा परियोजना परिषद, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), जिला शिक्षा पदाधिकारी, स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति का सहयोग लिया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर मास्टर ट्रेनर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। मास्टर ट्रेनर शिक्षकों के द्वारा विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है तथा विद्यालयों में आपदाओं से बचाव हेतु विभिन्न शिक्षण गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

5.18 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, नालन्दा

आपदा संचालन केन्द्र, जिला मुख्यालय में अवस्थित है। यह सभी साथी/सहयोगी एजेन्सियों के साथ आपदा प्रबंधन के कार्यों का समन्वय करता है। वर्तमान में जिला आपदा संचालन केन्द्र में सिर्फ एक लैण्डलाईन फोन तथा इन्टरनेट युक्त कम्प्युटर स्थापित है। साथ ही नगर निगम कार्यालय में इस कार्य हेतु सिर्फ एक टेलीफोन उपलब्ध है। नगर निगम के आपात्कालीन संचालन केन्द्र में संचार सुविधाएँ उपलब्ध होगी। बिहार शरीफ एक बहु आपदा प्रवण नगर है अतः यहाँ भी एक स्वतंत्र नगर आपदा संचालन केन्द्र स्थापित किया जायेगा। इससे संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की कंडिका 36 (1) एवं 36 (1) के आलोक में 24X7 कार्य करने वाला एक आंतरिक आपातकालीन संचालन केन्द्र स्थापित किया जाएगा। यह केन्द्र पूर्व चेतावनी, सुझाव–सलाह का संभावित प्रभावितों के बीच प्रसारण, आपदा के दौरान मकान, पुल–पुलिया, पेड़–पौधो के ध्वस्त हो जाने पर इनके मलबों की सफाई इत्यादि कार्यो को सुचारू रूप से करने हेतु संबधित विभागों व रिस्पांस एजेंसियों को सहयोग प्रदान करेगी।

5.19 बहु–एजेंसी समन्वय प्रक्रिया तथा जिम्मेदारी

जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में प्रस्तावित अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यों में नगर निगम प्रशासन विभिन्न विभागों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करेगा। सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं को उनके उद्देश्यों एवं लक्ष्यों में सुरक्षित शहर, सुरक्षित जीविका, सुरक्षित सार्वजनिक अंतःसंरचना तथा सेवाओं का समावेश करते हुये समन्वय के साथ कार्य करेगी। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 45 में नगर निगम के मुख्य (कोर) कार्य क्षेत्र की चर्चा की गयी है। जिसमें कहा गया है कि निगम अपने दायित्वों को निभाने के क्रम में अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय के लिए सशक्त स्थाई समिति द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगी ।

1. घरेलू व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था ।
2. ड्रेनेज तथा सीवरेज।
3. ठोस कचरा प्रबंधन ।
4. विकास एवं सामाजिक न्याय (शहरी गरीबों हेतु स्लम सुधार तथा आधारभूत सुविधा)
5. संचार व्यवस्था निर्माण, संधारण, सड़क, फुटपाथ पैदल रास्ते परिवहन टर्मिनल, पुल आदि।

निम्न कार्य भी स्वयं अथवा इसे बढ़ावा देने का प्रयत्न करेगी :

नगर निगम के कार्यों का वर्गीकरणः (टेबल संख्या–19)

क्र.स.	कार्यों के नाम	किये जाने वाले कार्य
1	आपातकालीन कार्य	आग लगने पर मलवा निपटान, बाढ़/जलजमाव के रोकथाम हेतु कार्य
2	जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा	पानी की व्यवस्था, बरसात एवं अन्य समयों पर दवा छिड़काव।
3	सार्वजनिक सुविधा	सड़क की सफाई, कचरा उठाने की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय।
4	प्रशासनिक कार्य	जन्म मृत्यु पंजीयन आदि ।
5	पर्यावरण सुरक्षा	हरियाली योजना, पार्क, संस्थाओं में वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन।
6	शिक्षा सम्बंधित	लोक महत्त्व के विषयों का प्रचार–प्रसार (विज्ञापन, होडिंग आदि)।
7	विविध कार्य	जमीन एवं मकान का सर्वेक्षण एवं नक्शा, जनगणना की व्यवस्था।
8	विकास से संबंधित	सड़क बनाना, नालियां खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश एवं वाहन ठहराव।

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अध्याय–39 के अनुच्छेद–361 आपदा प्रबंधन विषय पर विशेष रूप से चर्चा की हैं। इसमें कहा गया है कि में नगर निगम द्वारा प्राकृतिक अथवा

मानवजनित आपदाओं में राज्य अथवा अन्य प्राधिकारियों के साथ सहभागी बनकर परिस्थितियों से निपटने का प्रयास करेगी इस परिस्थिति में निगम मौसम विज्ञान केन्द्र से भी मदद लेगी। साथ ही नगर निगम आपदा से संबंधित विभिन्न आयामों का डाटा संभावित प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करेगी। आपदा प्रबंधन के मद्देनजर नगर निगम का यह कर्तव्य होगा कि वह आपातकालीन कार्य का संचालन तथा लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। संभावित भूकंप को ध्यान में रखकर उन सभी शहरी विकास के कामों में उपयुक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करायेगी।

5.20 जिला आपदा प्रबंधन योजना, नालन्दा से इस योजना का संयोजन

आपदा प्रबंधन अधिनिमय 2005 के प्रावधनों के अंतर्गत तीन स्तर यथा राज्य, जिला तथा नगर आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का प्रावधान है राज्य योजना जहाँ नीतिगत दस्तावेज है वहीं जिला और नगर स्तर आपदा प्रबंधन योजना क्रियान्वयन योग्य है, अतः इस योजना को तैयार करते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया है कि नगर एवं जिला योजना में तालमेल बना रहे। इस हेतु इस योजना में भी बहुआपदा, खतरा एवं संवेदनशीलता का ध्यान रखा गया है। इस बात की विस्तृत चर्चा की गई है कि किस प्रकार नगर निगम, जिला प्रशासन एवं अन्य हितधारी तालमेल के साथ ऐसी परिस्थियों से निपटेगें। दोनों ही नगर एवं जिला योजना में मानव संसाधन एवं मशीनरी संसाधन का जिक्र किया गया है ताकि आपदा के समय एक दूसरे से सहयोग लिया जा सके।

5.21 नगर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति (टेबल संख्या–20)

क्र0स0	प्रतिनिधि/पदाधिकारी	पद
1	महापौर, नगर निगम, बिहार शरीफ	अध्यक्ष
2	नगर आयुक्त	सदस्य सचिव
3	प्रत्येक वार्ड के वार्ड पार्षद	सदस्य
4	विगत चुनाव में महापौर के पद हेतु हारे निकटतम उम्मीदवार	सदस्य
5	सभी राजनीतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य

5.22 वार्ड राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति

क्र0स0	प्रतिनिधि/पदाधिकारी	पद
1	वार्ड पार्षद	अध्यक्ष
2	संबंधित वार्ड के तहसीलदार	सदस्य सचिव
3	विगत चुनाव में वार्ड पार्षद के पद हेतु हारे निकटतम उम्मीदवार	सदस्य
4	सभी राजनीतिक दलों के एक–एक प्रतिनिधि	सदस्य
5	स्थानीय विधायक के द्वारा वार्ड हेतु नामित प्रतिनिधि	सदस्य

समिति के कार्य एवं दायित्व

- सभी प्रकार के राहत सामग्री का वार्ड आयुक्त, विगत चुनाव में वार्ड आयुक्त के पद हेतु हारे हुए निकटम प्रतिद्वन्दी सदस्य, स्थानीय विधायक के वार्ड प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों के एक–एक सदस्य की उपस्थिति एवं देख–रेख में वार्ड में वितरण किया जायेगा।
- वितरण की जाने वाली सभी प्रकार की राहत सामग्रियों का अनुमान्य राहत (मानदर) की सूचना आम लोगों को देते हुए वार्ड के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- सभी बाढ़ राहत कार्यो तथा राहत सामग्रियों के वितरण में पर्यवेक्षण एवं परामर्श, वार्ड स्तर राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति द्वारा किया जायेगा।

अध्याय–6

आपदाओं के विभिन्न चरणों में विभागों एवं रिस्पांस एजेंसियों की भूमिका

6.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर व राहत कार्यों हेतु किए गए प्रावधान

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार प्रत्येक एजेंसी को अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये यह विशेष ध्यान रखना है कि उनके द्वारा किये जा रहे कार्य से आपदा जोखिम का शमनीकरण एवं न्यूनीकरण हो। इसमें वृद्धि कदापि न हो। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एजेंसी/हितधारक द्वारा अपने स्तर पर एक ठोस आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण किया जाना है जिसमें उनके कार्य क्षेत्र में खतरा जोखिम एवं संवेदनशीलता की स्पष्ट पहचान की जा सके। तदनुसार उनकी अपनी क्षमता में यथा संभव वृद्धि करते हुये अन्य सहयोगी संस्थाओं से आपातकालीन सहायता हासिल करने व समन्वय के साथ मिल–जुल कर प्रत्युत्तर, पुनर्वास तथा पुर्नर्स्थापन के कार्य किये जा सके। सभी एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पूर्व तैयारी के कार्य अवश्य किया जाना चाहिये।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का अनुच्छेद 2 (ड) तैयारी से किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तैयार रहने की स्थिति से अभिप्रेत है,

अनुच्छेद 32 क (ii) जिला प्राधिकरण की देखरेख में स्थानीय प्राधिकरण आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगें जिसमें जिला योजना के अधिकथित क्षमता निर्माण तथा तैयारी से संबंधित उपायों को करने का उपबंध उपवर्णित होगा।

अनुच्छेद 41 (2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें वह आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 में जो सुझाव दिया गया है तद्नुसार विभिन्न एजेसियों तथा हितधारकों द्वारा मुख्य रूप से निम्न पूर्व तैयारियाँ की जायेंगी–

(1) नगर निगम स्तर पर आपदा प्रबंधन मुद्दों से निपटने के लिए विशिष्ट संस्थागत ढांचा यथा नियंत्रण कक्ष एवं आपातकालीन संचालन केन्द्र की स्थापना की जायेगी। (अनुच्छेद 329)

(2) सभी वार्डो में समुदाय तथा अन्य हितधारकों के बीच खतरों की पहचान करने तथा आपदा जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाये जायेंगे।

(3) आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों (यंत्र, संयंत्र, सुरक्षा फिट तथा भारी मशीन) का इस प्रकार अनुरक्षण किया जायेगा जिससे कि आपदा के समय आकस्मिक उपयोग के लिए सदैव उपलब्ध रहें।

(4) समय–समय पर प्रशिक्षित कर्मियों, समुदाय तथा भौतिक संसाधनों के साथ छद्म अभ्यास (मॉकड्रिल) आयोजित कर प्रत्युत्तर की तैयारियों का जायजा लिया जायेगा तथा त्रुटियों (यदि हो) को दूर किया जायेगा।

(5) सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ त्वरित संपर्क एवं पूर्ण समन्वय की सभी प्रक्रियायें (प्रोटोकॉल के अनुसार) पूरी करके रखी जायेंगी।

(6) समुदाय स्तर पर क्रियाशील स्वयं सेवी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा समुदाय के साथ मिलजुल कर वार्ड/मुहल्ला/गली स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने/इस पर चर्चा आयोजित करने/जागरूक करने/संवेदीकरण तथा स्वतः प्रत्युत्तर प्रारंभ करने के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित किया जायेगा।

6.2 पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर एवं राहत कार्य के चरण में विभागों व एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले कार्य (टेबल संख्या –21)

6.2.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालंदा	
पूर्व तैयारी	• आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र रूटप्लान सहित तैयार करना। मानचित्र पर संवेदनशील स्थलों को अंकित करना। • संवेदनशील व जर्जर स्थानों/संरचनाओं को चिन्हित करना एवं जिला प्रशासन व संबंधित विभाग को विवरण उपलब्ध कराना। • शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई के सुरक्षित व मूलभूत सुविधाओं से युक्त भवनों को चिन्हित करना। शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई के प्रभारी की सूची सम्पर्क विवरण सहित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना। • आवश्यक सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करना। • सूचनाओं के प्रभावी आदान–प्रदान हेतु संचार योजना का निर्माण करना तथा अंचल स्तर पर रिर्पोटिंग आदि कार्यों हेतु **बाढ़ नियंत्रण कक्ष** की स्थापना करना तथा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • सभी संबंधित हितभागियों का प्रशिक्षण कराना। • जिला स्तर पर आपातकालीन प्रबंधन हेतु नियंत्रण कक्ष/जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का 24X7 संचालन करना। • सभी सरकारी व निजी संसाधनों व उपकरणों की पहचान करना एवं मरम्मति का कार्य करना। सभी उपकरणों का अपडेशन आई0डी0आर0एन0 एवं बी0एस0डी0आर0एन0 पोर्टल पर करना। • रिस्पांस एजेंसियों को किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में तैयार रहने के लिये प्रेरित करना, बेहतर तैयारी के लिए नियमित मॉकड्रिल व प्रशिक्षण आयोजित करना। • बंद एवं खराब हैण्डपम्प एवं शौचालय की सूची बनाना तथा मरम्मति सुनिष्चित करना। • मानव दवा, पशु दवा, पशु चारा आदि की उपलब्धता संबंधित विभाग के माध्यम से सुनिष्चित करना। • प्रभावी अनुश्रवण हेतु सुपर जोन, जोन, उप जोन बनाना तथा पर्यवेक्षीय पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • समय–समय पर तैयारियों की जांच हेतु मॉकड्रिल अभ्यास करना। • प्रत्येक स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना।
प्रत्युत्तर	• आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पूर्व चेतावनी प्रदान करना तथा लोगों को शरणस्थलों पर शरण लेने के लिए अपील करना। • बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत–बचाव प्रारम्भ करना। स्थानीय पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • स्थिति व आवश्यकता का आंकलन कर सामुदायिक रसोई का संचालन करना। शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई पर चिकित्सा शिविर लगाने हेतु संबंधित विभाग से समन्वय करना। • स्वच्छ पेयजल, ओ0आर0एस0 पैकेट तथा हैलोजन टैबलेट की व्यवस्था कराना।

	• बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में नावों का संचालन करने व प्रभावितों के सुरक्षित निष्क्रमण हेतु नाविकों व गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित घाटों व चिन्हित स्थलों पर करना। • पशु चिकित्सा शिविर व पशु चारा आदि के वितरण हेतु संबंधित विभाग से आवश्यक समन्वय करना। • सहाय्य कार्य की रिर्पोटिंग ससमय जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना। इस हेतु आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • विभिन्न आपदाओं के प्रति खतरनाक स्थलों की बैरिकेटिंग कराना तथा खतरे का संकेत लगाना।
राहत कार्य	• शरण स्थलों व सामुदायिक रसोई का प्रभावी संचालन करना।प्रभावित परिवारों को मूलभुत सुविधाएं उपलब्ध कराना। • क्षति आंकलन की कार्रवाई करना। • राज्य सरकार के नियमानुसार प्रभावित परिवारों व मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान सहायता उपलब्ध कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में महामारी प्रबंधन हेतु आवश्यक उपाय करना।
पुनर्निर्माण	• आपदाओं से विस्थापित हुए परिवारों के पुर्नवास हेतु राज्य सरकार के नियमों में आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना। • नये प्रस्तावित संरचनाओं, भवनों के निर्माण को स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली आपदाओं के प्रति सुरक्षित व पहले से बेहतर बनाने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक निदेश प्रदान करना।
6.2.2 नगर निगम, बिहार शरीफ	
पूर्व तैयारी	• स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली आपदाओं के प्रभावों के दृष्टिगत खतरा, जोखिम, नाजुकता, क्षमता आंकलन करना एवं आपदावार संवेदनशील क्षेत्रों का मानचित्र व रूटमैप तैयार कर आवश्यक रणनीति व कार्ययोजना बनाना। • बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 में बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्र को रेजिलिएन्ट नगर के रूप में विकसित करने हेतु किए गए प्रावधानों को लागू करना। • सामान्य नागरिक सुविधाओं जैसे कूड़ा–कचरा का उठाव/प्रबंधन, पेयजल आपूर्ति, पोर्टेबल शौचालय, जल प्याऊ, स्वीपिंग मशीन, नालों की साफ–सफाई/उडाही, सड़कों की मरम्मति आदि सुनिश्चित करना। • राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005 एवं बिहार बिल्डिंग बॉयलॉज के अनुसार भवन के नक्शों को पास करना तथा दुकानों/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/विद्यालयों/ अस्पतालों/भवनो/औद्योगिक ईकाइयों आदि को निर्धारित मानक पूर्ण करने व अगलगी निरोधक उपाय सुनिश्चित करने के पश्चात् ही ट्रेड लाइसेंस/अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना। • नगर एवं वार्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करना। • आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति समझ बनाना तथा स्थानीय हितभागियों को प्रशिक्षित करना। • स्थानीय योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी प्रावधानों को लागू करना। • जल संकट के प्रति संवेदनशील वार्डों/क्षेत्रों की पहचान करना। • रैन बसेरा में निराश्रितों/निर्धन वर्ग के आवासन की व्यवस्था मूलभूत सुविधाओं यथा शौचालय, पेयजल, साफ–सफाई सहित सुनिश्चित करना। • राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अर्न्तगत कार्यरत मानव बल के सहयोग से लू/हीट वेव/अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता का प्रसार करना।

	● शहरी क्षेत्र में संचालित स्वयं सहायता समूह को भी इस संबंध में संवेदनशील बनाया जाना तथा लू/हीट बचाव से संबंधित पम्पलेट व पोस्टर भी वितरित/चस्पा किया जा ना। ● भीषण गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जल प्याऊ की व्यवस्था करना। जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों में जल टैंकर से अतिरिक्त जलापूर्ति करना। ● नियमित रूप से मौसम संबंधी सूचनाए/चेतावनी आदि का प्रसार करना। ● जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा के सहयोग से न्यूनीकरण योजनाओं को क्रियान्वित करना। ● जल जीवन हरियाली, जल संरक्षण, वायु प्रदुषण रोकथाम, ट्रैफिक प्रबंधन आदि कार्यो को प्राथमिकता प्रदान करते हुए लागू करना। ● स्थानीय युवा स्वयंसेवकों, गोताखोरों, नाविकों, स्वयंसेवी संगठनों का क्षमतावर्द्धन जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा के सहयोग से करना।
प्रत्युत्तर	●इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल रूम/कंट्रोल रूम का संचालन 24x7 करना। आपात् प्रबंधन हेतु रिस्पांस एजेंसियों व विभागों से समन्वय स्थापित करना। ● आपदा की स्थिति में त्वरित रिस्पांस करना तथा बचाव एजेंसियों को आवश्यक सहयोग प्रदान तथा संसाधन उपलब्ध कराना। ●घटना स्थल से मलबा व कूड़ा–कचरा का निपटान करना। ●शरण स्थलों व सामुदायिक रसोई में पेयजल, शौचालय, जलापूर्ति आदि मुहैया कराना। ● मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम व मृतकों के अंत्येष्टि में सहयोग करना।। ●मृत पशुओं का समुचित निस्तारण कराना। ●जिलाधिकारी–सह–इंसीडेंट कमांडर, नालन्दा द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप रिस्पांस, राहत व अन्य कार्यों को सम्पादित करना।
राहत कार्य	●प्रभावित व्यक्तियों को जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा के सहयोग से राहत एवं अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराना। ●महामारी प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्रवाइ करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों व एन्टी लार्वा का छिड़काव कराना।
पुनर्निर्माण	भूकम्परोधी भवनों का निर्माण सुनिश्चत करना।
6.2.3 पुलिस विभाग, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	●डायल 112 सेवा के माध्यम से आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना। ● आपदा प्रभावित क्षेत्रों हेतु विशेष विधि व्यवस्था कार्ययोजना बनाना। ●प्रभावित क्षेत्रों में अराजक तत्वों द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याए उत्पन्न की जाती हैं, ऐसे तत्वों को चिन्हित कर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना। ●रूटप्लान बनाना तथा पेट्रोलिंग कर रिस्पांस योजना में आवश्यक संशोधन करना। ● विभिन्न रिस्पांस एजेंसियों के द्वारा आयोजित की जाने वाले मॉकड्रिल व प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। ●समय–समय पर खोज/बचाव, सुरक्षित निष्कासन व प्राथमिक उपचार से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित करना।
प्रत्युत्तर	● प्रथम प्रत्युत्तरदाता के रूप में घटना स्थल पर पहुँचना तथा संबंधित रिस्पांस एजेंसियों से समन्वय करना। ● घटना स्थल पर भीड़ प्रबंधन करना एवं विधि व्यवस्था बनाए रखना। ● घटना के संबंध में तथ्यों की जांच करना तथा उच्चाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराना। ● थाना में यू0डी0/एफ0आई0आर0 केस दर्ज करना तथा विस्तृत जांच करना।

राहत कार्य	अनुग्रह अनुदान व राहत सहायता से संबंधित आवश्यक प्रपत्र व जांच प्रपत्र जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा व संबंधित अंचल अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
6.2.4 भवन निर्माण कार्य प्रमण्डल, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सम्मिलित भवनों की भूकम्प, अगलगी, वज्रपात सहित अन्य स्थानीय आपदाओं के दृष्टिकोण से सुरक्षा ऑडिट करना। • जर्जर भवनों को चिन्हित कर सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर रेट्रोफिटिंग अथवा धवस्त करने की कार्रवाई करना। खतरनाक भवनों पर निष्प्रायोज्य का संकेत लगाना। • नवीन निर्माण होने वाले भवनों को स्थानीय आपदाओं विशेषकर भूकम्प की दृष्टि से सुरक्षित निर्माण करना। • भवन को यदि बड़े पेड़ो से विभिन्न आपदाओं–वज्रपात, आंधी–तूफान, अतिवृष्टि, भूकम्प आदि से क्षति की सम्भावना है तो संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर ऐसे पेड़ों की छटांई की कार्रवाई की जाए। • शहरी क्षेत्र के सभी भवनों की डिजाईन व निर्माण में राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005 एवं बिहार बिल्डिंग बायॅलॉज में भवन सुरक्षा हेतु किए गए प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना। • भवनों के निर्माण में समुचित निकासी मार्ग, विद्युत लोड के अनुसार पैनल, स्मोक डिटेक्टर, अग्निशमन यंत्रों का पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन करना। • अभियंताओं, संवदेकों, राजमिस्त्रियों, निर्माण सामग्री विक्रेताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण पर प्रशिक्षण प्रदान करना। • नालन्दा जिला/बिहार शरीफ वज्रपात की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, प्रत्येक भवन पर तड़ित चालक/लाईटिंग अरेस्टर अधिष्ठापित करना। • भवनों का निर्माण बिहार शरीफ में आपदाओं के प्रभावों के न्यूनीकरण के दृष्टिगत 'पहले से बेहतर' करना।
प्रत्युत्तर	• रिस्पांस एजेंसियों को भवन का मानचित्र तथा निष्कासन मानचित्र बनाना। • संबंधित विभागों, संवेदक व राहत एजेंसियों की सहायता से त्वरित राहत बचाव कार्य करना। • नगर निगम तथा रिस्पांस एजेंसियों को आवश्यक संख्या में उपकरण व मानव संसाधन
पुनर्निर्माण	भवन संरचनाओं को विभिन्न आपदाओं के दृष्टिगत सुरक्षित बनाना।
6.2.5 विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• विद्युतीय संरचनाओ के समीप के वृक्ष की टहनी की कटायी–छॅटायी करना। • जर्जर एवं झुलते तार को बदलना तथा उनका सुदढ़ीकरण करना। • वद्युतीय दुर्घटनाओ से होने वाली क्षति अथवा रोकथाम हेतु सामान्य समय एवं आपदा के समय जनता के सहयोग के लिये जागरूकता अभियान संचालित करना। • आवश्यकतानुसार बिजली तड़ित चालक को स्थापित करना।
प्रत्युत्तर	• वितरण संयत्रो की शीघ्रतम मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति को शीघ्रता से चालू करने की योजना, जिससे महत्वपूर्ण संस्थान यथा अस्पताल, स्कूल, टेलिविजन केन्द्र, जल आपूर्ति, दूरसंचार, प्रशासनिक संस्थान इत्यादि कार्यरत रह सके। • स्तरीय/शक्ति उपकेन्द्रो में 24X7 कार्यरत नियन्त्रण कक्ष का सतर्कता से संचालन।
राहत कार्य	• विद्युत दुर्घटनाओं की स्थिति में प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराना। • आपदा से हुई विद्युत संरचनाओ की क्षति का आकंलन कर बीमा हेतु दावा करना।
पुनर्निर्माण	• विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, विद्युत प्रणालियों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करना। • आवश्यकतानुसार विद्युत उपकेन्द्रों का प्रावधान करना। • विद्युत संरक्षा व सुरक्षा हेतु आवश्यक संख्या में अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था करना।

6.2.6 जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• सुनिश्चित करना कि शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों व सदर अस्पताल में सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाए संचालित हैं। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी सुचारू रूप से उपलब्ध है। • प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के प्रति समुदाय को जागरूक करना। • सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0भी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था है। ए0एन0एम0, आश व आगंनबाड़ी सेविकाओं को भी ओ0आर0एस0 पैकेट, डायरिया बचाव व प्राथमिक रूप से उपयोग में लायी जाने वाली दवाए उपलब्ध करा दी गई हैं, इनके माध्यम से बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने के संबंध में समुदाय स्तर पर जागरूकता का प्रसार किया जा रहा है। • यह सुनिश्चित करना कि लू,,डायरिया, इंफ्लुएंजा, वायरल बुखार, ए.ई.एस. अगलगी आदि आपात् स्थिति में चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु मोबाइल चिकित्सा दल/क्यू.आर.टी गठित है तथा कार्यशील है। • समुदाय स्तर पर जागरूकता बैठकों, पम्पलेट/पोस्टर का वितरण, नुक्कड़ नाटक, सास्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना। • आवश्यक दवाओं व अन्य चिकित्सकीय सामग्री की व्यवस्था सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर सुनिश्चित करना।
प्रत्युत्तर	• पर्व/त्यौहारों के अवसर पर महत्वपूर्ण स्थलों पर मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति करना। • एंबुलेंस सेवा का प्रभावी रूप से संचालन करना। • आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान करना। • प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर लगाना तथा प्रभावितों का उपचार करना व आवश्यक सलाह प्रदान करना। • पर्याप्त संख्या में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। • चिकित्सा दल की प्रतिनियुक्ति प्रभावित क्षेत्रों में करना। • मानव क्षति का विवरण रखना तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करना। संबंधित विभागों व परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराना ताकि नियमानुसार अनुग्रह अनुदान का लाभ आश्रितों को प्राप्त हो सके।
राहत कार्य	• प्रभावित क्षेत्रों में महामारियों के प्रसार का खतरा रहता है, ऐसी स्थिति में अति–संवेदनशील क्षेत्रों में विसंक्रमण व कीटनाशक के छिड़काव की कार्रवाई करना। • शहरी क्षेत्रों में समुचित स्वास्थ्य व पोषण के संबंध में जागरूकता प्रसार करना।
पुनर्निर्माण	क्षति आंकलन कर स्वास्थ्य संरचनाओं व अस्पतालों की मरम्मति करना।
6.2.7 अग्निशामालय, बिहार शरीफ	
पूर्व तैयारी	• अगलगी बचाव/अग्निक कर्मियों के सम्पर्क विवरण से संबंधित पम्पलेट वितरित करना। • विद्यालयों, सामुदायिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण, मॉकड्रिल कार्यक्रम, जागरूकता गतिविधियां–नुक्कड़ नाटक, एल0ई0डी0 शो व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। • सुरक्षा मानकों/राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड/बिहार बिल्डिंग कोड के अनुरूप पाए गए प्रतिष्ठान/संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए प्रतिष्ठान/संस्थान के विरूद्ध प्रषासनिक कार्रवाई करना एवं दण्ड का प्रावधान करना। समय–समय पर संबधित हितभागियों का प्रशिक्षण आयोजित करना। • फायर हाइड्रेन्ट व प्रमुख जलाशयों की सूची तैयार करना।

	• महत्वपूर्ण उपकरणों व संसाधनों की मरम्मति करना तथा उपकरणों की दक्षता व क्रियाशीलता की जांच करना। • संवेदनशील क्षेत्रों व स्लम एरिया की पहचान करना तथा ऐसे क्षेत्रों में फायर टेंडर की प्रतिनियुक्ति करना। • अन्य विभागों व रिस्पांस एजेंसियों के समन्वय में मॉक ड्रिल करना। • रूटमैप बनाना तथा वैकल्पिक मार्गों का भी मानचित्रण करना। • स्वेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सूचना व्यवस्था के लिए स्थानीय महत्वपूर्ण व्यक्तियों का सम्पर्क विवरण रखना। • जन समुदाय को जीवन बीमा व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जनरल /प्रापर्टी के लिए प्रोत्साहित करना।
प्रत्युत्तर	• अग्निशमन विभाग द्वारा अग्निकाण्ड की घटना की सूचना प्राप्त होतें ही 02 मिनट के अन्दर फायर टेंडर घटना स्थल की ओर प्रस्थान करना। • अन्य रिस्पांस एजेंसियों (पुलिस, नगर निगम, एंबुलेंस/चिकित्सा टीम, एस0डी0आर0एफ0 व एन0डी0आर0एफ0)के सहयोग से प्रभावित व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाना।
राहत कार्य	घटना के कारणों की विवेचना करना तथा क्षति आंकलन करना।
6.2.8 पुलिस उपाधीक्षक (ट्रैफिक), बिहार शरीफ	
पूर्व तैयारी	• ट्रैफिक प्रबंधन व नियंत्रण की कार्ययोजना बनाना। • वैकल्पिक मार्गों के बारे में आमजन को जागरूक करना। • एफ0एम0 रेडियों, स्थानीय मीडिया व आई0सी0सी0सी0 के डिजिटल डिस्पले के माध्यम से नागरिकों को ट्रैफिक अपडेट उपलब्ध कराना। • विभिन्न चौक–चौराहों पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों की स्वास्थ्य जांच कराना। • चौक–चौराहों पर प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों हेतु शेड, पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराने हेतु संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करना।
प्रत्युत्तर	• घटना की सूचना की प्राप्ति होने पर ट्रैफिक प्रबंधन करते हुए रिस्पांस एजेंसियों को ग्रीन कॉरिडोर उपलब्ध कराना। • संचार तंत्र को क्रियाशील रखना। रिस्पांस एजेंसियों से समन्वय बनाए रखना।
6.2.9 भारत संचार निगम लिमिटेड, नालन्दा/दूरसंचार सेवा प्रदाता एजेंसियां	
पूर्व तैयारी	• संचार सेवाओं को निर्बाध संचालित करना। • आपदाओं की दृष्टि से दूरसंचार टावरों को कार्यशील रखने हेतु वैकल्पिक ईंधन रूप से अतिरिक्त ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित करना। • आपात्कालीन सेवाओं से संबंधित नम्बरों में दूरसंचार व इंटरनेट सेवाए उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रावधान करना। • एस0एम0एस0 व जिंगल संदेशों से आमजन को आपदाओं से बचाव के संबंध में जागरूक करना।
प्रत्युत्तर	क्षतिग्रस्त टावरों व संरचनाओं की त्वरित मरम्मति कर दूरसंचार व इंटरनेट सेवाओं को बहाल करना।
6.2.10 जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• वाहनों की सुरक्षा जांच करना तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों व नाबालिक चालकों के परिजनों के विरूद्ध नियमानुसार दण्ड की कार्रवाई करना। • सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाने हेतु विविध गतिविधियां यथा नुक्कड़ नाटक, विजुवल शो, प्रशिक्षण, प्रतियोगिताओं का आयोजन, चित्रांकन, दीवार लेखन, नारा लेखन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

	• वाहनों में सड़क सुरक्षा के मद्देनजर आमजन हेतु आवश्यक एडवाइजरी जारी करना। • वाहनों में एल0ई0डी लाइट, रेडियम टेप, डीपर, आदि लगाने हेतु जागरूकता अभियान का संचालन करना। • वाहनों में प्राथमिक उपचार किट आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना। • सड़क सुरक्षा आधारित अच्छी आदतों जैसे हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट पहनना, निर्धारित गतिसीमा में वाहनों को संचालित करने को प्रोत्साहित करना।
प्रत्युत्तर	रिस्पांस एजेंसियों को वाहन, ईधन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाए उपलब्ध कराना।
6.2.11 कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• जन–जागरूकता के अर्न्तगत होर्डिंग्स आदि की व्यवस्था, स्कूल एवं आबादी के पास स्पीड ब्रेकर का निर्माण करना • मुख्य सड़क में बने दरार (Breaches) एवं सड़क के गड्ढ़े की भराई सुनिश्चित करना। • मार्गो पर बने मध्य ह्वाइट डिवाइडर लाइन, साइड डिवाडर लाइन एवं जेब्रा लाइन आदि को स्पष्टता से प्रदर्शित करवाना। • सड़क दुर्घटना के प्रति संवेदनशील स्थलों पर सचेतक बोर्ड स्थापित करना। • सड़कों पर दुर्घटना बाहुल्य (Black spot) क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना एवं सचेतक बोर्ड स्थापित करना। • बड़े पुलों के पहुँच पथ पर शार्प टर्निगं कर्व के आउट साइड में क्रास बैरियर्स स्थापित करना। • स्कूल एवं अस्पतालों के पास स्पीड लिमिट जोन एवं नो हैवी वेहिकलजोन का बोर्ड स्थापित करना। • सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर जनता को जीवन रक्षा के सन्दर्भ एव ं यातायात के नियम पर जागरूक करना।
प्रत्युत्तर	• घटना के दौरान लिकं रोड के क्षति की जानकारी प्राप्त करना तथा अर्ली रिकवरी हेतु योजना के क्रियान्वयन पर कार्रवाई सम्पादन सुनिश्चित करना। • क्षतिग्रस्त सड़को की त्वरित स्थानीय संसाधनों के माध्यम से मरम्मत सुनिश्चित करना।
6.2.12 जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• जन–वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करना। • आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राशन वितरण सुनिश्चित करने हेतु वैकल्पिक मार्गों को चिन्हित करना।
प्रत्युत्तर	प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत सहायता उपलब्ध कराना।
6.2.13 समेकित बाल विकास परियोजना (आई0सी0डी0एस0), नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन करना तथा 3–5 आयुवर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में नामांकन सुनिश्चित करना। नामांकित बच्चों को हॉटकुक भोजन उपलब्ध कराना। • धात्री महिलाओं, गर्भवती महिलाओं व 0–5 आयु वर्ग के बच्चों की सूची बनाना तथा प्रशासन को उपलब्ध कराना। • पोषण, स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल हेतु प्रदर्षन व व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां करना। • आंगनबाड़ी में बच्चों को विभिन्न खेल गतिविधियों से आपदाओं के बचाव हेतु जागरूक करना। • महिलाओं व किशोरी समूह की बैठकों में आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वच्छता, शौचालय का प्रयोग आदि के बारे में जागरूकता का प्रसार करना। • आंगनबाड़ी केन्द्रों में अग्निशामक यंत्र व फायर बकेट अधिष्ठापित करना।
प्रत्युत्तर	शरण स्थलों पर वैकल्पिक रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन करना।

	गर्भवती महिलाओं की जांच व प्रसव में सहयोग करना। शरण स्थलों पर स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता व शौचालय का प्रयोग पर जागरूक करना।
6.2.14 कार्यपालक अभियंता जल संसाधन, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• पंचाने नदी पर अवस्थित तटबंधों की निगरानी करना तथा क्षतिग्रस्त्र भागों की मरम्मति करना। स्थानीय स्तर पर बाढ़ अनुश्रवण समिति का गठन करना। • नगरीय क्षेत्र में जलनिकासी एवं प्रबंधन हेतु तटबंधों व कनेक्टिंग नालों पर स्थापित स्लुईस गेट की ग्रिसींग करना तथा मरम्मति कर कार्यशील करना। • तटबंधों की निगरानी एवं मरम्मति हेतु आवश्यक संख्या में तकनीकी अभियंताओं, कर्मियों, संवेदकों व श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति करना। • बाढ़ निरोधक परियोजनाओं को ससमय अवधि में पूर्ण करना।
प्रत्युत्तर	• नदी के जल स्तर, वर्षापात एवं मौसम संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करना तथा आवश्यक कार्रवाई करना। • बांध के टूटान बिंदु या क्षतिग्रस्त्र भाग की तुरंत मरम्मति करने हेतु बाढ़ संघर्षात्मक कार्य करना।
पुनर्निर्माण	बाढ़ निरोधक कार्यों हेतु तटबंधों का क्षति आंकलन करना।
6.2.15 कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत जल जीवन हरियाली अर्न्तगत संचालित परियोजनाओं का संचालन करना। • जल संचयन व वाटर रिचार्ज की योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना तथा प्रभावी रणनीति बनाना। • बंद व खराब ट्यूबवेल की मरम्मति करना। • नहरों एवं नालियों की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों के साथ रणनीति बनाना। • सिंचाई तथा अगलगी से बचाव हेतु पर्याप्त संख्या ट्यूबवेल को स्थापित करना। • ट्यूबवेल आपरेटर की प्रतिनियुक्ति करना तथा संबंधित विभागों/स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए संचार योजना बनाना।
प्रत्युत्तर	• नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना तथा हेल्पलाइन नम्बरों का प्रचार प्रसार करना। • नगरीय क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति होने पर नगर निगम, बिहार शरीफ द्वारा मांग किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ट्यूबवेल से टैंकरों में जल उपलब्ध कराना। • अगलगी की स्थिति में फायर टेंडर को पुनर्जलभरण करने में सहायता करना।
पुनर्निर्माण	• बड़े तालाबों में जल–जमाव व बाढ़ के कारण गाद होने पर गाद हटाने की कार्रवाई करना। • क्षतिग्रस्त नहरों व ट्यूबवेल की मरम्मति करना।
6.2.16 वन प्रमण्डल, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• शहरी क्षेत्र में वृक्षों की कटान को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई करना। • शहरी क्षेत्र में जल, जीवन, हरियाली अभियान के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना तथा वृक्षों का रखरखाव सुनिश्चित करना। • शहरी क्षेत्रों में अवस्थित पार्कों को हरा–भरा व व्यवस्थित रखना। • चक्रवात, आंधी–तूफान, भूकम्प आदि दौरान प्रभावित होने वाली संभावित संरचनाओं जैसे विद्युत तार, ट्रांसफारमर, कमजोर भवन आदि के निकट अवस्थित वृक्षों की आंशिक छंटाई करना। • आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा पदाधिकारियों व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। • आमजन को वृक्षों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना।

प्रत्युत्तर	• रिस्पांस कार्य हेतु टास्क फोर्स को प्रभावित क्षेत्रों में राहत–कार्यों के संचालन हेतु भेजना। • चक्रवात, आंधी–तूफान, बाढ़, अगलगी, वज्रपात, भूकम्प, सड़क दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं में त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त्र वृक्षों को संबंधित विभाग से समन्वय करते हुए हटाना।
पुनर्निर्माण	• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को स्थानीय पहल व जागरूकता द्वारा कम करना • स्थानीय परिवेश के अनुकूल पौधरोपण को बढ़ावा देना। • सार्वजनिक भवनों, विद्यालयों, सरकारी भूमि आदि स्थलों में अकीरा मियावाकी जैसी पद्धति से छोटे–छोटे वन क्षेत्र विकसित करना।
6.2.17 जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालय, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• मीडिया प्रतिनिधियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भूमिका आधारित कार्यशाला व संवाद कार्यक्रम आयोजित करना। • सूचना, शिक्षा, संचार गतिविधियों जैसे बैनर, पोस्टर, नुक्कड नाटक, लोकगीत, लोक विधाओं आदि के माध्यम से विभिन्न आपदाओं के रोकथाम के बारे में जागरूकता का प्रसार करना। • मीडिया प्रतिनिधियों को आपदाओं से बचाव व आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित पूर्व चेतावनियों, सलाह, सुझाव, लेखन सामग्री आदि उपलब्ध कराना ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक संदेश का प्रसार हो सके। • रेडियो, टेलीविजन आदि में वीडियो, जिंगल, ऑडियो आदि उपलब्ध कराना तथा इस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों का साक्षात्कार कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
प्रत्युत्तर	• मीडिया को अधिकारिक व विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराना। आपदा में मृत व्यक्तियों, घायल व्यक्तियों, मृत पशुओं, घायल पशुओं, क्षतिग्रस्त्र संरचनाओं आदि के संबंध पुष्टि प्राप्त सूचनाए प्रदान करना • विभिन्न विभागों, रिस्पांस एजेंसियों, राहत कर्मियों से संवाद स्थापित करना तथा राहत–बचाव कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेना तथा इंसीडेंट कमांडर से सहमति प्राप्त करते हुए मीडिया बुलेटिन जारी करना। • आपदाओं के दौरान आफवाहे फैलने की आंशका होती हैं, इसके प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। • घटनास्थल पर विधि व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन व शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मीडिया व स्थानीय सम्भ्रांत व्यक्तियों से समन्वय कर अपील जारी करना। • भ्रामक व अपुष्ट खबरों का खण्डन करना तथा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना।
राहत कार्य	अनुग्रह अनुदान व राहत कार्यों से संबंधित सूचनाओं को संबंधित विभागों से संकलित कर मीडिया को उपलब्ध कराना।
6.2.18 मीडिया	
पूर्व तैयारी	• विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में संबंधित हितभागियों व विशेषज्ञों से सूचनाए प्राप्त कर समाचार, लेख, केस स्टडी प्रकाशित करना। • इलेक्ट्रानिक मीडिया में विशेषज्ञों व पदाधिकारियों का साक्षात्कार प्रसारित करना। • आमजन को मौसम संबंधी पूर्वानुमान/सूचनाओं, नदियों का जल स्तर, संवेदनशील स्थलों, प्रशासन द्वारा जारी एडवाइजरी आदि उपलब्ध कराना।
प्रत्युत्तर	• आधिकारिक, विश्वसनीय व तथ्यपरक सूचनाओं को प्रसारित करना। • आफवाहों के प्रबंधन व रोकथाम में प्रशासन को सहयोग प्रदान करना। • राहत–कर्मियों को बचाव कार्य में सहूलियत हो इस हेतु अपील जारी करना। • जनप्रतिनिधियों व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने में सहयोग देना।
राहत कार्य	• जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई सूचनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित करना।

	• प्रभावित व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की दस्तावेजीकरण, महत्वपूर्ण समय/तिथि व अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित करना।
6.2.19 गैर सरकारी संगठन/समुदाय अधारित संगठन	
पूर्व तैयारी	• शहरी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जलवायु अनुकूलन, पर्यावरण, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास संबंधी परियोजना तथा गतिविधियों का संचालन करना। • आपदाओं से बचाव के बारे में जनसमुदाय को जागरूक करना। • जोखिमों, नाजुकताओं, स्थानीय मुद्दों, उपलब्ध संसाधनों व स्वयंसेवकों के बारे में प्रशासन को सूचनाएं उपलब्ध कराना। • आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में स्वच्छता, शौचालय का प्रयोग व स्वच्छ पेयजल के प्रति लोगों को जागरूक करना।
प्रत्युत्तर	• राहत–बचाव में जिला प्रशासन को सहयोग करना। • प्रशासन के सहयोग से प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्रियों का वितरण करना। • महामरियों के प्रबंधन में सहयोग करना तथा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
राहत कार्य	स्थानीय समुदाय को दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना।
पुनर्निर्माण	आपदा जोखिम न्यूनीकरण आधारित नवाचार करना तथा समुदाय आधारित परियोजनाओं का संचालन करना।
6.2.20 बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स, बिहार शरीफ	
पूर्व तैयारी	• व्यवसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अगलगी, भूकम्प, रिसाव, औद्योगिक दुर्घटनाओं जैसी आपदाओं से बचाव हेतु सुरक्षात्मक कार्रवाई करना। • प्रतिष्ठानों में आपदाओं से निपटने व बचाव हेतु आवश्यक उपकरणों को अधिष्ठापित करना। • प्रतिष्ठानों की नियमित सुरक्षा व फायर ऑडिट कराना। • आपदाओं व दुर्घटनाओं से दक्ष कर्मियों की नियुक्ति करना। प्रतिष्ठान के कर्मियों को प्रशासन व अग्निशामालय से समन्वय कर बचाव विधियों पर उन्हे प्रशिक्षित करना। • सी0एस0आर0 गतिविधियों में आपदा प्रबंधन संबंधी परियोजनाओं के संचालन को महत्व देना।
प्रत्युत्तर	प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। प्रशासन के सहयोग से राहत वितरण कार्य प्रभावित क्षेत्रों में करना।
6.2.21 जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• वृद्ध, लाचार, दिव्यांग, विधवा, भिक्षुक के पुर्नवास व सामाजिक संरक्षण से संबंधित योजनाओं से लाभान्वित करना। • कौशल विकास, वैकल्पिक आजीविका, स्वयं सहायता समूह आदि से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से ऐसे नाजुक समूह को जोड़ने का प्रयास करना। • ऐसे समूहों पर आपदाओं के पड़ने वाले संभावित प्रभावों का अध्ययन करना तथा बचाव हेतु आवश्यक करना। • प्रशासन को ऐसे नाजुक समूह की सूची उपलब्ध कराना।
प्रत्युत्तर	राहत–बचाव कार्य में वृद्ध, लाचार, दिव्यांग, विधवा, भिक्षुक आदि को प्राथमिकता करना तथा उन्हे सुरक्षित स्थलों पर शरण उपलब्ध कराना।
राहत कार्य	नियमानुसार अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराना।
6.2.22 जिला बाल संरक्षण कोषांग, नालन्दा	
पूर्व तैयारी	• रेलवे/बस स्टेशनों व भटकने वाले बच्चों का बाल गृह में पुर्नवास करना। • बाल गृह के पदाधिकारियों, काउंसलर, कर्मियों व आवासित बच्चों/किशोरों हेतु आपदाओं से बचाव संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करना।

अध्याय–7

क्षमता निर्माण आधारित गतिविधियों के संचालन संबंधी कार्ययोजना

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 6 में स्थानीय प्राधिकार शीर्षक के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी के कृत्य का स्पष्ट उल्लेख है। इस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अनुसार–

(1) स्थानीय प्राधिकारी जिला प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन रहते हुये–

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधिकारी और कर्मचारी आपदा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित हैं।

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधनों का इस प्रकार अनुरक्षण किया जा रहा है जिससे कि वे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा की दशा में सदैव उपयोग के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर सभी निर्माण परियोजनाएं राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण द्वारा आपदाओं के निवारण और शमन के लिए अधिकारिक मानकों और विनिर्देशो के अनुरूप है।

(घ) प्रभावित क्षेत्र में राज्य योजना और जिला योजना के अनुसार राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण के क्रिया कलाप करेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे अन्य उपाय कर सकेगा जिन्हें आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे ।

7.1 संस्थागत क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण

नगर आपदा प्रबंधन योजना के सफल क्रियान्वयन तथा बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30 के घोषित लक्ष्यो उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टिकोण से नगर निगम के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों, अभियंताओं, अग्रिम पंक्ति के कर्मी एवं स्वयंसेवक जनप्रतिनिधियों का क्षमता वर्द्धन के उद्देश्य से प्रशिक्षण तथा जागरूकतावर्द्धन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ही आयोजित करना अत्यंत ही आवश्यक हैं। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सभी हितभागियो तथा नियोजित कर्मियो के कौशल को मजबूती प्रदान करना तथा उनकी निपुणता में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विभिन्न आयामों तथा जटिलताओ के प्रति अवधारणा (Concept) प्रमाणिक जानकारी (Authentic information) कौशल (Skill) दृष्टिकोण (Attitude) तथा व्यक्तिगत गुणवत्ता (Personal Quality) विकसित किया जायेगा।

इस प्रशिक्षण के अंतर्गत पदाधिकारियों, जन प्रतिनिधियों व कर्मियों के लिए नगर क्षेत्र के लिए चिह्नित बहु आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–30 में किये गए प्रावधानों के अनुरूप क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। संस्थागत क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नगर निगम, बिहार की नगर विकास योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण तत्वों का समावेश करना तथा भविष्य में घटित होने वाली आपदाओं व दुर्घटनाओं से निपटने के लिए स्थानीय क्षमताओं में वृद्धि करना। इसके साथ–साथ आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों, स्थानीय समुदाय व लोगो को भी खतरे एवं जोखिम को पहचान तथा उससे बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा।

बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मियों का संस्थानात्मक प्रशिक्षण
टेबल संख्या–22

क्र. सं.	लक्ष्य समूह	प्रशिक्षण का विषय	माह एवं अवधि	तकनीकी सहयोग
1	मेयर/उपमेयर नगर निगम के पदाधिकारी वार्ड पार्षद नगर निगम के कर्मी एवं लिपिक	नगर निगम, बिहार शरीफ में घटित होने वाली आपदाओं के न्यूनीकरण तथा वार्ड स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधनों के आधार पर आपदाओं से निपटने की कार्ययोजना बनाना। वार्ड की विकास योजना में बाढ़, जल–जमाव, अगलगी, भूकम्प, वज्रपात, सड़क दुर्घटना जैसी आपदाओं से निपटने के लिए आवश्यक समायोजन करन संबंधी।	शपथ ग्रहण के 1 माह के भीतर (3 दिवसीय) तथा प्रत्येक 6 (जनवरी)–6 (जुलाई) माह में समीक्षा बैठक (1 दिवसीय)	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा एस0डी0आर0एफ0 एन0डी0आर0एफ0 गैर सरकारी संगठन
2	मेयर/उपमेयर नगर निगम के पदाधिकारी वार्ड पार्षद	वार्डों में आपदा प्रबंधन संबंधी कार्ययोजनाओं व गतितिविधियों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु वार्ड स्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों का सशक्तिकरण एवं क्षमतावर्द्धन	प्रत्येक वर्ष में एक बार (अप्रैल माह)	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा
3	सभी संबंधित हितभागी	शीतलहर से बचाव एवं प्रबंधन शीतलहर से राहत हेतु कम्बल वितरण व रैनबसेरा का प्रभावी संचालन संबंधी कार्ययोजना कोहरा के दौरान सड़क दुर्घटना के रोकथाम संबंधी उपाय	प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा जिला परिवहन पदाधिकारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक कोषांग, नालन्दा
4	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी वेण्डर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि नगर निगम अन्तर्गत सरकारी एवं निजी कार्यालयों के पदाधिकारी सम्बद्ध सिविल अभियंता एवं आर्किटेक्ट भवन निर्माण संवेदक	भूकम्परोधी भवन निर्माण तथा भवनों में अगलगी की रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण सभी प्रकार के भवनों का सुरक्षा जांच एवं फायर ऑडिट राष्ट्रीय बिल्डिग कोड, 2005 एवं बिहार बिल्डिंग बॉयलॉज का अनुपालन	प्रत्येक वर्ष (जनवरी) माह में प्रत्येक 3–3 माह पर समीक्षात्मक बैठक	नगर निगम, बिहार शरीफ भवन निर्माण विभाग जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा जिला अग्निशामालय

	भवन निर्माण सामग्री के प्रमुख विक्रेता			
5	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी स्थानीय स्वयंसेवक स्थानीय युवक एवं युवती स्थानीय नाविक एवं गोताखोर वेण्डर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि नगर निगम अन्तर्गत सरकारी एवं निजी कार्यालयों के कर्मी	विभिन्न आपदाओं में खोज एवं बचाव की विधियां बेसिक मेडिकल रिस्पांस/प्राथमिक उपचार आधारित क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण	प्रत्येक माह में अलग–अलग लक्ष्य समूह हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा एस0डी0आर0एफ0 एन0डी0आर0एफ0 जिला अग्निशामालय जिला रेडक्रास सोसाइटी गैर सरकारी संगठन
6	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी आटो एसोशिएसन वेण्डर	वायु प्रदुषण पर संबंधित हितभागियों का संवेदीकरण प्रशिक्षण	अक्टूबर माह में	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के स्थानीय प्रतिनिधि।
7	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी इच्छुक नागरिक एवं स्वयंसेवक	जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु रूफ टॉप उद्यानीकरण एवं वायु प्रदूषण से रोकथाम वाले पौधे लगाने संबधी प्रशिक्षण	फरवरी माह	जिला कृषि पदाधिकारी जिला उद्यान पदाधिकारी
8	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी	शहरी वन प्रबंधन एवं वन आच्छादन बढ़ाने हेतु क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण	जून माह में	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, नालन्दा
9	चिकित्सक पैरामेडिकल कर्मी ए0एन0एम0 आशा कार्यकर्ता	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 महागारी अधिनियम 1897 महामारी (संसोधन) अधिनियम–2020 कोरोना प्रबंधन ऑक्सीजन प्लांट का परिचालन रख–रखाव तथा नई तकनीकों की जानकारी।	आवश्यकतानुसार	सिविल सर्जन, नालन्दा एवं नगर निगम, बिहार शरीफ
10	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी	शहरी क्षेत्र में प्रभावी स्वच्दता एवं पेयजल/जलापूर्ति प्रबंधन पर प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	नगर निगम, बिहार शरीफ
11	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी	भीषण गर्मी/लू प्रबंधन तथा सूखा प्रबंधन	मार्च माह में	नगर निगम, बिहार शरीफ

	सभी कर्मी			जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा
12	सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक सभी विद्यार्थी विद्यालय प्रबंधन समिति	मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन से सबंधित प्रशिक्षण	नियमित	शिक्षा विभाग एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा
13	लेडी सुपरवाइजर आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका आशा कार्यकर्ता	बच्चों को कुपोषण से बचाव तथा महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव संबंधी प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	आई0सी0डी0एस0 एवं सिविल सर्जन, नालन्दा
14	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण की प्रक्रिया का प्रशिक्षण ।	अप्रैल माह में	प्रोग्रामर एवं जिला आई0टी0 मैनेजर
15	संबंधित जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी संबंधित धर्म स्थल के प्रबंधक/प्रतिनिधि	बिहार शरीफ के अन्तर्गत अवस्थित विभिन्न धर्म स्थलों में भीड़ प्रबंधन व अगलगी रोकथाम के उपाय करने संबंधी प्रशिक्षण	सितम्बर माह में	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा
16	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी मीडिया कर्मी	आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 आपदा विषयों पर लेखन कार्य से समाज को जागृत करना बेहतर पर्यावरण हेतु प्रचार–प्रसार आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका	अप्रैल माह में	जिला सूचना जन–सम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा नगर
17	गोताखोर एवं नाविक	नाव दुर्घटना की रोकथाम पर प्रशिक्षण कार्यशाला	अप्रैल माह में	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा
18	सभी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी	शहरी क्षेत्र में तटबंधों व स्लुईस गेटों का रखरखाव एवं मरम्मति	अप्रैल माह में अगस्त माह तक नियमित अनुश्रवण	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, नालन्दा
19	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग से संबंधित कर्मी एवं पदाधिकारी	नगर बाढ़/जल जमाव प्रबंधन आधारित प्रशिक्षण वार्डवार जल निकासी योजना	अप्रैल माह में जुलाई एवं सितम्बर माह में समीक्षा बैठक	जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा नगर निगम, बिहार शरीफ

		नालों की उड़ाही/साफ–सफाई		कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन, नालन्दा
20	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी	महामारी प्रबंधन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण	संवेदनशीलता के अनुसार एवं आउट ब्रेक	सिविल सर्जन, बिहार शरीफ
21	सभी जनप्रतिनिधि सभी पदाधिकारी सभी कर्मी संबंधित धर्मस्थलों के प्रबंधक	मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार दुर्गापूजा एवं छठ पूजा में की जाने वाली कार्रवाई एवं भीड़ प्रबंधन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने के संबंध में कार्ययोजना निर्माण तथा	सितम्बर/अक्टूबर माह में	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा
22	स्वय सहायता समूह	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से संबंधित स्वयं सहायता समूहों का वैकल्पिक आजीविका श्रोतों पर क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण	नियमित रूप से	नगर निगम, बिहार शरीफ
23	सिविल इंजीनियर तथा राजमिस्त्री	भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा
24	व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि औद्योगिक ईकाइयों के प्रतिनिधि	औद्योगिक दुर्घटनाओं व विद्युत शार्ट सर्किट की रोकथाम पर प्रशिक्षण मानक विद्युत उपकरणों का प्रयोग	प्रत्येक 4 माह के अन्तराल पर	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नालन्दा अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार शरीफ
25	शहरी क्षेत्र के इच्छुक व्यक्ति	वायु प्रदुषण की रोकथाम में सहायक हाइड्रोपोनिक्स तकनीक पर एक दिवसीय प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा नगर निगम, बिहार शरीफ।
26	संबंधित हितभागी	वर्षा जल संचयन आधारित प्रशिक्षण	आवश्यकतानुसार	शहरी क्षेत्र में जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित हितभागी

7.2 समुदाय तथा सामुदायिक संस्थाओं हेतु जागरूकता कार्यक्रम

स्थानीय नगर निकाय के सदस्यों शहरी विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकरियों को जोखिम विश्लेषण, जोखिम की पूर्ण जानकारी के साथ योजनाओं के निरूपन, स्वीकृति तथा जोखिम अनुकूलित पहल के लिए एक प्रभावी क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला प्रदर्शनी ज्ञानवर्द्धन परिभ्रमण, निर्णय सहायक उपकरण से निम्न विधाओ से परिचित कराया जायेगा।

(टेबल संख्या–23)

क्र.सं.	हितधारक	प्रशिक्षण माड्यूल
1	नगर निगम एवं शहरी विकास तथा आवास विभाग के कर्मी, प्रथम पक्ति के कर्मी (सफाई कर्मी) सामुदायिक सेवा संस्थायें तथा स्वयं सेवक	• जोखिम विश्लेषण, जोखिम की जानकारी के साथ विकास योजना का निरूपण । • जोखिम अनुकूलन से संबंधित चेक लिस्ट के आलोक में क्रियान्वयन की पहल ।
2	सामुदायिक आपदा प्रत्युत्तर दल	• सभी तरह की मानक संचालन प्रक्रिया, पूर्व तैयारी तथा प्रत्युत्तर क्रियायें ।
3	वास्तविद, भवन निर्माण, अभियंता, अधिदर्शक (Supervisor) तथा राज मिस्त्री	• भूकंप जोन (4) के अनुसार बिहार भवन निर्माण उप संहिता 2014 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में भवन निर्माण के मानक तथा रेट्रोफिटोग के तरीके।
4	नागरिक परिषद, युवा क्लब के सदस्य कॉलेज के छात्र–छात्राये, शिक्षक, दुकानदार, युवा स्वयंसेवक	• प्राथमिक उपचार • ट्रैफिक नियम • सुरक्षित वाहन चालन (धुंध, कुहासा सहित सभी परिस्थियों में) • वाहन की फिटनेस के संबंध में • दुर्घटना हो जाने पर नजदीकी पुलिस तथा ट्रामा सेन्टर से संपर्क करने के संबंध में।
5	स्वयं सहायता समूह	• वैकल्पिक आजीविका, कौशल विकास

7.3 आपदा जोखिम न्यूनीकरण सामुदायिक जन–जागरूकता

जागरूकता अभियान के द्वारा नगर आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिह्नित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से बहुत सुलभ तरीके से छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जाखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई.ई.सी. सामग्री का उपयोग कर नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, सोसल मिडिया, एफएम रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील वार्ड मुहल्ला में गठित आपदा प्रबंधन दल की यह जवाबदेही होगी कि वे हितधारक समूह के प्रतिनिधियों तथा स्थानीय स्वयं सेवक को जन–जागरूकता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित तथा प्रशिक्षत करें। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में जोखिम न्यूनीकरण तथा सुरक्षात्मक उपाय बचाव एवं राहत से संबंधित सुझाव– सलाह चक्र चलित (Circulate) किये गये हैं। आपदावार तैयार इन सुझावों को योजना के परिशिष्ट में सम्मिलित किया गया है।

नोटः उपरोक्त सदर्भ में इस जिले में प्रशिक्षण प्राप्त विभिन्न पदाधिकारियों एवं अन्यों की सूची तथा विभिन्न विषयों पर तैयार की गई मॉड्यूल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www-bsdma-org/our Activities) मे विषय को क्लिक करने के बाद Training शीर्षक पर क्लिक करके देखा जा सकता है। भविष्य में नगरीय आपदा प्रबंधन के सिलसिले में आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई प्रशिक्षिण मॉड्यूल का सहारा लिया जायेगा, साथ ही प्रशिक्षित व्यक्तियों की सूची नगर निगम के वेबसाईट पर डालना अपेक्षित होगा।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम की कार्ययोजना (टेबल संख्या–24)

क्र0स0	प्रस्तावित जागरूकता गतिविधि का विवरण	लक्ष्य समूह	गतिविधि का प्रकार/माध्यम
1.	शीतलहर से बचाव	सभी वार्ड	नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया जागरूकता, सुरक्षा सलाह
2.	भूकम्प सुरक्षा सप्ताह के दौरान विविध गतिविधियों का संचालन	चिन्हित संवेदनशील क्षेत्र	नुक्कड़ नाटक, पम्पलेट, पोस्टर,
3.	अग्निसुरक्षा जागरूकता सप्ताह के अर्न्तगत विभिन्न जागरूकता गतिविधि	सभी वार्ड स्लम क्षेत्र, व्यवसायिक प्रतिष्ठान	नुक्कड़ नाटक, मॉकड्रिल, एल0ई0डी0 शो
4.	भीषण गर्मी/लू से बचाव तथा प्रबंधन	सभी वार्ड	नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया जागरूकता, सुरक्षा सलाह
5.	सड़क दुर्घटना से रोकथाम, सड़क सुरक्षा से संबंधित बैनर	सभी वार्ड एवं ब्लैक स्पॉट के आसपास के समुदाय	नुक्कड़ नाटक, प्रभात फेरी, साईकिल जागरूकता
6.	बाढ़, डूबने से बचाव, वज्रपात तथा चक्रवात से बचाव हेतु जनजारूकता	सभी वार्ड बाढ़/जल जमाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्र	मॉकड्रिल एवं प्रशिक्षण
7	शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा सुरक्षित कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय सुरक्षा तथा विभिन्न आपदाओं/प्रदुषण से बचाव पर विद्यार्थियों को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन ।	सभी वार्ड सभी विद्यालय	शिक्षण सत्रों का आयोजन
8	वायु प्रदुषण रोकथाम संबंधी जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन, दीवार पेटिंग
9	ध्वनि प्रदुषण रोकथाम हेतु जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	प्रभात रैली एवं नुक्कड़
10	सुखा, गीला कचरे का पृथ्क्कीकरण आधारित जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	जागरूकता रैली, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन, दीवार पेटिंग
12	पर्यावरण संरक्षण व उर्जा संरक्षण आधारित जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन, दीवार पेटिंग
13	विद्युत संरक्षा एवं सुरक्षा	सभी वार्ड सभी विद्यालय	जागरूकता रैली
14	जैवविविधता संरक्षण आधारित जागरूकता	सभी वार्ड सभी विद्यालय	चित्रांकन प्रतियोगिता

7.4 मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन (टेबल संख्या–25)

नगर निगम, बिहार शरीफ में विभिन्न आपदाओं की संवेदनशीलता के प्रभाव को कम करने, संस्थानों की क्षमता वृद्धि तथा विभागों/रिस्पांस एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर कर प्रत्युत्तर क्षमता बढ़ाने के लिए शहरी क्षेत्र में चिन्हित आपदाओं पर आधारित मॉकड्रिल कार्यक्रमों का आयोजन निम्नवत् किया जा सकता है–

क्र0 स0	मॉकड्रिल का विषय	माह	संबंधित विभाग
1.	विद्यालयों में विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु ''सुरक्षित शनिवार'' के अन्तर्गत मॉकड्रिल सत्रों का आयोजन	नियमित	शिक्षा विभाग, अग्निशमन विभाग, पुलिस, नगर निगम, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा
2.	भूकम्प आधारित संयुक्त मेगा मॉकड्रिल (औद्योगिक संस्थान)	वर्ष में 1 बार	सभी आपात् सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजेंसिया, हितभागी संस्थाए
3.	बाढ़ आधारित संयुक्त मॉकड्रिल (बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में)	जून/जुलाई	जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा, नगर निगम, बिहार शरीफ, पुलिस, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0
4.	अगलगी आधारित मॉकड्रिल (विद्यालय स्तर)	नियमित	जिला अग्निशमन, शिक्षा विभाग, जिला कार्यक्रम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0
5.	अगलगी आधारित मॉकड्रिल (औद्योगिक, व्यवसायिक एवं समुदाय)	नियमित	जिला अग्निशमन एवं पुलिस
6.	भीड़ की दृष्टि से अति–संवेदनशील स्थल पर भगदड़ प्रबंधन आधारित संयुक्त मॉकड्रिल	वर्ष में 1 बार	सभी आपात् सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजेंसिया, हितभागी संस्थाए एवं धार्मिक स्थल प्रबंधन समिति
7.	बायोलॉजिकल एवं केमिकल आपदा आधारित मॉकड्रिल	वर्ष में 1 बार	सभी आपात् सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजेंसिया, हितभागी संस्थाए
8.	औद्योगिक दुर्घटना एवं बायॅलर विस्फोट रिस्पांस आधारित मॉकड्रिल	वर्ष में 1 बार	सभी आपात् सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजेंसिया, हितभागी संस्थाए
9.	अति–संवेदनशील स्तर पर बम विस्फोट रिस्पांस आधारित	3 वर्ष में एक बार	बम डिस्पोजल दल, पुलिस, जिला अग्निशमन, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा
10.	विद्यालय/सरकारी भवन/कार्यालय में निष्कासन आधारित मॉकड्रिल (अगलगी एवं भूकम्प के परिप्रेक्ष्य में)	नियमित	सभी आपात् सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजेंसिया, हितभागी संस्थाए
11.	सिनेमा हॉल एवं शॉपिंग काम्पलेक्स आधारित सुरक्षित निष्कासन अभ्यास	नियमित	सभी आपात् सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजेंसिया, हितभागी संस्थाए
12.	फायर हाईड्रेन्ट की जांच/अभ्यास	नियमित	सभी आपात् सहाय्य विभाग, रिस्पांस एजेंसिया, हितभागी संस्थाए

7.5 बिहार शरीफ में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु उर्पयुक्त स्थल (टेबल संख्या–26)

क्र0स0	प्रशिक्षण स्थल का नाम	पता	क्षमता	नियंत्री पदाधिकारी
1	हरदेव भवन	कलेक्ट्रेट	100 व्यक्ति	वरीय उप समाहर्ता, जिला नजारत प्रशाखा, नालन्दा
2	टाउन हाल	हास्पिटल रोड	500 व्यक्ति	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ
3	डी0आर0सी0सी0 भवन	बिहार शरीफ	250 व्यक्ति	जिला योजना पदाधिकारी, नालन्दा
4	नगर निगम सभागार	बिहार शरीफ	80 व्यक्ति	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ
5	जिला परिषद सभागार	बिहार शरीफ	100 व्यक्ति	उप विकास आयुक्त, नालन्दा
6	नालन्दा महाविद्यालय	बिहार शरीफ	200 व्यक्ति	प्राचार्य, नालन्दा कालेज
7	आई0सी0सी0सी0 भवन	बिहार शरीफ	100 व्यक्ति	नगर आयुक्त, नगर निगम, मुजफ्फरपुर

7.6 प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों व मॉकड्रिल कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्त का प्रबंधन

नगर निगम, बिहार शरीफ के अन्तर्गत आपदा जोखिम न्यूनीकरण आधारित प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों, व मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित करने हेतु नगर निगम के आन्तरिक वित्त का प्रावधान किया जा सकता है। नगर निगम, बिहार शरीफ द्वारा आपदा प्रबंधन आधारित गतिविधियों का आयोजन करने हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा, पुलिस विभाग, नालन्दा एवं जिला अग्निशमन कार्यालय, बिहार शरीफ से भी समन्वय किया जा सकता है।

शहरी क्षेत्र में जन–प्रतिनिधियों, कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों, शिक्षकों व युवा स्वयंसेवकों को एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 के माध्यम से खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, डूबने से बचाव, धवस्त संरचनाओं में बचाव की विधियां, स्वच्छता, पेयजल प्रबंधन, सर्पदंश से बचाव, भूकम्प से बचाव, वज्रपात से बचाव, नाव दुर्घटना की रोकथाम, सड़क दुघटना से बचाव, अग्नि सुरक्षा आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

अध्याय–8
वित्तीय व्यवस्था
(Financial Arrangements)

संसाधन जुटाना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह आपदा प्रबंधन की संकल्पना को व्यावहारिक पहलुओं से जोड़ता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में प्रभावी आपातकालीन प्रबंधन के लिए संस्थागत तथा वित्तीय संरचनाओं की स्थापना एवं इसके सशक्तीकरण हेतु विशेष प्रावधान किया गया है। साथ ही, वैश्विक प्रक्रियाओं व समझौतों ने समुदायों के मध्य आपदा जोखिम में न्यूनीकरण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को मान्यता दी है, राष्ट्रीय प्रयास भी आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के लिए परिवर्तित हो गए हैं। राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं में आपदाओं के न्यूनीकरण तथा पूर्व–तैयारियों की सैद्धांतिक समझ को बढ़ावा दिया गया है तथा आत्मसात् किया गया है। हालांकि इस दूरदर्शी दृष्टिकोण के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आपदा न्यूनीकरण के वित्तपोषण के विभिन्न वैकल्पिक मार्ग प्रशस्त करने की आवश्यकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्यों तथा जिलों हेतु आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों के संचालन एवं प्रत्युत्तर के लिए वित्तीय संसाधनों को राज्य आपदा प्रत्युत्तर कोष (एस0डी0आर0एफ0) व जिला आपदा प्रत्युत्तर कोष (डी0डी0आर0एफ0) के रूप में परिभाषित किया गया है। इस संबंध में विभिन्न निधियां स्थापित की गई हैं तथा राज्य कार्यकारी समिति (एस0ई0सी0) व जिला समितियों को आपदा प्रत्युत्तर हेतु संसाधनों एवं वित्त की व्यवस्था की गई। उक्त अधिनियम में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जो विशेष परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा राज्य को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना संभव बनाते हैं। राज्य स्तरीय आपदा प्रत्युत्तर कोष (एस0डी0आर0एफ0) के लिए कोष की स्थापना केंद्र एवं राज्य के योगदान से 75: 25 अनुपात के साथ की गई है। साथ ही, इससे संबंधित राज्य व जिला न्यूनीकरण कोष का प्रावधान भी किया गया है।

हाल ही में, 15 वें वित्त आयोग ने सिफारिश प्रदान की है जिसमें राज्य और जिला स्तर पर आपदा न्यूनीकरण निधियों को प्राथमिकता देने तथा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुरूप आपदा जोखिम न्यूनीकरण की योजनाओं के संचालन पर राज्य एवं जिला ध्यान केंद्रित कर सके।

''इन न्यूनीकरण गतिविधियों से संबंधित निधियों का उपयोग उन स्थानीय स्तर व समुदाय–आधारित पहल के लिए किया जाएगा जो जोखिमों का प्रशमन करते हैं तथा पर्यावरण अनुकूलन संबंधी क्षेत्रों या आबादी तथा आजीविका गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। अपितु, व्यापक स्तर पर न्यूनीकरण संबंधी कार्य यथा–तटीय दीवारों का निर्माण, बाढ से बचाव हेतु तटबंधों, सूखा पुर्नवास आदि के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग नियमित विकास योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, न कि इस न्यूनीकरण निधि से। ''

वित्त आयोग ने प्राथमिकता वाले 6 क्षेत्रों के लिए राशि आवंटित करने की सिफारिश की है, 02 राष्ट्रीय आपदा प्रत्युत्तर कोष (एन0डी0आर0एफ0) के अन्तर्गत एवं 04 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एन0डी0एम0एफ0) के अन्तर्गत विशिष्ट नगरीय व नाजुक क्षेत्रों हेतु।

8.1 नगरीय आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय व्यवस्थाः बिहार शरीफ

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–2030 (Bihar DRR Roadmap-2015-2030) के अर्न्तगत स्थानीय नगरीय निकायों (ULBs) को विभिन्न नगरीय–स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों तथा योजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिमान्य किया है।

उक्त रोडमैप सभी सरकारी विभागों हेतु विभाग स्तर की वार्षिक योजनाओं में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए निधियों की व्यवस्था करने के प्रावधानों की भी अनुशंसा प्रदान करता है तथा इसे व्यापक रूप से प्रोत्साहित करता है। आपदा प्रबंधन एक बहु–आयामी विषय है तथा व्यापक और समग्र योजना के लिए सभी सरकारी विभागों की भागीदारी की आवश्यकता है।

वित्त आयोग, भारत सरकार ने स्थानीय नगरीय निकायों (ULBs) को अनुदान सहायता (2021–2026) के अन्तर्गत बिहार के नगर विकास विभाग को 9999 करोड़ रूपये आवंटित किए है। इस राषि को राज्य सरकार द्वारा स्थानीय नगरीय निकायों को आवंटित की जाने वाली नगरीय विकास निधि में समाहित कर प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है।

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में आपदा प्रबंधन तथा वित्त विभाग के सहयोग से योजना एवं विकास विभाग, बिहार व वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित योजनाओं को आत्मसात् करने के साथ–साथ विभिन्न विकासपरक योजनाओं में समावेश करने का प्रावधान किया गया है, बिहार में संचालित जल जीवन हरियाली अभियान इसी की एक कड़ी है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप व राज्य आपदा प्रबंधन योजना में खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा व पुनर्वास नीतियों का सशक्तिकरण करना जैसी महत्वपूर्ण बातों के समावेश करने पर विशेष जोर दिया गया है। यह एक अत्यंत ही प्रसांगिक विषय है तथा नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त संवेदनशीलताओं में कमी लाने के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों के समुदायों के आजीविका संवर्द्धन को बढ़ावा देने के साथ–साथ क्षेत्रीय पलायन में कमी लाने में सहायक है। एस0डी0आर0एफ0 एवं विभागीय बजट में भवन तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं को सदृढ़ करने पर अधिक जोर दिया गया है। इसी परिदृष्य में, बिहार के बेहतर भविष्य के निर्माण के लक्ष्य हेतु बिहार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सात निश्चय योजना का संचालन किया जा रहा है।

सार्वजनिक भवनों का निर्माण आपदारोधी होना चाहिए, इस हेतु विकास संबंधी योजनाओं में वित्तपोषण हेतु आवश्यक प्रावधान एवं समन्वय किया जाना चाहिए। विभिन्न योजनाओं यथा–प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना आदि के तहत निर्मित आवासीय भवनों के निर्माण में आपदाओं की दृष्टि से सुरक्षात्मक प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। बहु–आपदाओं से निपटने के लिए वार्ड स्तर पर विकसित किए जाने वाले वार्षिक विकास बजट में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था किया जाना चाहिए। योजना के कार्यान्वयन में विनिर्दिष्ट विशिष्ट प्रावधानों तथा गतिविधियों को साथ लागू किया जाना आपेक्षित है जिस हेतु प्रभावी अनुश्रवण एवं आंकलन प्रणाली का प्रावधान किया जाना आवष्यक है। इससे योजना के क्रियान्वयन में मिले अनुभवों एवं सीख से भावी योजनाओं का अद्यतन करने में सहायता मिलती है।

आपदा प्रबंधन विभाग, के द्वारा जिला स्तर पर स्थापित किए गए जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र की तर्ज पर नगरीय क्षेत्रों में भी आपदाओं के नियन्त्रण, कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति एवं अन्य नगरीय सेवाओं को समुचित रूप से संचालित किए जाने हेतु एकीकृत कमांड एवं कन्ट्रोल केन्द्र का प्रावधान किया गया है तथा इस हेतु वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। बिहार की राज्य आपदा प्रबंधन योजना में इस प्रायोजन (वित्तीय व्यवस्था करने) हेतु निम्न 02 अनुशंसााएं की गई है–

क. कुल वार्षिक बजट में विविध कार्यक्रमों व गतिविधियों हेतु आवश्यक व्यय, बचाव, राहत, प्रत्युत्तर तथा पुनर्वास हेतु आवश्यक व्यय आदि हेतु निश्चित प्रतिशत की राशि को आवंटित करने का प्रावधान किया जाना।

ख. वार्षिक बजट में आपदा न्यूनीकरण व्यय को पूर्ण करने के लिए कुल वार्षिक बजट में एक निश्चित प्रतिशत की राशि का आवंटन किया जाना। इसी प्रकार वार्षिक आपदा प्रबंधन योजना के अनुरूप आवंटन करना।

वार्षिक बजट मे विकेन्द्रीकृत मद का प्रावधान विकास तथा आपदाओं से निपटने हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है। नगरीय स्तर पर आपदारोधी संरचनाओं के निर्माण हेतु व्यय, प्रशिक्षण सामग्री हेतु व्यय व संचार संबंधी व्यय को वार्षिक आधार पर क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी के रूप में निजी संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाने के अवसरो को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही, इसका उपयोग सार्वजनिक व निजी आधारभूत संरचनाओं को सषक्त करने के लिए किया जाना चाहिए।

जोखिम हस्तांतरण तंत्र तथा वित्तीय जोखिम प्रबंधन उपायों को प्रोत्साहित करने से आपदा जोखिमों के खिलाफ संरचनाओं की सुरक्षा में सहायता मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सुविधाओं संबंधी पूंजीगत व्यय, गतिविधि व्यय, उपकरण तथा सामग्री व्यय, कार्यक्रम/गतिविधि व्यय सहित अन्य संबंधित व्यय का संचालन संबंधित विभागों एवं हितभागी संस्थानों के द्वारा मिलजुल किया जा सके। साथ ही, इसी आधार पर नगरीय क्षेत्रों हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिष्चित की जा सकती है।

आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष का सर्वाधिक महत्व होता है, अतः इसको भी ध्यान में रखते हुवे समस्त योजना तैयार की जाती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। आपदा प्रबन्धन योजना हेतु निम्नांकित वित्तीय प्रबन्धों का प्रावधान किया गया है–

8.2 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पान्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं0 323/2010–एनडीएम–1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पान्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पान्स फण्ड का गठन किया। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया।

8.3राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

15 वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

8.4 अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग

आपदा प्रबन्धन के सन्दर्भ में देखा जाये तो आपदा के बाद पुनर्निर्माण के समय वित्तीय संसाधन एवं प्रबन्धन का होना अत्यधिक आवश्यक है। इस हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग का प्रावधान किया गया है। राज्य आपदा प्रबन्धन कोष के प्रावधान से अलग गंभीर प्राकृतिक स्थिति होने पर इस कोष का प्रावधान राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स कोष से किया गया है।

8.5 क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा प्रत्युत्तर को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति

रिस्पान्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पान्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

8.6 प्रधानमंत्री राहत कोष

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में नियत जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।

सामान्यतः, धनराशि या तो तत्काल वितरित कर दी जाती है अथवा उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्गत कर दिया जाता है। शेषधन राशि को दीर्घावधि तक सुरक्षित रखने के लिए समुचित रूप से उसका निवेश किया जाता है। अधिकतम सुरक्षित धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि का निवेश बैंकों में आवधिक जमा योजनाओं में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं –

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु
- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख–भाल पहुंचाने हेतु
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ–सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

8.7 मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष स्थापित है। जिसमें विभिन्न माध्यमों से अर्थात शासकीय, अशासकीय व्यक्ति अथवा संस्था या कार्यालय द्वारा दी गई दान स्वरूप राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाती है। इस कोष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेक के अनुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उक्त पीड़ित लोगों को राहत पहुॅचाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत होता है, इस कोष से सहायता दी जाती है। यह दान राशि नगद, मनी–आर्डर, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी प्राप्त होती है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।

8.8 सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद द्वारा रू0 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च किया जा सकता है।

8.9 केन्द्र/राज्य प्रायोजित योजनाएं

विभिन्न प्रकार की आयजनक योजनाओं जैसे मनरेगा आदि के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इन योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक दूसरी प्रभावी योजना इन्दिरा आवास योजना है। प्रत्येक वर्ष इन्दिरा आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु आवंटित होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मीड–डे–मिल एक ऐसी ही योजना है। बाढ़ एवं सूखाड़ दोनों परिस्थितियों के भूखमरी से प्रभावित लक्षित वर्ग के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है। विशेषकर बंटाईदार किसानों के लिए बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015 से जुड़ाव किया जा सकता हैं।

8.10 स्मार्ट सिटी परियोजना, बिहार शरीफ

बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी के तहत चयनित हैं जहॉ विकास की गति तेज होगी ही साथ ही साथ जोखिम न्यूनीकरण व स्थायी विकास हेतु चिन्हित मुद्दो पर भी काम करने के अवसर शामिल होगे।

8.11 अन्य वित्तीय स्रोत

इसके अलावा जिला में किसी आपदा के समय प्रभावित समुदाय के सहायता हेतु अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें अपनी स्वेच्छा से आती है। ये आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अपनी–अपनी सुविधाओं के अनुसार समुदायिक क्षमता विकास एवं डिजास्टर रेजिलिएन्स प्रक्रिया विकसित करने हेतु बहुतायत परियोजनायें संचालित करती हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत से पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है।

8.12 कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी0एस0आर0)

भारत सरकार द्वारा कारपोरेट तथा कंपनियों को शुद्ध निवल लाभ का 2.5 प्रतिशत की राशि को सामाजिक दायित्वों व आपदा प्रबंधन संबंधी गतिविधियों हेतु संचालित करना अनिवार्य किया गया है। इस राशि का उपयोग करने हेतु नगर निगम के स्तर से प्रयास से किया जा सकता है।

अध्याय–9
योजना का अनुश्रवण, आंकलन तथा अद्यतनीकरण

9.1 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन का महत्व

बिहार शरीफ आपदा प्रबंधन योजना के मूल में नगरीय क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों निहित हैं तथा जो इसे प्रासंगिक बनाती हैं। योजना में नगरीय क्षेत्रों में व्याप्त विशिष्ट जोखिम, नाजुकताए, क्षमता व जोखिम संबंधी अवयवों को चिन्हित किया गया है। साथ ही, इसमें आपदाओं के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में सामुदायिक हितों एवं सोच का समावेश प्रत्येक स्तर पर किया गया है।

आपदा तथा विकास का पारस्परिक रूप से गतिशील प्रकृति का होने के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य किया जाना आवश्यक है। प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली योजना के कार्यचालन, प्रासंगिकता, प्रगति व व्यावहारिकता पर अर्न्तदृष्टि प्रदान करती है। निर्धारित समय सीमा के भीतर नियोजित लक्ष्यों तथा कार्यों को पूर्ण करने हेतु सतत् अनुश्रवण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आवश्यकतानुसार रणनीतियों में बदलाव किया जा सकता है तथा आपदा प्रबंधन योजना को और प्रभावी बनाने व आवश्यक सुधार किये जाने में सहायता मिलती है।

वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर संचालित योजनाए, नीतियों तथा गतिविधियां जो विशिष्ट कार्यकलापों, उभरती चुनौतियों तथा अन्य योजनाओं से संबंधित हैं, इसी आधार पर इस योजना में महत्वपूर्ण लक्ष्यों, उद्देश्यों, कार्यों व रणनीतियों का निर्धारण किया गया है तथा इसके अनुरूप मूल्यांकन प्रद्धति का विकास किया गया है। प्रशिक्षणों कार्यक्रमों, मॉक–ड्रिल व क्षमता निर्माण अभ्यास इस योजना को सफल बनाने में सहायक है तथा प्रासंगिक बनातें हैं। मूल्यांकन से प्राप्त सीख के अनुरूप योजना को संशोधित करने में मदद मिल सकती है।

9.2 अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करने के लिए न्यूनीकरण, तैयारी, प्रत्युत्तर, पुर्नवास तथा पुर्ननिर्माण करने हेतु अल्पकालिक व दीर्घकालिक लक्ष्यों को सम्मिलित करते हुए एक कार्ययोजना का विकास किया जाना आवष्यक है। योजना का समग्र मूल्यांकन जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा के द्वारा किया जाएगा। तद्नुसार अनुमोदन हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजी जाएगी।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही, राज्य प्राधिकरण की अनुशंसा के आलोक में व्याप्त चुनौतियों, अनुभवों तथा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए योजना का अद्यतन किया जाएगा।

नगर निगम आयुक्त तथा नगर निगम के पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा आपदा–पूर्व तथा अन्य विकास आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों का अनुश्रवण किया जाएगा, जिससे नगरीय क्षेत्र को आपदाओं की दृष्टि से सुरक्षित बनाया जा सके। इससे नगरीय स्तर की चुनौतियों की बेहतर समझ हो सकेगी व लक्ष्य के अनुरूप विकास योजनाओं को तैयार किया जा सकेगा।

बिहार की राज्य आपदा प्रबंधन योजना में किए गए प्रावधान के अनुसार योजना की समीक्षा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं नगर आयुक्त की तकनीकी समीक्षा समिति द्वारा वार्षिक आधार पर की जायेगी। समिति की बैठक में अनुश्रवण संबंधी प्रतिवेदन तथा क्षति आंकलन प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी, विशेष परिस्थितियों योजना के विभिन्न पहलुओं को चिन्हित करते हुए योजना का अद्यतन किया जाएगा।

9.3 योजना के अद्यतन की कार्रवाई

जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2019) में परिभाषित किया गया है, आपदा प्रबंधन योजना को वार्षिक तथा विशिष्ट परिस्थितियों में संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नवत् सम्मिलित हैं–

- व्यापक रूप से घटित घटना के पश्चात् गहन रूप से समीक्षा करना तथा संशोधन करना।
- प्रक्रिया एवं संचालित संसाधनों में बदलाव के पश्चात् (जैसे, नीति, कर्मिकों, संगठनात्मक संरचनाओं, प्रबंधन प्रक्रियाओं, सुविधाओं तथा उपकरणों)।
- राज्य तथा जिला प्राधिकरण द्वारा योजना, मार्गदर्शन व अनुशंसाओं के संबंध में जारी अधिसूचना या आवश्यक अद्यतन के पश्चात्।
- योजना लागू होने और आपात् घटना के प्रत्येक मामले के पश्चात्।
- प्रमुख अभ्यासों के पूर्ण होने के पश्चात्, प्राप्त अनुभवों से मिली सीख तथा सुझावों का योजना में समावेश किया जाना।
- नगरीय प्रोफाइल (संरचना) में बदलाव की स्थिति, प्रकोपों का जोखिम, आसन्न प्रकोपों को सम्मिलित करना।
- नए अथवा संशोधित कानूनों या अध्यादेशों का अधिनियमन

अनुश्रवण तथा मूल्यांकन से तकनीकी प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, नए शोधों तथा नवाचारों के आंकलन करने में भी मदद करता है। नगरीय आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए शैक्षिक संस्थानों तथा व्यावसायिक संगठनों के द्वारा किए गए प्रसांगिक शोध व तकनीकी इनपुट को सम्मिलित कर योजना का अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि योजना को नये तकनीकी नवाचारों व समाधानों के अनुरूप बनाया जा सके।

जैसा कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन योजना में चिन्हित किया गया है, नगरीय क्षेत्र की योजना को भी परिस्थितियों तथा अनुभवों के आधार पर वार्षिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा। योजना के तहत उद्देश्यों, कार्यों और कार्यों का आंकलन करते समय मॉक–ड्रिल, प्रशिक्षण व तकनीकी विशेषताओं को सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रमुख अपडेट निम्नलिखित पदाधिकारियों के साथ साझा किए जाएंगे:

- माननीय विधानसभा/विधानपर्षद सदस्य
- जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, एसडीआरएफ, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी।
- अन्य हितभागी (गैर सरकारी संगठन, सामुदायिक आधारित संगठन एवं समुदाय)

सभी प्रमुख हितभागियों के साथ संचार को सशक्त करने से आवश्यक सिफारिशों और सुझावों को एकत्र करने में सहायता मिलती है तथा योजना की गुणवत्ता, व्यावहारिकता एवं प्रासांगिकता को बढ़ावा प्रदान करती है।

भाग–2

(आपातकालीन प्रबंधन, राहत एवं पुनर्निर्माण कार्ययोजना)

अध्याय–10

आपातकालीन प्रबंधन का संस्थागत तंत्र

(Institutional Mechanism of Emergency Mangement)

10.1 आपात्कालीन प्रबंधन हेतु किए गए संस्थागत प्रावधान

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार L1 स्तर की आपदाओं का प्रत्युत्तर कार्य स्थानीय स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में आपदा की तीव्रता के अनुसार आपातकालीन प्रबंधन एवं प्रत्युत्तर संबंधी निर्णय जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा द्वारा लिया जाएगा। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, जिले में इंसीडेन्ट रिस्पांस सिस्टम के अन्तर्गत इंसीडेन्ट कमांडर जिलाधिकारी, नालन्दा अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी होगें, जिनके दिशानिर्देश में सभी संबंधित विभाग तथा रिस्पांस एजेंसियां राहत बचाव कार्यों का सम्पादन करेंगी। नगर निगम, बिहार शरीफ क्षेत्र में घटित आपदाओं के प्रथम प्रत्योत्तरदाता की भूमिका का निवर्हन नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ के द्वारा तब तक किया जाऐगा जबतक जिला प्रशासन, नालन्दा के द्वारा प्रयुत्तर नहीं कर दिया जाता है।

इसके साथ–साथ, आपदा के समय सामान्यतः जिलाधिकारी के नेतृत्व तथा निर्देशन में नगर निगम वो सभी कार्य सम्पन्न करेगा जो इसको सौंपा जायेगा या स्वीकृत जिला आपदा प्रबंधन योजना में नगर निगम के लिए निर्दिष्ट किया गया हो। इस दायरे में नगर आपदा प्रबंधन समिति जिसका ढांचा द्वारा आपदा प्रत्युत्तर के सभी कार्य किये जायेंगे।

10.2 आपातकालीन प्रबंधन हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन(टेबल संख्या–27)

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक–205 प्र0 पटना, दिनांक–22.06.2009 में आकस्मिक योजना के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर आपात् प्रबंधन समूह का गठन किया गया है, जिसमें आपात्कालीन साहाय विभागों के प्रधान सचिव सम्मिलित हैं। इसी अनुरूप, आपातकालीन प्रबंधन के दृष्टिगत जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के पत्रांक–1310/आ0प्र0, दिनांक–01 अप्रैल 2023 में किये गये प्रावधान के आलोक में किया गया है। जिला स्तरीय टास्कफोर्स द्वारा समय–समय पर समीक्षा बैठक आयोजित कर आपात्कालीन परिस्थितियों के प्रभावी प्रबंधन व संसाधनों के सुचारू कार्यचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

क्र0स0	पदाधिकारी	पद
1	जिलाधिकारी, नालन्दा	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक, नालन्दा	सदस्य
3	नगर आयुक्त, बिहार शरीफ	सदस्य
4	उप विकास आयुक्त	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन	सदस्य
6	अपर समाहर्ता (राजस्व)	सदस्य
7	अपर समाहर्ता–(आपदा प्रबंधन)/ प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन	सदस्य
8	मुख्य अभियंता–जल संसाधन	सदस्य
9	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य

10	जिला कृषि पदाधिकारी	सदस्य
11	जिला पशुपालन पदाधिकारी	सदस्य
12	जिला परिवहन पदाधिकारी	सदस्य
13	जिला आपूर्ति पदाधिकारी,	सदस्य
14	कार्यपालक अभियंता (विद्युत)	सदस्य
15	कार्यपालक अभियंता (पथ निर्माण विभाग)	सदस्य

जिले में आपदाओं की संवेदनशीलता व आकस्मिक परिस्थितियों के अनुसार अन्य विभागों व संबंधित हितभागियों को जिला स्तरीय टास्कफोर्स में सम्मिलित किया जा सकता है। नगर निगम क्षेत्र में घटित व्यापक स्तरीय आपदा के रिस्पांस करने हेतु नगर आयुक्त, बिहार शरीफ के द्वारा जिलाधिकारी, नालन्दा से राहत बचाव कार्यों को तीव्र व प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

10.3 नगर निगम, बिहार शरीफ में आपात प्रबंधन समिति

आपदा मोचन हेतु नगर निगम में जिला आपदा प्रबंधन समिति के नियंत्रणाधीन नगर स्तर पर एक त्वरित प्रत्युत्तर दल कार्य करेगी जिसका स्वरूप निम्नवत होगा।

1. नगर आयुक्त – अध्यक्ष
2. उप नगर आयुक्त –उपाध्यक्ष
3. नगर प्रबंधक –सदस्य सचिव
4. कार्यपालन अभियंता, यांत्रिकी –सदस्य
5. मुख्य सफाई निरीक्षक –सदस्य
6. सफाई निरीक्षक – सदस्य
7. विद्युत पर्यवेक्षक – सदस्य
8. सफाई इन्स्पेक्टर – सदस्य
9. तकनीकी पर्यवेक्षक – सदस्य

10.4 एकीकृत कमान्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर (आई0सी0सी0सी0) का संचालन

नगर निगम, बिहार शरीफ में स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से निर्मित एकीकृत कमान्ड एवं कन्ट्रोल सेंटर (आई0सी0सी0सी0) में नियन्त्रण कक्ष के रूप में 24X7 नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ के दिशानिर्देश में कार्यरत रहेगा। यह सेंटर आपातकालीन प्रबंधन की दृष्टि से सभी आधुनिक संचार व्यवस्था व निगरानी तंत्र से सुसज्जित है। इस सेंटर पर विभिन्न विभागों की प्रतिनियुक्ति आवश्यकता के मद्देनजर संचालित की जाएगी। वैकल्पिक रूप से इस सेंटर में आवश्यक संख्या में लैंड लाईन फोन, वायरलेस सेट, एक मोबाईल फोन, सेटेलाइट फोन तथा एक इन्टरनेट सुविधा के साथ कम्प्यूटर, प्रिंटर, वेबकैमरा तथा स्पीकर की व्यवस्था रहेगी। इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने, इसका संकलन करने, प्राधिकृत अधिकारी तक इस सूचना को पहुँचाने तथा उनके निर्देशों को पुनः संबंधित अधिकारी तक पहुँचाने के लिए तीनों पाली में 2–2 की संख्या में प्रशिक्षित कर्मी नियोजित किये जायेंगे। नगर कन्ट्रोल रूम में निम्न पंजियों का संधारण किया जायेगा –

(1) उपस्थिति पंजी
(2) शिकायत पंजी
(3) सूचना एवं संदेश पंजी
(4) शिकायत निवारण पंजी

10.5 पूर्व सूचना तंत्र

अधिकृत एवं प्रमाणिक श्रोत से प्राप्त सभी सूचनाओं को सूचना एवं संदेश पंजी में दर्ज कर संबंधित अधिकारियो तक आई0सी0सी0सी0 के माध्यम से पहुँचाया जायेगा। इस कार्य हेत आई0सी0सी0सी0 का हेल्पलाइन नम्बर सक्रिय रहेगा। मौसम व नदियों के जल स्तर में वृद्धि संबंधी सूचनाओं को नगर निगम, बिहार शरीफ में स्थापित किए गए विभिन्न डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड पर प्रसारित किया जाएगा, ताकि स्थानीय निवासी दी गई चेतावनी के अनुसार व्यवहार कर सकें। बिहार शरीफ में स्थानीय रेडियो, टेलीविजन एवं एफ0एम0 चैनल के माध्यम से भी आपदाओं से संबंधित सूचनाओं, सलाह, सुझाव व चेतावनियों को प्रसारित किया जाएगा। इस कार्य के सम्पादन में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। एस0एम0एस0, आडियो संदेश व वीडियो संदेश के माध्यम से भी आम लोगों से आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवहार करने के लिए अपील जारी की जाएगी। आई0सी0सी0सी0 एवं जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, नालन्दा के कम्यूनिकेशन योजना के अनुसार महत्वपूर्ण हितभागियों व जनप्रतिनिधियों को आपातकालीन प्रबंधन से संबंधित आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। वर्तमान समय में सोशल मीडिया भी सूचनाओं को त्वरित प्रसारित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बना है, नगर निगम के आधिकारिक फेसबुक/ट्विटर के माध्यम से सूचना पहुँचाई जा सकती है। प्रभावी समन्वय व सूचनाओं के त्वरित प्रसारण हेतु वाट्सएप ग्रुप का उपयोग भी किया जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों में प्रत्येक आपदा प्रवण वार्ड में पूर्व निर्धारित स्थल से लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचना संप्रेषित की जायगी। वार्ड स्तर पर गठित आपातकालीन प्रत्युत्तर दल (ERT) तथा राहत निगरानी समिति के माध्यम से भी हितधारको तक पूर्व सूचना पहुँचाने की कार्रवाई की जायेगी।

10.6 सहायक यंत्र एवं संयंत्र

आपदा मोचन के दौरान मुख्यतः निकासी, राहत एवं बचाव राहत शिविर संचालन, घायलों को अस्पताल तक पहुँचाना, अस्पताल में उनका समुचित इलाज, खून की कमी वालो के लिए रक्तदान शिविरों का आयोजन, मृतकों का अंतिम संस्कार, ध्वस्त जीवन सहयोगी सरचनाओ का मलवा निपटान तथा सार्वजनिक सेवाओ का त्वरित पुनर्स्थापन इत्यादि के लिए बहुत तरह के हल्के व भारी यत्र संयंत्र, उपस्कर उसको चलाने वाले प्रशिक्षित आपरेटर की आवश्यकता होती है। आपदा मोचन हेतु उपलब्ध संसाधन की सूची BSDRN पोर्टल पर संधारित है।

10.7 जिला प्रशासन तथा अन्य एजेंसियों से संयोजन

नगर निगम क्षेत्र में सभी आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य प्रति की कार्रवाईयों एवं राहत तथा अनुदान सहायता की स्वीकृति के लिए संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी अधिकृ त हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिला के सभी विभागों के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रतिनियोजित की गई है। नगर निगम क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के संबंधित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ एवं कृत्य आपदा प्रबंधन 2005 की अध्याय 4 धारा 30 की निम्न धाराओं में स्पष्ट किया गया है।

30.2(III) जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है। आपदाओं के निवारण और इसके प्रभावो के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा किये गये है।

30.2.(IV) जिला प्राधिकरण यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावों के न्यूनीकरण तयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिकधित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुश्रवण किया जाता हैं।

30.2. (x) – जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागो या प्राधिकारियों को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो आवश्यक हो।

30.2. (xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंद्ध विभागो या संबंद्ध प्राधिकारियों को जहाँ किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों को अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निर्देश दे सकेगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 निहित प्रावधानों के आलोक में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक तथा मानवीय घटना घटित होने पर प्रत्युत्तर प्रक्रिया की पहल नेतृत्व तथा समन्वय का सम्पूर्ण दायित्व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को है। उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं। अधिनियम की धारा 302 XVI से 30.2-XXIV तथा धारा 34 (a) से 34(m) तक द्रष्टव्य है)। इसके आलोक में नगर निगम क्षेत्र में प्रत्युत्तर हेतु जिला आपदा प्राधिकरण के निर्देशानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।

10.8 नगर आपदा प्रबंधन समिति

नगर निगम के अंतर्गत नगर आपदा प्रबंधन समिति का गठन मेयर/नगर आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न प्रकार से किया जायेगा।

- मेयर –अध्यक्ष
- उप महापौर –उपाध्यक्ष
- नगर आयुक्त –सदस्य सचिव
- उप नगर आयुक्त –सदस्य
- नगर प्रबंधक –सदस्य
- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल –सदस्य
- असैनिक शल्य चिकित्सक –सदस्य
- कार्यकारी अभियंता भवन प्रभाग –सदस्य
- कार्यपालक अभियंता जल निस्करण –सदस्य
- कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल –सदस्य
- कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल –सदस्य
- वन प्रमंडल पदाधिकारी –सदस्य
- जिला कृषि/उद्यान पदाधिकारी –सदस्य
- जिला पशु चिकित्सा पदाधिकारी –सदस्य
- आपूर्ति पदाधिकारी –सदस्य

10.9 आपात्कालीन समर्थन कार्य

नगर निगम, किसी भी आपदा के दौरान जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा के नेतृत्व तथा निर्देशन में वैसे सभी आपातकालीन समर्थन कार्य करेगी जिसका अधिकारिता बिहार म्यूनिसीपल अधिनियम–2007 द्वारा नगर निगम को प्राप्त है, एवं समय–समय पर शहरी विकास विभाग या अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाता है। नगर निगम, आपदा काल में प्रत्युत्तर के लिए एक त्वरित प्रत्युत्तर दल (Quick Response Team) का गठन करेगी जो न्यूनतम समय अंतराल में अपने दायित्वों की पूर्ति के लिये सदा सर्वदा 24X7 टीम लीडर एवं उपयुक्त

प्रशिक्षण प्राप्त कर्मी तथा आवश्यक यंत्र संयंत्रो के साथ तैयार रहेगी। गया नगर क्षेत्र में साफ सफाई के प्रर्यवेक्षण हेतु आठ दलों का गठन किया गया है। इसमें प्रत्येक दल का नेतृत्व उप नगर आयुक्त, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता द्वारा किया जायेगा। इन दलों में एक प्रभारी कनीय अभियंता/कर्मी, चार जमादार तथा उपयुक्त संख्या में सफाई कर्मी आवश्यक यंत्र संयंत्रों के साथ प्रतिनियुक्त किये गये है। इस QRT के सभी सदस्यों का नाम संपर्क, मोबाईल नम्बर उनकी विशेषज्ञता तथा कौशल की जानकारी संबंधी सारी सूचनायें टीम लीडर के पास उपलब्ध होगी। नगर निगम के पास प्रत्युत्तर हतु पूर्व से तैयार रखी गई यंत्र –संयंत्र जो चालू हालत में रखी गई हो तथा जमा की गई सामग्रियों की जानकारी भी हमेशा उपलब्ध रहेगी ताकि समय पर काम आये। आपात्कालीन प्रत्युत्तर के लिए अतिरिक्त सामग्री की जरूरत पड़ने पर आपूर्तिकर्त्ताओ को पहले से चिह्नित कर उन्हें संभावित क्रय आदेश निर्गत की जायेगी। नगर निगम के पास इन कार्यों को पूरा करने के लिए निधि का उपबंध बजट में किया जायेगा।

राज्य आपदा प्रबंधन योजना में निम्नांकित 15 प्रकार के आपातकालीन समर्थन कार्यों की सूची दी गई है। जो निम्नांकित है

1. सूचना आदान–प्रदान
2. कानून व्यवस्था
3. खोज एवं बचाव
4. राहत एवं आश्रय एवं चारा
5. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
6. पालतू पशु आश्रय
7. पेयजल आपूर्ति
8. उर्जा आपूर्ति
9. परिवहन व्यवस्था
10. लोक निर्माण कार्य
11. मलवा निपटान एवं सफाई
12. क्षति आकलन
13. सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्र
14. दान प्रबंधन
15. मीडिया प्रबंधन

10.10 घटना प्रक्रिया तंत्र तथा मानक संचालन प्रक्रिया

नगर निगम, बिहार शरीफ के किसी भी वार्ड या वार्ड समूहों में अथवा पूरे शहर में आने वाली विभिन्न आपदाओं के दौरान जिलाधिकारी के नेतृत्व एवं निर्देशन में उपरोक्त आपात कालीन समर्थन कार्य हेतु नगर निगम द्वारा निम्न कार्रवाई की जायेगी। इस दौरान बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुच्छेद 30 एवं 31 के अनुसार गठित वार्डो की समिति तथा वार्ड समिति को सक्रिय किया जायेगा।

1. सूचना आदान–प्रदान :– जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से किसी आपदा के घटित होने की पूर्व सूचना प्राप्त होते ही नगर निगम कार्यालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसो घंटे कार्य करना प्रारंभ कर देंगे जो आपदा की समाप्ति की घोषणा तक जारी रहेगी।

2. कानून व्यवस्था :– जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन तथा नागरिक सुरक्षा इकाई द्वारा किया जायेगा।

3. खोज एवं बचावः– L1 स्तर की अत्यंत साधारण आपदा काल में वार्ड स्तर पर गठित खोज, बचाव एवं निष्कासन दल द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। किसी गंभीर आपदा के समय जिलाधिकारी स्तर पर SDRF/NDRF या सेना को खोज एवं बचाव कार्यो के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

4. राहत एवं आश्रय :– जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित सभी आश्रय स्थलों के निकट चलन्त शौचालय या अस्थाई स्वच्छ शौचालय का निर्माण, पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु अस्थाई चापाकल की स्थापना, जलमल निकासी एवं निपटान की व्यवस्था, ठोस कचरा निपटान एवं डी.डी.टी., ब्लीचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर का छिड़काव एवं अन्य व्यवस्थायें जिलाधिकारी के निर्देशन में किया जायेगा।

5. स्वास्थ्य एवं स्वच्छता :– बिहार शरीफ शहर में चक्रवाती तूफान भूकम्प, अग्नि, जल जमाव, मौसमी बीमारी, वैश्विक महामारी तथा अन्य व्यापक प्रभाव वाली आपदाओं के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था स्वच्छता व्यवस्था को निर्वाध बनाये रखने का हर संभव प्रयास नगर निगम द्वारा किया जायेगा।

6. पालतू पशु आश्रय एवं चारा : जहाँ कहीं भी अस्थाई पालतू पशु आश्रय शिविर बनाये जाते हैं वहाँ पशुओं के मल–मूत्र की सफाई तथा उसके इर्द–गिर्द स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इसके लिए एक चिन्हित कार्य बल जरूरी यंत्र संयन्त्र तथा कचरा परिवहन गाड़िया तैनात की जायेगी। डी.डी.टी., ब्लीचिंग पाउडर तथा सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।

7. पेयजल आपूर्तिः– जहाँ कही पाईप एवं नल द्वारा पेय जल आपूर्ति की जाती है उन वार्डो में आपदा के कारण व्यवधान आने पर तत्काल टैंकर द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था की जायेगी अथवा अस्थाई चापाकल गाड़े जायेंगे। साथ ही व्यवधान को शीघ्रताशीघ्र दूर करते हुये जलपूर्ति व्यवस्था पुनर्बहाल की जायेगी।

8. उर्जा आपूर्तिः– उर्जा प्रवाह बाधित होने पर उत्तर बिहार पावर होल्डिंग कम्पनी लि. (NBPHCL) द्वारा आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आश्रय शिविर स्थलों पर विद्युत मुहैया करायेगी।

9. परिवहन व्यवस्था :– आपदा काल में प्रभावितों को शरणस्थली तक पहुँचाने, रसद पहुँचाने तथा अन्य आपात्कालीन कार्यों के लिए जरूरी परिवहन व्यवस्था जिला परिवहन पदाधिकारी बिहार शरीफ द्वारा की जायेगी।

10. लोक निर्माण कार्य :– सभी प्रकार के आकस्मिक निर्माण एवं रख–रखाव कार्य निर्माण विभागों के द्वारा किये जायेंगे।

11. मलवा निपटान एवं सफाई – विभिन्न आपदाओं में भिन्न–भिन्न प्रकार का मलवा इकट्ठा होता है जिसे यथाशीघ्र उस जगह से हटाकर सामान्य जीवन व्यवहार बहाल करना आवश्यक होता है। आपदावार मलवा निपटान एवं सफाई के लिए निम्न प्रकार का आपात्कालीन समर्थन कार्य की तैयारी नगर निगम के द्वारा की जायेगी।

(क) भूकम्पः– भूकम्प के दौरान जमींदोज हो गये भवन या पानी की टंकी का मलवा निपटान के लिए डोजर, डम्फर जेसीबी इत्यादि मशीनों का तैयार रखा जायेगा। कंक्रीट के छोटे–छोटे टुकड़ों में काटकर तथा कंक्रीट के भीतर के सरिये को लेजर बीम से काटने का प्रबंध किया जायेगा। इन छोटे टुकड़ों को जेसीबी तथा डोजर से समेट कर डम्फर में लोड कर दिया जायेगा जिसे शहर के इर्द गिर्द नीचे गढ़ढे को भरने के लिए अथवा ठोस कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा।

(ख) जलजमावः– शहर में यह आपदा को प्रभावित करती है। जलजमाव के बाद शहरों की गलियों, सड़को तथा घरो से गाद एवं गीला कूड़ा बहुत बड़ी मात्रा में फैले मिलते हैं। स्मार्ट सीटी के प्लान में भी इसपर कार्य कर इनको समेटने के लिए वाइपर तथा डोजर का प्रयोग किया जायेगा तथा

इसे भी शहर के निकट किसी गड्ढ़े या पूर्व निर्धारित कचरा निपटान स्थल पर भेज दिया जायेगा। अतिवृष्टि के कारण नगर निगम क्षेत्र में उत्पन्न समस्याओं का निराकरण करने तथा सभी नागरिक सुविधाओं में आई रूकावट को दूर करने के लिए बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के ज्ञापांक 5133 दि. 27.9.19 द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में समुचित कार्य किया जायेगा। इसमें जल निकासी हेतु पंपों का उपयोग कर जल निकासी के उपरांत संक्रमण रोगो से बचने के उपाय जल भरे गड्ढ़ो को चिन्हित करने मेन होल को बंद रखने का आदेश अंकित है।

(ग) अग्नि अगलगी की अवस्था में तुरंत प्रत्युत्तर की कारवाई की जा सके इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, पटना ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसे विस्तृत से अनुलग्नक पर देखा जा सकता है।

(घ) स्वास्थ्य: अस्पताल में अचानक जनहताहत् अग्निकांड या भूकंप आने की स्थिति में निम्नलिखित कार्यों को समन्वयित ढंग से सपन्न किया जायेगा जिसका ब्यौरा निम्नवत है–

• **जनहताहत प्रबंधन–** चिकित्सा प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर व्यवस्था को उत्प्रेरित करना, कमांड व्यवस्था को उत्प्रेरित, घायलों का वर्गीकरण, जाँचशाला, फार्मसी आदि की आपूर्ति एवं सेवा की तैयारी रखना।

• **अग्नि सुरक्षा प्रबंधन–** चिकित्सा प्रशासन एवं प्रणाली की तीव्र तत्परता, अस्पताल के आदेश प्रणाली की तीव्रता, रोगियों की निकासी, अग्निशमन सुरक्षा जाँचशाला, फार्मेसी तथा आपूर्ति सेवा को बहाल रखना।

• भूकम्प सुरक्षा प्रबंधन– चिकित्सा प्रशासन तथा प्रणाली की तीव्रता, अस्पताल में आदेश प्रणाली की तीव्रता, रोगियों की निकासी सुरक्षा, रोगियों का वर्गीकरण, जाँचशाला फार्मेसी एवं आपूर्ति व्यवस्था को बहाल रखना ।

नोटः उपरोक्त तीनों कार्य हेतु सदर अस्पताल अलग–अलग उतरदायित्व उपरोक्त कार्य हेतु समय सीमा (मिनट में) तथा उन कार्यों हेतु संबंधित चिकित्सक/मेडिकल स्टाफ/प्रबंधन की जवाबदेही निर्धारित करेगा। इसके लिए अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जायेगा।

(ड.) चक्रवाती तूफानः इस आपदा के दौरान आम तौर पर बड़े–बड़े पेड़ सड़को पर गिर कर आवागमन बांधित कर देते है। इनको जल्द से जल्द हटाना आवश्यक होता है। छोटे–मोटे पेड़ पौधो को हटाने के लिए कुल्हाड़ी, कुदाल अथवा मोबाइल आरी मशीन से काटकर इनके छोटे टुकड़ों को एकत्रित कर इनका भंडारण किसी खुले स्थान में कर दिया जायेगा जहाँ से यह वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। इस आपदा के दौरान टीन के छतो के उड़ने तथा अन्य हल्के पदार्थ बेतरतीब तरीके से सड़को पर फैलकर आवागमन को बाधित करते हैं। इनको इकट्ठाकर निपटान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान मृत लावारिस पशु तथा मनुष्य के शवों का विधिवत निपटान यथा दफनाने/जलाने का कार्य भी नगर निगम की आपदा कालीन प्रत्युत्तर दल की विशेष टीम द्वारा किया जायेगा।

12. सूचना प्रवाह तथा सहायता केन्द्रः सभी विभागों/संभागों के साथ समन्वयित ढंग से सूचना का प्रवाह बनाये रखने का कार्य नगर कट्रोल रूम के माध्यम से किया जायेगा।

13. दान प्रबंधन :– आपदा की स्थिति में गैर सामुदायिक संगठनों एवं अन्य माध्यमों से सामग्री तथा राशि की सहायता प्रदान की जाती है ऐसे में इस कार्य हेतु एक नोडल ऑफिसर नामित होंगे जो दान दाता संगठनों को आवश्यक वस्तुओं की जानकारी उपलब्ध करायेंगे तथा इनसे प्राप्त दान को एक समुचित पंजी में दर्ज करेगें।

14. मीडिया प्रबंधनः सभावित या घटित आपदाओं की स्थिति में विभिन्न मीडिया श्रोतों से सूचना का आदान–प्रदान सुनिश्चित करना श्रेयस्कर होगा। इस हेतु नगर निकाय, जिला प्रशासन या

नामित नोडल ऑफिसर तय समय पर मीडिया ब्रिफिंग करेगें। ऐसा करने से प्रशासन द्वारा किये जाने वाले कार्यों के बारे में आम जनता को जानकारी दी जा सकेगी।

15 समन्वय: सभी हितभागी एजेंसियों/विभागों के नोडल पदाधिकारियों के बीच आपसी समन्वय बनाये रखना प्रभावी आपदा मोचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अद्यतन बनाये रखने का सभी उपक्रम प्राथमिकता के तौर पर किये जायेंगें। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर गठित आपातकालीन संचालन दल के मुखिया (Commander) जवाबदेह होगे। दल में शामिल सदस्य कमांडर के निर्देशों का पालन करेगें।

10.11 इंसीडेंट रिस्पास सिस्टम

वर्तमान में इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम वैष्विक स्तर पर आपातकालीन प्रबंधन हेतु अपनायी जाने वाली आधुनिकतम प्रणाली एवं व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, जिला एवं स्थानीय स्तर पर घटित आपदाओं व दुर्घनाओं पर त्वरित, प्रभावी एवं समन्वित रिस्पांस हेतु इस प्रणाली को आत्मसात् किया है। इस प्रणाली के संचालन हेतु सभी आधुनिक तकनीकों का समावेश आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है।

इस प्रणाली के अर्न्तगत जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी (अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) **इंसीडेंट कमाण्डर** होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) अथवा जिला पदाधिकारी द्वारा नामित अन्य पदाधिकारी होते हैं। इंसीडेंट कमाण्डर को सहयोग प्रदान करने का कार्य सेफ्टी ऑफिसर निष्पादित करते हैं। सामान्यतः सेफ्टी ऑफिसर स्थानीय पदाधिकारी या रिस्पांस दल के प्रमुख होते हैं। लॉयजन ऑफिसर का कार्य नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ तथा ग्रामीण/अन्य क्षेत्रों हेतु प्रभारी पदाधिकारी (आपदा प्रबंधन), नालन्दा निष्पादित करेंगें। नगर निगम, बिहार शरीफ क्षेत्र में संबंधित रिस्पांस एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने में प्रभारी पदाधिकारी, (आपदा प्रबंधन), नालन्दा द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ को सहयोग प्रदान किया जाऐगा। सूचनाओं के सम्प्रेषण हेतु जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा मीडिया समन्वयक का कार्य करेंगे।

इस प्रणाली के सफल संचालन में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र (DEOC) की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र सूचनाओं का आदान–प्रदान व अन्तर विभागीय समन्वय का कार्य कर आपात् प्रबंधन संबंधी सभी संबंधित पदाधिकारियों, विभागों व रिस्पांस एजेंसियों को आवश्यक निर्देश व सहयोग देगी। DEOC सभी आपातकालीन संचालन विभागों/एजेंसियों (ESFs) को अलर्ट करेगा और समन्वय करके घटना स्थल पर शीध्र पहुंचाने में अन्य नियन्त्रण कक्षों से समन्वय स्थापित करेगा। इसी प्रकार, स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत स्थापित इंसीडेंट कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर, बिहार शरीफ द्वारा भी DEOC, संबंधित विभागों व रिस्पांस एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। घटना स्थल पर जिला पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर के मार्गदर्शन व नेतृत्व में राहत–बचाव अभियांन का संचालन किया जाएगा। सभी विभाग व रिस्पांस एजेंसियां इंसिडेंट कमांडर के निर्देशों का पालन करेंगे। इस प्रणाली के तहत् ऑपरेशन सेक्शन के चीफ पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, प्लानिंग सेक्शन के चीफ उप विकास आयुक्त, नालन्दा तथा लॉजिस्टक सेक्शन के चीफ अपर समाहर्ता (राजस्व/आपदा प्रबंधन), नालन्दा होगें, जो राहत–बचाव कार्य में प्रयुक्त किये जाने वाले आवश्यक उपकरणों, संचार उपकरणों और मानव संसाधनों की व्यवस्था

संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करेंगे। सभी सेक्शन के चीफ के द्वारा आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों, कर्मियों, राहत–बचाव टीमों (पुलिस, अग्निशमन, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0,गृह रक्षा वाहिनी आदि), विशेषज्ञों, स्वयंसेवकों, एन0सी0सी0 कैडेट, संवेदकों, वाहन चालकों, जे0सी0बी/क्रेन चालकों, कारपेंटर, मिस्त्री, श्रमिक आदि की प्रतिनियुक्ति आवश्यकतानुसार अल्पकालिक रूप से की जा सकेगी। प्रत्युत्तर कार्यों के समुचित प्रबंधन, दस्तावेजों के रखरखाव, वित्तीय लेन–देन, वाहन व्यवस्था, आपदा राहत केन्द्रों के संचालन, सामुदायिक रसोई का संचालन आदि के संबंध में आवश्यक निर्णय जिलाधिकारी, नालन्दा द्वारा लिया जाएगा तथा उनके द्वारा संबंधित पदाधिकारी (यथा प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, वरीय उपसमाहर्ता, जिला नजारत, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी आदि) को आवश्यक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी दी जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ से समन्वय स्थापित करते हुए राहत–बचाव का संचालन करेंगे।

जिला प्रशासन, नालन्दा द्वारा राहत–बचाव कार्यों को जब तक अपने दायित्व में नहीं ले लिया जाता है तब तक स्थानीय पदाधिकारी (नगरीय क्षेत्र में नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ तथा ग्रामीण क्षेत्र में अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी) या रिस्पाण्डर (पुलिस, स्वास्थ्य या संबंधित विभाग) ही इंसीडेंट कमाण्डर का कार्य संपादित करते हैं। **(चित्र संख्या–21)**

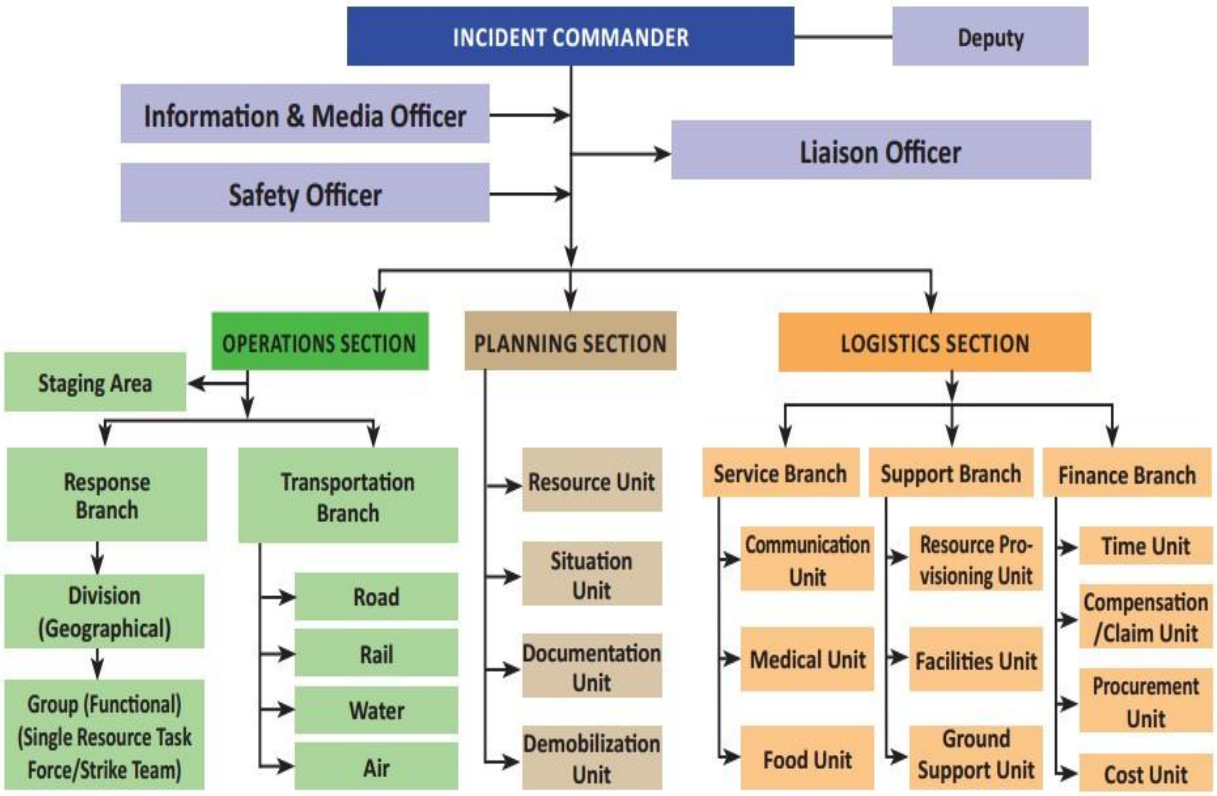

अध्याय–11
पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापन
(Reconstruction and Rehabilitation)

भीषण आपदाओं के दौरान निजी अथवा सार्वजनिक अंतः संरचनाओं में व्यापक क्षति होने के कारण आपदा के घटित होने के साथ ही दैन्दिनी की कई गतिविधियाँ पुर्णतः या आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। अत्यंत संवेदनशील संरचनाये यथा बिजली, सड़क संपर्क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार, रोजगार इत्यादि ठप हो जाती है। जीवन यापन को सामान्य बनाने हेतु पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यो को पूरा करन की कार्रवाई प्रारंभ कर इसे पूरा करने में अच्छा खासा संसाधन एवं समय लगता है। इस बीच जीवन प्रदायी राहत कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है ताकि प्रभावित समुदाय या समाज की जीवन सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

यूएनआईएसडीआर द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएँ निम्नवत है

पुनर्निर्माण (Reconstruction): आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त जीवन प्रदायी संवेदनशील अंतः संरचना सेवा, मकान, जन सुविधा तथा जीविका के साधन जो आपदाग्रस्त किसी समुदाय या समाज के पूर्ववत् क्रियाशील बनाये रखने के लिए आवश्यक हो की जगह एक मजबूत (Resilient) संरचना का मध्यकालीन या दीर्घकालीन पुनर्निर्माण जो टिकाउ विकास तथा पूर्व से बेहतर निर्माण की अवधारणा के अनुरूप हो तथा जो भविष्य में आपदा जोखिम न रहे। उसे हम पुनर्निर्माण कहेंगे ।

पुनर्स्थापन (Rehabilitation): किसी समुदाय अथवा समाज के सामान्य क्रियाकलापों के लिए उपलब्ध प्राथमिक जन सुविधा, सेवा जो आपदा से ध्वस्त हो गई हो का त्वरित पुनर्निर्माण को पुनर्स्थापन कहा जायेगा।

पुनर्निर्माण (Reconstruction): तत्कालीन क्रियाकलाप में संबंधित संस्था सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगी। साथ ही संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर निगम द्वारा आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मत का कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः पूर्व से बेहतर रूप में बहाल करना ।

पुनर्वास द्वारा पुनर्प्राप्ति (Recovery through Rehabilitation): आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसा से उबरने में सफल हो सके।

क्षति आकलन प्रक्रिया तथा प्रपत्र आपदा प्रबंधन विभाग को अधिसूचना संख्या 3601 दिनांक 30.09.2014 के अनुसार प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का चयन जिला दण्डाधिकारी को करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच शक्ति का प्रत्योजन (Power Delegate) कर सकते है। आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी अंतःसंरचना, संपत्ति

की हानि तथा पर्यावरण क्षति की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यों से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यत दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन

(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है, इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यक कार्रवाई का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरभाई टिकाउ विकास कार्यों द्वारा की जानी चाहिये। आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –

- .मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्ति को हानि
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओ की क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण की क्षति
- मनोसामाजिक संघात

11.1 संभागवार आपदा क्षति आंकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी (टेबल संख्या–28)

क्र. सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	मानव क्षति	मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम संस्कार करवाना।	समुदाय, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल पदाधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	घायलो को राहत शिविर या स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा	पुलिस चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
	आधारभूत संरचना	आपदा के उपरांत सरकारी भवनों, सड़क संपर्क, पुल–पुलिया जल–मल निकास नाली, संचार एवं विद्युत आपूर्ति संरचना तथा सुरक्षा तटबंध इत्यादि में हुई क्षति की मापी तथा आवश्यक मरम्मति का प्राक्कलन तैयार करना।	भवन निर्माण प्रमंडल पथ प्रमंडल संचार प्रमंडल नगर विकास प्रमंडल
3	जीवनदायी संरचनाओं	क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन की तैयारी।	संबंधित विभाग

	का मरम्मत/ पुनर्निर्माण,		
4	निजी घर/मकान	निजी मकानों को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना ।	अंचलाधिकारी
5	पशु संसाधन	पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मूल्यांकन करना।	पशुपालन अधिकारी बीमा कंपनी
6	चिकित्सा (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराना। आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराना।	असैन्य शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन)
7	जीविका के साधन बहाल करना	जीविका के साधन या उद्योग धंधे जो आपदा प्रवण क्षेत्र में स्थापित/संचालित हो उनको बीमित करना तथा उनके पुनर्वापसी हेतु आकलन तैयार करना।	बीमा कंपनी, श्रम संसाधन विभाग कल्याण विभाग शहरी जीविका मिशन

11.2 पीड़ितों को राहत

भूकंप, जल जमाव तथा नगरीय बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये हैं इसका सक्षिप्त विवरण का उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नांकित है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस.डी. आर. एफ. एवं एन. डी. आर. एफ.) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में निर्धारित न्यूनतम मापदंड अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा निर्देश
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09. 2008।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वजपात (Lightning), लू (Heat Wave) अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा) नदियों/तालाबों/गड्ढों में डूबने से होने वाली मृत्यु मानव जनित सामूहिक दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय आपदा (Local Disaster) के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं

से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया। सड़क दुर्घटना में क्षतिपूर्ति देने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- पत्रांक 1692 दिनांक 2204.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee बैमुनम के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।
- कुछ विशेष परिस्थितियों में अगलगी से प्रभावित पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राहत का प्रावधान किया है।
  - ➢ आग से क्षतिग्रस्त दुकान/माल के लिए मुआवजा,
  - ➢ अगलगी पीड़ितों के लिए विशेष राहत केन्द्र का संचालन,
  - ➢ गैस लीक से अगलगी से पीड़ित को अनुदान
- ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/भूकंप से प्रभावितों को राहत वितरण के संबंध में राज्यादेश संधारित हैं। वज्रपात के कारण मृतकों के आश्रितों को भी समतुल्य अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया हैं।.

11.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन

आधारभूत संरचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क संपर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसियों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

11.4 जीवनप्रदायी भवनों की मरम्मति

जल जमाव एवं नगरी बाढ़ तथा भूकंप से क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैन्दिनी कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो उन भवनों की यथाशीघ्र मरम्मती कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगा। आपातकालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मती युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

11.5 अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माण

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

11.6 आजीविका का पुनर्स्थापन

आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते है। आर्थिक गतिविधियों ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्याओं से वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान, कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है।

पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा शहरी विकास कार्यक्रमों में तरजीह दी जायेगी।

11.7 चिकित्सा सुविधा का पुनर्स्थापन

आपदा के संघात से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र में चिकित्सा के लिए स्थापित अस्पताल, नर्सिंग होम, आपदा प्रभावित हो तो इनका पुनर्स्थापन किया जायेगा।

11.8 दीर्घकालिक पुनर्वापसी

बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यों से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

अध्याय–12
वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (बाढ़ एवं जल जमाव)

बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्र में बाढ़ वार्षिक रूप से नहीं घटित होती है, परन्तु हालिया वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों व अतिवृष्टि से फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसके फलस्वरूप, बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न सार्वजनिक संरचनाओं यथा–सड़कों, पुलों, भवनों आदि की क्षति हुई। इसके शहरी में पंचाने नदी से मानसून के समय में तेलिया डैम से अचानक पानी छोड़े जाने व कम समय में अत्यधिक बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती हैं, जिससे नगर में बाढ़ सन् 2003, 2007, 2011, 2013, 2014 तथा 2019 में सर्वाधिक प्रकोप रहा हैं।

प्रभाव का कारण– नगरीय क्षेत्र में बहने वाली पंचाने नदी जो कि झारखण्ड से बहती हुई आती हैं, वर्षा के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ता हैं और तेलिया बैराज से पानी एकसाथ में अत्यधिक छोड़ने से बाढ़ की स्थिति बन जाती हैं जिससे बाढ़ से वार्डो की जनसंख्या, सड़क, भवन, मौसमी खेती व व्यवसाय आदि पर प्रभाव पड़ता हैं। बिहार शरीफ अत्यंत बाढ़ प्रवण क्षेत्र नहीं है, जिस कारण बाढ़ से निपटने हेतु आवश्यक उपायों का प्रबंध नहीं है।

जल स्त्रोत का नाम	प्रभावित क्षेत्र
पंचाने नदी व इसकी शाखा तथा स्थानीय नाले	आशा नगर, मंगला स्थान, बड़ी दरगाह, लोहगानी, पटेल नगर, कोसुक, राना बिगहा, सिपाह चक, रसुलपुर, विजवनपार, चैनपुर पिचासा, मघरा, साठोपुर, काकोबिगहा, पचौड़ी, पुलपर, खंदकपर, सकुनत मोहल्ला व भुसट्टा

बाढ़ से प्रभावित होने वाले वार्ड– बाढ़ के प्रभाव को शहर में प्रभावित जनसंख्या की दृष्टि से अधिकतम, मध्यम व न्यूनतम प्रभावित वार्ड की श्रेणी में दर्शाया गया हैं जिसका वार्डवार विवरण निम्नवत् है–

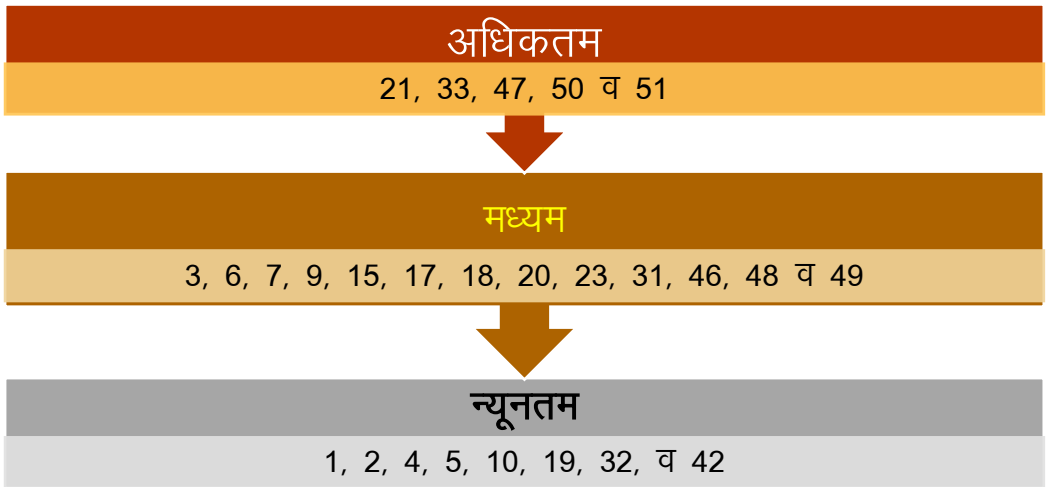

चित्र संख्या–22 (बाढ़ मानचित्र)

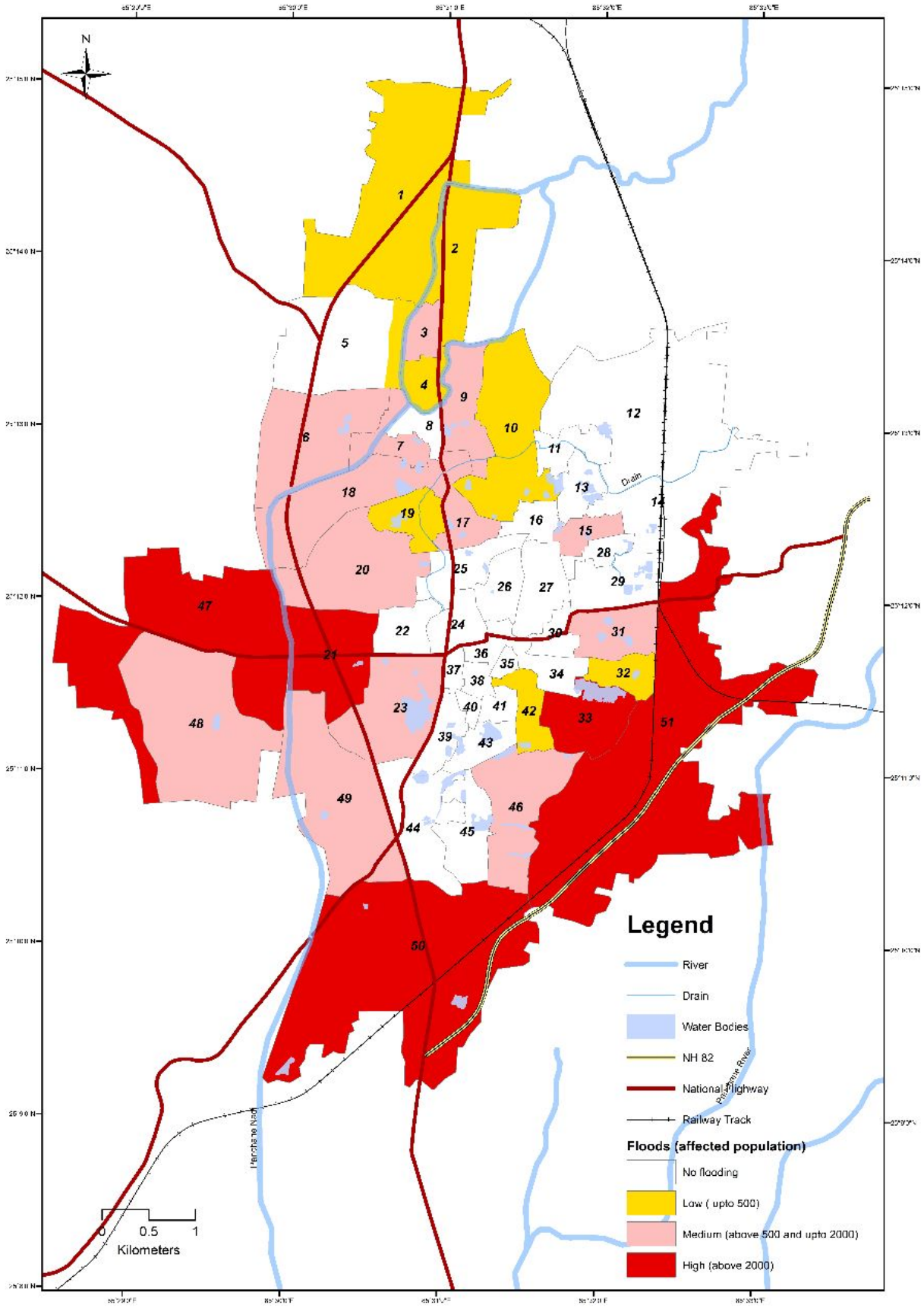

बिहार शरीफ के प्रमुख नालों का विवरण एवं प्रभाव क्षेत्र (टेबल संख्या–29)

बिहार शरीफ में 02 प्रमुख नाला हैं जिससे बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र के घरों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले प्रदूषित जल का समुचित डिस्जार्च होता है।

नाला क्रमांक	नाला मार्ग	वार्ड संख्या
1	पंचाने, छज्जू, शेखाना, मुगलकुंआ, सदर हास्पिटल मोड़, सरकारी बस स्टैण्ड, मछली मंडी, लहेरी थाना	7, 10,11, 12, 13,14, 17, 19, 20, 22,23, 24, 25, 37, 39
2	पंचाने, खन्दक मोड़, महिला कालेज मोड़	14,15,26, 28, 27 29, 30, 31

बिहार शरीफ में प्रदुषित जल का शोधन एवं पुर्न उपयोग (टेबल संख्या–30)

एस0टी0पी0 का नाम एवं स्थल	क्षमता	पोषित क्षेत्र
छज्जू मोहल्ला,वार्ड संख्या–13	25 एम0एल0डी0 क्षमता	110.43 सीवेज कलेक्शन नेटवर्क के माध्यम से एकत्रित जल का शोधन कर जल का पुर्नप्रयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है।
नगर निगम, बिहार शरीफ के क्षेत्र में स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत 16 किमी के नालों व ड्रेनेज सिस्टम का प्रावधान किया गया है। बिहार शरीफ में नालों का निर्माण चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है, जिसको 30 जून 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।		

- बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से शोधित जल का पुनर्उपयोग कृषि, औद्योगिक उपयोग आदि लाया जाएगा। इस प्लान्ट से शोधित जल को पंचाने नदी में डिस्चार्ज किया जाएगा।

नगरीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति से प्रभावित मुहल्ले व वार्ड स्तर पर उपलब्ध संसाधनो की सूची

(टेबल संख्या–31)

क0 सं0	प्रभावित वार्ड व आबादी	जल–जमाव वाला क्षेत्र	चिन्हित उपलब्ध संसाधन	सेवा/सुविधा का प्रकार	दूरभाष/मोबाइल नम्बर
01	वार्ड 1– सोहडीह व महुआतर **प्रभावित आबादी–450**	सोहडीह सनैया पोखर, नालन्दा म0वि0 सलेपुर सोहडीह,	निर्मल गंगाजल वाटर सप्लायर	पेयजल की सुविधा	9525323010
			पंकज कुमार	टेंट	6201192431
			मो0 अरमान	हार्डवेयर	8229025455
			टुनटुन प्रसाद	पम्पसेट–पानी निकासी हेतु	6203500586
			नालन्दा मध्य विद्यालय सलेमपुर, सोहडीह	शरणालय	7004175968
			बाल विद्या कंजु मध्य विद्यालय	शरणालय	9113793255
			उर्दू प्राथमिक कन्या विद्यालय	शरणालय	9304419566
			सम्राट अशोक भवन	शरणालय	————
			अर्जुन	किराना दुकान	7856849674

02	वार्ड 2– बबुरबन्ना, शहोखर, बन्धु बाजार **प्रभावित आबादी–400 (80 घर)**	बबुरबन्ना, शहोखर, बन्धु बाजार	सन्टू	किराना दुकान	9934691897
			कुमार मेडिकल हॉल–	दवा दुकान	9279079244
			संत मेडिकल हॉल	दवा दुकान	9905998249
			आजाद मिल–	पशु आहार	9234402249
			रिंकी आर0ओ0	पेयजल आपूर्ति	9262562649
			कारू मिस्त्री	मिस्त्री	9693717339
			चौधरी टेन्ट हाउस	टेन्ट हाउस	8789781175
			अरविन्द टेन्ट निराला टेन्ट हाउस	टेन्ट हाउस	6205627352
			साधना टेन्ट हाउस–	टेन्ट हाउस	9334620139
			महात्मा हार्डवेयर	हार्डवेयर	9835081962
			मन्टु साव मिल	टिम्बर	9835045520
03	वार्ड नं0 3– महुआ टोला, अड्डा पर **प्रभावित आबादी–1200**	महुआटोला, पटेलनगर सर्वोदय स्कुल के पीछे महुआ टोला	श्रीचन्द किराना	थ्करान	8051410333
			दीपक कुमार बिचली अड्डान किराना	थ्करान	7903055793
			गौरीर मेडिकल दुकान	दवा दुकान	7645940228
			सुषमा मेडिकल	दवा दुकान	9279358801
			भारत मेडिकल हॉल	दवा दुकान	9905293286
			सुरभी मेडिकल हॉल	दवा दुकान	8651341797
			अल–मिजन मेडिकल हॉल	दवा दुकान	8102182038
			डॉ0 अरूण कुमार	अस्पताल	7563978236
			वाटर प्लान्ट– ए0 एफ0 डब्लू0 दुकान	पेयजल आपूति	9122536397
			अरविन्द मिस्त्री	राज मिस्त्री	9135087801
			राजु टेन्ट हाउस एवं पंडाल	टेन्ट हाउस	7654367392
			रामप्रवेश प्रसाद राज मिस्त्री	राज मिस्त्री	8404911939
			पालम गार्डेन	विवाह भवन	9708076544
			चुन्नी भवन	विवाह भवन	9386151263
04	वार्ड नं0 4–करूणाबाग **प्रभावित आबादी–280**	किसान कालेज को जाने वाली मुख्य सड़क व आबादी	उमेश कुमार, प्रभारी, राम चरण,मध्य विद्यालय, सोहसराय	शरणालय	7903227293
			डा0 मनीष कुमार, मनीष क्लीनिक अस्पताल,	अस्पताल	9709456019
			डा0 रवि कुमार, सागर डेंटल अस्पताल	अस्पताल	8210296836
			अवधेश प्रसाद	किराना दुकान	9208542122
			संतोष कुमार	किराना दुकान	9931744357
			अनिल कुमार	किराना दुकान	9525324446
			संजय	किराना दुकान	7352880695
			अरूण कुमार	किराना दुकान	9835014023
			मुन्ना गुप्ता	किराना दुकान	7970881941
			जय प्रकाश	किराना दुकान	9334835491
			सरोज मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	6112232840
			न्यू गुंजल मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	7992301722
			उजाला मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	9431687814
			आनंद मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	8936831985
			महेश मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	9122566488

			नील जल	पेयजल	7762867299
			हिम जल	पेयजल	8935863989
			शम्भू पासवान	टिंबर शाप	9835768524
			ऋषि टेंट हाउस	टेंट हाउस	9835699300
			रजनीश टेंट हाउस	टेंट हाउस	7762866232
			सूरज टेंट हाउस	टेंट हाउस	9304860021
			न्यू बाम्बे हार्डवेयर	निर्माण सामग्री	8825121480
			कामता हार्डवेयर	निर्माण सामग्री	9608069737
			श्रीराम हार्डवेयर	निमार्ण सामग्री	8409600000
			शर्मा इंजीनियरिंग वर्कशाप	वेल्डिंग शाप	7677240067
			वृंदावन मैरेज हाल	निजी विवाह भवन	8271416835
			बी–02 पैलेस एण्ड वैंकवेट हाल	निजी विवाह भवन	9931151157
			गंगा मैरेज हॉल	निजी विवाह भवन	7909028429
05	वार्ड नं0 5 **प्रभावित आबादी–350**	पंचाने नदी से सटे हुए क्षेत्र	डॉ0 अशोक कुमार, किसान कॉलेज सोहसराय बिहार शरीफ	शरणालय	8292498214
			धर्मशीला कुमार, प्रयाग लाल साहु उच्च विद्यालय	सरकारी कार्यालय	8298442266
			राजीव रंजन सिन्हा, मध्य विद्यालय सलेमपुर बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	8210340289
			श्रीकान्त प्रसाद, कन्या मध्य विद्यालय सलेमपुर बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	9835018757
			विनोद कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तालाब पर सोहसराय बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	9708367112
			डॉ0 संजीत कुमार, के0 एस0 टी0 कॉलेज सोहसराय बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	8789458155
			ओम प्रकास रविदास, सलेमपुर रविदास टोला सोहसराय	सामुदायिक भवन	8051509271
			दिनेश पासवान, सलेमपुर खदापर कुआं सोहसराय,	सामुदायिक भवन	7209741305
			प्रसुन कुमार अकेला, पी0 एल0 साहु सोहसराय बिहार शरीफ	सरकारी विद्यालय	7992242581
			पवन कुमार यादव सुरज कुमार, शुभ मैरेज हॉल 17 नं0 सोहसराय	विवाह भवन	7678518060
			धर्मेन्द्र कुमार, शुभ शगुन मैरेज हॉल 17 नं0 सोहसराय	विवाह भवन	8936078442
			चन्द्रमौली प्रसाद, राधे कृष्ण बाटीका 17 नं0	विवाह भवन	9006344509
06	वार्ड न0–06 आशानगर से सोहसराय पुल तक **प्रभावित आबादी–2000**	आशा नगर राज शिक्षा निकेतन रोड एवं कृषि क्षेत्र	अर्चना कुमारी, कन्या मध्य विद्यालय पंडित गली	स्कूल	7061194202
			मनोज कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तालाब पर	स्कूल	8252484964
			सारजदा वानो, कन्या मध्य विद्यालय तलाब पर	स्कूल	7004583491
			डॉ कुमार गौरव, अंजू हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9931283014

			डॉ कुमार गौरव, अंजू मेडिकल हॉल	प्राईवेट अस्पताल	8210316192
			श्रवण, श्रवण मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9831833144
			श्रवण, अंजु मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	8210316192
			रविन्द्र कुमार, गंगोत्री पेय जल	पेयजल	9334932370
			महावीर साव	राज मिस्त्री	7258905765
			विनोद सिंह	मजदूर	6201020955
			भरत साव	राज मिस्त्री	8809840148
			छोटू पासवान	राज मिस्त्री	7859008575
			जवाहर पासवान	मजदूर	7371863001
			विजय पासवान	मजदूर	9135135028
			धर्मेन्द्र कुमार	मिस्त्री	6204477446
			शक्ति, उपकार टेन्ट हाउस	टेन्ट हाउस	9113110062
			सुरज, एस. के. इण्डस्ट्री गेट ग्रीन चैनल	ग्रील निर्माता	6207988720
			संतोष, मेहता इन्जिनियरिंग	ग्रील निर्माता	6206696263
			सुधीर,	ट्रैक्टर	9835227989
			रिंकु	निजी विवाह भवन	9700495084
			सुरेश कुमार	निजी विवाह भवन	9931294179
			सुधीर	निजी विवाह भवन	9831299439
07	वार्ड न0–07 **प्रभावित आबादी–2000**	आशानगर पल से हबिवपुरा रोड बालदेव के घर तक	धर्मशीला कुमारी, प्राथमिक विद्यालय हविवपुरा	स्कूल	9123433601
			धर्मशीला कुमारी, उर्दू मध्य विद्यालय मदरसा आशानगर	स्कूल	8294667116
			मो0 फैजान अमिरी, उर्दू कन्या प्राथमिक विद्यालय	स्कूल	9771739271
			धर्मशीला कुमारी, कन्या प्राथमिक विद्यालय हविवपुरा	स्कूल	7541945814
			मजरूहल हक, उर्दू प्राथमिक विद्यालय वसार विगहा	स्कूल	9199300927
08	वार्ड न0–09 **प्रभावित आबादी–1000**	जलालपुर रचिदास टोला, बड़ी खास गंज, बोलीपर	प्रमोद कुमार सिंह, उर्दु प्राथमिक विद्यालय खासगंज	स्कूल	9608272549
			अंकित राज, उर्दु प्राथमिक विद्यालय खासगंज	स्कूल	7991164404
			मो0 जरीफ आजम, मध्य विद्यालय खासगंज	स्कूल	9060589582
			सवा यासमिन, उर्दु कन्या प्राथमिक विद्यालय, खासगंज	स्कूल	9693701040
			अकेला राही, सामुदायिक भवन, खासगंज वासतल	सामुदायिक भवन	9955539596
			धनन्जय कुमार	सरकारी कार्यालय	9308009006
			डॉ0 अवधेश कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8084833739 06112233433
			मुकेश कुमार, मोती मेमोरियल हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9430254003

			डॉ0 संजय कुमार, आशा हॉस्पिटल ए0 मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9934499994
			मो0 आदिल,	किराना दुकानदार	8083871317
			गुड्डु कुमार	किराना स्टोर	9798240870
			सोनु कुमार	किराना स्टोर	6203533708
			सुनिल साव	किराना स्टोर	9572488384
			राजेश कुमार	किराना स्टोर	8340376320
			प्रेम कुमार	दवा दुकानदार	7209834278
			नन्दकिशोर मिस्त्री	जलावन लकड़ी	6202969421
			सुनिल मिस्त्री	राज मिस्त्री	6203332525
			दिलीप मिस्त्री	राज मिस्त्री	7970626628
			राजीव कुमार	मजदूर	9905701114
			संतोष कुमार	मजदूर	9263550493
			पप्पु कुमार	मजदूर	7678776025
			पंकज कुमार	मजदूर	6203024905
			रामानन्द	मजदूर	7970516669
			अशोक पंडित	राज मिस्त्री	8294951940
			मो0 शहजादा	टेन्ट हाउस	9835423029
			धनन्जय कुमार	टेन्ट हाउस	9955392224 9572432416
			सतीश कुमार	हार्डवेयर दुकान	8210982738
			मो0 जाफर अबी	ट्रैक्टर	9835648481
09	वार्ड न0–10 **प्रभावित आबादी–1500**	लेगगामी	डॉ विवेकानन्द कुमार, आई केयर	प्राईवेट अस्पताल	9308462602
			डॉ0 उर्मिला सिंह, शिवम हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9934298000
			डॉ0 वीरमणी कुमार, मगध हेल्थ केयर	प्राईवेट अस्पताल	7631197720
			डॉ0 बालमुकुन्द प्रसाद, बसु सर्जिकल हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	8552727760
			संजय कुमार मेहता,	गणमान्य व्यक्ति	7004165485
			रविरंजन कुमार,	गणमान्य व्यक्ति	9304371748
			डॉ0 वालमुकुन्द प्रसाद	गणमान्य व्यक्ति	8552727760
			शंकर प्रसाद	किराना दुकानदार	9835282833
			रंजीत, रंजीत मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9304175834
			संजीव कुमार	जलावन लकड़ी विक्रेता	7485069791
			मो0 नेमतुलहा	जलावन लकड़ी विक्रेता	9835625712
			सुधीर	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9835686932
			गणेश प्रसाद, प्रेम साउंड	टेन्ट	9334098791
			भारत हार्ड वेयर दुकान	हार्डवेयर दुकान	7942685969
			बॉवी	हार्डवेयर दुकान	9934047359

			राकेश चौधरी, श्रीराम स्टील फर्निचर	ग्रील निर्माता	6207289866
			भारत हार्डवेयर	ग्रील निर्माता	9608403654
			रंजीत, ममता मैरेज हॉल	निजी विवाह भवन	6200313315
			अशोक कुमार, अशोक उसत्व हॉल	निजी विवाह भवन	9835864116
			नालन्दा जिला खादी उद्योग	सरकारी कार्यालय	8298972736
10	वार्ड न0–15 **प्रभावित आबादी–2000**	कल्याणपुर, चौधरी कालोनी के पीछे	दीपेन्द्र कुमार, संत निकेतन अकादमी एवं हाई स्कूल संगत गली	निजी स्कूल	8252666118
			मनीष कुमार, आईडल नॉलेज टेपल स्कूल शेर मंजिल रोड।	निजी स्कूल	9308455986
			अमीत कुमार, किड्स वाटिका चौधरी कॉलोनी	निजी स्कूल	7033265027
			बालमुकुन्द प्रसाद, लर्निंग लोडेर प्री0 एण्ड प्रायमरी	निजी स्कूल	9319918885
			अभिषेक कुमार, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल स्टेशन रोड।	निजी स्कूल	9708493366
			डॉ0 प्रदीप प्रसाद, नालन्दा सर्जरी सेन्टर नईसराय चौक	प्राईवेट अस्पताल	9386366765
			डॉ0 अखिलेष कुमार, अर्नव हेल्थ केयर	प्राईवेट अस्पताल	8603550928
			गीता सिन्हा, प्रसव केन्द्र सूर्य कल्याणमयी सस्थान द्वारा संचालीत, चौधरी कॉलोनी के गेट पर।	प्राईवेट अस्पताल	9334879954
			प्रदीप क्लिनिक	प्राईवेट अस्पताल	9931917231
			मनोज, मनियाँ किराना नईसराय चौक	किराना दुकानदार	8252389673 7369077170
			शशिभूषण प्रसाद	किराना दुकानदार	9835430945
			कुमुद रंजन	दवा दुकानदार	7004830942
			मार्स	दवा दुकानदार	9304504167
			राज मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9608246359
			रमेश	दवा दुकानदार	9279073607
			अशुतोष कुमार	राज मिस्त्री	8189153300
			रिंकु ठिकेदार	राज मिस्त्री	9122390242
			चमरव ठिकेदार	राज मिस्त्री	9835809360
			कुन्दन कुमार	मजदूर	9661498064
			दीपु कुमार	टेन्ट	6205993438
			राजु कुमार	टेन्ट	7903863493
			महेन्द्र कुमार सिंहा	टेन्ट	9334815810
			अंशु	हार्डवेयर दुकान	9304874268
			विजेन्द्र प्रसाद	हार्डवेयर दुकान	8084679910
			अशोक, किसान हार्डवेयर	हार्डवेयर दुकान	9334715121
			रिशी कुमार	विवाह भवन	9431050014
			अनिल	विवाह भवन	9955655774

			अजेय कुमार, आवसीय केन्द्रीय विद्यालय (भदानी गली।)	निजी स्कूल	9852514058
11	वार्ड न0–17 **प्रभावित आबादी–800**	न्यू कालोनी, देवी स्थान, इमली तल	डॉ0 राजीव कुमार सिन्हा, जानवर अस्पताल	जानवर अस्पताल	7277127100
			शहनाज बानो उर्दू कन्या प्राथमिक विद्यालय, कागजी मोहल्ला	सरकारी स्कूल	9905017777
			प्रदीप कुमार, प्राथमिक विद्यालय बिजली ऑफिस	सरकारी स्कूल	9931005230
			चन्द्रशेखर, मध्य विद्यालय कागजी मोहल्ला	सरकारी स्कूल	8210344963
			डॉ मशकुर आलम अमल क्लिनिक	प्राईवेट अस्पताल	06112232020
			डॉ0 अमरेन्द्र कुमार दिव्या ज्योति हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9560834452
			डॉ0 अनीत सिन्हा सुर्या क्लिनिक	प्राईवेट अस्पताल	06112234786
			डॉ0 अभय कुमार सिंह जीवनधारा क्लिनिक	प्राईवेट अस्पताल	9560834452
			डॉ0 सुजीत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8539939770
			डॉ0 बैधनाथ सिंह	प्राईवेट अस्पताल	9835498083
			कैपिटल हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	7061870585
			डॉ0 ब्रृजेश कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8603009864
			डॉ0 नागेन्द्र प्रसाद सिंह	प्राईवेट अस्पताल	06112233244
			डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह	प्राईवेट अस्पताल	9470899510
			डॉ0 श्रीमती बैदही	प्राईवेट अस्पताल	9304111260
			डॉ0 राजीब कुमार सिन्हा राजकिय पशु चिकित्सालय	मवेषी अस्पताल	7277127100
			दिनेश प्रसाद राजगीर मेडिकल हॉल पैला पोखर	दवा दुकानदार	9905684440
			मनोज कुमार सिटी मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9835222431
			सिटी मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9334559056
			राजमणि कुमार मणि मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9570953491
			राजीव रंजन जुली मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	7903932010
			अमरनाथ सिंह, कुशवाहा डेयरी फार्म	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8051186730
			मो0 दिलशाद करिम,	पेयजल आपूर्तिकत्ता	9304306207
			गुड्डू शर्मा	जलावन लकड़ी विक्रेता	7488868504
			मो0 शहबाज	हार्डवेयर दुकान	9047052760
			मो0 अकबर	हार्डवेयर दुकान	9525384428
12	वार्ड न0–18 **प्रभावित आबादी–1100**	सिगारहाट	रमेश कुमार रंजन	सरकारी कार्यालय	8544428623
			डॉ0 एम0 एस	प्राईवेट अस्पताल	7461918183
			डॉ0 यू0 के0	प्राईवेट अस्पताल	7654775386
			डॉ0 ललन कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9905627841
			डॉ0 कुमारी लक्ष्मी	प्राईवेट अस्पताल	7808424877

			राजीव रंजन कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7903295389
			डॉ0 राजीव रंजन	प्राईवेट अस्पताल	9113792952
			प्रदीप कुमार	किराना दुकानदार	7061277570
			ममता रानी	किराना दुकानदार	9304290886
			बंसी साव	किराना दुकानदार	9905053680
			रामवावु, श्री राम मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9430610496
			विजय, किशोर मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9835862858
			सुरेन्द्र कुमार	दवा दुकानदार	7004387242
			सुनील कुमार	दवा दुकानदार	9304474066
			विद्यापति	दवा दुकानदार	9934451784
			मुकेश कुमार	जलावन लकड़ी विक्रेता	9934459333
			बबलु कुमार	जलावन लकड़ी विक्रेता	7979984427
			गौरव शिवम	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	9835835791
			विष्णु	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	9123173243
			विनोद ताँती	राज मिस्त्री	9110102518
			सुरेश प्रसाद	राज मिस्त्री	9308538458
			सुरेन्द्र यादव	टेन्ट	9835015522
			शंकर कुमार	टेन्ट	9905488734
			दिपेश	हार्डवेयर दुकान	7004907204
			पंकज कुमार	ग्रील निर्माता	7903694809
			अर्जुन कुमार	ग्रील निर्माता	9934283305
			दिनेश कुमार	ट्रैक्टर	9934841873
			विजय यादव	ट्रैक्टर	9199979073
			अर्जुन प्रसाद	निजी विवाह भवन	9304557441
13	वार्ड न0–19 **प्रभावित आबादी–250**	पहाड़तली	डॉ0 पप्पू कुमार	प्राईवेट अस्पताल	6206680368
			मो0 जमील अख्तर	प्राईवेट अस्पताल	9905468963
			रविरंजन कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9122606628
			डॉ0 मृत्युंजय कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8825312767
			डॉ0 अरूण कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9431419665
			डॉ0 अरबिन्द कुमार	प्राईवेट अस्पताल	06612236956
			डॉ0 प्रशांत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9155709326
			डॉ0 अरूण कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9955760759
			डॉ0श्याम बिहारी	प्राईवेट अस्पताल	9204149822
			आनन्द प्रसाद	दवा दुकानदार	7870222597
			हिमांशु कुमार	दवा दुकानदार	9835858940
			नागेन्द्र कुमार	दवा दुकानदार	9263865641
			संजय कुमार	दवा दुकानदार	9934627239
			मनोज कुमार	दवा दुकानदार	7903468996
			पप्पू मिस्त्री	जलावन लकड़ी विक्रेता	8678809325
			जलावन लकड़ी बिक्रेता	जलावन लकड़ी विक्रेता	9798350729
			संतोष साव	राज मिस्त्री	7061772084

			राजा राम	मजदूर	7061881839
			प्रकाश कुमार	टेन्ट हाउस	8651896354
			संतोष कुमार	गौरव इंजिनियरिंग ग्रील निर्माता	6209010030
			विनोद कुमार	प्रेम इंजिनियरिंग ग्रील निर्माता	9162962697
			अजय प्रसाद	निजी विवाह भवन	9798281150
			कमलेश प्रसाद	निजी विवाह भवन	9386442809
14	वार्ड न0–20 **प्रभावित आबादी–1000**	पटेल नगर से लेकर गुड एण्ड ग्रेट व एन0एच0 31 बाईपास तक	मंदीप भारती	सरकारी कार्यालय	9595894795
			जयप्रकाश नारायण	सरकारी कार्यालय	9110176284
			परमानंद कुमार	सरकारी कार्यालय	7033098052
			डा. कृष्णा कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8051861024
			डा0 अभय डा0 चंचला कुमारी	प्राईवेट अस्पताल	7070783048
			डा0 शशी कपुर	प्राईवेट अस्पताल	7061684248
			डा0 अमरदीप कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7970607037
			डा0 अभय कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8935841459
			संजय कुमार	किराना दुकानदार	8709123169
			महेन्द्र प्रसाद	दवा दुकानदार	9279268617
			कुन्दन कुमार	दवा दुकानदार	7061002026
			सुरज कुमार	प्राईवेट एम्बुलेंस	7808326013
			संजय कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8709123169
			शंभु कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	6207766371
			अजय प्रसाद	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	7488895820
			राकेश कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	9204906091
			राजो कुमार	मिस्त्री	9905299465
			अनुप कुमार	मिस्त्री	7782076468
			मनोज साव	मिस्त्री	8002857927
			अजय साव	मिस्त्री	9334316834
			प्रहलाद कुमार	मिस्त्री	9386502685
			सुजीत कुमार	टेन्ट हाउस	7631552684
			विकास कुमार	टेन्ट हाउस	7870774460
			विनोद कुमार मेहता	हार्डवेयर दुकान	9262249473
			उपेन्द्र कुमार	हार्डवेयर दुकान	6202040872
			आकाश वर्मा	मैरिज हॉल	9304036920
			महेश प्रसाद	मैरिज हॉल	9279333827
			अंश मैरिज हॉल	मैरिज हॉल	9801868694
15	वार्ड न0–21 **प्रभावित आबादी–3000**	महल्ला देवी सराय	डॉ कुमारी रेणु	प्राईवेट अस्पताल	9102811544
			डॉ आशुतोष कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9835440947
			रेखा कुमारी	प्राईवेट अस्पताल	7762955135
			डॉ0 धनंनजय	प्राईवेट अस्पताल	7870220246
			डॉ निजित नाथ	प्राईवेट अस्पताल	6299823383

			डॉ अनिक राज	प्राईवेट अस्पताल	8789221368
			डॉ राहुल कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8405059592
			डॉ राजेंद्र प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9431687634
			डॉ रणधीर भारती	प्राईवेट अस्पताल	9308056408
			डॉ विकास	प्राईवेट अस्पताल	6206291705
			डॉ नीरज	प्राईवेट अस्पताल	6206291705
			राहुल कुमार	किराना दुकानदार	8709096862
			सुनीत प्रसाद	किराना दुकानदार	9430470105
			सुरज कुमार	किराना दुकानदार	8210415648
			धर्मेन्द्र कुमार	किराना दुकानदार	8210466879
			धर्मेन्द्र कुमार	किराना दुकानदार	8210466879
			सुनील	किराना दुकानदार	7631435040
			बबलू कुमार	किराना दुकानदार	6204279443
			प्रेमचन्द गुप्ता	किराना दुकानदार	9334804013
			अनिरूद्ध प्रसाद	दवा दुकानदार	9308574212
			शंभु कुमार	दवा दुकानदार	9835284584
			नीतिश कुमार	दवा दुकानदार	9204508588
			सुनील कुमार	दवा दुकानदार	9905270840
			सुनील कुमार	दवा दुकानदार	9708325535
			रामदेव प्रसाद	दवा दुकानदार	7462838473
			विनोद कुमार	दवा दुकानदार	9835798708
			मंजु देवी	दवा दुकानदार	7004771385
			हीरा साव लाल	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8877458862
			संजय प्रसाद	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9304074390
			प्रमोद प्रसाद	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	7033821346
			राजेश कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9835287004
			नमिता भारती	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9608441414
			सत्येन्द्र प्रसाद	टेन्ट हॉउस	983562869
			राजेश कुमार	हार्डवेयर दुकान	8210457094
			राकेश कुमार	हार्डवेयर दुकान	9576325724
			दिलीप कुमार	हार्डवेयर दुकान	9006358973
			शहजाद	हार्डवेयर दुकान	8102710077
			औवेस आलम	हार्डवेयर दुकान	3895334750
			कुमार	ग्रील निर्माता	9504553945
			संजीव कुमार	निजी विवाह भवन	6204763570
			प्रमोद कुमार	निजी विवाह भवन	9608252898
16	वार्ड न0–23	डॉक स्थान, ब्रहम स्थान व गगन दीवान	डॉ0 पंकज कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9122126264
			डॉ0 पवन भारती	प्राईवेट अस्पताल	9570382736
			डॉ0 अवधेश प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9835053902

	प्रभावित आबादी–1900		डॉ0 सियाशरण	प्राईवेट अस्पताल	9835270101
			डॉ रंजना	प्राईवेट अस्पताल	9546442624
			अविनाश कुमार	किराना दुकान	8294977831
			महेश प्रसाद	किराना दुकान	6202430205
			राजेश कुमार	किराना दुकान	9835094463
			रणजीत कुमार	किराना दुकान	6207414752
			संजय जी	गैस गोदाम	8271346560
			सुनील कुमार	गैस गोदाम	9631731991
			सुभाष शर्मा	दवा दुकान	9386286191
			यदुनन्दन प्रसाद	दवा दुकान	9572057032
			अमीत कुमार	दवा दुकान	9931053829
			विरेश प्रसाद	दवा दुकान	9905959210
			मनोज कुमार	दवा दुकान	9801804962
			नवनीत कुमार	हार्डवेयर दुकान	7488551705
			तरूण कुमार	हार्डवेयर दुकान	9835689723
			राजेश कुमार	हार्डवेयर दुकान	9835416932
			राणा मिस्त्री	ग्रील निर्माता	9060998874
			विजय विश्वकर्मा	ग्रील निर्माता	9934283404
			शेराज	ग्रील निर्माता	7482906399
			रविन्द्र कुमार	जे0सी0बी0	9334254641
			रविन्द्र कुमार	ट्रैक्टर	9334254641
			विणेश्वर यादव	ट्रैक्टर	7479791752
			अर्जुन यावद	ट्रैक्टर	9934048031
			पिक्कु जी	क्रेन	9934974045
			उपेन्द्र यादव	निजी विवाह भवन	9911566307
			विनोद यावद	निजी विवाह भवन	9431687831
			श्रवण कुमार	निजी विवाह भवन	9386488291
			राजन कुमार	निजी विवाह भवन	8709286382
17	वार्ड न0–31 **प्रभावित आबादी–2000**	सकुनत कला एवं सकुनत खुर्द का पूर्वी क्षेत्र	मो0 हारूण राशिद	स्कूल	9122818341
			फ्रांसिरका मिड	स्कूल	7488723216
			रूबी कुमारी	स्कूल	9835464485
			श्री विनय कुमार	स्कूल	8789349856
			शकीला बानो	स्कूल	7050911118
			जमाल इरफान	स्कूल	8051848772
			शैलेश कुमार	सरकारी कार्यालय	8789499845
			डॉ0 बलराम	सरकारी अस्पताल	9470003513
			डॉ0 जयराम नारायण	सरकारी कार्यालय	6202397938
			डॉ0 अंशुमान	प्राईवेट अस्पताल	9318801797
			डॉ0 प्रिया रंजन	प्राईवेट अस्पताल	6203975490
			दिपक कुमार	दवा दुकान	8809650849
			कृष्णा कुमार	दवा दुकान	6201817695
			प्रेम कुमार	दवा दुकान	8340224650
			अजन्ता महतो	जलावन लकड़ी विक्रेता	9708467131
			श्यामवरण कुमार	राज मिस्त्री	9570551218

			छोटु कुमार	राज मिस्त्री	8538985915
			प्रेमचन्द मिस्त्री	राज मिस्त्री	7739883845
			योगेन्द्र प्रसाद	राज मिस्त्री	9199949485
			उपेन्द्र कुमार	मजदूर	9955707041
			शिवनारायण पासवान	मजदूर	7767078946
			प्रमोद कुमार	मजदूर	9939362587
			सुरज पासवान	मजदूर	6305359754
			छोटु कुमार	मजदूर	8002463124
			मनोज रविदास	मजदूर	8076797445
			जितेन्द्र कुमार	मजदूर	7491830278
			धरम कुमार	मजदूर	7491867915
			रमेश कुमार	टेन्ट हाउस	9304242363
			रीतेश कुमार	टेन्ट हाउस	9835498097
			जीतेन्द्र कुमार	टेन्ट हाउस	8292210179
			कामिनी कौशल	निजी विवाह भवन	6201812495
			डॉ0 प्रिय रंजन	निजी विवाह भवन	6203975490
			श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	निजी विवाह भवन	9431194156
18	वार्ड न0–32 **प्रभावित आबादी–500**	कोल सुमनगर बनैलिया के पास पुरानी पानी टंकी के पास, मुर्तजा अड़ान के पास	शहराज आरा	सरकारी स्कूल	9386559259
			मो0 अशरफ आलम	सरकारी स्कूल	9939293875
			मो0 दानिश	दवा दुकान	9304677266
			मो0 शहिद	राज मिस्त्री	7370854511
			मो0 छोटु	राज मिस्त्री	9801663981
			मो0 रिक्कु	राज मिस्त्री	8434198826
			मो0 रहुफसाह	राज मिस्त्री	7480084660
			मो0 नैय्यर	राज मिस्त्री	8544573442
			मो0 नवाव	राज मिस्त्री	9135056103
			मो0 आमीर	राज मिस्त्री	8210822036
			भोलुसाह	टेन्ट हाउस	9122323356
			हिरो	टेन्ट हाउस	7634068142
			मो0 शौकत	टेन्ट हाउस	9308622374
19	वार्ड न0–33 **प्रभावित आबादी–4000**	खैराबाद एवं महलपर	सुधीर कुमार	सरकारी कार्यालय	7870907730
			सुशील कुमार	सरकारी कार्यालय	7488427670
			वार्ड पार्षद	सरकारी कार्यालय	8789620799
			सुजीत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7903742810
			डॉ0 प्रदीप कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9431071203
			नंदु साव	किराना दुकानदार	8936088799
			शंकर साव	किराना दुकानदार	8409277385
			विष्णु जी	किराना दुकानदार	9031464311
			वच्चु साव	किराना दुकानदार	9608495124
			विपिन साव	किराना दुकानदार	8877676745
			पिन्टु कुमार	दवा दुकान	7488010546
			प्रदीप कुमार	दवा दुकान	8409974094
			सुजीत कुमार	दवा दुकान	7903742810
			अनील राम महल पर	राज मिस्त्री	9709627196
			दर्शन कुमार	मजदूर	6200264015

			राजेश कुमार	राज मिस्त्री	8603550198
			सुकुमार	मजदूर	9334560882
			सच्चु यावद	राज मिस्त्री	9631476736
			दिनेश प्रसाद	टेन्ट हाउस	8757786111
			मंटु जी	टेन्ट हाउस	8298374467
			वंटी जी	टेन्ट हाउस	7542840565
			रौशन	हार्डवेयर दुकान	7541882907
			जितेन्द्र कुमार	ग्रील निर्माता	7254984683
			माणिक	ग्रील निर्माता	7004241844
			संजीव	ग्रील निर्माता	7654975357
			अर्जुन यादव	ट्रैक्टर	6201921602
			अनिल महतो	ट्रैक्टर	7079020253
			सुधीर महतो	निजी विवाह भवन	7870690773
20	वार्ड न0–42 **प्रभावित आबादी–400**	अखाड़ा पर महादेव मैरेज हॉल के पूर्वी क्षेत्र तक	विजय साव	किराना दुकान	8084017446
			मुन्ना कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	6206738044
			किशोर साव	जलावन लकड़ी विक्रेता	7543091452
			अखलेश प्रसाद वर्मा	जलावन लकड़ी विक्रेता	8709985998
			संजय यादव	राज मिस्त्री	7352254021
			सोनु कुमार	ग्रील निर्माता	7050111170
			मो0 आतीफ	निजी विवाह भवन	9534611369
			चंदन कुमार माननीय वार्ड पार्षद	आवास	9304798689
21	वार्ड न0–46 **प्रभावित आबादी–1350**	झींगनगर केवट टोला, झींगनगर डोम टोला, झींगनगर हटिया पर, कादिर बिगहा, अलीनगर चमार, पासवान टोली, मीरगंज मोड़	सुलेखा कुमारी	सरकारी कार्यालय	8271359165
			अंजुम इकबाल	सरकारी कार्यालय	7631286999
			संजय कुमार	सरकारी कार्यालय	9308524969
			चिंतु कुमारी	सरकारी कार्यालय	9507082277
			शंकर स्वर्णकार	सरकारी कार्यालय	7759983214
			रविन्द्र	किराना दुकान	7079661720
			मनीष कुमार	किराना दुकान	6202005120
			डिम्पल साव	किराना दुकान	8229086373
			चंदन कुमार	किराना दुकान	9471830793
			सुधीर कुमार	दवा दुकान	8789075177
			संजय	दवा दुकान	9631811096
			अखिलेश कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9708084006
			पवन कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8507301550
			अर्जुन	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8986419565
			रंजीत मिस्त्री	राज मिस्त्री	8051588998
			ललीत चौधरी	मजदुर	6202005120
			अवध पासवान	राज मिस्त्री	9534183861
			दुर्गा पासवान	राज मिस्त्री	8603067313

			धर्मवीर साव	राज मिस्त्री	9798368653
			कारू पासवान	मजदुर	8757243072
			राजेश पासवान	राज मिस्त्री	7463030817
			गणेश पासवान	राज मिस्त्री	7643955558
			अवधेश मिस्त्री	राज मिस्त्री	9508715663
			अजय पासवान	राज मिस्त्री	9661364612
			राकेश पासवान	मजदुर	9725277733
			आकाश साव	राजमिस्त्री	8873326328
			गणेश चौधरी	मजदुर	7079214412
			पिन्टु पासवान	मजदुर	9508667928
			चंदन कुमार	टेन्ट	6204983624
			अमरनाथ कुमार	टेन्ट	6200021548
			अमन कुमार	टेन्ट	9097829115
			रवि किरण कुमार	ग्रील निर्माता	7543828983
			संजय यादव	ट्रैक्टर	9631811096
			सुरेश प्रसाद	ट्रैक्टर	8051220045
			सुनील कुमारी	निजी विवाह भवन	9308502393
			अजीत कुमार	निजी विवाह भवन	9334372717
22	वार्ड न0–47 **प्रभावित आबादी–10000**	जमालीचक, सर्वोदय नगर, काको विगहा, खरजमा,साठोपुर, मघड़ा सराय, गुफापर, सहित सम्पुर्ण क्षेत्र	सुनिल मेडिकल हॉल	दवा दुकान	9334498142
			अनुज कुमार	दवा दुकान	9334498142
			सुधीर कुमार	किराना दुकान	8873639245
			कपिल देव वर्मा	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	8292233081
			रामप्रवेश मिस्त्री	जलावन लकड़ी बिक्रेता	8016684027
			अर्जुन प्रसाद	राजमिस्त्री	6205707732
			नगेश्वर प्रसाद	राजमिस्त्री	7570952798
			संजय पासवान	मजदुर	8521002340
			अजय पासवान	मजदुर	6203889386
			विजय प्रसाद	टेन्ट हाउस	9304864427
			रवि कुमार	टेन्ट हाउस	9905294381
			उदय कुमार	टेन्ट हाउस	7549316665
			विशेश्वर प्रसाद	हार्डवेयर दुकान	9905852809
			संजय कुमार	हार्डवेयर दुकान	9835864757
			रामरतन प्रसाद	हार्डवेयर दुकान	9798868422
			सुरेश प्रसाद	ग्रील निर्माता	7543061480
			गेन्हारी प्रसाद	ग्रील निर्माता	9570325820
			श्यामदेव प्रसाद	निजी विवाह भवन	7033581559
			रौशन कुमार	निजी विवाह भवन	9939142542
23	वार्ड न0–48 **प्रभावित आबादी–2000**	बरबिगहा, खारी कुआं एवं पुखारी बाग	पंकज कुमार	सरकारी स्कूल	7004849500
			अभिषेक कुमार पाण्डेय	सरकारी स्कूल	9835464192
			पंकज जी	सरकारी स्कूल	9835864116
			चन्द्रमणी कुमारी	प्राईवेट अस्पताल	7765974607
			मुरारी सिंह	किराना दुकान	7546458748
			विट्टु महतो	किराना दुकान	7004483840
			मुकेष कुमार	किराना दुकान	8877997952

			ललन पाण्डेय	किराना दुकान	9113774676
			प्रदीप जी	किराना दुकान	8709400935
			राजीव जी	किराना दुकान	8340148384
			विनोद कुमार	दवा दुकान	8809616573
			मिथलेश कुमार	दवा दुकान	8757855999
			निरंजन पाण्डेय	दवा दुकान	7004548130
			धनी महतो	दवा दुकान	9279015222
			डॉ0 वी0पी0 भारती	दवा दुकान	7549771409
			लडडू जी	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	7044548766
			दशरथ रविदास	राज मिस्त्री	9973893410
			उपेन्द्र मिस्त्री	राज मिस्त्री	8541077627
			राजा मिस्त्री	राज मिस्त्री	7462018191
			उपेन्द्र पंडित	राज मिस्त्री	7488275327
			भुषण निस्की	राज मिस्त्री	8877237743
			जीकांत रविदास	राज मिस्त्री	9546111497
			राहुल मिस्त्री	राज मिस्त्री	7979018500
			सरयुग रविदास	राज मिस्त्री	7667305464
			विजय जी	टेन्ट	9304864427
			प्रमोद जी	टेन्ट	9835725259
			सोनु कुमार	टेन्ट	8340667471
			अमीत कुमार	हार्डवेयर दुकान	8210345699
			गोरेलाल सिंह	ग्रील निर्माता	7321970469
			अविनाश कुमार	टैक्टर	9798405550
			विमल पासवान	टैक्टर	9934176987
			मनीष कुमार	निजी विवाह भवन	7903030830
24	वार्ड न0–49 **प्रभावित आबादी–15000**	राणाविगहा, सिपाह, चकरसलपुर	मृत्युंजय कुमार सिंह	सरकारी कार्यालय	9431688061
			सुमन कुशवाहा	सरकारी कार्यालय	9835081552
			डॉ0 देवेन्द्र कुमार	सरकारी स्कूल	9835680798
			मो0 तकी हसन अजुवी	सरकारी स्कूल	9693804182
			ध्रुवशंकर रविदास	सरकारी स्कूल	8804253313
			आर0 कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9835317701 9693665941
			डॉ0 पी0 सिन्हा	प्राईवेट अस्पताल	7277023378 9709741937
			डॉ0 संजय प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9973147371 9709680909
			राजेश कुमार	किराना दुकान	9631560378
			सुधीर कुमार	किराना दुकान	9934779394
			उमेश कुशवाहा	दवा दुकान	9304817668
			दीनानाथ	प्राईवेट एम्बुलेंस	9835317701 9693665941
			सुदर्शन कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	6204980959
			जितेन्द्र कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	8877735253
			महेश कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	7004328445

			उमेश मिस्त्री	जलावन लकड़ी विक्रेता	9931413599
			गुडडू कुमार	राज मिस्त्री	7631891864
			वसधीर कुमार	राज मिस्त्री	9608070180
			राजनन्दन कुमार	राज मिस्त्री	9708044508
			जितेन्द्र कुमार	राज मिस्त्री	6206557885
			नागेन्द्र प्रसाद	राज मिस्त्री	9128723244
			नवीन कुमार	राज मिस्त्री	8298223500
			मनोज चौधरी	राज मिस्त्री	7061032048
			रामरूप कुमार	मजदूर	7520215622
			कन्हैया पासवान	मजदूर	9570293418
			मनचन कुमार	मजदूर	7654945583
			राज कुमार	मजदूर	9570293418
			अरविन्द केवट	मजदूर	7667981221
			रविकान्त कुमार	मजदूर	8789020764
			सुबोध पासवान	मजदूर	9570293418
			सुधीर पासवान	मजदूर	9570293418
			मुन्ना ठाकुर	मजदूर	7667865803
			पिन्टु कुमार	टेन्ट हाउस	8969349711
			रविन्द्र प्रसाद	टेन्ट हाउस	9608409933
			राजेश कुमार	टेन्ट हाउस	9097372699
			रविशंकर प्रसाद	टेन्ट हाउस	9060131507
			अमरेन्द्र कुमार	हार्डवेयर दुकान	8877946040
			कामता केवट	हार्डवेयर दुकान	8002015260
			राहुल कुमार	हार्डवेयर दुकान	8252592629 9835190224
			जितेन्द्र कुमार	ग्रील निर्माता	8797731067
			सुरज कुमार	ग्रील निर्माता	7739799865 8210211412
			सतीष सिंह	ग्रील निर्माता	9570296062 9771109255
			मनोज कुमार	ग्रील निर्माता	9122821376
			रवि केवट	ट्रैक्टर	7667981221
			रामप्रवेश यादव	ट्रैक्टर	7549695370
			रवि केवट	डीजल पम्पिंग सेट	7667981221
			प्रवीण कुमार	निजी विवाह भवन	9801275555
			संजु प्रसाद	निजी विवाह भवन	7004259415
25	वार्ड न0–50 **प्रभावित आबादी–2000**	विजवनपर	रेखा कुमारी	सरकारी कार्यालय	6201954742
			शिशुपाल प्र0कु0 सिन्हा	सरकारी कार्यालय	7903151164
			अलखदेव कुमार आर्या	सरकारी कार्यालय	9835070505
			कामदेव प्रसाद	सरकारी कार्यालय	6206977336
			प्रेमलता सिन्हा	सरकारी कार्यालय	7561952546
			बसंत राम	सरकारी कार्यालय	8809416343
			संजय चौधरी	सरकारी कार्यालय	7654338815
			प्रमोद कुमार	राज मिस्त्री	9771653869

			राजबल्लभ कुमार	टेन्ट	8757283431
			कमलेश कुमार	ट्रैक्टर	8969140357
			लक्ष्मण कुमार	ट्रैक्टर	7739998912
26	वार्ड न0–51 **प्रभावित आबादी–2000**	च्कदिलावर, नया टोला, तकिया कला, कमा वाजिदपुर, कमा भट बिगहा, कल्याणपुर, नवीन नगर,	पप्पु कुमार	मिस्त्री	6205070258
			चन्दन कुमार	मिस्त्री	7070043053
			जवाहर केवट	मिस्त्री	9525674456
			लडडु केवट	मजदुर	7010524165
			पप्पु केवट	मिस्त्री	9534617610
			जितेन्द्र केवट	मजदुर	7079512759
			बिन्दा केवट	मिस्त्री	9142613386
			सुधीर केवट	मजदुर	8409575031
			परंजु केवट	मजदुर	7061379640
			जेठन केवट	मजदुर	7654587112
			शिवशंकर साव	मजदुर	6209410046
			धनंजय केवट	मजदुर	8863955375
			शुकर केवट	मिस्त्री	8102136881
			छोटे केवट	मिस्त्री	8877577130
			राजु केवट	मिस्त्री	9525674466
			राजा कुमार	मजदुर	6204104041
			सुरज कुमार	मजदुर	6208727879
			साजन कुमार	मजदुर	8252767995
			मिथलेष कुमार	मजदुर	8226970940

बाढ/जलजमाव में पूर्व, दौरान व पश्चात किये जाने वाले कार्य– (टेबल संख्या–32)

बाढ़ एक व्यापक स्तर पर घटित होने वाली आपदा है तथा इससे निपटने के लिए कई विभागों व एजेंसियों को समन्वित रूप से कार्य करना होता है। बाढ़ के विभिन्न चरणों में की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत् है–

चरण	कार्रवाई	संबंधित विभाग एवं हितभागी
पूर्व तैयारी	●जल जमाव एवं बाढ़ के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा बाढ़ के प्रभावों की रोकथाम हेतु आवश्यक रणनीति बनाना। मानचित्र पर संवेदनशील स्थलों व वैकल्पिक मार्ग को अंकित करना। ●शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई के सुरक्षित व मूलभूत सुविधाओं से युक्त भवनों को चिन्हित करना। शरणस्थलों व सामुदायिक रसोई के प्रभारी की सूची सम्पर्क विवरण सहित जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना। ●आवश्यक सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं की सूची तैयार करना। ●जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा से समन्वय स्थापित कर आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर बाढ़ संभावित परिवारों की प्रवृष्टि बाढ़ पूर्व करना। ●सूचनाओं के प्रभावी आदान–प्रदान हेतु संचार योजना का निर्माण करना तथा निगम स्तर पर रिर्पोटिंग आदि कार्यों हेतु **बाढ़ नियंत्रण कक्ष** की स्थापना करना तथा पदाधिकारियों कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। ●सभी संबंधित हितभागियों, नाविकों, गोताखोरों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण एन0डी0आर0एफ0 व एस0डी0आर0एफ0 के सहययोग से कराना।	● जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालंदा एवं एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0

	• सभी सरकारी एवं निजी नावों की पहचान एवं मरम्मति का कार्य करना। सभी नावों का निबंधन सुनिश्चित कराना। नावों को परिचालित करने हेतु ऐसे स्थान का चुनाव जहाँ पर सभी की पहुँच आसानी से हो सके। • वार्ड स्तर पर आवश्यकतानुसार राहत बचाव दल जैसे–पूर्व चेतावनी, खोज/बचाव, प्राथमिक उपचार, शरणस्थल प्रबंधन दल का गठन करना व उनको मॉक–अभ्यास के माध्यम से प्रशिक्षित करना। • सामग्रियों व उपकरणों के समुचित रखरखाव हेतु भण्डार गृह का प्रावधान करना तथा कुशल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति मरम्मति कार्य हेतु करना।	
	• सभी तटबंधों पर अवस्थित स्लुईस गेट की मरम्मति जल संसाधन विभाग के सहयोग से कराना तथा जल–निकासी हेतु अधिक क्षमता वाले पम्पसेट को बाढ़ से पहले अधिष्ठापित करना।	• जल संसाधन विभाग, नालंदा एवं लघु जल संसाधन विभाग, नालंदा
	• नालों व तटबंधों की सतत् निगरानी करना। • संभावित क्षेत्रों में अवांक्षित तत्वों पर निगरानी रखना।	• पुलिस एवं गृह रक्षा वाहिनी
	• बिहार शरीफ में अवस्थित जल स्त्रोतों व नालों की नियमित साफ–सफाई एवं नालों की उड़ाही की कार्रवाई किया जाना। डूबने से बचाव हेतु खुले नालों को ढंकना। • कचरा का समुचित निपटारा करना। • बाढ़ एवं जल–जमाव से निपटने संबधी कार्यों हेतु आवश्यक वित्त बजट का प्रावधान करना। • आवश्यक खोज/बचाव, पानी निकासी व सफाई उपकरणों का ससमय क्रय करना। उपलब्ध उपकरणों की मरम्मति करना। • निर्माण किए जाने वाले भवन को बाढ़ की दृष्टि से ऊंचा व सुरक्षित बनाना और बिजली के सभी उपकरणों को ऊंचे स्थान पर अधिष्ठापित करना। • शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण व सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण जलनिकासी बाधित हो जाती है। समुचित जलनिकासी एवं पर्यावरण सरंक्षण हेतु अतिक्रमण एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के विरूद्ध नियमित अभियान चलाना। • उँचे चबुतरों पर लगे हुये बंद एवं खराब हैण्डपम्प एवं शौचालय की सूची बनाना तथा मरम्मति सुनिश्चित करना। • नगरीय क्षेत्र हेतु गठित बाढ़ राहत अनुश्रवण–सह–निगरानी समिति की बैठक आयोजित कर जल–जमाव व बाढ़ के निदानात्मक उपायों पर चर्चा करना तथा आवश्यक योजना बनाना।	• नगर निगम, बिहार शरीफ
	• मानव दवा, पशु दवा, पशु चारा आदि की उपलब्धता संबंधित विभाग के माध्यम से सुनिश्चित करना। स्लम क्षेत्रों में महामारियों की रोकथाम हेतु विशेष प्रबंध करना।	• जिला स्वास्थ्य समिति, नालंदा।
	• जल जमाव व बाढ़ के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति हेतु आपातकालीन योजना बनाना।	विद्युत आपूर्ति विभाग

बचाव / न्यूनीकरण	• कार्यदलों, हितभागियों व समुदाय का बाढ़ से बचाव एवं न्यूनीकरण आधारित प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल कार्यक्रम आयोजित करना। • नाजुक वर्ग एवं संवेदनशील समुदायों की सूची तैयार करना व उन्हें बाढ़ से बचाव की विधियों के बारे में जागरूक तथा संवेदनशील बनाना। • निर्माण किए जाने वाली सड़कों व अन्य मार्गों में जल स्त्रोंतों के प्राकृतिक बहाव हेतु आवश्यक सख्या में पुल, पुलिया, कल्वर्ट, ह्युम पाइप का प्रयोग करना। • नदियों, तालाबों व अन्य जल स्त्रोतों के निकट पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण करना। इससे नदियों के कटाव व वायु प्रदुषण में कमी लाई जा सकती है। • बाढ़ से पूर्व संचार माध्यमों को कार्यशील रखने हेतु टावरों, विद्युत आपूर्ति, एक्सचेंज आदि की मरम्मति कराना। संचार सुविधा चालू रखने हेतु वैकल्पिक योजना तैयार करना। • वार्ड स्तर पर बाढ़ एवं जल जमाव की रोकथाम हेतु संबंधित वार्ड पार्षद, कर्मियों के सहयोग से माइक्रो प्लान बनाना। • बाढ़ के प्रति संवेदनशील कमजोर वर्गों जैसे वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाए, धात्री महिलाए, बच्चे, दिव्यांग आदि की पहचान करना तथा सूचीबद्व करना। • वार्ड के सदस्यों की समझ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के परिप्रेक्ष्य में विकसित कर कार्ययोजना का निर्माण करना एवं क्रियान्वयन करना। • खतरनाक, डूबने वाले व गहरे स्थानों की पहचान करना, खतरा का चिन्ह / संकेत लगाना व सुरक्षा घेरा बनाना। • ऐसे पुलों अथवा पुलियों की पहचान जहाँ पर पानी अधिक और तेज करेण्ट होता है। • परिवार किट, महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं बहुमूल्य सामानों की सुरक्षा हेतु उपाय करना, परिवार किट में एक सप्ताह का सुखा खाना, कपड़े, साबुन, औजार, माचिस, मिट्टी तेल इत्यादि की व्यवस्था करना। • बेसिक मेडिकल रिस्पांस (प्राथमिक उपचार) पर गोताखोरों, नाविकों, जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षित करना। • पुल–पुलिया के वेन्ट (तल) की सफाई करना ताकि जल स्त्रोतों का प्राकृतिक बहाव होता रहे।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा के दिशानिर्देश में सभी संबंधित सहाय्य विभाग के द्वारा
प्रत्युत्तर	• एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0 व अन्य रिस्पांस एजेंसियों से समन्वय स्थापित करना। • स्मुदाय स्तर तक मौसम व जल स्तर की जानकारी प्रदान करने हेतु आवश्यक पहल करना तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना। • क्षमता सम्वर्द्धन हेतु समय–समय पर मॉकड्रिल करना। • जल–जमाव व बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में जलनिकासी हेतु कर्मियों व संवेदकों की प्रतिनियुक्ति करना। • बचाव व राहत अभियान के दौरान प्रतिक्रिया एजेंसियों को सहयोग करना। • बाढ़ की स्थिति होने पर बाढ़ राहत बचाव हेतु सामुदायिक रसोई व आपदा राहत केन्द्र का संचालन जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा के समन्वय स्थापित करते हुए करना।	

	●सामुदायिक रसोई व आपदा राहत केन्द्र में भोजन, आवासन, चिकित्सा, पेयजल, शौचालय ●जल–जमाव व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महामारियों से बचाव हेतु ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम हेतु रोगाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करना। स्वच्छ पेयजल, ओ0आर0एस0 पैकेट तथा हैलोजन टैबलेट की व्यवस्था कराना। ●नदी का जल स्तर खतरे के निशान से अधिक होने पर संभावित प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पूर्व चेतावनी प्रदान करना तथा लोगों को शरणस्थलों पर शरण लेने के लिए अपील करना। ●स्वच्छ पेयजल, ओ0आर0एस0 पैकेट तथा हैलोजन टैबलेट की व्यवस्था कराना। ●प्रभावित क्षेत्रों में नावों का संचालन करने व प्रभावितों के सुरक्षित निष्क्रमण हेतु नाविकों व गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति निर्धारित घाटों व चिन्हित स्थलों पर करना। ●सहाय्य कार्य की रिर्पोटिंग ससमय जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना। इस हेतु आवश्यक पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। ●खतरनाक स्थलों की बैरिकेटिंग कराना तथा खतरे का संकेत लगाना। ●क्षतिग्रस्त संरचनाओं व सड़कों की त्वरित मरम्मति कर सेवाओं को अविलम्ब चालू करना। ●गैर सरकारी संगठनों व स्वैच्छिक संस्थाओं को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना। ●बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध करना व अस्पतालों में एंटी वेनम की पर्याप्त व्यवस्था रखना। ●पशुओं के शवों का समुचित निपटारा करना। ●शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन टैबलेट का वितरण करना।	
पश्चात्/पुनर्निर्माण	●नुकसान का आंकलन करना। प्रभावितों को अनुमन्य सरकारी योजनाओं से आच्छादित करना। ●क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मति करना एवं इस प्रायोजन हेतु वित्त की व्यवस्था विभिन्न योजनाओं व जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा के सहयोग से करना। ●जल–जमाव व बाढ से बचाव हेतु विशेष योजना का निर्माण करना।	

बाढ–आमजन हेतु महत्वपूर्ण सलाह (टेबल संख्या–33)

आपदा की प्रकृति	चरण	सलाह
बाढ़	पूर्व	• वार्ड स्तर पर बाढ़ अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित करना तथा बाढ/जल–जमाव से निपटने की कार्ययोजना तैयार करना। • बाढ़/जल–जमाव के दृष्टिगत वार्ड में व्याप्त जोखिमों, नाजुकताओं व संसाधनों की पहचान करना। • बाढ़ पूर्व तैयारी करने के मद्देनजर वार्ड स्तर पर विभिन्न टास्कफोर्स हेतु क्षमतावर्द्धन, मॉकड्रिल एवं प्रशिक्षण आयोजित करना। • बाढ़ के दौरान पूर्व चेतावनी प्राप्त होते रहे, इस हेतु सौर उर्जा के उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देना। • मौसम, जल स्तर, वज्रपात संबंधी पूर्व चेतावनी हेतु रेडियों, एफ0एम0 टीवी, समाचार पत्र, न्यूज पोर्टल देखते रहें। वार्ड स्तर पर विश्वसनीय सूचनाओं के प्रसार व आफवाहों के प्रबंधन हेतु प्रभावी तंत्र विकसित करें। • स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों जैसे–नाव, वाहन, लाइफ जैकेट, रस्सी, बांस, फोम आदि के सहयोग से बचाव सामग्री बनाना। गोताखोरों, नाविकों, वाहन मालिकों, बढई, राजमिस्त्री आदि की सूची बनाना। • वार्ड में उँचे स्थलों एवं सुरक्षित भवनों की पहचान करना। पशुओं हेतु अलग सुरक्षित शरण स्थलों की पहचान करना। • बाढ़ के प्रति वार्ड के संवेदनशील कमजोर वर्गों जैसे वृद्ध, बीमार, गर्भवती महिलाए, धात्री महिलाए, बच्चे, दिव्यांग आदि की पहचान करना तथा सूचीबद्व करना। • खतरनाक, डूबने वाले व गहरे स्थानों की पहचान करना, खतरा का चिन्ह/संकेत लगाना व सुरक्षा घेरा बनाना। • हाथ की सफाई, पानी के उपयोग, जल शुद्धिकरण यन्त्र, ओ0आर0एस0 के उपयोग हेतु जागरूकता अभियान का संचालन निरंतर अन्तराल पर करना। • परिवार किट, महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं बहुमूल्य सामानों की सुरक्षा हेतु उपाय करना, परिवार किट में एक सप्ताह का सुखा खाना, कपड़े, साबुन, औजार, माचिस, मिट्टी तेल इत्यादि की व्यवस्था करना। • वार्ड में बाढ़ के इतिहास के मद्देनजर ऊंचा घर, शौचालय, और ऊंचा चबूतरा युक्त चापाकल का निर्माण करें।
	दौरान	• बचाव दलों/रिस्पांस एजेंसियों को स्थिति से अवगत कराना एव मानचित्र के माध्यम से सुरक्षित रास्तों के बारें में बताना। बचाव दलों को आवश्यक सहयोग एवं संसाधन मुहैया कराना। • स्थानीय राजमिस्त्री/कारीगर के द्वारा हैण्डपम्प को ठीक करना। • मच्छरों एवं जल–जनित बीमारियों से बचाव हेतु स्वच्छता हेतु ब्लीचिंग पाउडर, चूना इत्यादि का छिड़काव कराना। हैण्डपम्पों व कुँओ को ब्लीचिंग पाउडर से विसंक्रमित करना। • सबसे पहले कपड़े, जरूरी दवाईयाँ, कीमती सामान, कागज इत्यादि को जलरोधी बैग में अपने आपात किट के साथ रखें। • आपात–राहत सामग्री साथ रखें।

		• अपने गंतव्य स्थान की सूचना स्थानी य प्रशासन व स्वयं सेवी संगठनों को दें। • बिजली आपूर्ति को बन्द कर दें। • रेत की बोरियाँ रखकर स्नानघर, शौचालय एवं सभी प्रकार के घर के छिद्रों को बन्द कर दें। • घर में ताला लगाकर बताये गये रास्ते से घर को खाली करें। • अनभिज्ञतावश ज्यादा पानी वाली जगहों पर न जायें। आने–जाने के लिए लाठी का प्रयोग करें। • स्थानीय रेडियो एवं टी0वी0 पर निर्देश सुनते रहें। • राहत सामग्री का पारदर्शी व न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित कराना।
	पश्चात्	• बाढ़ के दौरान किए गए रिस्पांस कार्य की समीक्षा करना तथा बाढ़ के न्यूनीकरण व प्रबंधन के लिए आवश्यक पहल करना।
नाव दुर्घटना	पूर्व	• नावों का पंजीकरण कराएं। • नाव पर भार क्षमता का अंकन होना आवश्यक है तथा भार क्षमता के अनुसार ही नाव पर लोग सवार होने चाहिए। • नाविक व गोताखोर को प्रशिक्षित होना चाहिए। नाव पर इम्प्रावाईज तरीकों से तैयार लाइफ जैकेट तथा अन्य बचाव सामग्री अवश्य होनी चाहिए। • नावों के घाट सुरक्षित तथा सुगम पहुँचयुक्त होने चाहिए।
	दौरान	• त्वरित राहत बचाव करें। • नावों का संचालन प्रातः 06.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक ही करें। • नावों का संचालन तेज धारा में नहीं करें।
	पश्चात्	• नाव की मरम्मति करें। • पर्याप्त संख्या में नावों का प्रबंध करे।
डूबने से होने वाली मृत्यु	पूर्व	• नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित जल स्त्रोतों के खतरनाक स्थलों को चिन्हित करते हुए ऐसे स्थलों की सूचना नगर प्रबंधक, नगर निगम, बिहार शरीफ अथवा ICCC को दें। • अति–संवेदनशील स्थलों पर सुरक्षा संकेत व चेतावनी बोर्ड लगाने हेतु नगर निगम, बिहार शरीफ अथवा जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा से समन्वय स्थापित करें। • जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा के समन्वय से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा संचालित सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय गोताखोरों व नाविकों का प्रशिक्षण कराऐं। तत्पश्चात्, स्थानीय विद्यालयों व वार्डों में युवकों, युवतियों, विद्यार्थियों आदि हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। • स्थानीय स्तर पर प्लास्टिक की बोतल से बनने वाली लाइफ जैकेट का अधिक से अधिक प्रयोग करें। जलजमाव व बाढ़ की स्थिति में बांस व फोम से बनी राफ्ट का अधिक से अधिक आवागमन हेतु प्रयोग करें।
	दौरान	• बच्चों को पुल/ पुलिया/ ऊचें टीलों से पानी में कूदकर स्नान करने से रोकें। • खतरनाक चिन्हित घाटों/तालाबों/गड्ढ़ों के किनारे न स्वयं जायें न ही जायें बच्चों को जाने दें। • यदि तैरना जानते हों तभी नदियों/ तालाबों/ घाटों के किनारे जाएँ, तैरते समय अति आत्मविश्वास से बचें। • बच्चों को नदियों/ तालाबों/ तेज पानी के बहाव में स्नान करने से रोकें।

		• कम उम्र के बालक/ बालिकाओं को नदियों, तालाबों तथा गड्ढ़ों में नहाने के लिए या खेलने के लिए अकेले नहीं छोड़ें। • बाढ़ व जलजमाव के पानी में सेल्फी या फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी नहीं करें, यह खतरनाक व जानलेवा हो सकता है।
	पश्चात्	• डूबने के प्रति संवेदनशील स्थलों को सुरक्षित बनाने व बैरिकेडिंग करने हेतु संबंधित वार्ड पार्षद के माध्यम से प्रस्ताव नगर निगम, बिहार शरीफ को उपलब्ध कराया जाए।
जल जनित महामारी का प्रसार	पूर्व	• नालों व तालाबों की साफ–सफाई कराना तथा आसपास के क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। • बाढ़ व जलजमाव के कारण होने वाली जल जनित महामारी के प्रति अति–संवेदनशील को चिन्हित करना तथा इस संबंध में नगर निगम प्रशासन को अवगत करना। • कूड़े–कचरे को नगर निगम, बिहार शरीफ द्वारा निर्धारित स्थलों पर डालें। • मानसून के दौरान घरों, छतों व कबाड़ आदि में जलजमाव नहीं होने दें, इससे डेंगू व मलेरिया के प्रभाव को कम किया जा सकता है। • स्वच्छता व आसपास की पर्यावरणीय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
	दौरान	• नगर प्रशासन व जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में एन्टी लार्वा, एन्टी बैकटेरिया व अन्य कीटनाशकों का छिड़काव करना। • जल जनित रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को जांच, चिकित्सा व पोषण हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना अथवा चिकित्सकीय परामर्श लेना। • साफ–सफाई व कूड़ा निपटान में आवश्यक सहयोग करना।
	पश्चात्	• जलजनित रोगों के प्रसार के कारणों की जांच करना तथा आवश्यक प्रबंध करना।
सर्पदंश	पूर्व	• वन विभाग के सम्पर्क विवरण रखना तथा संबंधित कर्मियों से समन्वय बनाए रखना। • अस्पतालों में एंटी वेनम सिरम की उपलब्धता की जांच करना। उपलब्धता नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारियों को स्थिति से अवगत कराना। • घरों के आसपास साफ–सफाई रखना व विसंक्रमित रखना। • मानसून से पहले झाड़ियों की साफ–सफाई कराना। कबाड़ व अनुपयोगी सामग्रियों का भण्डारण नहीं करना। • सोने से पहले बिस्तर की जांच करना। प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था रखना। • घर में सांपों को भगाने हेतु लाठी एवं डण्डा रखें।
	दौरान	• प्रभावित व्यक्ति को धैर्य प्रदान करें। • काटे गये जगह को साबून पानी से धोएं । • काटे गये जगह को स्थिर करके रखें । • तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुँचाएं तथा विशेषज्ञ चिकित्सीय सहायता लें। • बर्फ अथवा अन्य ठंडे पदार्थ का इस्तेमाल काटे गये स्थान पर नहीं करें। अनुसंधान के अनुसार यह खतरनाक हो सकता है। • टुर्निकेट नहीं बाँधे । इससे संबंधित अंग में रक्त प्रवाह पूरी तरह रूक सकता है एवं संबंधित अंग की क्षति हो सकती है। • काटे गये स्थल पर चीरा न लगाए। इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकी है एवं खून का बहाव नुकसान पहुँचाता है।
	पश्चात्	• घर के आसपास के क्षेत्रों की जांच करें।

अध्याय–13

वार्ड स्तरीय कार्य योजना (अगलगी)

बिहार शरीफ दक्षिण बिहार के प्रमुख नगर के रूप में विकसित हो रहा है तथा ऐतिहासिक रूप से समृद्ध होने के कारण यह शहर पर्यटन का प्रमुख आकर्षण स्थल है। इस नगर के महत्व को देखते हुए नगर विकास विभाग द्वारा इसे स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, ताकि इस शहर का सुव्यवस्थित, सुनियोजित, आपदारोधी ढ़ंग से विकास हो सके। फलस्वरूप, बिहार शरीफ के कई क्षेत्रों में तीव्र रूप से विकास होने के क्रम में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, भवनों, शापिंग मॉल, विद्यालयों, रेस्टोरेंट, होटल, औघोगिक ईकाइयों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। बिहार शरीफ में हीट वेव का भी व्यापक प्रभाव है तथा गर्मियों के दिनों में विद्युत शार्ट सर्किट व तेज हवाओं के कारण अगलगी की घटनाएं घटित हो जाती हैं। उपरोक्त तथ्य यह परिलक्षित करते हैं कि बिहार शरीफ में अगलगी एक प्रमुख आपदा के रूप में सामने आ रही हैं। बिहार शरीफ में अवस्थित ज्वलनशील पदार्थों से युक्त तेल डिपो, पेट्रोल पम्प, सी0एन0जी स्टेशन आदि भी अगलगी की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। नगरीय क्षेत्रों में अगलगी, व्यवसायिक दुघटनाओं व औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक प्रबंध किए जाना महत्वपूर्ण है। इस नगर में स्लम क्षेत्रों की बढ़ती संख्या भी अगलगी के खतरे को बढ़ा रही है।

अगलगी, व्यवसायिक दुर्घटना एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं के प्रति अति संवेदनशील क्षेत्र एवं वार्ड

अगलगी, व्यवसायिक दुर्घटना एवं औद्योगिक दुर्घटना (टेबल संख्या–34)		
अति–संवेदनशील	3,8,15,16,28,30,35, 36,37,38,40,41	सघन आबादी, स्लम क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र
संवदेनशील	4,7,9,11,13,17,19,22,24,25,26,27,29,31,32,34,39,42,43,45	व्यवसायिक क्षेत्र एवं स्लम क्षेत्र
सामान्य	1,2,5,6,10,12,14,18,20,21,23,33,44,46,47,48,49,50,51	औद्योगिक क्षेत्र

हॉटस्पॉट स्थल

- बाजार समिति
- रामचन्द्र बस स्टैण्ड
- बड़ी दरगाह
- पुलपर पटाखा बाजार
- पुलपर पटाखा बाजार

संवेदनशील प्रतिष्ठान

- बियाडा औद्योगिक क्षेत्र
- पेट्रोल पम्प/सी0एन0जी0 पम्प
- गैस एजेंसी
- अन्य औद्योगिक स्थल

चिहिन्त स्लम एरिया

- डोम कालोनी सोहसराय
- कागजी मोहल्ला
- पुलपर

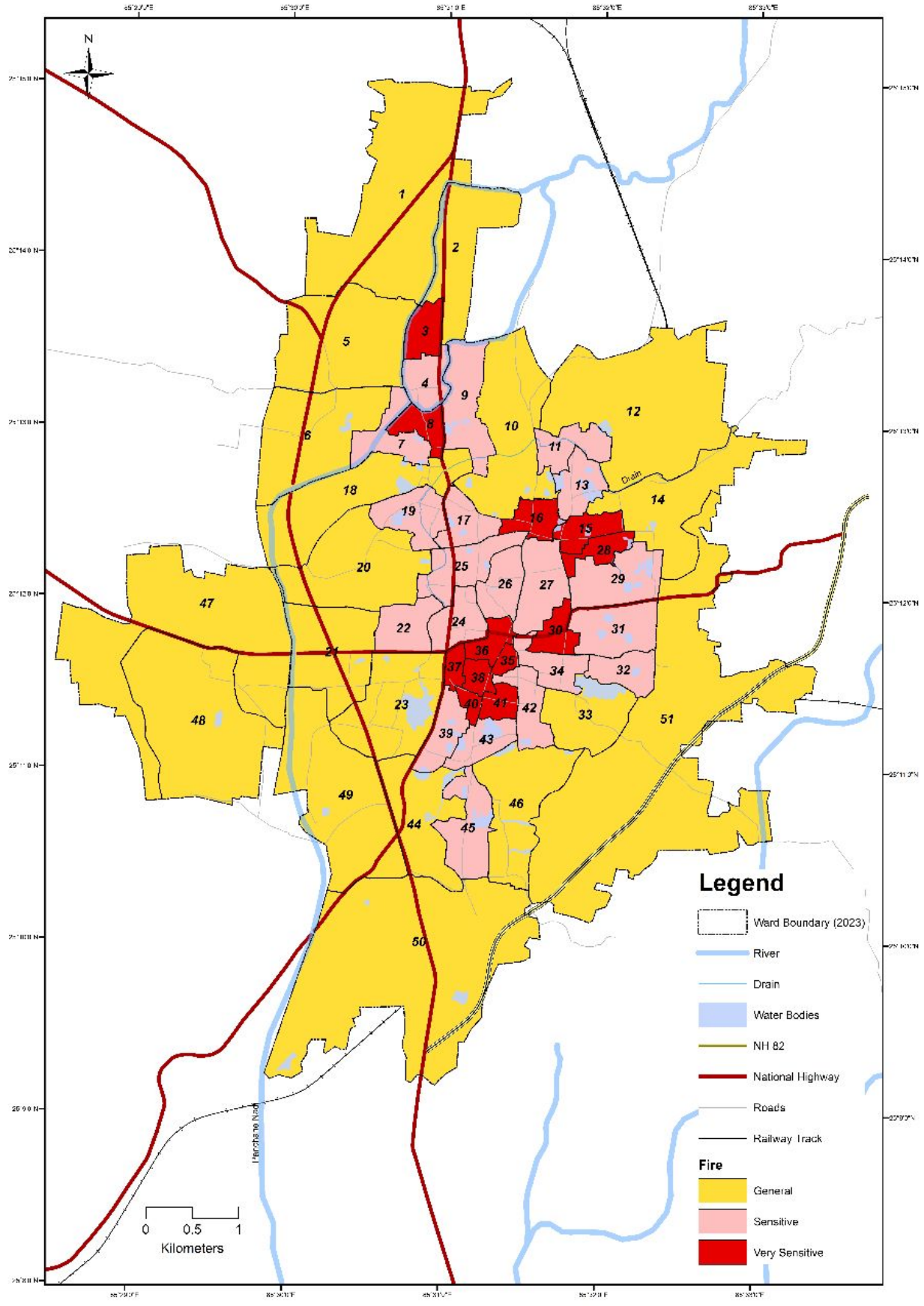

चित्र संख्या–23 (अगलगी मानचित्र–बिहार शरीफ)

अगलगी की दृष्टि से नगर निगम, बिहार शरीफ की संवेदनशील औद्योगिक ईकाइयां

(टेबल संख्या–35)

क्र0सं0	औद्योगिक प्रतिष्ठान का नाम
01	एस0के0 नसीरउद्दीन बीड़ी उद्योग सालुगंज
02	सुधा डेयरी नियर पुलिस केन्द्र, नालन्दा।
03	उजाला मोमबती केन्द्र झींगनगर
04	प्लास्टिक पाईप उद्योग इमादपुर
05	चप्पल कारखाना इमादपुर
06	नीरा उद्योग रामचन्द्रपुर बाजार समिति
07	अगरबती फैक्ट्री, वार्ड सं0–01 सोहडीह
08	मुस्कान बिस्कुट फैक्ट्री, वार्ड सं0–09, खासगंज

अगलगी के घटना की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित स्थल (टेबल संख्या–36)

बिहार शरीफ में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर निम्न क्षेत्र अगलगी के दृष्टिकोण से अति–संवेदनशील पाए गए है, इन क्षेत्रों में संवेदनशीलता का प्रमुख कारण सघन आबादी, संकरे रास्ते, अग्निशमन वाहनों के पहुँच पथ का अवरूद्ध होना, स्लम क्षेत्र होना, अग्निशामक यंत्रों की अनुपलब्धता है। इन क्षेत्रों में रास्तों पर अतिक्रमण भी अधिक है। बिहार शरीफ में बहु–मंजिला इमारतों की संख्या में वृद्धि हुई है, इसके अनुसार भी अगलगी रिस्पांस योजना बनाई जानी आवश्यक है।

वार्ड नं0	मुहल्ला का नाम/चिन्हित स्थल
वार्ड सं0 1	सोहडीह महुआ तर, पचासा रविदास टोला, पासवान टोला
वार्ड सं0 2	मोहल्ला– सहोखर
वार्ड सं0 3	पटेल नगर सोहसराय, कुम्हारटोली, दुसाध टोली, बीचबाजार सर्वोदय स्कूल के पीछे एवं बखोटोली महुआ टोली
वार्ड सं0 4	कृष्णा नगर, आजाद नगर, कटहल टोला।
वार्ड सं0 5	सलेमपुर रविदास टोला, सलेमपुर वड़ही टोला, सलेमपुर कोयरी टोला
वार्ड सं0 6	चमर टोली
वार्ड सं0 7	रविदास टोला हविवपुरा
वार्ड सं0 8	वसार विगहा जालपुर, मोगल कुआं
वार्ड सं0 9	बड़ी खासगंज – पाठशाला गली व विचली गली छोटी खासगंज – पंडित टोला गली
वार्ड सं0 10	लोहगानी, टिकुलीपर , मुशादपुर
वार्ड सं0 11	बड़ी शेखाना निम अड़ान , छोटी शेखाना इमादपुर सतपुती
वार्ड सं0 12	ईमादपुर, रविदास टोला
वार्ड सं0 13	सलाम शाकामाल होटल वाली गली, गुलरेज के पूरब तरफ वाली गली मोहल्ला छज्जु।
वार्ड सं0 14	वतुआना यादव टोली अनिल ठाकुर के मकान से वीर अभिमन्यु एवं शियाशरण माधव के घर तक, चाँदनी टोला बोरिंग से चिड़िमारी जाने वाला रास्ता
वार्ड सं0 15	संगत गली, भदानी गली, कल्याणपुर, चमरटोली
वार्ड सं0 16	शिरिशतल, उच्चकापर अम्बेर रास्ता

वार्ड सं0 17	अरबी गली, वदूद खान की गली तथा बादू साहब
वार्ड सं0 18	वॉलीपर तथा सिंगारहॉट
वार्ड सं0 19	बढ़हीगली, महतोगली, छोटी पहाड़ी एवं मंसुर नगर
वार्ड सं0 20	बड़ी पहाड़ी
वार्ड सं0 21	अम्बे होटल से रेहट पर होते हुये नालन्दा कॉलोनी उतरी भाग
वार्ड सं0 22	पतरकी गली शिवाजी कॉलनी एवं पूर्व वार्ड पार्षद के घर के दक्षिण वाली गली।
वार्ड सं0 23	रामचन्द्रपुर मदरसा गली, कुआं गली, ब्रह्मा स्थान कांटापर डॉक स्थान एवं गगनदिवान
वार्ड सं0 24	कमरूद्धीनगंज, भैंसासुर, मुरारपुर, काशी तकिया
वार्ड सं0 25	पोखरापर, छोटी मस्जिद
वार्ड सं0 26	सुन्दरगढ़, निचली गुफापर उदन्तपुरी कमरूद्धीनगंज धनेश्वर घाट बन्दना सिनेमा के पीछ
वार्ड सं0 27	निचली किला शिव मंदिर से उत्तर वाला गली
वार्ड सं0 28	मिरदाद, बारादरी
वार्ड सं0 29	तकियापर
वार्ड सं0 30	धोबी टोला जो शिवाजी नगर की ओर जाती है एवं चौखण्डी पर जगशाला गली
वार्ड सं0 31	द्वारिका नगर
वार्ड सं0 32	कोलसुलनगर कब्रिस्तान के पास
वार्ड सं0 33	खैरावाद हरिजन टोला, महलपर
वार्ड सं0 34	नीमगंज गैस एजेंसी के पास , यज्ञशाला मंदिर
वार्ड सं0 35	धोबीटोला, सेवक गली, पंड़ित गली, असलगढ़ी, सालुगंज, भुस्सट्टा, चमनगली, चौकपर,राउत गली, संगत गली, गौरी मंदिर गली, खांची गली
वार्ड सं0 36	गगन दिवान
वार्ड सं0 37	बुल्ला कुऑ, नौआ टोली, कोहनासराय, मुरारपुर, एवं मथुरिया
वार्ड सं0 38	आइसक्रीम गली, कानुन गली, प्रमेश्वरी देवी हाई स्कुल के पीछे वाली गली, सती स्थान के दक्षिण पंड़ित गली, श्रवण सर गली, मंटु मोदी गली
वार्ड सं0 39	गगन दीवान
वार्ड सं0 40	खानकाह
वार्ड सं0 41	ठवई मोहल्ला, सुफी नगर
वार्ड सं0 42	मुहल्ला खांची गली का दक्षिणी क्षेत्र
वार्ड सं0 43	संगत गली कटरापर, पम्पी तालाब मंसुर मोदी गली से अन्दर गली, एसान मियां से चन्गरयायां गली, सुधी मियां मछली वाले गली
वार्ड सं0 44	चोरा बगीचा, पहड़पुर, मेहरपर, किसान बाग
वार्ड सं0 45	बड़ी दरगाह
वार्ड सं0 46	अलीनगर दक्षिण टोला
वार्ड सं0 47	जमालीचक, सर्वोदय नगर, काको विगहा, खरजमा, साठोपुर, मघड़ा सराय, गुफापर
वार्ड सं0 48	दुसाध टोली, चमार टोली, यादव टोली, कतार टोली
वार्ड सं0 49	राणा विगहा बीच वाला भाग, सिपाह बीच वाला भाग, चकरसलपुर का बीच वाला भाग
वार्ड सं0 50	विजवनपर
वार्ड सं0 51	नया टोला, तकियाकला, कल्याणपुर

अगलगी संवेदनशीलता के न्यूनीकरण हेतु आवश्यक सुझाव

- सघन व संकरे मोहल्लों में अग्निशमन रिस्पांस को बेहतर करने व न्यूनीकरण हेतु मोटरबाइक आधारित फायर टेंडर, औद्योगिक इकाइयों हेतु फोम आधारित फायर टेंडर, बहु–मंजिला इमारतों हेतु लैडर युक्त भारी क्षमता के फायर टेंडर का प्रावधान किया जा सकता है।

इसकी अधियाचना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना को राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एस0डी0एम0एफ0) के तहत की जा सकती है।

नगर निगम, बिहार शरीफ अन्तर्गत अवस्थित पेट्रोल पम्प एवं गैस गोदाम

क्र0स0	पेट्रोल पम्प/गैस गोदाम का नाम	पता
1	शारदा पेट्रोल पम्प	रेलवे स्टेशन रोड
2	ममता पेट्रोल पम्प	17 न0 बाईपास
3	श्री राम पेट्रोल पम्प	बाइपास
4	बाला जी पेट्रोल पम्प	बिहार शरीफ
5	नेशनल पेट्रोल पम्प	देवी सराय मोड़
6	पावापुरी पेट्रोल पम्प	चौड़ा बगीचा
7	लक्ष्मी पेट्रोल पम्प	रांची रोड
8	श्रीराम एच0पी0गैस एजेंसी	ममता काम्पलेक्स
9	विंध्यवासिनी गैस एजेंसी	अम्बर रहुई रोड
10	जय माता दी गैस एजेंसी	जिला पर्षद मार्केट
11	रामा इण्डेन	कमरूद्दीनगंज
12	इण्डेन जे0पी0 इन्टरप्राइजेस	नवाब रोड
13	सुनीता श्री भारत गैस	बिछली
14	श्यामा श्री एच0पी0 गैस एजेंसी	नीमगंज महलपर
15	दीपेन्द्र इण्डेन	बिहार शरीफ
16	गोपी गैस एजेंसी	भारती गली, निकट टेलिफोन एक्सचेंज

बिहार शरीफ में अगलगी का इतिहास (नगरीय क्षेत्र) (टेबल संख्या–37)

क्र0स0	विवरण	वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022
1	अगलगी की घटना	89	98	94
2	मानव क्षति	0	0	0
3	पशु क्षति	04	05	0
4	घायल व्यक्तियों की संख्या	01	0	0
5	घायल पशुओं की संख्या	0	07	0
6	मृत कुक्कट की संख्या	404	2000	0

(स्त्रोत अग्निशामालय, बिहार शरीफ)

बिहार शरीफ में घटित होने वाली अगलगी का प्रकार (प्रतिशत में) (टेबल संख्या–38)

अग्नि प्रकार	विवरण	प्रतिशत
क्लास A	साधारण दहनशील सूखे पदार्थ व कार्बनयुक्त तत्व जैसे लकड़ी, फूस, खेत, कृषि अवशेष, कागज, रबड़, प्लास्टिक, टायर इत्यादि में लगने वाली आग	72
क्लास B	ज्वलनशील गैसों व तरल पदार्थो जैसे–पेट्रोल, एलपीजी, मिट्टी के तेल, डीजल, पेंट, पेंट थिनर इत्यादि में लगने वाली आग	13
क्लास C	बिजली के उपकरणों, हाइटेंशन तारों व शार्ट सर्किट से लगने वाली आग	11
क्लास D	धातुओं व रासायनिक क्रियाओं से लगने वाली आग जैसे मैग्नीशियम, टाइटेनियम और सोडियम जैसी उच्च तापमान पर जलने वाली धातुएं	01
क्लास K	होटलों व घरेलू किचन में वनस्पति तेल, घी व वसा से लगने वाली आग।	03

बिहार शरीफ में भवन संरचना एवं अग्नि प्रवणता (टेबल संख्या–39)

	पक्के घर	कच्चे/खपरैल/एसबेस्टस /टीन शेड के घर	कच्चे/फूस के घर	व्यवसायिक प्रतिष्ठान	औद्योगिक ईकाइयां
प्रतिशत	55 प्रतिशत	08 प्रतिशत	15 प्रतिशत	17 प्रतिशत	5 प्रतिशत
अग्नि प्रवणता प्रतिशत में	37 प्रतिशत	14 प्रतिशत	17 प्रतिशत	21 प्रतिशत	11 प्रतिशत

बिहार शरीफ में फायर ऑडिट संबंधी प्रतिवेदन (टेबल संख्या–40)

वर्ष	शैक्षणिक भवन	हास्पिटल/ नर्सिंग होम	होटल रेस्टोरेंट	अपार्टमेंट	पेट्रोल पम्प	गैस एजेंसी	शॉपिंग माल	सरकारी भवन/ कार्यालय	बैंक	उद्योग	अन्य	कुल
2022	10	10	03	01	00	00	05	03	02	03	13	80

अगलगी से निपटने हेतु बिहार शरीफ में उपलब्ध संसाधनों एवं उपकरणों की संख्या (टेबल संख्या–41)

क्र0स0	उपकरण/संसाधन का नाम	संख्या/मात्रा
01	फायर टेंडर (4500 ली क्षमता) समस्त उपकरणों सहित	01
02	फायर टेंडर (12000 ली क्षमता) समस्त उपकरणों सहित	01
03	फायर टेंडर (2500 ली क्षमता) समस्त उपकरणों सहित	01
04	फोम आधारित फायर टेंडर (2500 ली क्षमता) समस्त उपकरणों सहित	0
05	रेस्क्यू फायर टेंडर	0
06	औद्योगिक ईकाईयों में उपलब्ध फायर टेंडर की संख्या एवं क्षमता	01 वाटर फायर टेंडर उपलब्ध है।
07	मिक्सड टेक्नॉलाजी वाहन (400 ली पानी एवं 50 ली फोम) एवं अन्य उपकरणों सहित	07 एम0टी0 वाहन
08	अग्निशमालय	01 (नालन्दा में कुल 03 अग्निशामालय है, नगरीय क्षेत्र में बिहार शरीफ–फायर स्टेशन के माध्यम से अग्नि नियंत्रण का कार्य सम्पादित किया जाता है)
09	फायर हाईड्रेन्ट की संख्या (सरकारी)	12
10	फायर हाईड्रेन्ट की संख्या (निजी)	04

बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्रों में घटित होने वाले अगलगी सम्बंधी सूचनाएं

अग्निशामालय	बिहार शरीफ में अगलगी प्रबंधन एवं रिस्पांस हेतु 01 अग्निशामालय कार्यशील है।
प्रमुख कारण	• बिजली शार्ट सर्किट • एसी व बिजली/इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों के जलने के कारण • गैस सिलेण्डर के रिसाव या फटने से • व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण लगने वाली आग • सम्प्रदायिक घटनाओं व विरोध प्रदर्शनों में उत्पातियों द्वारा आग लगाना।
स्थानीय समुदाय द्वारा सामान्य प्रत्युत्तर समय	त्वरित प्रत्युत्तर,
स्थानीय प्रत्युत्तर की कमियां	• अग्निशामालय की कम संख्या होना। • फायर ब्रिगेड कर्मियों की संख्या अनुपात कम होना। • सार्वजनिक भवनों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक ईकाइयों, विद्यालयों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि का फायर ऑडिट प्रभावी ढंग से नहीं होना तथा अग्नि निरोधक उपकरणों का पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापित नही किया जाना। • सकरे मार्ग, स्लम क्षेत्र व घनी आबादी का होना। • संसाधनों व उपकरणों की कमी। • अग्निशमन में समुदाय, विक्रेताओं एवं औद्योगिक ईकाईयों के कर्मियों का दक्ष व प्रशिक्षित ना होना। • सामूहिक सवेंदनशीलता की कमी होना। • मॉकड्रिल कम होने के कारण अन्तर विभागीय समन्वय प्रभावी नहीं होना।
फायर ब्रिगेड द्वारा सामान्य प्रत्युत्तर समय	0–10 किमी– सूचना प्राप्ति पर 15 मि0 में 10–20 किमी– 25 मिनट 20–30 किमी–40 मिनट 30–40 किमी– 50 मिनट 40–50 किमी–1 घंटा 10 मिनट 50–60 किमी– 1 घंटा 25 मि0 **नोट** • ससमय सूचना प्राप्त होने पर • आवागमन मार्ग सही रहने पर

	• सकरा मार्ग ना होने पर • सड़क जाम ना होने पर
फायर ब्रिगेड द्वारा किये जाने वाले अग्निशमन कार्य में आने वाली बाधाएं	• भीड़ एकत्र होना व सकरे रास्ते/गलियां होना। • नगर क्षेत्र में अव्यवस्थित भवन निर्माण व झुग्गी झोपड़ी का होना। • औद्योगिक कारखानो व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक निद्विष्ट नियमों का पालन ना। • ऊँची भवन संरचनाएं होना।

संबंधित विभागों द्वारा अगलगी की रोकथाम, प्रत्युत्तर एवं न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई (टेबल संख्या–42)

चरण	कार्रवाई	संबंधित विभाग एवं हितभागी
पूर्व तैयारी	• नगर निगम एवं सम्बंधित विकास प्राधिकरण द्वारा नये भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों व सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए दिये जानें वाले भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 (National Building Code of India, 2016) के अर्न्तगत किये गये प्रावधानों के दृष्टिगत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि भवन निर्माण के भूखण्ड मानचित्र योजना (Building Layout Plan) में अग्निसुरक्षा मानको व सुरक्षित निष्कासन हेतु आवश्यक नियोजन किया गया है। • नगर निगम के परिक्षेत्र में स्थापित फायर हाईड्रेंट, पानी की टंकी व नलकूपों को क्रियाशील रखना। ई–गर्वनेंस माध्यमों यथा–जन सेवा केन्द्रों, दूरभाष, इण्टरनेट एवं काल सेंटर आदि से जनसुविधाओं, फायर हाईड्रेंट/नलकूप मरम्मत, अग्नि जोखिम संबंधी प्राप्त जन–शिकायतों का निवारण प्राथमिकता के आधार पर करना। • फायर हाईड्रेंट, पानी की टंकी व नलकूपों पर तैनात कर्मियों के सर्म्पक नम्बरों को विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों–पुलिस, अग्निषमन विभाग, स्थानीय प्रषासन को उपलब्ध कराना जिससे आपात् स्थिति में समन्वय स्थापित कर बचाव कार्य त्वरित व प्रभावी रूप से किया जा सके। • नगर निगम द्वारा प्रस्तावित विकास कार्यो में अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रावधान करना। कार्यालयों व वाहनों को अग्निशामक यन्त्रों से सुसज्जित करना।	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा जिला अग्निशमन कार्यालय, नालंदा पुलिस अनुमण्डल पदाधिकारी अंचल अधिकारी

	• नगर निगम में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, चालको को अग्नि सुरक्षा, अग्निशमन यन्त्र संचालन व प्रत्युत्तर संबंधी प्रशिक्षण/मॉक–ड्रिल अग्निशमन विभाग के देखरेख में कराना। • नगर निगम द्वारा ढुलाई, कुड़ा उठाने, मलबा हटाने वाले समस्त वाहनों व उपकरणों (जैसे–ट्रक, ट्रैक्टर, टाटा मैजिक, डंपर–लोडर, जे0सी0बी0,कंटेनर, स्वीपिंग मशीन, पोकलेन, हाइड्रोलिक क्रेन, फांगिग मशीन) आदि को कार्यचालन की स्थिति में रखना। • प्रशासन के सहयोग से निरन्तर अवधि पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाना, जिससे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल तक बिना किसी बाधा के बचाव कार्य हेतु पहुँच सकें। • अगलगी प्रत्युत्तर क्षमता को बेहतर बनाने हेतु नगरीय क्षेत्र में अवस्थित पम्प हाउस तथा जल मिनार में यार्ड हाइड्रेन्ट व फीमेल कपलिंग को जोड़ा जा सकता है, इससे फायर टेंडर में अगलगी के दौरान आवश्यकता पड़ने पर पुनर्जलभरण किया जा सकता है। • नगर निगम एवं जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा के स्तर से अग्निशमन विभाग के सहयोग से नगरीय क्षेत्र के संवेदनशील प्रतिष्ठान, अस्पताल, स्कूल, सघन बाजारों, सकीर्ण गलियों, औद्योगिक इकाइयों, धार्मिक स्थलों, सरकारी भवनों में नियमित रूप से फायर ऑडिट किया जाना चाहिए। • सार्वजनिक स्थलों, सरकारी व निजी संस्थानों में अधिक से अधिक संख्या में अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन किया जाना चाहिए। • सकीर्ण गलियों व स्लम क्षेत्रों में अगलगी की रोकथाम हेतु विशेष कार्ययोजना का निर्माण किया जाना आवश्यक है। • नगरीय क्षेत्र में अगलगी की रोकथाम एवं आमजन को संवेदनशील बनाने हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, सुरक्षित निष्कासन अभ्यास किया जाना।	
दौरान	• अग्निकांड की घटना होने पर तुरंत कन्ट्रोल रूम की स्थापना कर संबधित कर्मचारियों को दिशा–निर्देश देना व आवश्यकतानुसार कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करना। • बेहतर अन्तर विभागीय समन्वय हेतु संबंधित विभागों, रिस्पांस एजेंसियों व हितभागियों के साथ मॉकड्रिल करना। • प्रशासन/राहत–बचाव एजेंसियों द्वारा अग्निकांड से प्रभावित घटनास्थल पर किये जा रहे राहत व बचाव	

	कार्य में आवश्यकता पड़ने पर त्वरित रूप से पहुँचकर इंसीडेंट कमाण्डर के दिशानिर्देश में बचाव कार्य व मलबा हटाने में सहयोग करेंगें। • राहत शिविर लगाना तथा प्रभावितों हेतु स्वच्छ पेयजल व खाद्य सामग्री का प्रबंध करना। • अग्निकांड के कारण घटना स्थल तक पहुँच मार्ग सकरा/क्षतिग्रस्त्र होने की स्थिति में सड़क की मरम्मति करना।	
पश्चात्	• बचाव स्थल से मलबा हटाकर साफ–सफाई सुनिश्चित करना व जनसुविधाओं को बहाल करना। • क्षति आकलन कार्य में नगर परिक्षेत्र व प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करना। • बचाव कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त्र हुए वाहनों, उपकरणों व संसाधनों की मरम्मत कर कार्यचालन योग्य बनाना।	

अगलगी प्रत्युत्तर क्षमता को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक उपाय

- ⦿ त्वरित फायर रिस्पांस कराना एवं बचाव कार्यों का संचालन करना।
- ⦿ सभी प्रतिष्ठानों/संस्थानों की सुरक्षा जांच करना एवं फायर ऑडिट करना।
- ⦿ सुरक्षा मानकों/राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड/बिहार बिल्डिंग कोड के अनुरूप पाए गए प्रतिष्ठान/संस्थान को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करना एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए प्रतिष्ठान/संस्थान के विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करना एवं दण्ड का प्रावधान करना। समय–समय पर संबधित हितभागियों का प्रषिक्षण आयोजित करना।
- ⦿ विभागों/जन–प्रतिनिधियों/स्वैच्छिक संगठनों/हितभागियों एवं समुदाय हेतु अग्नि सुरक्षा जन–जागृति के दृष्टिगत मॉकड्रिल एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
- ⦿ अग्निशमन कर्मियों के बचाव हेतु अग्निशामक किट व प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था करना।
- ⦿ अगलगी के घटना स्थल तक शीघ्र पहुँचने के लिए Route Chart तैयार करना।
- ⦿ Fire Zone Area के समीप Water Tanks/iEilsV एवं अन्य जल–श्रोतों की मैपिंग करना।
- ⦿ Hot-Spot Areas में उपलब्ध जलस्त्रोत व फायर हाईड्रेन्ट का ब्योरा एकत्र कर सूचीबद्व करना एवं उसका उपयोग करना।
- ⦿ अग्निशमन दलों का रिफ्रेशर क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण। अन्य रिस्पांस टीमों के साथ संयुक्त अभ्यास करना।
- ⦿ अग्निकाण्ड घटनास्थलों पर त्वरित पहुँचने हेतु अग्निशमन वाहनों में जी0पी0एस0 बेस्ड नेवीगेशन सिस्टम/ जी0पी0एस ट्रेकर डिवाइस लगाना तथा एन0आई0सी0 से समन्वय स्थापित कर अंचलवार प्रत्येक वार्ड का Latitude and Longitude का विवरण प्राप्त कर अभिलेखीकरण कर लेना।
- ⦿ अग्निशमन विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर क्षति आकलन (मानव हानि, पशु हानि, आर्थिक नुकसान) व विभाग द्वारा फायर फाईटिंग से बचाये गये (मानव, पशु व सम्पत्तियां) का आकलन करना।

- फायर फाईटिंग कार्य की समीक्षा कर फायर फाईटिंग सेवा को और बेहतर बनाने हेतु कार्य योजना बनाना। स्थानीय समुदाय को अग्नि निरोधात्मक उपायों को लागू करने हेतु प्रेरित करना।
- जन समुदाय को दुर्घटना बीमा व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को जनरल/प्रापर्टी के लिए प्रोत्साहित करना।

औद्योगिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु अगलगी से बचाव हेतु महत्वपूर्ण सुझाव

- फैक्टरी अधिनियम, 1948 (संशोधित–2017) में निहित मानको व प्रावधानों का अनुपालन करना। कारखानों में फायर सेफ्टी प्रभारी प्रतिनियुक्त करना।
- दुकानों, कारखानों व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अग्निसुरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण, संसाधनों व कुशल मानव संसाधनों की व्यवस्था करना।
- कर्मियों को अग्निसुरक्षा व अग्नि बचाव के तरीकों पर प्रशिक्षित करना।
- ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित भण्डारण सुनिश्चित करना। अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत ऑन साइट व ऑफ साइट योजना बनाना।
- राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2016 (National Building Code of India, 2016) के अर्न्तगत किये गये प्रावधानों को लागू करना।
- नियमित अन्तराल पर फायर ड्रिल एवं अन्य बचाव अभ्यास करना।

बिहार शरीफ नगरीय क्षेत्र व आसपास के फायर हाईड्रेन्ट की सूची ((टेबल संख्या–43)

क्र0स0	जलस्त्रोत का नाम	प्रकार
1	नगर निगम बिहार शरीफ हाईड्रेन्ट	सरकारी
2	समरसेबुल अ0शा0 बिहार शरीफ	सरकारी
3	भैसासुर चौक पानी टंकी हाईड्रेन्ट	सरकारी
4	ब्रहमस्थान लहेरी थाना हाईड्रेन्ट	सरकारी
5	सुभाष पार्क हाईड्रेन्ट	सरकारी
6	डा0 अमरदीप बड़ी पहाड़ी	निजी
7	हरनौत थाना, बोरिगं (निगम क्षेत्र से बाहर किन्तु उपयोगी)	सरकारी
8	सारे थाना, बोरिगं	सरकारी
9	गोखुलपुर थाना, बोरिगं	सरकारी
10	भागनबिगहा थाना, बोरिगं	सरकारी
11	नुरसराय थाना, बोरिगं	सरकारी
12	हरनौत ब्लाक पी0एच0ई0डी0 हाईड्रेन्ट	स्रकारी
13	ममता होटल रामचन्द्रपुर	निजी
14	ममता मदर चाईल्ड, सरकारी बस स्टैण्ड	निजी
15	वि0 मार्ट शेखपुर बस स्टैण्ड	निजी
16	स्पेक्ट्रम हास्पीटल नाला रोड	निजी
17	बरबीघा बस स्टैण्ड तालाब	सतही जलश्रोत
18	मोरा तालाब बिहार शरीफ	सतही जलश्रोत
19	कौसूत नदी, दीपनगर	सतही जलश्रोत

बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख तालाबों व घाटों की सूची

(टेबल संख्या–44)

क्र0स0	तालाब/घाट का नाम	वार्ड संख्या
1	आशानगर घोबी टोला घाट	06
2	सूर्य मन्दिर आशानगर घाट	07
3	बसारबिघा घाट	08
4	लोहगानी घाट	10
5	बिहार कल्ब घाट	10
6	ईमादपूर घाट	12
7	रेलेव स्टेशन मिरदाद घाट	14
8	बियाबानी घाट के पूरब	20
9	बियाबानी घाट के पश्चिम	20
10	देवीसराय सामुदायिक भवन के पास घाट	21
11	चक रसलपुर नदी घाट	21
12	रामचन्द्रपूर शिवपूरी घाट	22
13	धनेश्वर घाट	26
14	महल पर (तकिया पर) स्थित घाट	33
15	बाबा मणिराम अखाड़ा घाट	42
16	पैरु महतो सोमरी कॉलेज के नजदीक घाट	44
17	देवी स्थान तालाब आशानगर (पानी टंकी के बगल में)	44
18	अलीनगर बिचली पोखर घाट	46
19	मघड़ा शीतला मन्दिर तालाब घाट	47
20	मघड़ा नदी घाट	48
21	कोसुक नदी घाट	49
22	सिपाह पुल के पास घाट	49
23	बिजवन पर घाट	50
24	लंगडी बिग्हा घाट	51

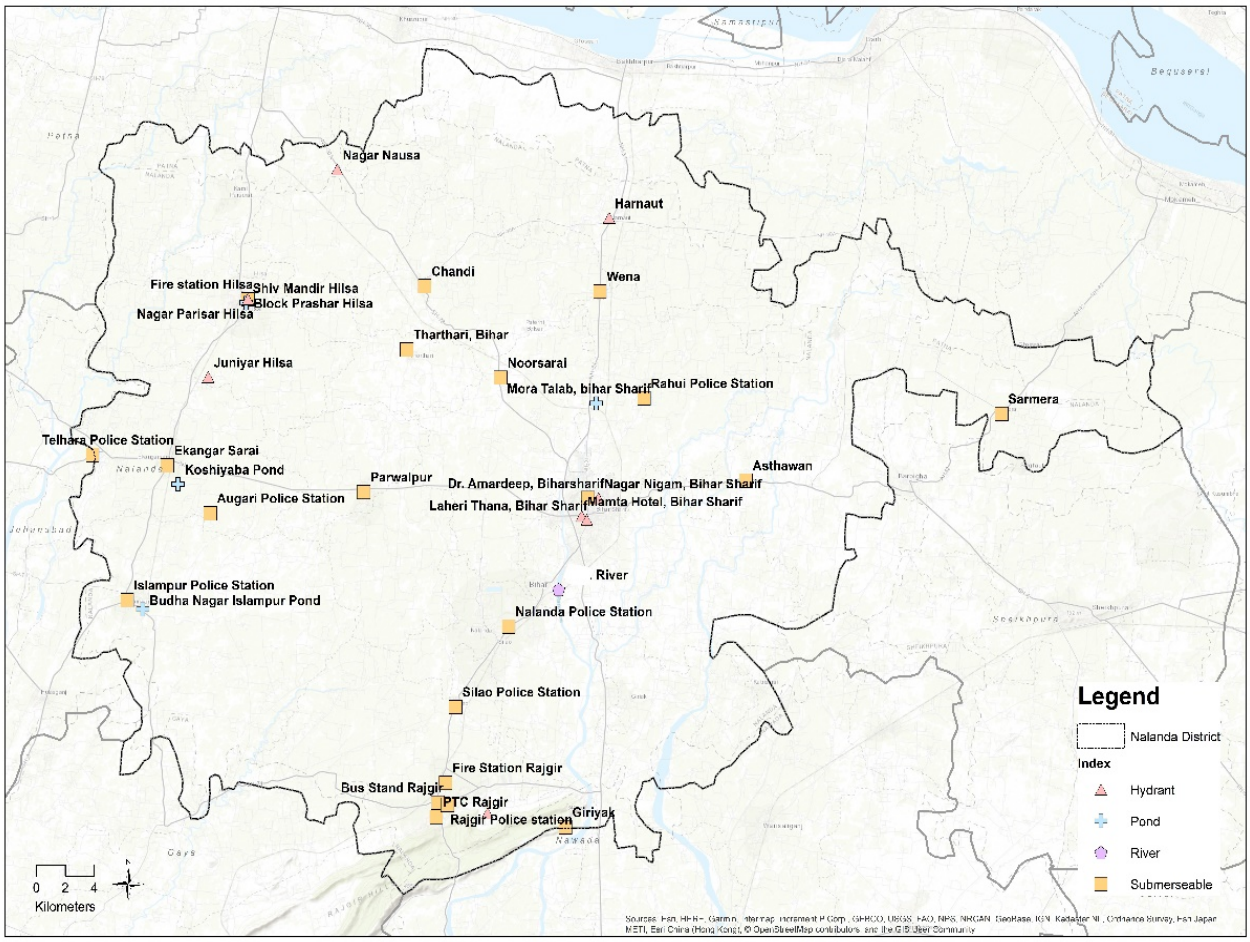

चित्र संख्या–24 (फायर हाइड्रेन्ट मानचित्र)

अग्निशामालय, बिहार शरीफ के फायर टेंडर का विवरण
(टेबल संख्या–45)

क्र0स0	अग्निशमन वाहन एवं प्रकार	प्रतिनियुक्ति स्थल एवं थाना का नाम	वाहन चालकों का नाम	वाहन चालकों का मोबाइल नम्बर
01	BR1G-6952 (वाटर बाउजर)	बिहार शरीफ	लक्ष्मण कुमार	9931605256
02	Bro1GB-4511(वाटर टेंडर)	बिहार शरीफ	विपुल कुमार	7903611561
03	BR1G2438 (वाटर टेंडर)	बिहार शरीफ	अनवर आलम	7654914045
04	BR1G-3727(एम0टी0 फोम)	बिहार शरीफ	दिवाकर कुमार	9097875420
05	BR1AN-0931(जीप टेंडर)	बिहार शरीफ	नरेश कुमार	8294843660
06	BR21GB-8723(एम0टी0 फोम)	नुरसराय	पंकज कुमार	8409683048
07	BR21GB3724(एम0टी0 फोम)	बेना	जितेन्द्र सिंह	8969215794
08	BR21GB-3728(एम0टी0 फोम)	अस्थावां	शानु कुमार	8809061187
09	BR21K-3337(एम0टी0 फोम)	सरमेरा	रंधीर कुमार	9097511112

10	BR21K3338(एम0टी0 फोम)		हरनौत	विवेक कुमार पाल	9097569083
11	BR21GA-5164(एम0टी0 फोम)	रहोई	फिरोज आलम	9852747141	

अग्निशामालय, बिहार शरीफ द्वारा चयनित अग्निशमन वाहन रूट (चित्र संख्या–25)

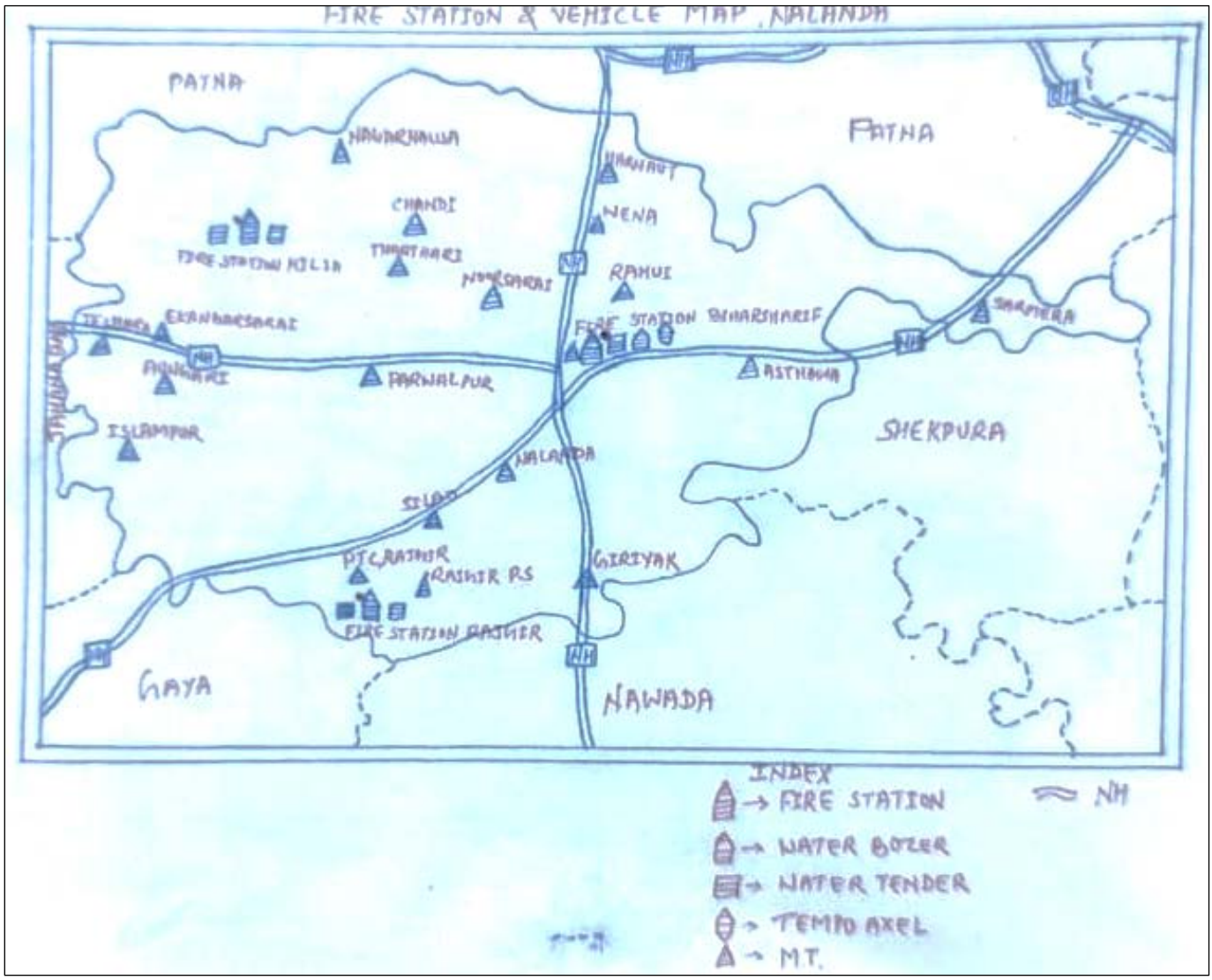

☞ अगलगी से बचाव हेतु आवश्यक सलाह

सामान्य जनता हेतु

–दिन का खाना 09 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना शाम 06 बजे के बाद बनायें।
–हवन आदि का काम सुबह 09 बजे से पूर्व निपटा लें।
–भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह बुझा दें। गैस सिलेण्डर का रेग्यूलेटर बन्द कर दें।
–रसोई घर की छत ऊँची रखी जाय। साथ ही, ज्वलनशील सामग्रियों को रसोई घर और बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
–आग बुझाने के लिए बालू अथवा मिट्टी को बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें। यदि संभव हो तो किचन, स्टोर रूम व ए0सी0 के निकट अग्निशमन यंत्र रखें।
–जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर–उधर नहीं फेंके।
–घर के किसी भी उत्सव के लिए लगाये टेन्ट अथवा कनात के नीचे से बिजली के तार को न ले जाएं।
– जहां पर सामुहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहां पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखा जाए। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाए।
–खाना बनाते समय ढीले ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना न बनाएं, हमेशा सूती कपड़ा पहनकर ही खाना बनाएं। यदि संभव हो तो अप्रैन पहनकर ही भोजन बनाएं।
–सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चलें।
–आग लगने पर सर्वप्रथम समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें। साथ ही, फायर ब्रिगेड (101 नम्बर), पुलिस (100 एवं 112 नम्बर) तथा स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हे सहयोग करें।
–सायरन की घंटी बजाती हुई फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को अवरोध रहित आगे बढ़ने हेतु अपनी वाहनों को किनारे करके खड़ा कर लें।
–अगर आपके कपड़े में आग लगे तो दौड़ें या भागें नही बल्कि जमीन पर लेटकर तथा लुढ़क कर आग बुझाने का प्रयास करें।

विद्युत उपभोक्ताओं हेतु

–बिजली के लूज तारों से निकली चिंगारी भी आग लगने का कारण बन जाती है, अतएव जहां कहीं लूज तार दिखे उसकी सूचना बिना देर किये उर्जा विभाग/संबंधित बिजली विभाग के अभियंताओं को दिया जाए।
–बिजली के तारों कटिया/टोंका न लगाएं। तार को खुला न छोडें।
–शार्ट सर्किट से लगने वाली आग के बचाव हेतु बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मति करा ले।
–शार्ट सर्किट से लगने वाली आग के नियन्त्रण हेतु मे स्विच, एम0सी0वी0 व फॉयर अलार्म अवश्य लगाएं।
–ए0सी0 का तापमान आवश्यकतानुसार **22°C** से **24°C** तक रखें। भोजन बनाने हेतु हीटर का प्रयोग न करें।
–अगलगी की स्थिति में बिजली काटने हेतु विद्युत विभाग के नजदीकी विद्युत वितरण केन्द्र/सब स्टेशन के महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर रखें।
–अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान की फायर ऑडिट अवश्य करायें तथा अग्निशमन यन्त्र पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापित करें।

अध्याय–14

वार्ड स्तरीय कार्य योजना (भूकम्प)

बिहार शरीफ व नालन्दा जिला भूकम्प की दृष्टि से जोन–**IV** (कृपया मानचित्र देखें।) के अन्तर्गत आता है, जो भूकम्प की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील जिलों की श्रेणी है, जहां भूकम्प से व्यापक स्तर पर क्षति हो सकती है। भूकम्प भू–गर्भीय गतिविधियों के कारण अचानक होने वाली आपदा है तथा इसके संबंध में प्रभावी पूर्वानुमान भी नही किया जा सकता है। भूकम्प की आपदा से मुख्यतः संरचनात्मक क्षति होती है, जिसके फलस्वरूप व्यापक स्तर पर जानमाल, पर्यावरण, पशुधन आदि का नुकसान होता है। बिहार में वर्ष 1934 में आये भूकम्प के प्रभावों के विनाशकारी क्षति के प्रमाण आज भी मौजूद हैं तथा भूगर्भशास्त्रीयों के अनुसार प्रत्येक 100 वर्षों के अन्तराल पर व्यापक स्तर पर भूकम्प की घटना होने का पूर्वानुमान किया गया है। हालिया वर्षों में, वर्ष 2015 में नेपाल में आये भूकम्प के झटकों को नालन्दा जिले तक महसूस किया गया था। यह इस बात का संकेत है कि भूकम्प जैसी विनाशकारी आपदा से निपटने के लिए प्रभावी एवं क्रियाशील रणनीति की आवश्यकता है। भूकम्प से निपटने के लिए संरचनात्मक दृष्टि से भवनों, तटबंधों, पूलों, सड़कों, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों, व निजी सम्पत्तियों को भूकम्परोधी बनाये जाने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त प्राचीन, पुरात्वविक दृष्टि से महत्वपूर्ण संरचनाओं, पुराने घरों व नान इंजीनियरिंग रूप से निर्मित संरचनाओं को भूकम्प की दृष्टि से सुरक्षित बनाने हेतु रैपिड विजुवल स्क्रीनिंग (आर0वी0एस0) तकनीक से भूकम्प नाजुकता आकलन (Sesmic Vulnerability Assessment) कर दक्ष सिविल इंजीनियर व आर्किटेक्ट के सहयोग से ऐसी संरचनाओं को रेट्रोफिटिंग तकनीक से भूकम्प की दृष्टि से सुरक्षित किया जा सकता है। भूकम्प के गैर–संरचनात्मक प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु समुदायों व प्रमुख हितभागियों को भूकम्प से पूर्व, भूकम्प के दौरान तथा भूकम्प के पश्चात् चरणों में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जागरूक व संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। भूकम्प एक ऐसी आपदा है जिसमें पूर्व तैयारी व संरचनात्मक संरक्षा के माध्यम से इसके प्रभावों को न्यून किया जा सकता है।

नगर निगम, बिहार शरीफ नालन्दा जिले का मुख्यालय है तथा नगरीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तीव्र रूप से शहरीकरण होने के कारण संरचनाओं का निर्माण भी तीव्रता से हो रहा है। भूकम्प एक ऐसी आपदा है जिसके अन्य आपदाओं यथा अगलगी, भूस्खलन, विद्युत स्पर्शाघाट, फ्लैश फ्लड, सड़क दुर्घटनाओं आदि के होने की संभावना बनी रहती है तथा इस दृष्टि से नगरीय क्षेत्र के सघन, स्लम, पुरानी बसावट के क्षेत्र अधिक संवेदनशील है।

बिहार शरीफ के आसपास भूकम्प का इतिहास (टेबल संख्या–46)

जैसा कि हम अवगत हैं कि नालन्दा जिला भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आता है। नालन्दा जिले में अवस्थित बिहार शरीफ में अनुभव किए गए भूकम्प का इतिहास निम्न सारणी में देखा जा सकता है–

वर्ष	भूकम्प की तीव्रता (रियक्टर स्केल)	भूकम्प का केन्द्र
26 अगस्त 1833	7.9	पूर्वी नेपाल
21 मई 1842	7.0	बांका–धुरैरा
11 नवम्बर 1842	8.9	बिहार–बंगाल
7 अक्टूबर 1920	7.0	जहानाबाद–सासाराम
15 जनवरी 1934	8.4	बिहार–नेपाल बार्डर क्षेत्र
05 मार्च 1935	6.0	बिहार–नेपाल बार्डर क्षेत्र
11 फरवरी 1936	5.6	बिहार–नेपाल बार्डर क्षेत्र
23 दिसम्बर 1983	4.3	नरायनपुर बिहार
17 फरवरी 1985	4.7	कोडरमा, झारखंड
02 मई 1988	3.8	रामनगर, बिहार
15 फरवरी 1993	4.9	कस्बा–पूर्णिया
16 मई 1998	6.6	उत्तर प्रदेश–बिहार बार्डर
27 मई 2005	3.5	मनचंदा, बिहार
06 जून 2008	3.8	बोधगया
26 मार्च 2009	4.1	चाईबासा
27 मार्च 2012	5.0	किशनगंज, बिहार
15 दिसंबर 2015	4.5	चस, झारखण्ड
15 दिसंबर 2015	4.2	देवघर, झारखण्ड
15 फरवरी 2021	3.5	बिहार शरीफ

बिहार शरीफ में वार्डवार भूकम्प की संवेदनशीलता

बिहार शरीफ शहर की स्थापना 10वीं सदी में पाल वंश की राजधानी के रूप में हुई थी। नालन्दा जिला व बिहार शरीफ के कई नगरीय क्षेत्रों में हिन्दु, बौद्ध व मुस्लिम धर्म के कई प्रमुख स्थल हैं तथा देश–विदेश से यहां आने वाले सैलानियों के कारण बिहार शरीफ में पर्यटन काफी समृद्ध है तथा होटलों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का विकास भी बड़े पैमाने पर हुआ है। विदित है कि इस शहर का ऐतिहासिक, धार्मिक व पुरात्विक महत्व है। प्राचीन समय से इस शहर में कई प्रमुख भवनों, प्रशासनिक परिसरों, महलों, बाजारों के निर्माण से बिहार शरीफ के कई क्षेत्र अत्यंत सघन हो गए हैं। प्राचीन समय के अधिकतर भवनों के निर्माण में आधुनिक भवन निर्माण तकनीकों विशेषकर भूकम्परोधी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया गया है, साथ ही, इन क्षेत्रों के सघन होने व व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कई संकीर्ण मोहल्लों व सकरी गलियों की बसावट हो गई है। प्राचीन क्षेत्र होने व पुरात्विक भवनों की देखरेख के आभाव में कई भवन अत्यंत ही जर्जर हो गए हैं। ऐसे मोहल्लों में भूकम्प के कारण होने वाली संरचनात्मक क्षति की संभावना अत्यधिक है तथा भूकम्प के समय इन क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य करने में रिस्पांस एजेंसियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। सर्वेक्षण के आधार पर बिहार शरीफ में भूकम्प की श्रेणीवार संवेदनशीलता निम्नवत् है–

जर्जर भवन बाहुल क्षेत्र (टेबल संख्या–47)

वार्डवार चिन्हित जर्जर व भूकम्प की दृष्टि से कमजोर संरचनायुक्त संकीर्ण व सकरे क्षेत्र का विवरण निम्नवत् है–

क्र0स0	वार्ड संख्या	जर्जर भवन युक्त क्षेत्र
1	3	पटेल नगर, सोहसराय, महुआ टोला मस्जिद के पिछे, कुम्हार टोली एवं दुसाधटोली, घोड़वागली सोहसराय
2	4	कृष्णा नगर, आजाद नगर, कटहल टोला।
3	8	जलालपुर बीच टोला में सर्किण गली में एवं मोगल कुआं हेड गली एवं कुट्टी टोला
4	9	बड़ी खासगंज पंडित टोला।
5	10	मुसादपुर, लोहगानी, टिकुलीपर
6	13	छज्जु , चमन टोला, बगीचा , दमड़ी तालाब, कुम्हार टोली, कुड़वा पर, शाकामाल, बक्खो टोली।
7	15	संगत गली, भदानी गली, कल्याणपुर, चमरटोली
8	16	उच्चकापर अम्बेर
9	17	बिचली मस्जिद, नुरी मस्जिद, अरबी गली, वदूद खान की गली
10	18	वॉलीपर, सिगांरहॉट
11	19	बढ़ही गली, महतोगली, नीमतल, मंसुर नगर
12	23	रामचन्द्रपुर , मदरसा गली, कुआं गली, ब्रह्मा स्थान, कांटापर, डाकस्थान, गगनदिवान
13	24	कमरूद्धीनगंज, भैंसासुर, मुरारपुर, काशी तकिया
14	25	भैंसासुर छोटी–छोटी संकीर्ण गलियां जैसे– बढ़ी गली, कुम्हार टोली, छोटी मस्जिद
15	26	सुन्दरगढ़, कमरूद्धीनगंज, धनेश्वर घाट निचली गुफापर माही खंदक
16	27	निचली किला शिव मंदिर से उत्तर वाला गली
17	28	गौरागढ़, कल्याणपुर, मिरदाद, बारादरी, नरसलीगंज पंडितनगर
18	29	बड़ी मस्जिद के पुरब वालेश्वर के गली से विनोद राम हरिचरण पंडित होते विरजु पासवान तक
19	32	बिचली गली, चमारटोली, जोकिलापर बाला रास्ता मथुरा महतो वाला गली।
20	42	मुहल्ला सालुगंज नीमगंज शेरपुर
21	44	चोरा बगीचा, किसानबाग, मेहरपर, बैंक कॉलनी।
22	45	नया टोला
23	46	अलीनगर और झींगनगर
24	47	जमालीचक, सर्वोदय नगर, काको विगहा, खरजमा,साठोपुर, मघड़ा सराय, गुफापर
25	50	विजवनपर
26	51	वजिपुर

नगर निगम, बिहार शरीफ में भूकम्प की दृष्टि से चिन्हित जर्जर भवनों की सूची (टेबल संख्या–48)

क्र0 संख्या	वार्ड संख्या	जर्जर मकान मालिक/मोहल्ला का नाम।
1	2	कवेन्द्र कुमार वल्द– पैरू महतो मोहल्ला–बबुरबन्ना।
2		कुमारी भारती मेहता, जौ0– भरत प्रसाद, मोहल्ला–सहोखर।
3		कान्ति कुमार वल्द– स्व0 विरेन्द्र प्रसाद, मोहल्ला–बबुरबन्ना।
4	3	प्रमीला देवी, जौ0– शीतल प्रसाद, मोहल्ला–सोहसराय, अड्डापर
5	4	दिलीप कुमार वो दिपक कुमार, वल्द– स्व0 महावीर प्रसाद मोहल्ला–बीच बाजार सोहसराय।
6	5	राजेश पंडित, वल्द– जगदीश पंडित, मोहल्ला–सलेमपुर।
7		मो0 फिरोज, वल्द– मो0 सुलेमान, मोहल्ला–सलेमपुर।
8	7	सीता राम, वल्द– डोमन महतो, मोहल्ला–आशानगर।
9		विजय कुमार वगैरह, वल्द– बुन्दी लाल, मोहल्ला–आशानगर।
10		उमेश प्रसाद, वल्द– अम्बिका प्रसाद, मोहल्ला–आशानगर।
11	8	गंगा गोप, वल्द– धन्नु गोप।
12		गंगा गोप, वल्द– धन्नु गोप।
13		खागो देवी, जौ0– कन्हाय मिस्त्री।
14	11	मो0 जियाउद्धीन, वल्द– कलिम उद्धीन, मोहल्ला–सेखाना खुर्द।
15		मुन्ना, वल्द– इस्तिखार, मोहल्ला–सेखाना खुर्द।
16		सोनु, वल्द– सत्तार, मोहल्ला–सेखाना खुर्द।
17		वाहेद मरहुम, वल्द– सित्तार, मोहल्ला–सेखाना खुर्द।
18		गोल्डेन, वल्द– मुद्धि, मोहल्ला–सेखाना खुर्द।
19	12	उषा देवी, जौ0– स्व0 मिथलेस दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
20	12	ममता देवी, जौ0– सोवी दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
21	12	अशोद रविदास, वल्द– स्व0 चन्द्र रविदास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
22	12	मुन्ना कुमार, वल्द– स्व0 देवेन्द्र रविदास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
23	12	सोनी देवी, जौ0– मुंशी रविदास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
24	12	अजय दास, वल्द– बुन्दो दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
25	12	रेखा देवी, जौ0– मुकेश दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
26	12	कारी देवी, जौ0– मुकेश दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
27	12	संगीता देवी, जौ0– शम्भु दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
28	12	मुन्ना दास, वल्द– संत लाल दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
29	12	आनदं दास, वल्द– दुखन दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
30	12	पप्पु दास, वल्द– रघुनन्दन दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
31	12	सुन्दर रविदास, वल्द– हरीलाल दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
32	12	तारा देवी, जौ0– राजा राम दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
33	12	धर्मशीला देवी, जौ0– शंकर दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
34	12	स्वर्ण दास, वल्द– किशुन दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।

35	12	छोटे लाल कुमार, वल्द– दुखन दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
36	12	राकेश कुमार, वल्द– नगिना दास, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
37	12	नवाव आजम, वल्द– अब्दुल सलाम, मोहल्ला–इमादपुर चमार टोली।
38	13	हिमायु अंसार, वल्द– स्व0 उसमान।
39	13	मो0 मखसुद, वल्द– मो0 अफाक।
40	13	नजीरूल हसन वो मोखतारूल हसन, वल्द– स्व0 अब्दुल रहमान।
41	18	मंगल मिस्त्री वल्द– शीतल मिस्त्री
42		नथुन प्रसाद सिंह वल्द– रामचरण सिंह
43	19	सुरेन्द्र कुमार, वल्द– एतवारी महतो।
44	22	सावित्री देवी जौ0 स्व0 रामहरी प्रसाद।
45	25	अमर चैधरी, वल्द– स्व0 रधुनाथ चौधरी, मोहल्ला–भैंसासुर।
46		सविता देवी, जौ0–विरोधन पासवान, मोहल्ला–भैंसासुर।
47		कौशिल्या देवी, जौ0– महेश पासवान, मोहल्ला–भैंसासुर।
48		शिवर्ती देवी, जौ0– बनारास पासवान, मोहल्ला–भैंसासुर।
49		कमला देवी, जौ0– सुनील पासवान, मोहल्ला–भैंसासुर।
50	27	चन्दर यादव, वल्द– बालगोविन्द यादव
51		अर्जुन प्रसाद यादव, वल्द– वालगोविन्द यादव
52		इनखा देवी, जौ– कैलाश राम
53		मसो0 रामरती देवी, जौ0– हरकचन्द्र राम
54		कैलास प्रसाद, वल्द– रामरूप प्रसाद
55		राजेश कुमार वल्द– विपत राम
56		अम्बीका प्रसाद भतु सिंह
57	28	रसमुनिया देवी।
58	30	कल्याण साव, वल्द– भतु साव, मोहल्ला–खन्दकपर देकुलीघाट मोड़।
59	31	मो0 सादिक जीमल वो नदीम अख्तर, वल्द– मो0 जीमल अहमद वगैरह मोहल्ला–सकुनत कलॉ।
60	34	प्यारे लाल साव, वल्द– लक्षमण साव, मोहल्ला–निमगंज।
61	35	खुर्शीदा बेगम, जौ0– मो0 अहमद अजीज, मोहल्ला–खचींया गली।
62	35	संजीदा खातुन उर्फ लाडली, जौ0– शोएब साहब वगैरह, मोहल्ला–खचींया गली।
63	35	यामचरण राम, वल्द– ढाको राम, मोहल्ला–खचींया गली।
64	35	इफतेखार आलम वगैरह, वल्द– अब्दुल अजीज, मोहल्ला–चमन गली।
65	35	रजिया खातुन, वल्द– फजलु रहमान
66	36	तारा देवी जौ0– स्व0 भरत सिंह, मोहल्ला–लहेरी।
67		बिहार नगर पालिका मार्केट, मोहल्ला–आलमगंज।
68		मो0 एकराम उद्धीन, वल्द– नादीर उद्धीन, मोहल्ला–खरादी।
69		सईदा खातुन, जौ0–जाफर आलम, मोहल्ला–खरादी।
70	37	अशोक ठाकुर, वल्द– शिवनाथ ठाकुर, मोहल्ला–मथुरिया।
71		बेदामो देवी जौ0– मुनेश्वर राम, मोहल्ला–कोणासराय।

72	38	सोनु कुमार, वल्द– स्व0 अनिस पाण्डेय, मोहल्ला–मथुरिया।
73		सुनिल पाण्डेय, वल्द– स्व0 सच्चिदानन्द पाण्डेय, मोहल्ला–मथुरिया।
74		अखिल किशोर पाण्डेय, वल्द– स्व0 सच्चिदानन्द पाण्डेय।, मोहल्ला–मथुरिया।
75		कामेश्वर लाल, वल्द– वंशी लाल, मोहल्ला–मथुरिया।
76		भगवान लाल, वल्द– वंशी लाल, मोहल्ला–मथुरिया।
77		चिन्ता देवी, जौ0– लखन प्रसाद, मोहल्ला–मथुरिया।
78		अब्दुल गफुर, वल्द– स्व0 अब्दुल कादिर वक्स, मोहल्ला–कोणासराय।
79	39	मो0 मुस्लिम, वल्द– गनी मियां।
80		कोलसुम जौ0– समसुद्धीन
81		बीबी रूवैदा खातुन, जौ0– कमरूल होदा
82	43	अब्दुल रसीद, वल्द– इब्राहीम मियां।
83		ममुना खातुन, जौ0– मुख्तार।
84		मो0 सुलेमान, वल्द– कुर्वाण मियां।
85		मखमुदनी मेहतरानी, जौ0– पच्चु मियां।
86		मो0 अरसद वो मो0 अशरफ, वल्द– मो0 एकबाल
87		मो0 अरसद वो मो0 अशरफ, वल्द– मो0 एकबाल
88	46	विरेश मिस्त्री का मकान।
89		शिलभद्र सर मोहल्ला–अलीनगर।
90		भोला सोनार, मोहल्ला–अलीनगर।

नोट– चिन्हित वार्डो सहित अन्य वार्डो में उपलब्ध संसाधन व उपकरण की सूची अध्याय–22.4 में संलग्न है।

भूकम्प प्रबंधन के 06 मुख्य स्तम्भ

भूकम्प प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2007, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार ने देश में भूकम्प जैसी व्यापक एवं अचानक घटित होने वाली आपदा के लिए 06 मुख्य स्तम्भों पर कार्य करने पर जोर दिया है, इसके अन्तर्गत पूर्व–तैयारी व न्यूनीकरण पहलुओं को वैज्ञानिक व तकनीकी रूप से विभिन्न चरणों में संबंधित विभागों, रिस्पांस एजेंसियों एवं हितभागियों द्वारा स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए क्रियान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भूकम्प प्रबंधन हेतु सुझााए गए 06 मुख्य स्तम्भ निम्नवत् हैं–

1. निर्माण की जाने वाली नव–संरचनाओं में भूकम्परोधी डिजायन पहलुओं का समावेश करना।
2. भूकम्प के प्रति अति–संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व से निर्मित संरचनाओं व महत्वपूर्ण सुविधाओं को चिन्हित करते हुए रेट्रोफिटिंग करना तथा ऐसी संरचनाओं को सृदढ़ बनाना।
3. भूकम्प प्रबंधन से संबंधित नीतियों, नियामकों व योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना।
4. सभी हितभागियों का भूकम्प से निपटने हेतु पूर्व तैयारी व जागरूकता बढ़ाना।
5. प्रभावी भूकम्प प्रबंधन हेतु उपयुक्त क्षमतावर्द्धन प्रयासों यथा–शिक्षा, प्रशिक्षण, दस्तावेजीकरण तथा शोध एवं विकास को बढ़ावा देना।
6. भूकम्प के प्रति अति–संवेदनशील क्षेत्रों में आपातकालीन प्रत्युत्तर क्षमता को सृदढ़ करना।

भूकम्प न्यूनीकरण एवं प्रबंधन हेतु प्रमुख दिशानिर्देश एवं कार्यक्रम

- आपदा प्रबंधन अधिनियंम, 2005
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, 2009
- राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2005
- भूकम्प प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2007, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 एवं 2019
- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन योजना।
- बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप, 2015–30
- बिहार बिल्डिंग बायलॉज

जिला स्तर पर भूकम्प/अन्य आपदाओं के रिस्पांस हेतु गठित आपदा प्रबंधन समूह का स्वरूप

(01) जिलाधिकारी – अध्यक्ष

(02) वरीय पुलिस अधीक्षक– सदस्य

(03) नगर आयुक्त– सदस्य

(04)उप विकास आयुक्त–सदस्य

(05)मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/सिविल सर्जन– सदस्य

(06) अपर समाहर्ता (राजस्व)– सदस्य

(07) अपर समाहर्ता–(आपदा प्रबंधन)– प्रभारी पदाधिकारी /सदस्य

(08) मुख्य अभियंता–जल संसाधन

(09) जिला पंचायती राज पदाधिकारी–सदस्य

(10) जिला कृषि पदाधिकारी–सदस्य

(11) जिला पशुपालन पदाधिकारी–सदस्य

(12) जिला परिवहन पदाधिकारी–सदस्य

(13) जिला आपूर्ति पदाधिकारी–सदस्य

(14) कार्यपालक अभियंता (विद्युत)–सदस्य

(15) कार्यपालक अभियंता (पथ निर्माण विभाग)

जिला स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समूह द्वारा भूकम्प के दौरान किए जाने वाले समस्त कार्यों का अनुश्रवण करने के साथ–साथ अन्तर विभागीय समन्वय, संसाधनों का त्वरित हस्तांतरण, समन्वित रिस्पांस कार्य जैसे कार्य सम्पादित करने में सहयोग प्रदान करेगा। इस समूह में आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के पदाधिकारियों, अभियंताओं, विशेषज्ञों आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। यह समूह इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम के अनुसार रिस्पास कार्यों को सम्पादित किए जाने तक प्रभावी व सक्रिय रूप से कार्य करेगा।

विभिन्न चरणों में भूकम्प न्यूनीकरण व प्रबंधन हेतु किए जाने वाले कार्य (टेबल संख्या–49)

क्र0स0	पूर्व तैयारी, न्यूनीकरण एवं प्रबंधन	संबंधित विभाग एवं हितभागी
01	स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना। शहर की आयोजना से संबंधित बायलॉज में सुधार करना तथा भवन निर्माण से संबंधित मॉडल	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ

	बायलॉज को लागू करना। भूकम्परोधी निर्माण से संबंधित सुरक्षा बिल्डिंग कोड के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।	कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा
02	तकनीकी संस्थानों, पदाधिकारियों, प्रोफेशनल्स, अभियंताओं, राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक पर प्रशिक्षण प्रदान करना।	तकनीकी अभियंता एवं पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा।
03	भूकम्प सुरक्षा के प्रति जन–जागरूकता प्रसार हेतु भूकम्परोधी मॉडल भवन का विकास करना। शिक्षकों, समुदाय तथा राजमिस्त्रियों का भ्रमण ऐसे मॉडल भवन में कराना। नुक्कड़ नाटक, विजुअल/वीडियो शो, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता आदि जागरूक गतिविधियां अधिष्ठापित करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा। कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा
04	भूकम्परोधी भवन निर्माण से संबंधित नियामकों, शहरी योजना संरक्षा संहिताओं, तथा अन्य सुरक्षा नियमों को प्रभावी अनुश्रवण करते हुए लागू करना। नगर निगम स्तर पर संबंधित कार्यों एवं नियमानुसार भवनों के नक्शों व डिजायन के निर्माण को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु एक सुव्यस्थित प्रणाली को संचालित करना। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्माधीन व पूर्व से निर्मित भवनों का भूकम्प सुरक्षा के दृष्टिकोण से तकनीकी व सुरक्षा आडिट करना व जर्जर होने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचना उपलब्ध करना तथा सुरक्षात्मक कार्रवाई करना। परियोजनाओं में भवन निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच करते हुए सुरक्षात्मक मानको का अनुपालन सुनिश्चित करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा
05	प्राचीन इमारतों को सूचीबद्ध करना तथा ऐसे भवनों का भूकम्प जोखिम व नाजुकता आडिट कराना। सभी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं यथा स्कूल, अस्पताल, ट्रामा सेन्टरों, सरकारी भवन, आश्रयस्थल, आडिटोरियम, आदि का भुकम्प सुरक्षा ऑडिट करना तथा सुरक्षात्मक उपाय करना। आपातकालीन प्रबंधन के मद्देनजर एंबलेस सेवाओं, अग्निशमन सेवाओं, क्रेन सेवाओं, जे0सी0बी, ट्रैक्टर–ट्राली, वाहन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा

06	चरणबद्ध तरीके से पूर्व में निर्मित भवनों का रेट्रोफिटिंग कराकर कमजोर भवनों को सुरक्षित करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा
07	कम्यूनिकेशन प्लान का निर्माण करना ताकि सूचनाओं का सम्प्रेषण निर्बाध रूप से किया जा सके।	नगर आयुक्त, नगर निगम, नालन्दा
08	विद्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर मॉक–अभ्यास करना (विशेषकर झुको–ढंको–पकड़ो)	नगर आयुक्त, नगर निगम, नालन्दा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा। जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा
09	भूकम्प के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, संकरी गलियों, संकीर्ण मोहल्लों, जर्जर भवनों, प्राचीन भवनों की सूची बनाना तथा मानचित्रण करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा। कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा
10	भूकम्प के दौरान संचार सेवाओं के धवस्त होने की स्थिति में संचार व्यवस्था को बनाए रखने हेतु सेटेलाइट फोन, वायरलेस सुविधा तथा अन्य उपायों की व्यवस्था पूर्व से रखना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा।

रिस्पांस चरण

क्र0स0	रिस्पांस चरण में किए जाने वाले कार्य	संबंधित विभाग एवं हितभागी
01	इंसीडेन्ट रिस्पास सिस्टम के अनुसार त्वरित राहत एवं बचाव कार्य का संचालन। क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे व्यक्तियों का सुरक्षित निष्कासन करना तथा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। राहत बचाव कार्यों हेतु आवश्यक संख्या में पदाधिकारियों व बचाव कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करना। राहत–बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यकतानुसार उपकरणों व जे0सी0बी0, क्रेन,	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा। कार्यपालक अभियंता, नगर निगम, बिहार शरीफ कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा अंचल अधिकारी, बिहार शरीफ।

	ट्रक, ट्रैक्टर–ट्राली, ट्रक, टिपर आदि के साथ अन्य आवश्यक उपकरणों का प्रयोग करना। हताहतों व घायलों का प्राथमिक उपचार करना। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को समुचित चिकित्सा हेतु ट्रामा सेन्टर व अस्पताल भेजना।	
02	रिस्पांस एजेंसियों यथा पुलिस, अग्निशमन टीम, एंबंलेस, एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, सिविल डिफेंस आदि की प्रतिनियुक्ति करना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा। पुलिस अधीक्षक, नालन्दा। सिविल सर्जन, नालन्दा। जिला अग्निशमन पदाधिकारी, नालन्दा।
03	भूकम्प प्रभावितों हेतु भोजन व आवासन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामुदायिक किचन, आपदा राहत केन्द्र,खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति, पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति, चिकित्सा शिविर आदि जैसी आवश्यक व्यवस्थएं करना। इन स्थलों पर शौचालय, स्वच्छ पेयजल, साफ–सफाई, पोषण, बच्चों हेतु दूध, डिग्नटी किट, महिलाओं हेतु सैनेटरी पैड जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना।	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा सिविल सर्जन, नालन्दा। जिला कार्यक्रम कार्यालय, आई0सी0डी0एस0, नालन्दा जिला शिक्षा कार्यालय, नालन्दा।
04	भूकम्प के दौरान अनाथ हुए बच्चों एवं खोए हुए बच्चों को भोजन, आवास, सामाजिक संरक्षण व मूलभूत सुविधाए उपलब्ध कराना।	जिला बाल संरक्षण कार्यालय, नालन्दा।
05	भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त्र संचार सेवाओं को त्वरित बहाल करना ताकि संबंधित रिस्पास एजेंसियों व विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके तथा रिस्पांस कार्य को बेहतर ढ़ंग से संचालित किया जा सके।	भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड एवं अन्य संचार सेवा प्रदाता कंपनियां
06	क्षतिग्रस्त सड़कों, पुल–पुलिया की त्वरित मरम्मति करना तथा मोटेरेबल करते हुए आवागमन सुविधा को बहाल करना।	नगर निगम, बिहार शरीफ पथ निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा बुडको बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड ग्रामीण कार्यप्रमण्डल (अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में)
07	क्षतिग्रस्त्र विद्युत संरचनाओं की मरम्मति करते हुए विद्युत आपूर्ति सुविधाओं को बहाल करना।	विद्युत आपूर्ति कार्य प्रमण्डल, नालन्दा

08	भूकम्प के दौरान प्रभावित पशुधन हेतु आहार, पेयजल, चारा, पशु चिकित्सा, गर्भाधान सेवाओं को उपलब्ध कराना।	जिला पशु चिकित्सा कार्यालय, नालन्दा अंचलाधिकारी, बिहार शरीफ
09	क्षतिग्रस्त संरचनाओं की मरम्मति करते हुए चापाकल मरम्मति, पेयजल, शौचालय, एवं जल आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करना	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ
10	मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार मृत पशुओं का सुरक्षित निपटान करना	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ पुलिस जिला पशु चिकित्सा कार्यालय, नालन्दा
11	नालों के बहाव को अवरूद्ध करने वाले मलबा को हटाना, जल निकासी बहाल करना, मलबा की साफ–सफाई, कुड़ा–उठाव, साफ–सफाई व्यवस्था बहाल करना, महामारी प्रबंधन करना	नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ जिला महामारी नियंत्रण कार्यालय, नालन्दा सिविल सर्जन, नालन्दा
12	भूकम्प रिस्पांस हेतु आवश्यक वित्त की व्यवस्था व अल्पकालिक योजनाओं की आवश्यकतानुसार स्वीकृति व महत्वपूर्ण उपकरणों का क्रय किया जाना।	महापौर, नगर निगम, बिहार शरीफ नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा
13	अन्य समीपवर्ती जिलों व नगर निगमों से संसाधनों, सुरक्षा कर्मी, बचाव कर्मियों, कुशल मानव संसाधनों, राजमिस्त्रियों, की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना	नगर विकास विभाग जिला आपदा प्रबंधन
14	भीड़ प्रबंधन, विधि व्यवस्था बनाए रखना, स्वयंसेवी संगठनों को सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करना।	जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ
15	आपदा प्रबंधन विभाग के मानक के अनुसार भूकम्प प्रभावितों व आश्रितों को तत्काल राहत सहायता, अनुग्रह अनुदान सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्षति आंकलन व प्रभावितों की सूची बनाना।	जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ अंचलाधिकारी
16	मीडिया प्रबंधन, आफवाह प्रबंधन, विश्वसनीय सूचनाओं का प्रेषण	जिलाधिकारी, नालन्दा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी

भूकम्प के दौरान संरचनात्मक क्षति होने के कारण इसके अन्य आपदाओं यथा अगलगी, भूस्ख्लन, बाढ़, सड़क दुर्घटनाओं, विद्युत दुर्घटनाओं आदि में परिवर्तित होने की संभावना होती है। ऐसी परिस्थितियों में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों व अभियंताओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए रिस्पास कार्य सम्पादित किया जाएगा।

भूकम्प के दौरान रिस्पांस हेतु विभागों एवं रिस्पांस एजेंसियों के पास उपलब्ध उपकरणों व संसाधनों का विवरण (टेबल संख्या–50)

क्र0 स0	उपकरण का नाम	विभाग का नाम	संबंधित पदाधिकारी	फोन/मोबाइल नम्बर/ई–मेल
1	जे0सी0बी0, वाटर टैंकर, ट्रैक्टर, लोडर आदि	नगर निगम	सिटी मैनेजर	6202589552
2	पोर्टेबल टार्च लाईट	आपदा प्रबन्धन शाखा	प्रभारी पदाधिकारी (आपदा)	aapda.nalanda@gmail.com
3	चैन 6 फीट 3 टन भार उठाने के लिये	बिजली वितरण शाखा	ई0ई0ई0	esdekangarsarai123@gmail.com
4	क्रो–बार	फायर सर्विस हिलसा	अमृत प्रसाद	9525689068
5	पालीथीन शीट	आपदा प्रबन्धन शाखा	प्रभारी पदाधिकारी (आपदा)	aapda.nalanda@gmail.com
6	लाईट टावर	आपदा प्रबन्धन शाखा	प्रभारी पदाधिकारी (आपदा)	aapda.nalanda@gmail.com
7	अन्य बचाव उपकरण	आपदा प्रबन्धन शाखा	प्रभारी पदाधिकारी (आपदा)	aapda.nalanda@gmail.com
8	हैलोजन टैबलेट्स व क्लोरीन टैबलेट्स	स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल	सिविल सर्जन	06112233736
9	एण्टी स्नेक भेनम	स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल	सिविल सर्जन	06112233736
10	आक्सिजन सिलेण्डर	स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल	सिविल सर्जन	06112233736
11	वैक्सिनेशन दवा स्ट्रेचर नार्मल	स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल	सिविल सर्जन	06112233736

12	पोर्टेबल ई0सी0जी0, वेण्टिलेटर व अन्य उपकरण	स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल	सिविल सर्जन	06112233736
13	डाक्टर, नर्स व अन्य सहयोगी स्टाफ	स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल	सिविल सर्जन	06112233736
14	फस्ट एड किट एम्बुलेन्स वाटर टैकं व वाटर फिल्टर	स्वास्थ्य विभाग, सदर अस्पताल	सिविल सर्जन	06112233736
15	जी0पी0एस0 हैण्डसेट कैमरा मोबाईल फोन	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	एक्सक्यूटीव आफिसर	dfonalandafdivision@gmail.com

नगर निगम/आई0डी0आर0एन0/बी0एस0डी0आर0एन0 के पास उपलब्ध आंकडो का प्रयोग किया जा सकता है।

प्रमुख अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालय ट्रामा सेंटर, आर्थोपेडिक सेंटर व ब्लड बैंक का विवरण (टेबल संख्या–51)

क्र0स0	चिकित्सा सुविधा का नाम	प्रकार (अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालय ट्रामा सेंटर व ब्लड बैंक)	सम्पर्क पदाधिकारी एवं दूरभाष/हेल्पलाइन नम्बर
01	सदर अस्पताल	अस्पताल एवं ब्लड बैंक	सिविल सर्जन, 06112–225228
02	आश्वनी ई0एन0टी0	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर–9334879105
03	जीवन ज्योति अस्पताल	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर– 9835010862
04	एपेक्स हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर– 9304111260
05	कैपिटल हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर– 7061870585
06	लाईफ केयर हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर– 9470899510
07	अपोलो सर्जिकल एण्ड युरोलॉजी सेंटर	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर– 8539939770
08	बिहार हड्डी अस्पताल एवं ट्रामा सेन्टर	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर– 08789198088
09	रंजय इंमरजेसी अस्पताल	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर– 081027 65911
10	नालन्दा हड्डी एवं रीढ़ सेंटर, बड़ी पहाड़ी	प्राईवेट अस्पताल	अस्पताल काउण्टर– 078083 26013

आपातकालीन निकास हेतु सड़कों की सूची (टेबल सख्या–52)

1	नवाव मोड़ से सालुगंज होते मणिराम अखाड़ा होते कटरा नदी मोड़ तक पथ
2	सरकारी अस्पताल के सामने शुलभ शौचालय से साई गेरेज नाला रोड तक पथ
3	मितु बस स्टैण्ड के बगल से नालन्दा कॉलोनी एवं शिवपुरी मुहल्ला होते हुए नाला रोड सामुदायिक भवन तक पथ
4	नईसराय मोड़ से रेलवे स्टेशन होते हुए रेलवे गुमटी तक पथ
5	खन्दक मोड़ (टी0भी0एस0 शोरूम) के बगल से बैगनावाद एन0सी0सी0 कार्यालय होते हुए कल्याणपुर मोड़ तक पथ
6	बड़ी पहाड़ी तिराहा से छोटी पहाड़ी होते हुए मोगल कुआं मेन रोड तक पथ निर्माण।
7	डी0 एम0 कॉलोनी
8	सोगरा कॉलेज से कटरा नदी मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण एवं नाली का निर्माण।
9	खन्दक मोड़ सकुन्त होते हुए स्टेशन जाने वाली रोड तक पथ का निर्माण।
10	एन0एच0 मंगलास्थान से होते हुए बाजार समिति मंडि तक पथ का चौड़िकरण का निर्माण।
11	रॉची रोड से पालिका मार्केट होते भैंसासुर तक पथ
12	बिचली खन्दक मोड़ से महलपर तिराहा होते सब्जी मंडी तक पथ
13	बनौलिया मोड़ से रेलवे गुमटी तक पथ
14	महलपर तिराहा से सालुगंज मोड़ तक पथ
15	मोगल कुआं पानी टंकी से सिंगारहाट पहड़तली होते हुए मामु भगिना तक पथ
16	नालन्दा महिला कॉलेज से लहेरी मुहल्ला होते खचियागली होते सालुगंज मोड़ तक।
17	टेलीफोन एक्सचेंज तिराहा से पोस्ट ऑफिस होते .कमरूद्वीन गंज मुहल्ला होते महात्मा गांधी पार्क तक पथ
18	सकुन्त मोड़ (खन्दकपर) से पुलपर होते हुए भरावपर तक पथ
19	कोर्ट गेट से पुलपर होते हुए कटरा नदी मोड़ तक पथ
20	हॉस्पिटल मोड़ होते बड़ी पहाड़ी तिराहा होते हुए मामू भगिना तक पथ
21	भरावपर से रामचन्द्रपुर बस स्टैण्ड देवीसराय चौक होते देवीसराय पुल तक पथ
22	अम्बेर मोड़ से कोर्ट मोड़ तक।
23	सोहसराय धर्मशाला मोड़ से कटहलटोला होते सोह अड्डा होत सहोखर मोड़ तक।
24	सोहसराय (मनिष क्लिनिक) से महुआटोला रोड तक।
25	मछली मंडी मोड़ से सोगरा वक्फ इस्टैट मार्केट तक।
26	मछली मंडी मोड़ से भी0टू0 मॉल होते रॉची मोड़ कब्रिस्तान तक।
27	भी0टू0 मॉल मोड़ से जीवन ज्योति हॉस्पिटल होते जिला कृषि पदाधिकारी कार्यालय होते प्रखण्ड कार्यालय मोड़ तक।
28	किसान कॉलेज से दक्षिण आशानगर, हबीबपुरा होते हुए मोगलकुआं रॉची रोड तक।
29	किसान कॉलेज के पश्चिम से सोह सलेमपुर पानी टंकी होते हुए 17 नं0 तक।
30	एतवारी बाजार मोड से चिल्ड्रेन पार्क , अम्बेर तिराहा, नईसराय चोक से होते हुए खंदक तिराहा तक।
31	खन्दक तिराहा से रेलवे क्रॉसिंग, शारदा पेट्रोल पम्प होते हुए विस्कोमान भवन तक।
32	देवी सराय पुल से गोलापुर तक।
33	कारगील पार्क से गगनदिवान कब्रिस्तान तक।
34	गगनदिवान कब्रिस्तान से भरावपर, हॉस्पिटल मोड़ , सोहसराय तिराहा होते पचासा मोड़ तक।

35	अम्बेर पार्क से उत्त्र रहुई रोड के तरफ जाने वाले रोड में भत्तु सेठ रोड मोड़ तक।
36	भत्तु सेठ मोड़ से पी0सी0पी0 कॉलेज होते महात्मा बुध आई0टी0आई0 के आगे तक।
37	नालन्दा कॉलेज मोड़ से बारादरी मोड़ तक।
38	अम्बेर मोड़ से हॉस्पिटल मोड़ तक ।
39	गगनदिवान मारूती शो रूम से एन0एच0 तक।
40	टाउन हाई स्कुल मोड़ से सब्जी बाजार मोड़ होते हुए लहेरी थाना तक।
41	नईसराय मोड़ से छज्जु मोहल्ला, इमादपुर तालाब होते रहुई रोड तक।
42	मिरदाद (बल्ब फैक्ट्री) से पतुआना रेलवे क्रॉसिंग होते बशवन विगहा तक।
43	भत्तु सेठ रोड
44	मोगल कआं (ब्रहमस्थान) से बसारविघा होते हुए किसान कॉलेज मोड़ तक।

भूकम्प के दौरान शरण हेतु वार्ड में उपलब्ध खुले मैदान की विवरणी (टेबल संख्या–53)

क्र0 सं0	वार्ड सं0	खुले मैदान के स्थल का नाम	खुले मैदान का आकार अनुमानित (एकड़ में)	निजी/ सरकारी/ संस्था	मुख्य पथ से मैदान की दूरी (मी0 में)	मैदान के पहुँच पथ की चौड़ाई
01	1	सोहडीह मैदान	10 कट्ठा	सरकारी संस्था	100 मीटर	20 फीट
02	1	सोहडीह खरान पर सम्राट अशोक भवन के बगल में।	05 कट्ठा	सरकारी संस्था	40 मीटर	20 फीट
03	06	सूर्य मंदिर के बगल में।	07 एकड़	निजी	150 फीट	200 फीट
04	06	वाईपास के बगल में।	01 एकड़	निजी	150 फीट	200 फीट
05	09	इमलीतर बड़ी खासगंज	10 कट्ठा	सरकारी	400	08 फीट
06	09	छोटी खासगंज मस्जिद के पास	03 कट्ठा	सरकारी	200	06 फीट
07	09	बड़ी खासगंज दरगाह मियाँ सम्भा।	04 कट्ठा	संस्था	300	12 फीट
08	10	लेहगानी	50	निजी	10	15 फीट
09	10	टिकुली पर	25	निजी	10	15 फीट
10	10	मुशादपुर	30	निजी	10	10 फीट
11	12	ठमादपुर	02	निजी आधा सरकारी	100 फीट	1000 फीट
12	13	तालाब पर	15 कट्ठा	गैरमजरूआ	50 फीट	15 फीट
13	13	बड़ी अड़ान	08 कटठा	मैदानही	मुख्य पथ पर	15 फीट
14	16	सोगरा स्कूल का मैदान	50 डी0मी0 लगभग	सरकारी संस्था	0	40 फीट
15	18	विपिन स्कूल नवरत्न महल	18 एकड़	सरकारी	50मी0	08 फीट
16	18	सिंगारहॉट	10 एकड़	निजी	50मी0	12 फीट
17	19	निजी खेत	10 एकड़	निजी	10 मी0	
18	22	शिवपुरी खलिहान पश्चिम	14 डि0	सरकारी	50 मी0	12 फीट
19	22	शिवपुरी तालाब से दक्षिण पुरब सुन्दर प्रसार के मकान के पास	15 कट्ठा	सरकारी	50 मी0	12 फीट
20	23	सोहन कुआं	–	सरकारी	–	–
21	24	गर्ल्स मिडिल स्कूल कमरूद्धीनगंज	01 एकड़	सरकारी	00 मी0	00 फीट

22	25	श्रम कल्याण मैदान		सरकारी	मुख्य सड़क	
23	25	सरकारी बस स्टैण्ड		सरकारी	मुख्य सड़क	
24	25	सुभाष पार्क		सरकारी	मुख्य सड़क	
25	26	सर्कस मैदान	03 एकड़	संस्था	00	00
26	26	कांग्रेस ऑफीस के सामने	0.33 एकड़	संस्था	00	00
27	27	नालन्दा कॉलेज	03 एकड़	सरकारी	मुख्य सड़क	40 फीट
28	27	नालन्दा कॉलेजिएट +2	03 एकड़	सरकारी	मुख्य सड़क	20 फीट
29	31	सकुनत कलां अड़ान	01 एकड़	संस्था	00	12 फीट
30	31	सकुनत खुर्द अड़ान	01 एकड़	संस्था	00	12 फीट
31	32	नीम अड़ान	01 एकड़	संस्था	15मी0	12फीट
32	32	बिचली अड़ान	1.5 एकड़	संस्था	30मी0	10 फीट
33	32	मुर्तजा अड़ान	02 एकड़	संस्था	01 मी0	15 फीट
34	33	खैराबाद	06 एकड़	निजी	100 मी0	16 फीट
35	33	महलपर	10 एकड़	निजी	300 मी0	12 फीट
36	34	हाजीपुर पासवान टोला के पास	—	—	0.5 मी0	07 फीट
37	37	आर्या समाज	1 एकड़	संस्था	3 मीटर	3 फीट
38	42	अखाड़ा पर का पूर्वी क्षेत्र		निजी		
39	44	कारगील बस स्टैण्ड	1.5 एकड़	सरकारी	0	50 फीट
40	44	सोगरा कॉलेज	2 एकड़	निजी	प्रधान सड़क	80 फीट
41	47	मध्य वि0 साठोपुर	0.1 एकड़		0कि0मी0	0कि0मी0
42	48	बिहार शरीफ से परवलपुर सड़क।	रोड	सरकारी	मुख्य पथ	
43	48	वार्ड के दक्षिण तरफ खाली खेती जमीन	300 एकड़	निजी	दो हजार मीटर	4 से 5 फीट।
44	51	चकदिलावर	15 एकड़	निजी	0	12
45	51	भटविगहा	10 एकड़	निजी	0	18
46	51	कल्याणपुर	12 एकड़	निजी	0	15

अध्याय–15

वार्ड स्तरीय कार्य योजना (सुखा, पेयजल संकट एवं लू/गर्म हवा)

नालन्दा जिले के नगरीय क्षेत्र में अवस्थित बिहार शरीफ हीटवेव की दृष्टि से अति–संवेदनशील श्रेणी में आता है। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण लू/हीटवेव की घटनाओं में और अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही हैं। गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी के साथ लू (Heat waves) चलती है। भीषण गर्मी के कारण जन–जीवन व्यापक स्तर पर प्रभावित होता है एवं आम जनता को स्वास्थ्य एवं पेयजल संबंधी गंभीर परेशानियो का सामना करना पड़ता है। विशेषकर, छोटे बच्चों, स्कूली बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं काम के लिए घर से बाहर निकलने को बाध्य दिहाड़ी मजदूरों को काफी समस्याएँ आती है। इसके फलस्वरूप, बिहार शरीफ में सुखा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नगरीय क्षेत्र में भूजल के स्तर पानी की भी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह अत्यंत आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नगर विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित विभागों के साथ प्रभावी कार्रवाई करते हुए हीटवेव, पेयजल संकट व सुखा से निपटने की कार्रवाई की जाए तथा आमजनों को राहत पहुँचाई जाए। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त, इस दौरान अगलगी की घटनाओं की प्रवणता भी बिहार शरीफ के क्षेत्रों में बढ़ जाती है। बिहार शरीफ के औद्योगिक, व्यवसायिक एवं आवासीय परिसरों में अगलगी की घटनाओं की प्रवृति अधिक है।

लू/हीट वेव गर्म तापमान की एक स्थिति है, जिसके प्रभाव में आने पर यह मानव शरीर के लिए घातक हो जाती है। लू/हीट वेव को मात्रात्मक रूप से सम्बंधित परिक्षेत्र के वास्तविक तापमान या सामान्य तापमान की निर्धारित सीमा में हो रहे परिवर्तन से परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ देशों में लू/हीट वेव को तापमान और आर्द्रता आधारित ताप सूचकांक अथवा उच्चतम तापमान की प्रतिशतता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लू/हीट वेव की घोषणा तब की जाती है जब मौसम विज्ञान द्वारा अधिष्ठापित किये गये कम से कम 2 स्टेशनों में लगातार 2 दिनों तक निम्नलिखित में से कोई भी निर्धारित मानदंड पूर्ण होता है, तत्पश्चात इसके अगले दिन लू/हीट वेव घोषित किया जाता है–

सामान्य तापमान से परिवर्तन के आधार पर

क) लू/हीट वेव – जब सामान्य तापमान से परिवर्तन 4.5 से 6.4 ºC होता है

ख) गंभीर लू/हीट वेव – जब सामान्य तापमान से परिवर्तन 6.4 ºC अधिक हो

वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर

क) हीट वेव – जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 ºC से अधिक या उसके बराबर हो

ख) गंभीर लू/हीट वेव – जब वास्तविक अधिकतम तापमान 47 ºC से अधिक या उसके बराबर हो

इस दौरानं लू/हीट वेव सामान्यत ग्रीष्मकाल यथा मार्च से जून के दौरान, हालाँकि जलवायु परिवर्तन जैसे कारणों से कभी–कभी जुलाई में भी इसका प्रभाव रहता है।

हीटवेव के प्रमुख कारण

- मौसम संबंधी समस्याएं एवं मौसम की अवधि में बदलाव
- जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक तापमान में वृद्धि
- तीव्र शहरीकरण एवं भू–उपयोग प्रणाली व्यवस्थित नहीं होना।
- आमजन एवं संबंधित हितभागियों में जागरुकता की कमी।
- आर्किटेक्चर और इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं तीव्र औद्योगीकरण

- वन आच्छादन क्षेत्र में कमी, वनों की कटाई एवं जल स्त्रोतो में हो रही कमी
- तापमान में तुलनात्मक अन्तर (ग्रामीण और शहरी)

बिहार शरीफ में अधिकतम तापमान (वर्षवार)

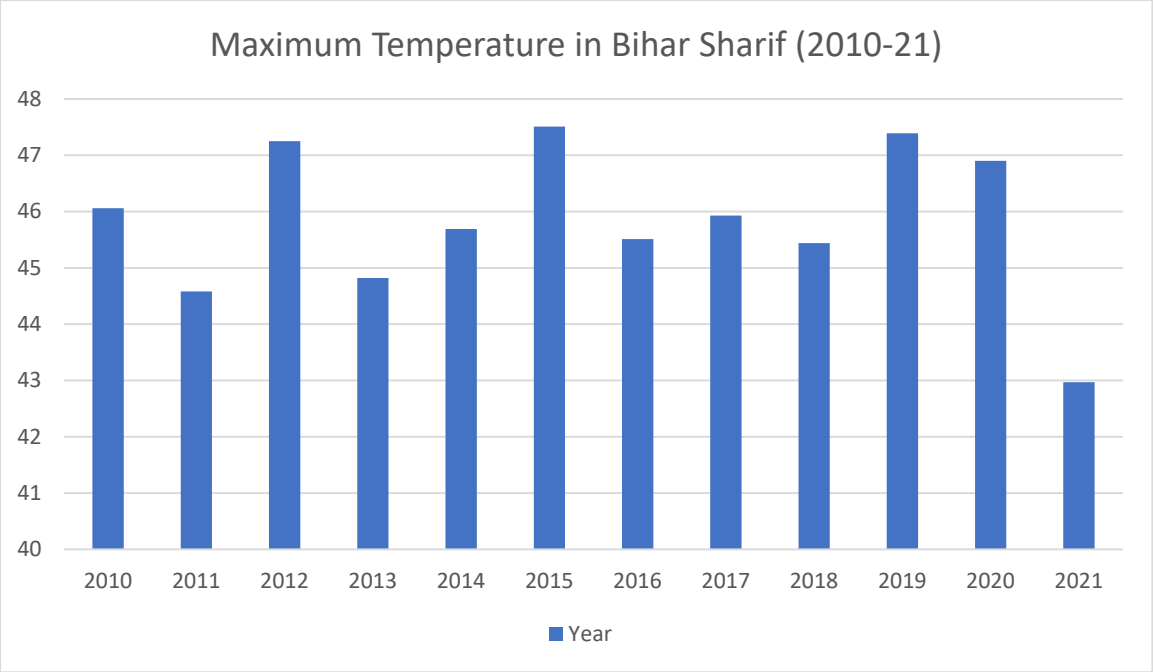

बिहार शरीफ में भूगर्भ जल स्तर (वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक) (टेबल संख्या–54)

वार्ड/शहरी भाग	वर्ष 2022	वर्ष 2021	वर्ष 2020	वर्ष 2019	वर्ष 2018
1–10 (उत्तरी भाग)	80–100 फिट	80–90 फिट	70–80 फिट	60–70 फिट	50–60
21, 39–46 (दक्षिणी भाग)	80–110 फिट	80–100 फिट	75–90 फिट	70–85 फिट	70–80 फिट
11, 12, 13, 14, 28, 29, 31, 32, 33 (पूर्वी भाग)	85–120 फिट	80–105 फिट	70–90 फिट	60–80 फिट	50–70 फिट
18–23 (पश्चिमी भाग)	90–110 फिट	80–90 फिट	65–75 फिट	60–70 फिट	55–65 फिट
15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 30, 34, 35, 36, 37, 38 (मध्य भाग)	100–120 फिट	90–110 फिट	85–105 फिट	80–100 फिट	80–95 फिट

जल जीवन हरियाली अन्तर्गत जल संचयन संबंधी बिहार शरीफ नगर निगम में किए गए कार्य (टेबल संख्या–55)

कार्य का नाम	संख्या	पूर्ण	उपलब्धि प्रतिशत
05 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले तालाबों का जीर्णोद्धार	03	03	100
05 एकड़ तक अधिक क्षेत्रफल वाले तालाबों का जीर्णोद्धार	09	09	100
सार्वजनिक कुँओं की संख्या	147	147	100
3000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले भवन में छत वर्षा जल संचयन	01	01	100
अन्य संरचनाओं में वर्षा जल संचयन कार्य	04	04	100
जल मीनारों की संख्या	17	17	100

भीषण गर्मी/लू के दौरान विद्युत आपूर्ति हेतु नगर निगम, बिहार शरीफ अन्तर्गत विद्युत सब–स्टेशन का विवरण (टेबल संख्या–56)

क्र0सं0	विद्युत सब– स्टेशन का नाम	संबंधित पदाधिकारी
01	बड़ीपहाड़ी विद्युत सब–स्टेशन वार्ड नं0–20	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिहार शरीफ
02	17 नं0– विद्युत सब–स्टेशन वार्ड न0–05	
03	विद्युत सब–स्टेशन कोसुक, वार्ड–50	
04	विद्युत सब–स्टेशन चैनपुरा वार्ड सं0–51	

सुखा, पेयजल संकट एवं हीटवेव से बचाव, प्रबंधन एवं न्यूनीकरण हेतु की जाने वाली कार्रवाई

(टेबल संख्या–57)

विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई	संबंधित विभाग
• भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा समय–समय पर जारी पूर्व चेतावनी व सुरक्षा सलाह को जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, नालन्दा, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, नालन्दा एवं जिला सूचना विज्ञान कार्यालय (NIC), नालन्दा के द्वारा TV, रेडियो, प्रिन्ट मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति एवं BULK SMS आदि के माध्यम से प्रसारित करना। • गर्म हवाएं/लू से बचाव के उपाय से संबंधित विज्ञापन का प्रचार–प्रसार प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से कराया जाना। साथ ही गर्म हवाएं/लू से बचाव के उपाय से संबंधित जिंगल को भी राज्य के एफएम एवं आकाशवाणी के रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचारित कराया जाय। इसे सोशल मीडिया यथा–Facebook, Whatsapp एवं Twitter आदि के माध्यम से भी प्रचारित कराया जाना। • गर्म हवाएँ/लू से बचाव संबंधी मॉनिटरिंग के लिए वेब आधारित डैशबोर्ड/इन्टरफेस बनाया जाना तथा इसके माध्यम से बल्क एस0एम0एस0 भेजने की व्यवस्था करना। • गर्म हवाएँ/लू से बचाव हेतु ''क्या करें– क्या न करें'' को जिला स्तर/प्रखण्ड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इससे बचाव के तरीकों के बारे में जन सामान्य को संवेदनशील बनाया जाना। • प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर गर्म हवा से बचाव, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण आदि से संबंधित जागरूकता पोस्टर एवं होर्डिंग लगाया जाना।	**नगर निगम, बिहार शरीफ** **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा** **जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, नालन्दा** **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग**
• शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा पियाउ की व्यवस्था करना। इन स्थानों पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित सूचनाओं को भी प्रदर्शित करना ताकि आम जनता इससे भली भाँति अवगत हो सकें। • खराब चापाकलों/नल/पाइपलाइन/पानी टंकी की मरम्मति कराना। मरम्मति दल से संबंधित सम्पर्क विवरण तथा हेल्पलाइन नम्बरों को जनहित में प्रसारित करना। • नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आश्रय स्थलों/रैनबसेरों में शौचालय, पेयजल, आवासन, भोजन आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना। • स्लम के निवासियों हेतु पेयजल सुविधा के साथ–साथ ओ0आर0एस0 व आकस्मिक दवाओं की व्यवस्था संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए करना। • लू चलने के दौरान ''क्या करें क्या न करें'' का प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर करना।	**नगर निगम, बिहार शरीफ**

• जल संकट के प्रति संवेदनशील वार्डों/क्षेत्रों की पहचान करना तथा जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु पम्पिंग स्टेशनों, जल मिनारों, चापाकलों की मरम्मति कराया जाना। • तेज हवाओं व धूल उड़ने से गर्मी के दिनों में वायु प्रदुषण का संकट बढ़ जाता है, इससे बचाव हेतु स्प्रिंकलर व स्पीगिंग मशीन को प्रभावित क्षेत्रों में कार्यशील करना। • दैनिक रूप से साफ–सफाई एवं कूड़ा उठाव सुनिश्चित करना। कूड़े का पृथक्कीकरण कर हरित उर्वरक का उत्पादन किया जा सकता है। • वैकल्पिक रूप से पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक स्थलों पर जल टैंकर तथा प्याऊ की व्यवस्था करना। • नगर निगम क्षेत्र में हरित आवरण में वृद्धि करने हेतु जल जीवन हरियाली मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना। शहरी क्षेत्रों में खाली भूमि में लघु वन क्षेत्र को बढ़ावा देना। • उद्यान विभाग की रूफटॉप उद्यान योजना के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना। अल्बेडो पेंट, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर/रूफ गार्डनिंग व मैकेनाइज्ड बिल्डिंग जैसी अन्य तकनीकों को बढ़ावा देना।	
• शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य केन्द्रों, निजी अस्पतालों/सदर अस्पताल/मेडिकल कॉलेजं में लू से प्रभावितों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था करना। ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0भी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की व्यवस्था करना। • शहरी क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, आगंनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों, रैनबसेरों, कार्यालयों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट व प्राथमिक उपचार किट की व्यवस्था करना। ए0एन0एम0, आगंनबाड़ी सेविका एवं आशा के सहयोग से बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विषेष ध्यान रखने के संबंध में समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाना। • अत्यधिक गर्मी से पीड़ित व्यक्तियों के ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालों में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था करना एवं लू से पीड़ित बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखना। आवश्यकतानुसार, प्रभावित जगहों हेतु स्टैटिक/चलन्त चिकित्सा दल की भी व्यवस्था कर ली जाए। • गर्म हवाएं/लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना। साथ ही, स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।	**जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा।**
• जिन स्थलों पर भूगर्भ जल स्तर में गिरावट होने की सम्भावना हो, उन्हें चिन्हित करना तथा वैकल्पिक उपायों को क्रियान्वित करना। • शहरी क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में खराब चापाकलों का मरम्मति एवं कुँओं का शुद्धीकरण कराया जाना। • जिन स्थानों पर नल का जल नहीं पहुँचता हो एवं चापाकलों में पानी की कमी हो गयी हो, वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट से निबटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए। • भूगर्भ जल स्तर की लगातार समीक्षा की जाए एवं इस पर सतत् निगरानी रखी जानी चाहिए।	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नालन्दा**

• पेयजल संकट से निपटने हेतु प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जल टैंकर, जरीकेन, जलदूत आदि को लगाना।	
• स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली में ही संचालित हों अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाय। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बन्द किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जा सकता है। • विद्यालयों में मिड डे मील योजना के अन्तर्गत स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। • सभी स्कूलों एवं परीक्षा केन्द्रों में पेयजल, ORS की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना। • सुरक्षित शनिवार एवं बैगलेस शनिवार में विद्यार्थियों को गर्म हवा से बचाव, पेयजल संकट से बचाव, अगलगी से बचाव आदि के बारे में जानकारी दिया जाना। • गर्म हवाएं/लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री, स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना।	**जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा**
• सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था कराना एवं वहाँ पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित IEC (बच्चों को समझाने हेतु) सामग्री प्रदर्शित कर जागरूक किया जाना। • स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जीवन रक्षक घोल (ORS) की व्यवस्था करना। • नवजात शिशु, बच्चों, धातृ एवं गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की करना। • बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराना। • समाज कल्याण विभाग/जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग/जिला बाल संरक्षण ईकाई के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों, सुधार गृहों, महिला भिक्षुक पुनर्वास केन्द्रों, बुनियाद केन्द्रों में समस्त आवष्यक साधन उपलब्ध करना। • बुजुर्गों, विधवा महिलाओं एवं दिव्यांगों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना।	**जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), नालन्दा** **जिला कल्याण कार्यालय, नालन्दा** **जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नालन्दा** **जिला बाल संरक्षण ईकाई, नालन्दा।**
• लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुबह 6.00 से 11.00 बजे तक तथा अपराह्न 3.30 बजे से 6. 30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है। • कार्य स्थल पर पेयजल की व्यवस्था तथा लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जाना। • साफ–सफाई करने वाले कर्मियों, खुले में काम करने वाले, भवन बनाने वाले तथा कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेय जल, आईस पैड की व्यवस्था के साथ शेड की भी व्यवस्था करना। • साथ ही, लू से बचाव हेतु सफाई कर्मियों, औद्योगिक मजदूरों एवं अन्य मजदूरों के बीच जागरूकता कैम्प जाना।	**नगर निगम, बिहार शरीफ।** **श्रम संसाधन विभाग, नालन्दा** **जिला औद्योगिक केन्द्र, नालन्दा**
• लू चलने की अवधि में जहाँ तक संभव हो वाहनों का परिचालन कम से कम करना चाहिए तथा पूर्वाह्न **11.00** बजे से अपराह्न 0**3.30** बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों के परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है।	**जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा।** **उपाधीक्षक, ट्रैफिक पुलिस, बिहार शरीफ**

• सार्वजनिक परिवहन के गाड़ियों में पेयजल तथा ओ0आर0एस0 के साथ–साथ प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था किया जाय। • ट्रैफिक सिग्नल व चौक–चौराहों पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को शेड, पेयजल, मास्क, हेलमेट आदि उपलब्ध कराना। ऐसे कर्मियों का स्वास्थ्य चेकअप नियमित रूप से कराया जाना। • बिहार राज्य पथ निगम लिमिटेड व अन्य सरकारी व निजी बस पड़ावों पर पेयजल तथा शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध करना।	**बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, नालन्दा**
• प्रायः बिजली के तारों के ढ़ीला रहने के कारण वे हवा चलने पर आपस में टकराते रहते है, जिससे चिनगारी निकलने की संभावना रहती है। इन चिनगारियाँ के कारण भी आगलगी की घटनाएँ होती है। अतएव बिजली के ढ़ीले तारों को भी ठीक करवाने की व्यवस्था कर ली जाए। • निर्बाध बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। • शहरी उपभोक्ताओं व आमजन को विद्युत संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु आवश्यक सलाह प्रदान करना। • गर्मी के दिनों में तापमान वृद्धि होने से शहरी क्षेत्र में ए0सी0 का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है, शहरी क्षेत्र में तापमान वृद्धि को कम करने के अन्य उपायों जैसे छतों की बाहरी दीवारों व छतों को सफेद रंग के रेफलेक्टिव पेंट अथवा चूना की सतह छत पर लगाना, घरों में पर्याप्त वातानुकूलन रखना, इनडोर पौधों को लगाना जैसे उपायों को बढ़ावा दिया जा सकता है। • विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु हेल्पलाइन का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना।	**विद्युत कार्यपालक अभियंता, नालन्दा नगर निगम, बिहार शरीफ, भवन निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा।**
• भीषण गर्मी के कारण आगलगी की घटनाओं में भी वृद्धि हो जाती है। अगलगी की घटनाओं से निबटने एवं उनके रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार की मानक संचालन प्रक्रियानुसार कार्रवाई सुनिष्चित करना। • संवेदनशील स्थलों पर अग्निशमन टीम व फायर टेंडर की प्रतिनियुक्ति करना। • आवश्यक उपकरणों व फायर टेंडर की मरम्मति करना। • हेल्पलाइन नम्बरों व प्रतिनियुक्त कर्मियों के सर्म्पक विवरण को आमजन को उपलब्ध कराना।	**पुलिस एवं अग्निशमन विभाग**
• गर्म हवा/लू एवं पेयजल संकट से बचाव हेतु जागरूकता का प्रसार समुदाय स्तर पर करना। • स्वैच्छिक रूप से सार्वजनिक स्थलों पर जल–प्याऊ व शेड उपलब्ध कराना। • सरकारी हेल्पलाइन व सम्पर्क विवरण का प्रसार समुदाय तक करना।	**गैर सरकारी संगठन एवं सामुदाय आधारित संगठन**

बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत ओवर हेड टावर/जल मिनार की सूची। (टेबल संख्या–58)

क्रं0 सं0	वार्ड सं0	ओवर हेड वाटर	आपरेटर का मोबाइल मम्बर
01	06	आशानगर (राज्य योजना)	8092660322
02	27	पटेल नगर (राज्य योजना)	
03	31	सकुनत (राज्य योजना)	8210042034
04	44	सोगर कॉलेज (राज्य योजना)	
05	02	बबुररबन्ना (पुराना)	6299808065
06	11	शेखाना (पुराना)	
07	18	मोगल कुऑ (पुराना)	6206573189
08	25	पशु अस्पताल (पुराना)	
09	26	बिहार थाना (पुराना)	7654516031
10	03	मंगला कोल्ड स्टोरेज (पुराना)	
11	23	भारत गैस गेदाम (नल–जल योजन)	9504698062
12	05	सलेमपुर(नल–जल योजन)	7209741305
13	14	मिल्लत कॉलनी (नल–जल योजना)	
14	42	टॉउन हाई स्कूल (नल–जल योजना)	9155527513
15	43	लेवर आवास (नल–जल योजना)	7563983497
16	46	अलीनगर/झींगनगर (नल–जल योजना)	9798622816
17	20	यूजर पम्प (नल–जल योजना)	

बिहार शरीफ में जल प्याऊ एवं नलकूपों की सूची (टेबल संख्या–59)

क्रम संख्या	प्याऊ नलकूप	वार्ड सं0	क्षेत्र जहॉ जलापूर्ति अच्छादित की जाती हैं	कुल
1	सौहडीह अरान में	01	वार्ड सं0 01	4
2	गोला पर सौहडीह काली स्थान के पास		वार्ड सं0 01	
3	करनल जी के मकान के पास (हनुमान धाजा)		वार्ड सं0 01	
4	सौहडीह महुआतर		वार्ड सं0 01	
5	सौहडीह अडडा पर	03	वार्ड सं0 3	4
6	महुआ टोला		वार्ड सं0 3	
7	कुम्हार टोला		वार्ड सं0 3	
8	आर्य समाज गौबर टोली के पास		वार्ड सं0 3	
9	सोहसराय चौराहा काली मंदिर के पास	04	वार्ड सं0 4	1
10	सलेमपुर पी0एच0ई0डी0 बोरिगं के पास	05	वार्ड सं0 5	2
11	सौहडीह महुआतर		वार्ड सं0 5	
12	पंडित टोला आशानगर	6	वार्ड सं0 6	5
13	आशानगर पक्की गली		वार्ड सं0 6	
14	सामुदायिक भवन संगत पर		वार्ड सं0 6	
15	सामुदायिक भवन तालाब पर		वार्ड सं0 6	
16	कन्या मध्य विद्यालय		वार्ड सं0 6	
17	हिन्दी पुस्तकालय के निकट	7	वार्ड सं0 7	5
18	आशानगर सूर्य मंदिर के पास		वार्ड सं0 7	
19	हबिपुरा सीता राम पाण्डेय मकान के पास		वार्ड सं0 7	
20	देवी स्थान हबिबपुरा स्कूल के पास पूरब तरफ		वार्ड सं0 7	
21	देवी स्थान हबिबपुरा स्कूल के पास पश्चिम तरफ		वार्ड सं0 7	
22	मुगल कुआ देवी स्थान के पश्चिम	8	वार्ड सं0 8	3
23	बसार बिघा रमेश्वर मेहता के घर के पास		वार्ड सं0 8	
24	जलालपुर प्राथमिक विद्यालय के पास		वार्ड सं0 8	

25	चिड़ियाड़ी श्मसान घाट के पास	9	वार्ड सं0 9	2
26	गौबर टोली		वार्ड सं0 9	
27	पी0सी0पी0 कालेज के पास	10	वार्ड सं0 10	2
28	हड़िया पोखर, अम्बेर		वार्ड सं0 10	
29	बड़ी शेखाना मस्जिद के सामने	11	वार्ड सं0 11	5
30	नीमतले बड़ी शेखाना		वार्ड सं0 11	
31	छोटी शेखाना मस्जिद के सामने		वार्ड सं0 11	
32	सतपुती मस्जिद के सामने		वार्ड सं0 11	
33	सतपुती नदि के किनारे		वार्ड सं0 11	
34	रविदास टोला चमर टोली	12	वार्ड सं0 12	3
35	पुस्तकालय के पास इमादपुर		वार्ड सं0 12	
36	ब्रहम स्थान स्कूल के पीछे इमादपुर		वार्ड सं0 12	
37	नसीरपुर बगीचा में छज्जु मोहल्ला	13	वार्ड सं0 13	6
38	चादनी टोला में छज्जु मोहल्ला		वार्ड सं0 13	
39	दमरी तालाब के पास		वार्ड सं0 13	
40	खल्लिल कुआ के पास		वार्ड सं0 13	
41	खाजा अहमदपुर उर्दु विद्यालय के पास		वार्ड सं0 13	
42	गोला पर खड़ी कुआ के पास		वार्ड सं0 13	
43	पतुआना मन्दिर के पास	14	वार्ड सं0 14	5
44	इबरार सर के पास		वार्ड सं0 14	
45	मिल्लत कालोनी के पास		वार्ड सं0 14	
46	मिरदाद बीघा पर के पास		वार्ड सं0 14	
47	पतुवाना रेलवे लाईन के उस पार		वार्ड सं0 14	
48	रविदास टोला कल्याणपुर	15	वार्ड सं0 15	4
49	सामुदायिक भवन कल्याणपुर		वार्ड सं0 15	
50	चूड़ी चक्कर देवी स्थान		वार्ड सं0 15	
51	धोबी टोला संगत गली मंदिर में		वार्ड सं0 15	
52	पासवान टोला अम्बेर	16	वार्ड सं0 16	5
53	संगत पर अम्बेर		वार्ड सं0 16	
54	मिंया टोली बसेहरी के पास		वार्ड सं0 16	
55	डोम टोली		वार्ड सं0 16	
56	डी0टी0ओ0 आफिस के पास		वार्ड सं0 16	
57	कागजी मोहल्ला	17	वार्ड सं0 17	3

58	फुलवाड़ी मस्जिद		वार्ड सं0 17	
59	बिचली मस्जिद		वार्ड सं0 17	
60	सिंगार हाट मस्जिद के पास	18	वार्ड सं0 18	2
61	मध्य विद्यालय के पास सिंगार हाट		वार्ड सं0 18	
62	कुशवाहा धर्मशाला के पास निकट	19	वार्ड सं0 19	2
63	मशान पर शिव मन्दिर के निकट छोटी पहाड़ी		वार्ड सं0 19	
64	पावर ग्रीड के पास	20	वार्ड सं0 20	5
65	शिव मन्दिर के पास		वार्ड सं0 20	
66	चूहड़ बाबा के पास		वार्ड सं0 20	
67	चूहड़ कुआ के पास		वार्ड सं0 20	
68	हाई स्कूल के पास		वार्ड सं0 20	
69	मंगला स्थान मन्दिर के पास	21	वार्ड सं0 21	5
70	रामचन्द्रपुर बस स्टैण्ड रैनबसेरा के पास		वार्ड सं0 21	
71	बाजार समिति के अन्दर सब्जी मण्डी के पास		वार्ड सं0 21	
72	अम्बेडकर चौक के पास		वार्ड सं0 21	
73	देवीसराय देवरीया कुआ		वार्ड सं0 21	
74	शिवपुरी मसान पर	22	वार्ड सं0 22	1
75	सुहान कुआ के पास मुरारपुर	23	वार्ड सं0 23	3
76	उर्दु प्रा0 वि0 गगन दिवान		वार्ड सं0 23	
77	डोम टोली गगन दिवान		वार्ड सं0 23	
78	काशीतकिया कब्रिस्तान के पास	24	वार्ड सं0 24	2
79	जिला परिषद, सुधा बुथ के पीछे		वार्ड सं0 24	
80	हास्पीटल मोड़ के पास	25	वार्ड सं0 25	5
81	यादव टोला भैसासुर कुम्हार टोला		वार्ड सं0 25	
82	काली मोड़ के पास		वार्ड सं0 25	
83	टेलिफोन एक्सचेंज के पास		वार्ड सं0 25	
84	केशो महतो के मकान के पास		वार्ड सं0 25	
85	धनेश्वर घाट मन्दिर के पास	26	वार्ड सं0 26	3
86	प्रोपेसर कालोनी के पास गुफापर		वार्ड सं0 26	
87	चौधरी टोला सुन्दरगढ भैसासुर		वार्ड सं0 26	
88	पाकड़ पेड़ के पास	27	वार्ड सं0 27	4

89	शिव मन्दिर के पास निचली किला गढ़ पर		वार्ड सं0 27	
90	वैष्णो देवी मन्दिर के पास		वार्ड सं0 27	
91	पटेल नगर में गढ़पर		वार्ड सं0 27	
92	देवी स्थान गौरागढ़	28	वार्ड सं0 28	
93	नरेश रविदास के बगल में		वार्ड सं0 28	
94	मो असलम के घर के पास		वार्ड सं0 28	
95	यादव टोली गौरागढ़		वार्ड सं0 28	
96	संजय जी के घर के बगल में		वार्ड सं0 28	
97	बैगनाबाद वार्ड पार्षद के घर के पास	29	वार्ड सं0 29	5
98	पटुवाटोली में		वार्ड सं0 29	
99	नवाबसाहेब के मैदान के पास बारहदरी		वार्ड सं0 29	
100	पासवान टोला बैगनाबाद		वार्ड सं0 29	
101	तकियापर बैगनाबाद		वार्ड सं0 29	
102	देविस्थान के पास खन्दक पर	30	वार्ड सं0 30	6
103	पत्थर गली खन्दकपर		वार्ड सं0 30	
104	बच्चु जी के मकान के पास		वार्ड सं0 30	
105	बबलु के मकान के पास		वार्ड सं0 30	
106	संजीत के मकान के पास (हाफ बोरिगं)		वार्ड सं0 30	
107	शिवाजी नगर खन्दक पर (हाफ बोरिगं)		वार्ड सं0 30	
108	शकुनतकला बैजु जी के पास	31	वार्ड सं0 31	1
109	अदीम होटल के पास	32	वार्ड सं0 31	4
110	बिचली उड़ान बनोलिया		वार्ड सं0 31	
111	डोम टोली		वार्ड सं0 31	
112	बनोलिया हाट पर डोम टोली		वार्ड सं0 31	
113	प्रा0 वि0 खैराबाद	33	वार्ड सं0 33	3
114	डा0 बंगाली मोड़ दुर्गा स्थान		वार्ड सं0 33	
115	नागा बाबा मन्दिर के पास		वार्ड सं0 33	
116	नागा बाबा के पास खन्दक पर	34	वार्ड सं0 34	4
117	चौखण्डी नवदुर्गा मन्दिर		वार्ड सं0 34	
118	ठाकुरबाड़ी के पास कमठाई मोहल्ला (हाफ बोरिगं)		वार्ड सं0 34	
119	महादेव स्थान के पास नीमगंज (हाफ बोरिगं)		वार्ड सं0 34	
120	चमन गली मस्जिद के पास	35	वार्ड सं0 35	3
121	पण्डित गली स्टैण्ड पोस्ट		वार्ड सं0 35	

122	शेरपुर सल्लुगंज		वार्ड सं0 35	
123	बैगनीखण्ड	37	वार्ड सं0 37	6
124	गुल्ला कुआ		वार्ड सं0 37	
125	मिठठी कुआ		वार्ड सं0 37	
126	भराव पर (3 एच0पी0)		वार्ड सं0 37	
127	मोरारपुर डा0 कृष्णा प्रसाद के घर के पास (हाफ बोरिगं)		वार्ड सं0 37	
128	पूर्व वार्ड पार्षद संजय जी के पास		वार्ड सं0 37	
129	सतिस्थान मथुरीया मोहल्ला	38	वार्ड सं0 38	7
130	सतिस्थान बर्फ फैक्टरी (हाफ बोरिगं)		वार्ड सं0 38	
131	आईसक्रीम गली		वार्ड सं0 38	
132	परमेश्वरी देवी स्कूल कैम्पस		वार्ड सं0 38	
133	डालो के घर के पास		वार्ड सं0 38	
134	परमेश्वरी देवी स्कूल के बगल में (हाफ बोरिगं)		वार्ड सं0 38	
135	सब्जी बाजार शौचायल के अन्दर		वार्ड सं0 38	
136	गगन दिवान	39	वार्ड सं0 39	2
137	गगन दिवान कच्ची तालाब के पास		वार्ड सं0 39	
138	चिड़ीमार मोहल्ला	40	वार्ड सं0 40	1
139	सेंधपुर चौहट्टा	41	वार्ड सं0 41	3
140	पोखर पर प्रा0 वि0 के पास		वार्ड सं0 41	
141	थवई मोहल्ला ईमामबाड़ा के पास		वार्ड सं0 41	
142	नीमगंज पुलीस चौकी के पास	42	वार्ड सं0 42	4
143	खडडी कुआ सलूगंज		वार्ड सं0 42	
144	नीमगंज मेनरोड		वार्ड सं0 42	
145	मन्दिर गली		वार्ड सं0 42	
146	पक्की तालाब के पास	43	वार्ड सं0 43	3
147	हरिजन टोला गुलशन बाग		वार्ड सं0 43	
148	मनिराम अखाड़ा मोड़		वार्ड सं0 43	
149	पासवान टोली पहाड़पुरा	44	वार्ड सं0 44	3
150	कुम्हार टोला		वार्ड सं0 44	
151	महर पर खरहानी पर		वार्ड सं0 44	
152	बड़ी दरगाह मुख्य द्वार के पास	45	वार्ड सं0 45	3
153	बड़ी दरगाह के पीछे गेट पर		वार्ड सं0 45	
154	नया टोला मस्जिद के निकट		वार्ड सं0 45	

155	ईमामबाड़ा के पास	46	वार्ड सं0 46	5
156	कुम्हार टोली के पास अलीनगर		वार्ड सं0 46	
157	पासवान टोला		वार्ड सं0 46	
158	मीरगंज चुरा मील के पास		वार्ड सं0 46	
159	बजरंग बली स्थान मीरगंज		वार्ड सं0 46	

नगर निगम, बिहार शरीफ के अन्तर्गत कुँओं की सूची(टेबल संख्या–60)

क्र0 सं0	विभागीय योजना कोड	योजना का नाम
1	20/21-22 (A94) WARD 12	खरकी कुआँ का जीर्णोद्धार
2	20/21-22 (A95) WARD 12	देवी स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
3	25/21-22 (A112) WARD 18	मोगल कुआँ का जीर्णोद्धार
4	25/21-22 (A111) WARD 18	सिंगार हाट खारी कुआँ का जीर्णोद्धार
5	25/21-22 (A110) WARD 18	भत्तु सेठ के पीछे संजय जी के मकान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
6	25/21-22 (A109) WARD 18	अतवारी बाजार रिलायंस स्कूल के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
7	30/21-22 (A144) WARD 28	मकरवा कुआँ बारादारी का जीर्णोद्धार
8	30/21-22 (A143) WARD 28	असलम मिया के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
9	23/21-22 (A99) WARD 15	नईसराय देवी स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
10	23/21-22 (A101) WARD 15	नईसराय चुरीचक शिवमन्दिर स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
11	23/21-22 (A100) WARD 15	नईसराय ईमली कुआँ का जीर्णोद्धार
12	23/21-22 (A98) WARD 15	नईसराय बड़ी देवी स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
13	29/2021-22 (A139) WARD 24	कटोना हाउस के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
14	29/2021-22 (A136) WARD 23	भरावपर धर्मशाला में कुआँ का जीर्णोद्धार नम्बर 1
15	29/2021-22 (A137) WARD 23	भरावपर धर्मशाला में कुआँ का जीर्णोद्धार नम्बर 1
16	29/2021-22 (A133) WARD 23	भरावपर देवी मन्दिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
17	29/2021-22 (A134) WARD 23	भरावपर काली साव के पास में कुआँ का जीर्णोद्धार
18	29/2021-22 (A135) WARD 23	हनुमान नगर जय मॉ मंगला गौरी जनरल स्टोर के सामने कुआँ का जीर्णोद्धार
19	29/2021-22 (A132) WARD 23	सोहन कुआँ वार्ड पार्षद के घर के पास जीर्णोद्धार
20	28/21-22 (A131) WARD 21	विजय पासवान के घर के पास देवी सराई कुआँ का जीर्णोद्धार
21	28/21-22 (A130) WARD 21	मिट्ठी कुआँ देवी सराई के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
22	26/21-22 (A115) WARD 19	सोनू के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
23	26/21-22 (A116) WARD 19	कुशवाहा धर्मशाला के दक्षिण के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
24	26/21-22 (A118) WARD 19	अवधेश वकील साहब के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
25	30/21-22 (A140) WARD 25	माही खंदक स्थित सरयू महतो के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
26	30/21-22 (A141) WARD 25	तरौना स्थित कुआँ का जीर्णोद्धार
27	33/21-22 (A156) WARD 44	पहरपुरा बगीचा झबरा कुआँ का जीर्णोद्धार
28	33/21-22 (A155) WARD 44	बाईपास के पूरब कल्लू होटल के पीछे कुआँ का जीर्णोद्धार

29	32/21-22 (A154) WARD 31	सकुन्त कला अरान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
30	32/21-22 (A153) WARD 31	दलित टोला मोहन पासवान के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
31	32/21-22 (A151) WARD 31	देवी स्थान स्कूल के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
32	32/21-22 (A150) WARD 31	बैजू जी के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
33	32/21-22 (A152) WARD 31	रामाधीन के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
34	30/21-22 (A142) WARD 28	नेजाम कुआँ का जिर्नोधर बारादरी
35	20/21-22 (A97) WARD 13	दमरी तालाब बोरिंग के निकट कुआँ का जीर्णोद्धार
36	20/21-22 (A96) WARD 13	खलील कुआँ का जीर्णोद्धार
37	20/21-22 (A93) WARD 11	अमामी कुआँ का जीर्णोद्धार
38	20/21-22 (A92) WARD 11	कादिर कुआँ का जीर्णोद्धार
39	31/21-22 (A147) WARD 29	पीपल कुआँ बारा नाला के बगल में कुआँ का जीर्णोद्धार
40	31/21-22 (A146) WARD 29	पंडित नगर कुम्हार टोली के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
41	31/21-22 (A145) WARD 29	कैलू गोप के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
42	28/21-22 (A129) WARD 21	गोबरिया कुआँ देवी स्थान के पास का कुआँ का जीर्णोद्धार
43	27/21-22 (A128) WARD 20	पावर ग्रिड महादेव स्थान के पास का कुआँ का जीर्णोद्धार
44	27/21-22 (A127) WARD 20	रुदेश्वर मंदिर के पास का कुआँ का जीर्णोद्धार
45	27/21-22 (A126) WARD 20	महेश मैरेज हॉल के पीछे का कुआँ का जीर्णोद्धार
46	27/21-22 (A125) WARD 20	बरी पहाड़ी मेंन रोड के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
47	27/21-22 (A124) WARD 20	महादेव स्थान कुआँ अनुज सहारा के घर के पास जीर्णोद्धार
48	27/21-22 (A123) WARD 20	माँगा कुआँ बरी पहाड़ी कृष्णा प्रसाद के घर के पास जिर्नोधर
49	27/21-22 (A122) WARD 20	चुहर कुआँ अरविन्द प्रसाद उर्फ टोटो जी के घर के पास जीर्णोद्धार
50	27/21-22 (A121) WARD 20	सेहत कुआँ यादव टोली के पास जीर्णोद्धार
51	26/21-22 (A114) WARD 19	राजीव पटेल के घर के पास मंसूर नगर कुआँ का जीर्णोद्धार
52	24/21-22 (A107) WARD 16	मोहदिनगर दुर्गा स्थान मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
53	24/21-22 (A106) WARD 16	अम्बेर महादेव स्थान मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
54	24/21-22 (A105) WARD 16	अम्बेर उचका पर कुआँ का जीर्णोद्धार
55	24/21-22 (A104) WARD 16	अम्बेर चौक कचहरी के पास ममता होटल के सामने कुआँ का जीर्णोद्धार
56	24/21-22 (A103) WARD 16	अम्बेर श्रीस्तल संगत के निकट कुआँ का जीर्णोद्धार
57	19/21-22 (A91) WARD 10	हरिया पोखर देवी स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
58	19/21-22 (A90) WARD 08	जलालपुर शिव मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
59	19/21-22 (A89) WARD 02	चांसलर गोप जी के मकान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
60	02/2021-22 (A88) WARD 46	मीरगंज पप्पू पाण्डेय के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
61	02/2021-22 (A87) WARD 46	अलीनगर रविदास टोला मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार

62	02/2021-22 (A86) WARD 46	अलीनगर पासवान टोला अनुपी पासवान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
63	02/2021-22 (A85) WARD 46	अलीनगर रामचंद्र प्रसाद पटवा के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
64	02/2021-22 (A84) WARD 42	मणि बाबा आखारह पर कुआँ का जीर्णोद्धार
65	02/2021-22 (A83) WARD 42	नीमगंज मरियम टोला के समीप कुआँ का जीर्णोद्धार
66	02/2021-22 (A82) WARD 41	सरकारी कुआँ जावेद जी के मकान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
67	02/2021-22 (A81) WARD 41	प्रकाश यादव के मकान के समीप कुआँ का जीर्णोद्धार
68	02/2021-22 (A80) WARD 41	डोमा पोखर मंदिर के समीप कुआँ का जीर्णोद्धार
69	01/2021-22 (A79) WARD 39	गगन दीवान कब्रिस्तान गगन दुला बाबा के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
70	01/2021-22 (A78) WARD 39	पीर साहब के यहाँ कुआँ का जीर्णोद्धार
71	01/2021-22 (A77) WARD 34	कैनरा बैंक के पास मंदिर के प्रांगन में कुआँ का जीर्णोद्धार
72	01/2021-22 (A76) WARD 34	पिपरा कुआँ का जीर्णोद्धार
73	01/2021-22 (A75) WARD 34	नीमगंज मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
74	01/2021-22 (A74) WARD 34	हाजीपुर ब्रह्मस्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
75	01/2021-22 (A73) WARD 33	नागा बाबा मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
76	01/2021-22 (A72) WARD 33	शिव मंदिर का कुआँ महलपर कुशवाहा टोला के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
77	01/2021-22 (A71) WARD 33	खैराबाद बाबा चुहरमल मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
78	01/2021-22 (A70) WARD 33	देवीस्थान छोटी खैराबाद के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
79	01/2021-22 (A69) WARD 32	मीठी कुआँ राशिद टेलर के मकान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
80	01/2021-22 (A68) WARD 32	पूर्वी यादव टोला में मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
81	01/2021-22 (A67) WARD 32	नीम आरान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
82	01/2021-22 (A66) WARD 32	महादेव स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
83	01/2021-22 (A65) WARD 31	शुदामा सिंह के पास शमसान घाट में कुआँ का जीर्णोद्धार
84	01/2021-22 (A64) WARD 31	पानी टंकी के पास शमसान घाट के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
85	01/2021-22 (A63) WARD 31	माली टोला सकुनत खुर्द के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
86	01/2021-22 (A62) WARD 30	सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगन में कुआँ का जीर्णोद्धार
87	05/20-21 GR-04 (A39) WARD-22	शिवपुरी में बालेश्वर महतो के मकान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
88	04/20-21 GR-03 (A30) WARD-20	बरी पहारी देवी स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
89	01/2021-22 (A58) WARD 29	डाक्टर आर इशरी अरशद के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
90	01/2021-22 (A61) WARD 29	राजपुताना के पास बडा नाला के दक्षिण तरफ कुआँ का जीर्णोद्धार

91	01/2021-22 (A59) WARD 29	तकिया पर मस्जिद के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
92	01/2021-22 (A60) WARD 29	सत घरवा के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
93	03/20-21 GR-02 (A18) WARD 15	कल्यानपुर सुधीर सिंह के मकान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
94	03/20-21 GR-02 (A16) WARD 15	कल्यानपुर बड़ी देवी स्थान मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
95	03/20-21 GR-02 (A15) WARD 14	मिरदाद बीघा पर कुआँ का जीर्णोद्धार
96	03/20-21 GR-02 (A21) WARD 16	हिरामन ठाकुर के घर का पास कुआँ का जीर्णोद्धार
97	02/2020-21 GR-01 (A3) WARD 03	अड्डापर सोहसराय पुलिस चौकी के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
98	02/2020-21 GR-01 (A6) WARD 05	रविदास टोला लीला महतो के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
99	04/20-21 GR-03 (A32) WARD-20	बरी पहारी पावर ग्रिड के पीछे भांरी कुआँ का जीर्णोद्धार
100	04/20-21 GR-03 (A31) WARD-20	बरी पहारी संजीव कुमार के मकान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
101	05/20-21 GR-04 (A44) WARD-24	कम्रुद्दीनगंज मोहल्ला देवी स्थान मंदिर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
102	05/20-21 GR-04 (A41) WARD-23	कुआँ गली में सांचो महतो के मकान के पास कुआँ जीर्णोद्धार
103	05/20-21 GR-04 (A42) WARD-23	मदरसा गली में प्रोफेसर आर एन शर्मा के मकान के पास कुआँ जीर्णोद्धार
104	05/20-21 GR-04 (A43) WARD 23	कुशवाहा कॉलोनी में चंदेश्वर बाबु के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
105	05/20-21 GR-04 (A40) WARD 22	शिवपुरी मंदिर के प्रांगन में शिवाजी कॉलोनी में कुआँ का जीर्णोद्धार
106	05/20-21 GR-04 (A37) WARD 22	रामचन्द्रपुर में जगत जी के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
107	05/20-21 GR-04 (A38) WARD 22	शिवपुरी में मिनी के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
108	05/20-21 GR-04 (A36) WARD 22	शिवपुरी रामचन्द्रपुर में एस० एस० निकेतन के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
109	05/20-21 GR-04 (A45) WARD-25	देवी स्थान मंदिर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
110	05/20-21 GR -04 (A46) WARD 25	कुशवाहा धर्मशाला पोखर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
111	05/20-21 GR -04 (A48) WARD 26	सुंदरगढ़ कुआँ जीर्णोद्धार
112	05/20-21 GR -04 (A49) WARD 26	प्रोफेसर कॉलोनी जंगलिया बाबा मंदिर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
113	05/20-21 GR -04 (A47) WARD 26	धनेश्वर घाट मंदिर के सामने कुआँ जीर्णोद्धार
114	05/20-21 GR -04 (A51) WARD 27	महल्ला आनंदनगर शिव मंदिर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
115	05/20-21 GR -04 (A50) WARD 27	महल्ला देकुली घाट बोतले यादव घर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
116	05/20-21 GR -04 (A52) WARD 27	निचली किला शिव मंदिर नरेश सिंह घर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
117	05/20-21 GR -04 (A53) WARD 27	महल्ला पटेलनगर में पप्पू प्रसाद घर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
118	04/20-21 GR-03 (A35) WARD-21	मंगल स्थान मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार

119	04/20-21 GR-03 (A33) WARD-21	अनिल शर्मा के घर के पास देविसरय कुआँ का जीर्णोद्धार
120	05/20-21 GR -04 (A56) WARD 28	देवी स्थान गौरागढ़ कुआँ जीर्णोद्धार
121	05/20-21 GR -04 (A57) WARD 28	शुकरा कुआँ N C C ऑफिस गौरागढ़ के पास कुआँ जीर्णोद्धार
122	05/20-21 GR -04 (A54) WARD 28	बारादरी हुस्सैना कुआँ जीर्णोद्धार
123	04/20-21 GR -03 (A27) WARD -19	मशान घाट के पास छोटी पहरी कुआँ का जीर्णोद्धार
124	04/20-21 GR -03 (A28) WARD -19	दिनेश महतो के घर के पास छोटी पहरी कुआँ का जीर्णोद्धार
125	05/20-21 GR -04 (A55) WARD 28	प्रकाश महतो घर के पास कुआँ जीर्णोद्धार
126	02/20-21 GR-01 (A12) WARD 09	बरी खासगंज मस्जिद के पास मंगू सरदार कुआँ का जीर्णोद्धार
127	04/20-21 GR-03 (A34) WARD-21	महुआ बाग भोला बाबा के मंदिर के पास देविसरय कुआँ का जीर्णोद्धार
128	02/2020-21 GR-01 (A9) WARD 07	आशानगर में स्व० गंगा मिस्त्री के घर के पास गणेश स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
129	02/2020-21 GR-01 (A8) WARD 07	हब्बीपुरा में प्रसादी महतो के मकान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
130	02/2020-21 GR-01 (A7) WARD 07	हब्बीपुरा में नाथुन महतो के मकान के पास घांडी कुआँ का जीर्णोद्धार
131	02/2020-21 GR-01 (A11) WARD 08	बसार बीघा रामेश्वर महतो के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
132	04/20-21 GR-03 (A24) WARD 18	सिंगारहाट पासवान टोला के पास सुन्दर पासवान के दखिन कुआँ का जीर्णोद्धार
133	04/20-21 GR -03 (A26) WARD -19	गौरी शंकर के घर के पास छोटी पहरी कुआँ का जीर्णोद्धार
134	04/20-21 GR -03 (A29) WARD -19	पवन सूत कोल्ड स्टोरेज के पीछे विनोद यादव के पास रेहट कुआँ का जीर्णोद्धार
135	04/20-21 GR-03 (A23) WARD 17	मखदूम कुआँ का जीर्णोद्धार
136	02/2020-21 GR-01 (A10) WARD 08	मोगल कुआँ देवी स्थान के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
137	04/20-21 GR-03 (A22) WARD 17	बुखारी मस्जिद के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
138	04/20-21 GR-03 (A25) WARD 18	मोगल कुआँ संगत अंदरपर कुआँ का जीर्णोद्धार
139	02/2020-21 GR-01 (A14) WARD 09	मोगल कुआँ बौलीपर अरुण साव के मकान के पास चिगुरिया कुआँ का जीर्णोद्धार
140	02/2020-21 GR-01 (A13) WARD 09	वेल कुआँ बौलीपर कुआँ का जीर्णोद्धार
141	03/20-21 GR-02 (A20) WARD 16	रजिस्ट्री ऑफिस अनुमंडल कार्यालय कैंपस में कुआँ का जीर्णोद्धार
142	03/20-21 GR-02 (A17) WARD 15	कल्यानपुर रविदास टोला मंदिर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
143	03/20-21 GR-02 (A19) WARD 16	नयीसराई में आसाम साव मिल के सामने कुआँ का जीर्णोद्धार
144	02/2020-21 GR-01 (A5) WARD 05	सोहडीह गोला पर पानी टंकी के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
145	02/2020-21 GR-01 (A4) WARD 05	सलीमपुर खड्डापर में भरवा कुआँ का जीर्णोद्धार
146	02/2020-21 GR-01 (A1) WARD 01	सोहडीह गोपाल जी के घर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार
147	02/2020-21 GR-01 (A2) WARD 02	सहोखर प्राथमिक विद्यालय राघोपुर के पास कुआँ का जीर्णोद्धार

आमजन हेतु गर्म हवाएँ/लू से सुरक्षा के उपाय

क्या करें :–

- जितनी बार हो सके पानी पीये, बार–बार पानी पीयें। यात्रा के दौरान में अपने साथ पीने का पानी हमेशा रखें।
- जब भी बाहर धूप में जायें यथा संभव रंग के, ढ़ीले ढ़ाले एवं सूती कपड़े पहने। धूप के चश्मे का इस्तेमाल करें। गमछे या टोपी से अपने सिर को ढकें व हमेशा जूता या चप्पल पहनें।
- हल्का भोजन के, अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल जैसे–तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, संतरा आदि का अधिकाधिक सेवन करें।

- घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, नमक–चीनी का घोल, छाछ, नींबू–पानी, आम का पन्ना इत्यादि का नियमित सेवन करें।
- अपने दैनिक भोजन में कच्चा प्याज, सत्तू, पुदीना, सौंफ तथा खस हो भी शामिल करें।
- जानवारों को छाँव में रखे एवं उन्हें भी खूब पानी पीने को दें।
- रात में घर में ताजी और ठंडी हवा आने की व्यवस्था रखें।
- स्थानीय मौसम के पूर्वानूमान और आगामी तापमान में परिवर्तन के बारे में विभिन्न विश्वसनीय सूत्रों से लगातार जानकारियों लेते रहें।
- अगर तबीयत ठीक न लगे या चक्कर आये तो तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें।

लू लगने पर क्या करें :

- लू लगे व्यक्ति को छाँव में लिटा दें। अगर उनके शरीर पर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- लू लगे व्यक्ति का शरीर ठंडे गीले कपड़े से पोछें या ठंडे पानी से नहलायें।
- उसके गर्दन, पेट एवं सिर पर बार–बार गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें।
- उस व्यक्ति को ओ0आर0एस0 / नींबू–पानी, नमक–चीनी का घोल, छाछ या शर्बत पीने को दें, जो शरीर में जल की मात्रा को बढ़ा सके।
- लू लगे व्यक्ति की हालत में यदि एक घण्टे तक सुधार न हो तो उसे तुरन्त नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में ले जायें।

क्या न करें :–

- जहॉ तक संभव हो कड़ी धूप में बाहर न निकलें।
- अधिक तापमान में बहुत अधिक शारीरिक श्रम न करें।
- चाय, कॉफी जैसे–गर्म पेय तथा जर्दा तंबाकू आदि मादक पदार्थो का सेवन कम से कम अथवा नहीं करें।
- ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन जैसे–मांस, अण्डा व सूखे मेवे, जो शारीरिक ताप को बढ़ाते है, का सेवन कम करें अथवा न करें।
- यदि व्यक्ति गर्मी या लू के कारण उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने–पीने को न दें। बच्चों को बंद वाहनों में अकेला न छोडें।

हीटवेव से होने वाली स्वास्थ्य जटिलताओं का प्रबंधन व प्राथमिक उपचार (टेबल संख्या–61)

हीटवेव डिसआर्डर	लक्षण	प्राथमिक चिकित्सा
हीट रैश	त्वचा की लालिमा और दर्द संभव सूजन, छाले बुखार, सिरदर्द।	साबुन का उपयोग करके शॉवर लें। ब्लॉक चवतमे शरीर को ठंडा होने से रोकता है सहज रूप में। यदि फफोले हो जाते हैं, तो सूखा बाँझ लागू करें ड्रेसिंग और चिकित्सा ध्यान चाहते हैं।
हीट क्रैम्प	आमतौर पर दर्दनाक ऐंठन पैर और पेट मांसपेशियाँ या छोर। भारी पसीना।	ठंडे या छायांकित स्थान पर जाएं। फर्म लगाओ ऐंठन की मांसपेशियों पर दबाव डालें या धीरे से मालिश कर ऐंठन से छुटकारा पा सकता है। पानी के पिलाएं। यदि मतली बंद होती है

हीट एक्जाशन	भारी पसीना, कमजोरी, त्वचा ठंडा, पीला, सिर में दर्द और अकड़न पल्स। सामान्य तापमान संभव है। बेहोश होना तथा उल्टी होना।	पीड़ित को ठंडी जगह पर लेटा दें। ढीला कपड़े। ठंडा गीला कपड़ा लगाएं – पंखे या चाल वातानुकूलित जगह का शिकार। पानी के घूंट दें धीरे–धीरे और यदि मतली होती है तो बंद करें। अगर उल्टी होती है, तत्काल चिकित्सा की तलाश करें। एम्बुलेंस के लिए 108 और 102 पर कॉल करें।
हीट स्ट्रोक	उच्च शरीर का तापमान। गर्म, शुष्क त्वचा। तीव्र, पल्सरेट। संभवतः बेहोशी या परिवर्तित मानसिक स्थिति।	हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है। 108 पर कॉल करें और आपातकालीन चिकित्सा के लिए एम्बुलेंस के लिए 102 सेवाओं या पीड़ित को अस्पताल ले जाएं। देरी घातक हो सकती है। पीड़ित को ठंडे वातावरण/छायादार स्थान पर लिटायें तथा शरीर के तापमान को कम करने के लिए स्नान या स्पॉन्जिग करने की कोशिश करें

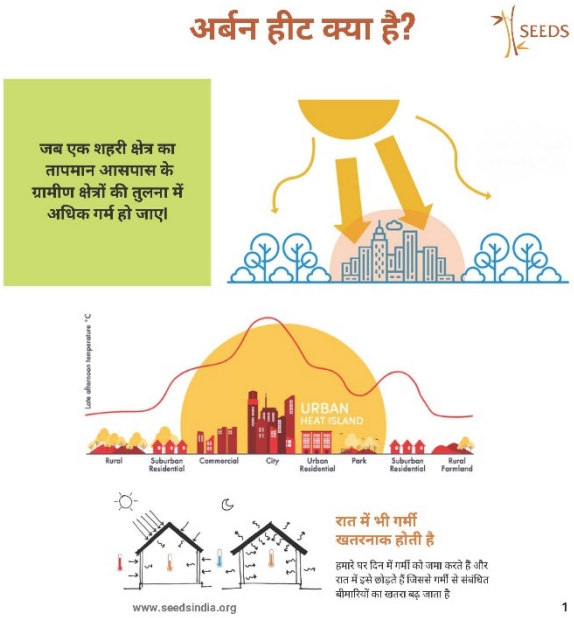

#BeatTheHeat
SEEDS
छायाँ के लिए ग्रीन शेड नेट लगाएँ और
पक्षियों के लिए पानी के कटोरे!

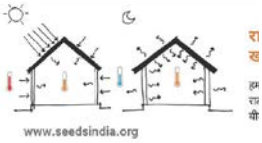
www.seedsindia.org

#BeatTheHeat
SEEDS
< 32°C | हरा
हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें
सामान्य दिन
33°C-40°C | पीला
गर्मी के जोखिम से बचें, टोपी या छतरी का उपयोग करके सिर को ढकें
हीट अलर्ट
हीटवेव की चेतावनी
अत्यधिक गर्मी चेतावनी
घर के अंदर रहें और कई बार स्नान करें
>51°C | लाल
गंभीर हीट अलर्ट
निर्जलीकरण से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीएँ
41°C-51°C | नारंगी
रात में भी गर्मी खतरनाक होती है
हमारे घर दिन में गर्मी को जमा करते हैं और रात में इसे छोड़ते हैं जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है
www.seedsindia.org
4

#BeatTheHeat

SEEDS

अपनी छत सफ़ेद रंगें!

6

SEEDS

ीं में बाहर जाना

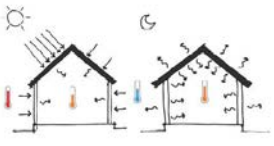

रात में भी गर्मी
खतरनाक होती है

हमारे घर दिन में गर्मी को जमा करते हैं और रात में इसे छोड़ते हैं जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है

www.seedsindia.org

8 । भारी काम

बच्चों और पालतू जानवरों को पार्क किए गए वाहनों में छोड़ना

प्रोटीन युक्त भोजन करना

नंगे पांव चलना

गैर-हवादार स्थान में खाना बनाना

रात में भी गर्मी
खतरनाक होती है

हमारे घर दिन में गर्मी को जमा करते हैं और रात में इसे छोड़ते हैं जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है

www.seedsindia.org

7

#BeatTheHeat
SEEDS
दिन का उच्च तापमान
दिन मे अधिक तापमान का होना
रात का उच्च तापमान
रात के समय शीतलन प्रक्रिया को कम करता है
#Beat
अर्बन हीट के प्रभाव
अपने आसपास के
उच्च वायु प्रदूषण स्तर
यह आसपास के प्रदूषण के स्तर को बढ़ाता है
गर्मी से संबंधित रोग
गर्मी से संबंधित समस्या जैसे त्वचा में जलन, मृत्यु, डिहाइड्रेशन
रात में भी गर्मी खतरनाक होती है
हमारे घर दिन में गर्मी को जमा करते हैं और रात में इसे छोड़ते हैं जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है
www.seedsindia.org
3
रात में भी गर्मी खतरनाक होती है
हमारे घर दिन में गर्मी को जमा करते हैं और रात में इसे छोड़ते हैं जिससे गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है
www.seedsindia.org
11

पैरों को उठायें
शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर, पंखे आदि का प्रयोग करें
व्यक्ति को छाछ, नींबू पानी, शरबत पिलायें
गर्दन, पेट एवं सिर पर गीला तथा ठंडा कपड़ा रखें।
व्यक्ति को छायादार स्थान पर लिटा दें एवं उसके कपड़ों को ढ़ीला कर दें।

आउटडोर में किए गए वृक्षारोपण के लाभ

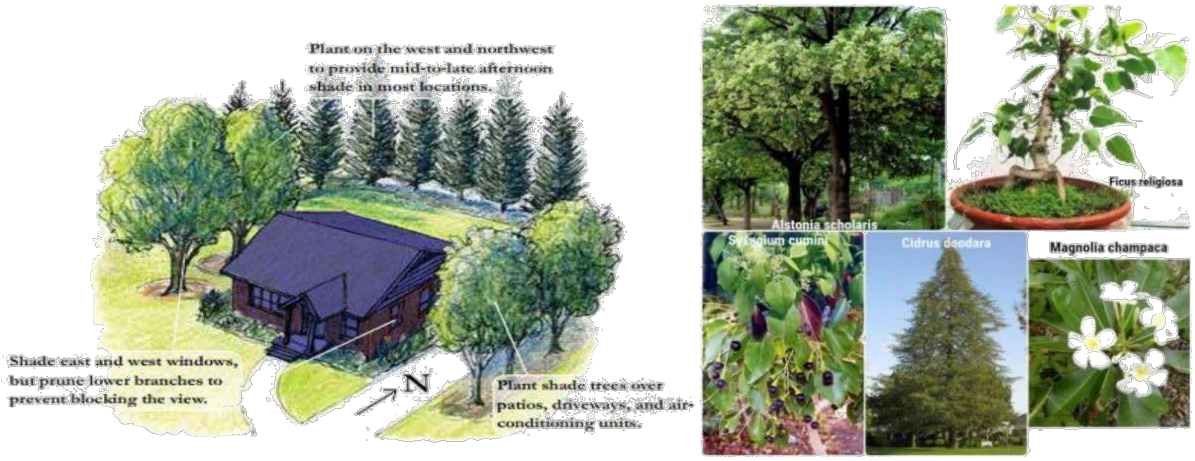

खिड़की, रोशनदान का प्रयोग

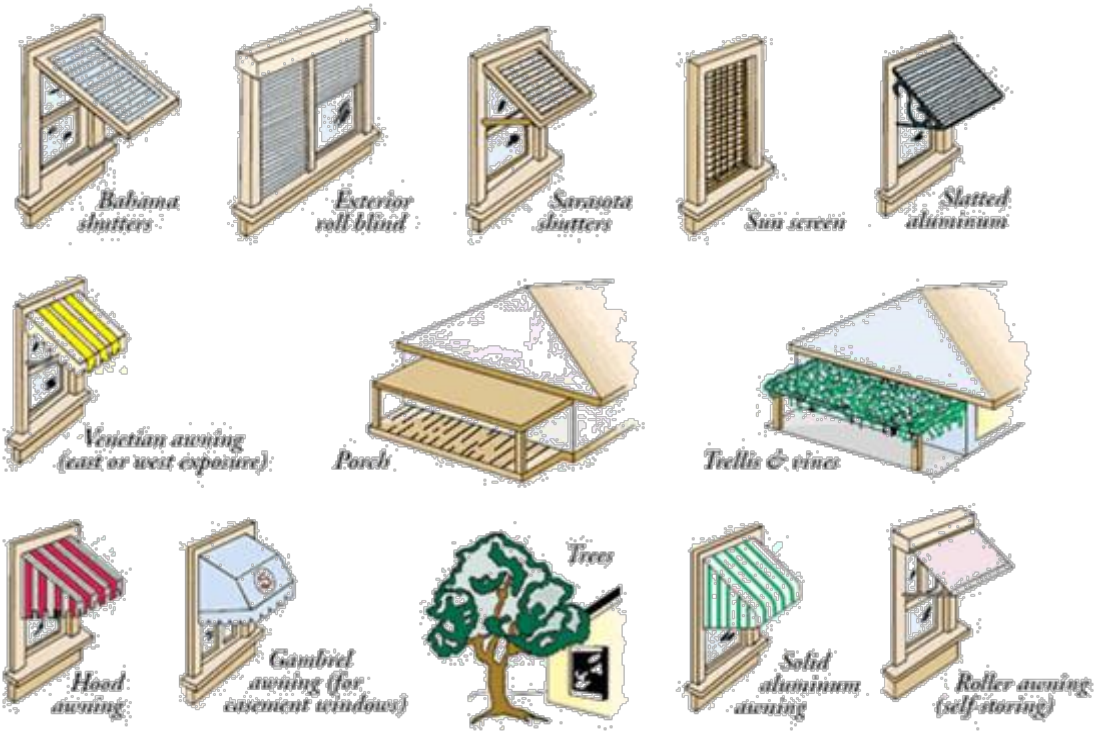

अध्याय–16
वार्ड स्तरीय कार्ययोजना (शीतलहर)

बिहार राज्य में नवम्बर से फरवरी के दौरान शीतलहर या ठंड का व्यापक प्रकोप रहता है। इस दौरान तापमान में गिरावट के कारण शहरी क्षेत्र में बसे गरीब, निःसहाय एवं आवासहीन व्यक्ति अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इस दौरान बुर्जुगों, बच्चों, महिलाओं व कामकाजी लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं की दिक्कत होने की संभावना बनी रहती है। शीतलहर से बचाव व प्रभावितों को राहत पहुँचाने हेतु आपदा प्रबंधन, बिहार एवं नगर विकास विभाग, बिहार के द्वारा प्रत्येक वर्ष शीतलहर के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाता है।

शीतलहर की परिभाषा

बिहार शरीफ जैसे मैदानी क्षेत्रों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से विकसित **National Guidelines for Preparation of Action Plan-Prevention and Management of Cold Wave and Frost, 2021** में शीतलहर (Coldwave) को निम्नवत् परिभाषित किया है–

माह हेतु निर्धारित सामान्य औसत तापमान में परिवर्तन के आधार पर

सामान्य शीतलहर	सामान्य औसत तापमान से 4.5 सेंटीग्रेड से 6.4 सेंटीग्रेड तक की कमी
गंभीर शीतलहर	सामान्य औसत तापमान से 6.4 सेंटीग्रेड से अधिक की कमी

वास्तविक न्यूनतम तापमान के आधार पर (मैदानी के क्षेत्रों के लिए)

सामान्य शीतलहर	जब न्यूनतम तापमान 4 ºC से कम हो
गंभीर शीतलहर	जब न्यूनतम तापमान 2 ºC से कम हो

शीतलहर से बचाव, प्रबंधन एवं न्यूनीकरण हेतु संबंधित विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

(टेबल संख्या–62)

विभागों द्वारा शीतलहर के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली कार्रवाई	संबंधित विभाग
रैनबसेरों में आवासन, पेयजल, साफ–सफाई तथा शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराना। रैनबसेरों के संचालन हेतु आवश्यक कर्मियों एवं वेण्डरों की प्रतिनियुक्ति करना। वैकल्पिक एवं अस्थाई रूप से संचालित किए जाने वाले रैनबसेरों के संचालन हेतु उपर्युक्त स्थलों का चयन तथा टेंट शेड निर्माण समस्त मूलभूत व आवासन सुविधाओं के साथ किया जाना।	नगर निगम, बिहार शरीफ
शीतलहर के दौरान कोहरे का व्यापक प्रकोप होता है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने की संभावना रहती है।	जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा

इसके दृष्टिगत सड़क सुरक्षा जागरूकता तथा वाहनों की सुरक्षा जांच कराया	
शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चालकों, दैनिक मजदूरों, असहायों, आवासहीनों, श्रमिकों, गरीबों व अन्य निःसहाय वर्गों को शीतलहर राहत हेतु कम्बल क्रय कर वितरण करना।	नगर निगम, बिहार शरीफ, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नालन्दा
शीतलहर राहत हेतु सार्वजनिक व संवदेनशील स्थलों (बाजार, चौक–चौराहों, रैनबसेरा, रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड, विद्यालयों, धर्मशाला, मुसाफिरखाना, अस्पताल, सरकारी कार्यालयों, न्यायालय, बैंकों, टेम्पू स्टैंड, कोषागार कार्यालय, स्लम क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्र आदि) पर अलाव की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्रवाई यथा लकड़ियों, वाहन, ज्वलनशील सामग्री , वाहन चालक, श्रमिकों आदि की व्यवस्था करना।	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा। अंचलाधिकारी, बिहार शरीफ
शीतलहर राहत कार्यों के अनुश्रवण व प्रबंधन हेतु पदाधिकारियों, कर्मियों एवं वेण्डरों की प्रतिनियुक्ति करना। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा भ्रमण करते हुए रैनबसेरा संचालन, अलाव जलाने व कम्बल वितरण व्यवस्था	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा। अंचलाधिकारी, बिहार शरीफ
शीतलहर से बचाव हेतु आमजन को सामुदायिक रेडियो, मीडिया (प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक, वाट्सएप व सोशल मीडिया), होर्डिंग, पम्पलेट आदि के माध्यम से जागरूक व संवेदनशील बनाना।	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा। जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा
शीतलहर के दौरान चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावी रूप से संचालित करना तथा शीतलहर के दौरान हृदय से संबंधित स्वास्थ्य विकारों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है, इसके दृष्टिगत समुचित इलाज हेतु अतिरिक्त वार्ड की व्यवस्था करना। शीतलहर के दौरान चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक दवाओं, जांच सुविधा, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, पैथालॉजी आदि को विशेषज्ञ डाक्टरों व पैरामेडिकल की प्रतिनियुक्ति करते हुए क्रियाशील रखना।	सिविल सर्जन, बिहार शरीफ।
गैर सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों, मंदिर समितियों आदि के माध्यम से गरीबों व निसहाय वर्गों को सहायता पहुँचाने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।	नगर निगम, बिहार शरीफ जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा।

बिहार शरीफ में रैनबसेरा की सूची (टेबल संख्या–63)

क्र0स0	रैनबसेरा का पता	वार्ड संख्या	क्षमता	कार्यरत ALO का नाम
01	महलपार बिहार शरीफ	33	50	प्रगति महिला स्वावलंबी सहकारी समिति
02	रामचन्दरपुर बस स्टैंड, बिहार शरीफ	22	50	माँ दुर्गा महिला स्वावलंबी सहकारी समिति
03	कारगिल चौक बस स्टैंड, बिहार शरीफ	44	50	प्रगति महिला स्वावलंबी सहकारी समिति

शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यक सलाह

जन सामान्य : क्या करें तथा क्या न करें

पूर्व

- रेडियो, टीवी, समाचार पत्रों जैसे विभिन्न मीडिया स्त्रोतों से स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते रहें जिससे शीतलहर आने की संभावना के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त कर सकें।
- सर्दियों के कपडे पर्याप्त संख्या में रखें, मल्टीलेयर कपडे शीतलहर से निपटने में अधिक सहायक होते हैं।
- आपात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक आपदा किट जैसे खाद्य सामग्री, शुद्ध पेयजल, इंधन, बैटरी, चार्जर, इमरजेंसी लाइट तथा प्राथमिक उपचार में सहायक दवाइयां आदि रखें।
- दरवाजों और खिड़कियां को अच्छी तरह से बंद करना सुनिश्चित करें ताकि ठंडी हवाएं घर में न आने पाये।
- शीतलहर के समय फ्लू, नाक बहना, सर्दी–जुखाम व नकसीर जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जो आमतौर पर ठंड के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होती हैं या बढ़ जाती हैं, इस तरह के लक्षणों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता या चिकित्सक से परामर्श करें।

दौरान

- मौसम की जानकारी और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन व दिशा निर्देशों का पालन करें।
- ठंडी हवाओं, बारिश व पाला के संपर्क में जितना संभव हो न आयें, इस दौरान अधिक से अधिक समय घर के अंदर रहें और कम से कम यात्रा करें।
- मल्टीलेयर वाले ढीले–ढाले कपडे पहनें। भारी परिधान पहनने के बजाय बाहर की ओर वायुरोधी
  नायलान/काटन एवं अंदर की ओर गर्म ऊनी कपडे पहने। तंग कपडे कदापि न पहने, इससे शरीर में रक्त परिसंचरण में कमी होने की संभावना हो सकती है।

- शरीर को सुखा रखं। यदि किसी कारणवश आपके कपडे गीले हो जाते हैं तो अपने सिर, गर्दन, हाथों तथा पैर की अंगुलियां को ढकें ताकि इन अंगों से शरीर की गर्मी न निकलने पाये। यदि संभव हो तो गीले कपड़ों को तुरंत बदल दं।
- गर्म व वायुरोधी दस्ताने पहने, जिससे हाथों की उँगलियाँ गर्म रहें। साथ ही, फेफड़ों को बचाने के लिए अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढके।
- शीतलहर से बचने के लिए सिर को टोपी/हैट से ढकें व गर्दन पर मफलर का प्रयागे करें। पैरों को गर्म रखने के लिए वाटरप्रूफ/इनसोलेटडे जूते पहनें।
- पोषण युक्त भोजन करें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी से भरपूर फल व सब्जियों का अधिक से अधिक सेवन करें।
- नियमित रूप से गर्म तरल पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर की गर्मी बनी रहती है।
- नियमित रूप से तेल, पेट्रोलियम जेली या बॉडी क्रीम से अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करें।
- बुजुर्ग लोगों, नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल करें, साथ ही अकेले रहने वाले लाचार व निःसहाय बुजुर्ग व दिव्यांग लोगों की सहायता करें।
- बिजली की खपत को कम करें, रूम हीटर का प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करें। जब भी रूम हीटर का प्रयाग करें तो वेंटिलेशन का पर्याप्त ध्यान रखें।
- यदि आपके कमरे में कोयला या लकड़ी से निकलने वाले धुआं को निकालने के लिए उचित चिमनी नहीं है तो बंद कमरे को गर्म करने के लिए कोयले/लकड़ी को न जलाएं, क्योंकि बंद स्थानों में कोयला जलाना खतरनाक हो सकता है। यह कार्बन मोना ऑक्साइड पैदा कर सकता है जो बहुत जहरीला होता है और इससे कमरे में मौजूद व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो सकती है।
- शीतलहर हेतु उपयुक्त भवन का निर्माण करें तथा शीतलहर के प्रभावों को कम करने वाले उपायों को लागू करें।
- पशुओं या घरेलू पशुओं को ठंड के मौसम में अंदर रखें व उन्हें कंबल से ढ़ंक दें। पशुबाड़े को वायुरोधी बनायें
- ठंड से लंबे समय तक संपर्क में रहने से बचें।
- शराब या अन्य नशायुक्त पेय का सेवन नही करें, यह आपके शरीर के तापमान को कम करता है, नशे की लत रक्त वाहिकाओं, विशेष रूप से हाथों में हाइपोथर्मिया के जोखिम को बढ़ा देता है।
- ठंड लगे हुए अंग पर तेल की मालिश न करें, इससे त्वचा को नुकसान पहुँच सकता है।
- शरीर में कंपकंपी को नजरअंदाज न करें। यह पहला संकेत है कि शरीर की गर्मी कम हो रही है।
- घर के अंदर रहें। यदि कपडा गीला या बहुत ठंडा है तो कपड़े बदल दें। कंबल, कपड़े, तौलिया या चादर से शरीर को गर्म करने का प्रयास करें। शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करने के लिए गर्म पेय लें।
- ठंड से प्रभावित व्यक्ति को तब तक कोई तरल पदार्थ न दें जब तक कि वह पूरी तरह से सामान्य न हो जाए।

- ठंड के लंबे समय तक संपर्क त्वचा को पीला, कठोर और सुन्न कर सकता है और शरीर के प्रभावित अंगों जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियों, नाकध्कान पर लाल फफोले हो सकते हैं। भाग के मृत हो जाने पर त्वचा का लाल रंग काला हो सकता है। यह बहुत खतरनाक है और गैंग्रीन कहा जाता है– यह अपरिवर्तनीय है। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें।
- ठंड से प्रभावित अंग को हल्के गुनगुने पानी से गर्म करने की कोशिश करें।
- शीतलहर के संपर्क में आने से हाइपोथर्मिया हो सकता है – शरीर के तापमान में कमी जिससे कंपकंपी, बोलने में कठिनाई, नींद न आना, कड़ी मांसपेशिया, भारी सास, कमजोरी या बेहोशी जैसे लक्षण हो सकते हैं। हाइपोथर्मिया एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है, इस स्थिति में हाइपोथर्मिया से पीड़ित व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएँ।

अध्याय–17
वार्ड स्तरीय कार्य योजना (सड़क दुर्घटना)

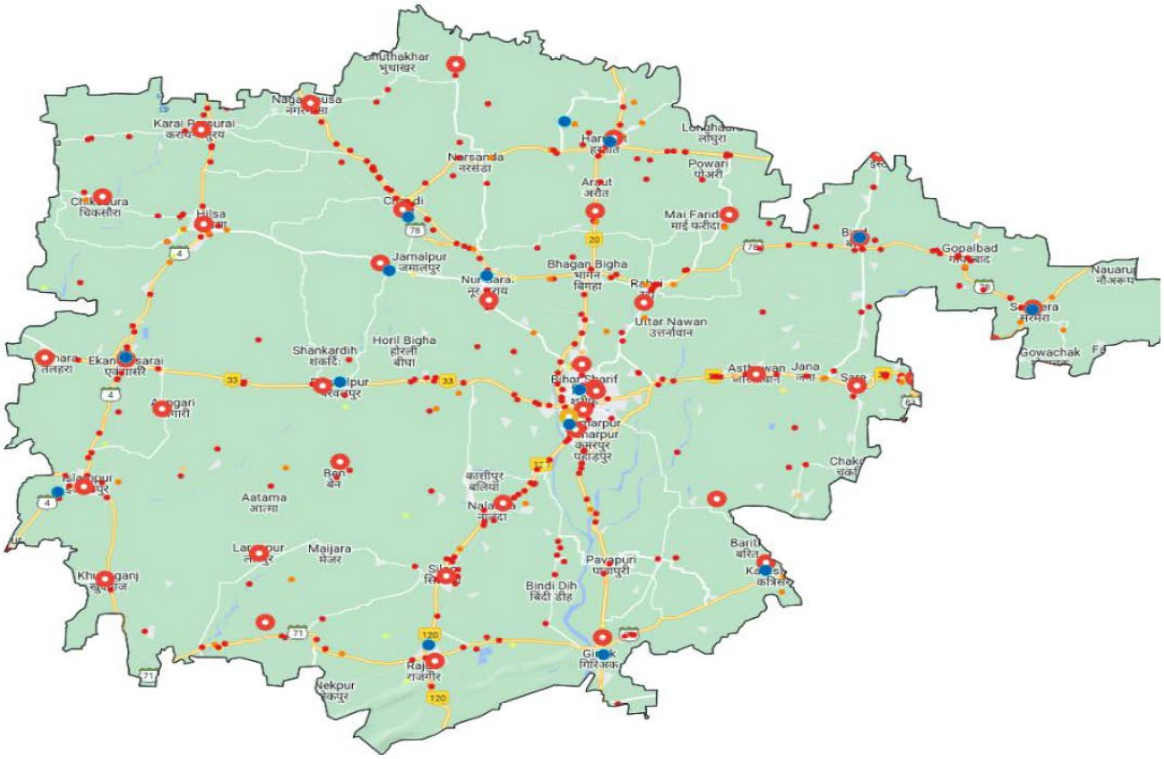

नालन्दा जिले का सड़क दुर्घटना संवेदनशीलता मानचित्र

वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटनाओं का विवरण (टेबल संख्या–64)

नालन्दा जिले में वर्ष 2022 में घटित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 316 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 57 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं तथा अन्य 46 व्यक्ति आंशिक रूप से प्रभावति हुए है। इस प्रकार नालन्दा जिला सड़क दुर्घटनाओं के प्रति अति–संवेदनशील जिलों की श्रेणी में आता है। नगर निगम, बिहार शरीफ अन्तर्गत 03 थानों में पंजीकृत सड़क दुघटनाओं व Integrated Road Accident Database (iRAD), नालन्दा के अनुसार वर्ष 2022 में नगर निगम बिहार शरीफ के अन्तर्गत कुल 34 सड़क दुर्घटनाए हुई हैं तथा इन घटनाओं में कुल 32 लोगों की मृत्यु हुई है व गंभीर रूप से 05 व्यक्ति घायल हुए हैं। विस्तृत विवरण हेतु निम्न तालिका का अवलोकन किया जा सकता है–

माह 2022	घटनाओं की संख्या	मृत	गंभीर रूप से घायल	सामान्य घायल (अस्पताल में भर्ती)	सामान्य घायल (अस्पताल में भर्ती नहीं)	घायल नहीं	कुल
जनवरी	02	2	2	0	0		**4**
फरवरी	02		1	0	0		**1**
मार्च	03	2	0	0	0		**2**
अप्रैल	03	3	1	0	0		**4**
मई	02	3	0	0	0	1	**4**
जून	07	3	0	0	0		**3**
जुलाई	0		0	0	0	2	**2**
अगस्त	04	3	0	2	0	1	**6**
सितम्बर	02	1	0	0	0		**1**
अक्टुबर	04	5	1	0	0		**6**

नवम्बर	04	4	0	0	0	0	**4**
दिसम्बर	01	6	0	1	0	0	**7**
कुल	**34**	**32**	**5**	**3**	**0**	**4**	**44**

सड़क दुर्घटनाओं की दृष्टि से नगर निगम, बिहार शरीफ के अन्तर्गत चिन्हित ब्लैक स्पॉट की सूची (टेबल संख्या–65)

वार्ड संख्या	चिन्हित ब्लैक स्पॉट (संवेदनशील क्षेत्र)	सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के उपाय
03	सोहसराय पोस्ट ऑफिस से सहोखर मुख्य सड़क रॉची रोड	● सड़क दुर्घटनाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा संदेश, चेतावनी बोर्ड अधिष्ठापित किया जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार, बैरिकेडिंग की जानी चाहिए। ● सड़क दुर्घटनाओं की संवेदनशीलता के कारणों की जांच की जानी चाहिए। तकनीकी कमियों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों से समन्वय किया जाना चाहिए। ● चिन्हित ब्लैक स्पॉट के आसपास स्पीड ब्रेकर का प्रावधान किया जाना आवश्यक है तथा इस संबंध में चेतावनी बोर्ड भी लगाया जाना आवश्यक है। ● ब्लैक स्पॉट के निकटवर्ती क्षेत्रों में ट्रैफिक प्रबंधन के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जानी आवश्यक है। ● ब्लैक स्पॉट के निकटर्ती क्षेत्रों में एंबुलेंस सुविधा का प्रावधान किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए निकवर्ती ट्रामा सेन्टर का मानचित्रण पूर्व से ही किया जाना चाहिए।
04	करूणा वाग सोहसराय सड़क	
11	नेशनल स्कुल, नेशनल मिडिल स्कुल के पास	
15	नईसराय मोड़, कल्याणपुर सब्जी मार्केट कल्याणपुर	
20	मामु भगीना से लेकर देवीसराय तक	
32	चैनपुरा रोड–01	
42	मुहल्ला सालुगंज चौक	
43	कटरा नदी मोड़	
45	पहड़पुरा मोड़, दरगाह में गेट के पास	
47	सर्वोदय नगर पावर ग्रीड से लेकर डुमरामा मोड़ तक	
48	बिहार शरीफ से परवलपुर जाने वाली मुख्य सड़क।	
49	एन0एच0–20 एवं एन0एच0–82	
50	विजवनपर रेलवे क्रॉसिंग से विजवनपर	
51	चकदिलावर देवीस्थान, कल्याणपुर मोड, भटविगहा मोड़	

नगर निगम, बिहार शरीफ की ट्रैफिक प्रबंधन योजना (टेबल संख्या–66)

बिहार शरीफ नगर निगम क्षेत्र के कुल 07 स्थलों पर यातायात लाइट व सार्वजनिक सूचना प्रणाली (Public Address System) अधिष्ठापित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0स0	स्थल का नाम	यातायात प्रबंधन हेतु की गई व्यवस्था
1	हॉस्पिटल चौक	पुलिस उपाधीक्षक, यातायात, बिहार शरीफ के स्तर से सभी चौराहों पर यातायात लाईट के अनुसार ट्रैफिक प्रबंधन किया जा रहा है। इन स्थलों पर माईकिंग के माध्यम से भी ट्रैफिक
2	सोहसराय चौक	
3	एतवारी मोड़	
4	अम्बेर चौक	

5	खंदकपर मोड़	का नियंत्रण व प्रबंधन किया जा रहा है। उक्त स्थलों पर यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति 27x7 की गई है।
6	भैंसासुर चौक	
7	मछली मंडी चौक	

उक्त के अतिरिक्त, अन्य 20 प्रमुख चौक–चौराहों पर भी ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति यातायात नियन्त्रण व प्रबंधन के मद्देनजर की गई है, इन चौक–चौराहों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0स0	**चौक–चौराहों का विवरण** (टेबल संख्या–67)
1	देवीसराय चौक
2	कारगिल चौक
3	सतरह नम्बर चौक
4	नाला रोड मोड़
5	सोगरा कॉलेज मोड़
6	लहेरी थाना मोड़
7	पोस्ट ऑफिस मोड़
8	पुलपर चौक
9	किसान कालेज मोड़
10	एतवारी मोड़
11	रहुई मोड़
12	नालन्दा कालेज मोड़
13	पचासा मोड़
14	भरावपर मोड़
15	सोगरा कालेज मोड़
16	बिचली खंदक मोड़
17	नई सराय चौक
18	महिला कालेज मोड़
19	कुमार सिनेमा मोड़
20	बड़ी पहाड़ी मोड़

सड़क सुरक्षा हेतु संबंधित विभागों के कार्य एवं दायित्व (टेबल संख्या–68)

जिला परिवहन कार्यालय, नालन्दा	• जिला सड़क सुरक्षा समिति, नालन्दा की बैठक में बिहार शरीफ के नगरीय क्षेत्र में सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों व सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर चर्चा करना तथा आवश्यक कार्ययोजना बनाना। संबंधित विभागों व एजेंसियों को आवश्यक निदेश प्रदान करना। • सड़क सुरक्षा आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक इत्यादि आयोजित करना। • वाहन जांच अभियान चलाना। वाहनों में सड़क सुरक्षा संबंधी मानक पूर्ण नहीं होने पर निर्धारित कानूनी कार्रवाई करना तथा जुर्माना लगाना अथवा जब्ती करना।

	• हेलमेट व सीट बेल्ट का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों व यात्रियों पर निर्धारित जुर्माना लगाना। • ब्लैक स्पाट व सड़क दुर्घटनाओं के प्रति अति–संवेदनशील स्थलों की पहचान करना। संबंधित विभागों को संरचनात्मक व तकनीकी सुधार करने के निदेश प्रदान करना। • अति–संवेदनशील स्थलों पर सड़क सुरक्षा निर्देशक व चेतावनी बोर्ड लगाना। • प्रमुख स्थलों पर स्पीडो मीटर का प्रावधान करना। • लहरिया कट व अनियत्रिंत वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई करना। • विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। • आपातकालीन सम्पर्क नम्बरों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना। • सार्वजनिक परिवहन व माल ढुलाई से संबंधित विभिन्न संगठनों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों व ट्रैफिक प्रबंधन में सहयोग करने हेतु प्रेरित करना। • गुड सेमेटेरियन कानून का प्रचार प्रसार करना ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को बिना किसी बाधा के तुरंत अस्पताल पहुँचाया जा सके।
उपाधीक्षक, ट्रैफिक पुलिस, बिहार शरीफ	• ट्रैफिक का प्रबंधन करना। • प्रमुख चौक–चौराहों अथवा मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति करना। • वाहन जांच अभियान चलाना। वाहनों में सड़क सुरक्षा संबंधी मानक पूर्ण नहीं होने पर निर्धारित कानूनी कार्रवाई करना तथा जुर्माना लगाना अथवा जब्ती करना। • हेलमेट व सीट बेल्ट का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों व यात्रियों पर निर्धारित जुर्माना लगाना। • सड़क दुर्घटनाओं का डाटाबेस रखना तथा इन्टरग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस को उपलब्ध कराना।
नगर निगम, बिहार शरीफ	• नगर निगम, बुडको एवं स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों के निर्माण में तकनीकी व सरंचनात्मक दृष्टि से सड़क सुरक्षा पहलुओं को समाहित करना। • स्मार्ट सिटी योजना के सहयोग से नगर निगम, बिहार शरीफ के विभिन्न चौक–चौराहों पर ट्रैफिक लाइट के माध्यम से यातायात प्रबंधन करना। • इन्टरग्रेटेड कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेण्टर, बिहार शरीफ के सहयोग से शहर के यातायात पर निगरानी रखना। • अवांक्षित तत्वों पर कड़ी निगरानी रखना तथा संबंधित विभागों के सहयोग से कानूनी कार्रवाई करना। • प्रभावी व सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। • वैकल्पिक मार्गों को होर्डिंग व डिजिटल डिस्पले के माध्यम से प्रदर्शित करना। • स्थानीय रेडियो एफ0एम0 के माध्यम से ट्रैफिक अपडेट नागरिकों व वाहन चालकों को उपलब्ध कराना। • शहरी क्षेत्र में भारी व भारवाहक वाहनों के प्रवेश व निकास हेतु समय का निर्धारण करना ताकि शहर में जाम की समस्या नहीं हो।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• सड़क सुरक्षा के जागरूकता गतिविधियों का संचालन करना। • आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न योजनाओं में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्ययोजना का निर्माण करना तथा योजना के कार्यान्वयन में तकनीकी सहयोग प्रदान करना। • सड़क दुर्घटनाओं के प्रति अति–संवदेनशील स्थलों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों व ब्लैक स्पॉट स्थलों पर सड़क सुरक्षा सलाह आधारित बैनर व पोस्टर लगाना।
इन्टरग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस	• सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित समस्त डाटाबेस तैयार करना तथा संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना। • संबंधित विभागों को ऍप बेस्ट सड़क दुर्घटना के डाटाबेस के बारे में प्रशिक्षित करना।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं पथ निर्माण प्रमण्डल, नालन्दा	• क्षतिग्रस्त भाग की त्वरित मरम्मति करना व मोटेरेबल बनाना। • संवेदनशील स्थलों पर सड़क सुरक्षा संदेशो, सड़क सुरक्षा निर्देशकों व चेतावनी बोर्ड को अधिष्ठापित करना। • ब्लैक स्पॉट के तकनीकी व सरंचनात्मक फाल्ट व कमियों को दूर करना। • टोल प्लाजा व एन0एच0 के विभिन्न स्थलों पर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराना। इससे संबंधित हेल्पलाइन का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना।
जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा	• एंबुलेंस सेवा का संचालन 24X7 करना। • ब्लड बैंक का संचालन करना तथा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व विभागों के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन करना ताकि आपात् स्थिति खून की कमी नही होने पाए। • आपातकालीन सेवा, हड्डी रोग विभाग व ट्रामा सेन्टर का संचालन करना। • आपातकालीन सम्पर्क नम्बरों का प्रसार–प्रसार करना। • चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ व ए0एन0एम0 के सहयोग से प्राथमिक उपचार व सुरक्षित रेफरल विधियों पर कर्मियों, युवा स्वयंसेवकों आदि हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।
जिला रेडक्रास सोसाइटी, नालन्दा	• प्राथमिक उपचार, खोज/बचाव व सुरक्षित निष्कासन पर युवाओं व स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण आयोजित करना। • आपात् स्थिति में राहत–बचाव कार्य में सहयोग करना।

अध्याय–18
वार्ड स्तरीय कार्य योजना (भीड़ प्रबंधन एवं प्रमुख धार्मिक आयोजन)

नालन्दा जिला तथा बिहार शरीफ सांस्कृतिक, पर्यटन, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवसायिक व सामाजिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल है। भीड़ बाहुल्य बाजारों व विभिन्न धार्मिक व सामाजिक पर्व त्यौहारों के अतिरिक्त बिहार शरीफ में सूर्य मंदिर व हजरत मखदमू साहब की मजार भीड़ की दृष्टि से अति–संवेदनशील स्थल हैं। इन स्थलों पर भीड़ प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन, नालन्दा व नगर निगम, बिहार शरीफ द्वारा विशेष प्रबंध किए जाते हैं ताकि श्रद्धालुओं की भारी संख्या को नियंत्रित किया जा सके व किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। बिहार शरीफ में भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्व त्यौहार निम्नवत् हैं, जिसके लिए नगर निगम, बिहार शरीफ द्वारा अन्य विभागों व रिस्पांस एजेंसियों के सहयोग से आवश्यक व्यवस्थाए की जाती हैं–

- होली
- दुर्गापूजा/दशहरा/विजयदशमी
- चैती छठ
- छठ पर्व
- महाशिवरात्रि
- ईद–अल–फित्र
- ईद–अल–अजहा
- रामनवमी
- मुहर्रम
- गणेश पूजा
- बारावफात

उक्त पर्व–त्यौहारों में गृह विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग एवं नगर विकास विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, नियंत्रण कक्ष की स्थापना, मिनी नियंत्रण कक्ष की स्थापना, सुरक्षात्मक व्यवस्था, वाहन पार्किंग व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल आपूर्ति, शौचालय की व्यवस्था, चिकित्सा टीमों की तैनाती, फायर ब्रिगेड की तैनाती की जाती है। संबंधित विभागों को पूर्व तैयारी एवं प्रबंधन संबंधी निदेश जिलाधिकारी, नालन्दा व पुलिस अधीक्षक, नालन्दा के संयुक्त आदेश के माध्यम से निदेशित किया जाता है। भीड़ प्रबंधन तथा पर्व को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर शांति समिति का गठन किया जाता है तथा पर्व/त्यौहारों से पूर्व समन्वय समिति की बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्ययोजना का निर्माण किया जाता है।

बिहार शरीफ के 02 प्रमुख स्थानीय आयोजन में जिला प्रशासन व नगर निगम, बिहार शरीफ के द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाए (टेबल संख्या–69)

1. हजरत मखदुम साहब का चादरा जूलुस एवं चिरागा मेला	
भीड़ प्रबंधन प्रमुख मुद्दे	**जिला प्रशासन व नगर निगम, बिहार शरीफ द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाए**
• सूफी संत हजरत मखदुम साहब के उर्स के अवसर पर आयोजित	• मेला तैयारी हेतु प्रत्येक वर्ष शांति समिति का पुर्नगठन किया जाना आवश्यक है तथा इसकी बैठक आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए।

होने वाले चिरागा मेला व चादरा जुलुस का विशेष महत्व है। इस पर्व में देश–विदेश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु शिरकत करते हैं तथा मजार की जियारत कर मन्नतें मांगते है। इस दौरान श्रद्धालुओं के द्वारा मजार पर चादरपोशी की जाती है तथा फूल–माला चढ़ाया जाता है। • आवांक्षित व साम्प्रदायिक तत्वों के द्वारा आफवाह फैलने की आशंका रहती है।	• मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर प्रवेश व निकास मार्ग अलग–अलग स्थापित करना। बैरिकेडिंग करते हुए अन्य वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था रखना। • सुरक्षित निष्कासन मानचित्र को बिहार शरीफ के विभिन्न भागों व मेला स्थल पर बैनर/होर्डिंग के माध्यम से अधिष्ठापित करना। • भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के आवासन, पेयजल, शौचालय सुविधा, मेला परिसर की व्यवसायिक गतिविधियों हेतु आवश्यक व्यवस्था किया जाना महत्वपूर्ण है। • महाबोधि मंदिर, गया में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को सदृढ़ किया जाना महत्वपूर्ण है। मेला परिसर के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के साथ सी0सी0टी0वी0 व ड्रोन से निगरानी करना। • मेला स्थल पर प्रत्येक संवेदनशील स्थलों पर स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस दल के साथ करना तथा मेला स्थल व जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को कृत कार्रवाई के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करना। • गश्ती दल की तैनाती के साथ–साथ महत्वपूर्ण घटनाओं व गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराना। • मेला स्थल पर चिकित्सा दल, फायर ब्रिगेड टीम, आपदा मित्रों, एन0सी0सी0 कैडेट, स्काउट गाइड की तैनाती आवश्यकता का आंकलन करते हुए श्रद्धालुओं के सहायतार्थ की जा सकती है। तैनात किये जाने वाले स्वयंसेवकों की ब्रीफिंग व एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। • सूचना व्यवस्था को सदृढ़ बनाने हेतु वायरलेस सेट का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सकता है। जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, नालन्दा के पास उपलब्ध सेटेलाइट फोन का प्रयोग भी आकस्मिकता की दृष्टि से किया जा सकता है। • चिरागा मेला व चादरा जुलुस के दौरान बिहार शरीफ में यातायात प्रबंधन एक कड़ी चुनौती है। इस दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए वाहन परिचालन के रूट में अमान परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। इसका प्रचार प्रसार जिला प्रशासन के द्वारा मीडिया के सहयोग से किया जा सकता है। पुलिस उपाधीक्षक, ट्रैफिक के द्वारा महत्वपूर्ण स्थलों पर ट्रैफिक नियंत्रण व प्रबंधन हेतु सुरक्षार्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। • मेला परिसर में प्रकाश व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस हेतु कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, बिहार शरीफ के स्तर से सभी आवश्यक व्यवस्थाए पूर्व से की जाएंगी तथा विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से की जाएगी। आकस्मिकता की दृष्टि से बिजली

	मिस्त्री की तैनाती की जाएगी तथा महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रहेगा।
सूर्य मंदिर	
• मान्यता है कि बिहार शरीफ स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर से भगवान भास्कर को अर्ध्य देने की परंपरा प्रारम्भ हुई थी। • छठ पर्व के अवसर पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र होती है।	• निकास एवं प्रवेश मार्ग की व्यवस्था नगर निगम, बिहार शरीफ व पूजा समिति के द्वारा की जाती है। • नगर निगम के द्वारा श्रद्धालुओं हेतु पेयजल, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, साफ–सफाई, बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था की जाती है। • नगर निगम के द्वारा तालाब की साफ–सफाई एवं पुर्नजलभरण की कार्रवाई आवश्यकतानुसार की जाती है। • जिला प्रशासन के द्वारा मंदिर परिसर में दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति पुलिस बल के साथ की जाती है। मंदिर परिसर में नियंत्रण कक्ष की स्थापना पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ की जा

नगर निगम, बिहार शरीफ में भीड़ की दृष्टि से संवेदनशील स्थल (टेबल संख्या–70)

क्रम संख्या	वार्ड नं0	संवेदनशील स्थल एवं बाजार का नाम
1	4	सोहसराय चौराहा करूणाबाग
2	16	अम्बेर चौराहा
3	18	एतवारी चौराहा
4	21	बाजार समिति रामचन्द्रपुर
5	21	रामचन्द्रपुर बस स्टैण्ड
6	21	देवी सराय
7	23	भराव पर चौराहा
8	23	रामचन्द्रपुर मछली मंडी
9	25	हास्पीटल चौराहा
10	26	व्यवहार न्यायालय गढ़पर
11	28	नईसराय चौराहा
12	30	खन्दक चौराहा सकुनत मोड़
13	31	खन्दक चौराहा बरविगहा मोड़
14	36	पुल पर
15	36	पोस्ट आफिस मोड़
16	42	नईसराय चौराहा
17	45	मख्दुम साहब चिरागा मेला बड़ी दरगाह
18	50	सितलाष्टिमी मेला मघड़ा
19	51	कोसुक मेला राणाविगहा

अध्याय–19
वार्ड स्तरीय कार्य योजना (महामारी प्रबंधन)

बिहार शरीफ की विशिष्ट भौगोलिक बनावट, जल स्त्रोतों, नालों के दूषित जल, बाढ़, जलजमाव, बर्ड फ्लू, वायरल रोगों जैसे कारकों के कारण शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जल जनित तथा वेक्टर जनित महामारियों का प्रसार होता है। नगर निगम, बिहार शरीफ में महामारियों का प्रसार एक प्रमुख आपदा के रूप में उभर कर सामने आया है। शहरी क्षेत्र में महामारियों के प्रसार से ग्रसित लोगों में पोषण व स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की दिक्कते उत्पन्न हो जाती हैं तथा कई मामलों में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। बिहार शरीफ में प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में लोग महामारियों के शिकार होते है। शहर में मच्छरों का व्यापक प्रकोप है, इससे भी शहरी क्षेत्र में कई प्रकार की बीमारियां पनपती हैं। नालन्दा जिले तथा बिहार शरीफ के परिपेक्ष्य में टाइफाइड, हैजा, फाइलेरिया, डेंगू बुखार, काला अजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, कोविड 19, खसरा आदि का प्रसार रहा है। नालन्दा जिले तथा इसके शहरी क्षेत्र से बड़े महानगरों में प्रवासन के कारण टी0बी0 की बीमारी का भी प्रकोप रहा है। स्लम क्षेत्र तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग टी0बी0 रोग से अधिक ग्रसित होते हैं। बिहार शरीफ में कई अवसरों पर दूषित भोजन करने से फूड प्वाइजनिंग के भी लोग शिकार हुए हैं। महामारियों का प्रकोप नालन्दा जिले तथा बिहार शरीफ शहर में निम्नवत् है–**(टेबल संख्या–71)**

वर्ष	नालन्दा जिले में प्रतिवेदित केस	मृत्यु	नगर निगम, बिहार शरीफ में प्रतिवेदित केस	मृत्यु
फाइलेरिया				
2020	56	0	उपलब्ध नहीं	0
2021	61	0	उपलब्ध नहीं	0
2022	53	0	उपलब्ध नहीं	0
डेंगू बुखार				
2020	07	00	उपलब्ध नहीं	0
2021	10	00	उपलब्ध नहीं	0
2022	257	01	उपलब्ध नहीं	0
काला अजार				
2020	11	0	उपलब्ध नहीं	
2021	07	0	उपलब्ध नहीं	
2022	03	0	उपलब्ध नहीं	
जापानी इंसेफेलाइटिस				
2020	03	0	उपलब्ध नहीं	0
2021	03	0	उपलब्ध नहीं	0
2022	01	01	उपलब्ध नहीं	0
मलेरिया,				
2020	0	0	उपलब्ध नहीं	0
2021	02	0	उपलब्ध नहीं	0
2022	02	00	उपलब्ध नहीं	0

टी0बी0				
2020	2210	57		
2021	2629	94		
2022	3260	62		

जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा के अनुसार

नगर निगम, बिहार शरीफ के परिक्षेत्र में महामारियों के प्रसार के प्रमुख कारण एवं निवारण के उपाय (टेबल संख्या–72)

प्रमुख कारण	प्रसार करने वाली बीमारियां	रोकथाम के उपाय
मच्छरों व मक्खियों की बढ़ती संख्या	डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, जापानी इंसेफेलाइटिस बुखार व फाइलेरिया	• वर्षा जल का अन्डरग्राउन्ड संचयन अथवा वाटर रिचार्ज करना। • कूड़े–कचरे का समुचित निपटान करना। नालों की नियमित साफ–सफाई कराना तथा बहाव सुनिश्चित करना। • पानी टैंकों, ड्रमों, बर्तनों, शौचालय के टैंकों, नाली, छतों, घर के आसपास जल एकत्र नहीं होने देना। • तालाबों व जल स्त्रोतों की नियमित साफ–सफाई सुनिश्चित करना। आसपास के क्षेत्र को नियमित अन्तराल पर विसंक्रमण की कार्रवाई करना। • निर्माणाधीन घरों व भवनों में क्यूरिंग व अन्य प्रयोजनों हेतु अधिक जल का भण्डारण नहीं करना। • पानी में रखे जाने वाले सजावटी पौधों के पानी को नियमित अन्तराल पर बदलना। • खुले कुँओं, ओवरहेड पानी की टंकी आदि की नियमित साफ–सफाई कराना।
दूषित पेयजल	डायरिया (हैजा), टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए	• पानी के शुद्धिकरण की विधियों की जानकारी होना। इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करना। • नगर निगम की वाटर सप्लाई को क्लोरिनीकृत करते हुए करना। • टुटे हुए पाइप की मरम्मति करना। चापाकल की नियमित मरम्मति करना। यह सुनिश्चित करना कि आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। • पेयजल संकट प्रभावित क्षेत्रों में जल टैंकरों शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।

तरल एवं सॉलिड कचरा प्रबंधन समुचित रूप से नहीं होना।	मच्छर जनित रोग, टीबी, टाइफाइड, हैजा	• प्लास्टिक बोतलों, थैली, कबाड़ आदि शहरी क्षेत्र में जलजमाव का कारण बनते है, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रसार होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक का समुचित प्रबंधन किया जाना अति–आवश्यक है। • नालों, नालियों व अन्य जल स्त्रोंतों की साफ–सफाई नियमित रूप से किया जाना। • संवेदनशील स्थलों पर विशेष अभियान चलाकर ब्लीचिंग, चूना पाउडर व एन्टी लार्वा का छिड़काव कराना। • जल स्त्रोंतों पर अनाधिकृत रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाना। • स्लाटर हाउस को समुचित ढंग से विसंक्रमित करना। • जल शोधन संयत्र स्थापित करना तथा जल का पुर्नप्रयोग करना।
होटलों व फूड वेण्डरों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अशुद्ध भोजन	हैजा, फूड प्वाइजनिंग	• होटलों व फुटपाथ के फूड वेण्डरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच कराया जाना। • होटल कर्मियों व फूड वेण्डरों हेतु प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन करना।
शौचालय का कम प्रयोग तथा सार्वजनिक शौचालय व पेशाब घरों की कम उपलब्धता	हैजा, बुखार, मक्खी जनित रोग	• खुले में शौच की कुप्रथा को बंद करने , शौचालय के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा स्वच्छता आदतों को अपनाने हेतु निरन्तर वृहद स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जाना चाहिए। • सभी प्रमुख चौक–चौराहों, सार्वजनिक भवनों, सुविधा केन्द्रों को सार्वजनिक शौचालय की सुविधा से आच्छादित किया जाना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार पेशाब घरों का प्रावधान किया जाना चाहिए।
उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की कम जानकारी		• महामारियों से प्रभावित व्यक्ति की तुरंत जांच कराने तथा समुचित उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में उपलब्ध चिकित्सा व पैथोलॉजी सुविधाओं की जानकारी का प्रचार–प्रसार करना। • प्रभावित क्षेत्रों में फागिंग कराना।
प्रवासन संबंधी मुद्दे	टी0बी0	• संक्रमण प्रभावित महानगरों से आने वाले प्रवासी मजदूरों से अन्य लोगों में महामारियों के प्रसार की संभावना अधिक होती है। ऐसे महानगरों से आने वाले मजदूरों की जांच नियमित रूप से की जानी आवश्यक है।

महामारियों से निपटने हेतु नालन्दा जिले तथा नगर निगम, बिहार शरीफ में उपलब्ध संसाधन एवं उपकरण (टेबल संख्या–73)

क्र0स0	संसाधन/उपकरण का नाम	संख्या/मात्रा	नियंत्री पदाधिकारी
1	फागिंग मशीन		नगर प्रबंधक
2	टेनीफोर्स 50 ई0सी0 (लार्वासाइडर)	14.50 ली0	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
3	सिन्थेटिक पारॉथराइड	15 कि0ग्रा0	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
4	हडसन कम्प्रेसर पम्प	09 पम्प	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
5	टेक्निकल मैलाथियान	10 ली0	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
6	फागिंग मशीन, जिला मलेरिया कार्यालय	05 मशीन	जिला वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
7	एक्सरे मशीन	01	जिला यक्ष्मा रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
8	सी0बी0 नेट	02	जिला यक्ष्मा रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
9	ट्रु–नैट	06	जिला यक्ष्मा रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
10	माइक्रोस्कोपिक सेंटर	26	जिला यक्ष्मा रोग नियंत्रण पदाधिकारी, नालन्दा
11	ब्लीचिंग पाउडर	55 पैकेट	नगर प्रबंधक, नगर निगम, बिहार शरीफ
12	चूना	90 पैकेट	नगर प्रबंधक, नगर निगम, बिहार शरीफ
13	स्प्रेयर मशीन		नगर प्रबंधक, नगर निगम, बिहार शरीफ
15	फागिंग मशीन		नगर प्रबंधक, नगर निगम, बिहार शरीफ

महामारी प्रबंधन हेतु संबंधित विभागों के कार्य एवं दायित्व (टेबल संख्या–74)

नगर निगम, बिहार शरीफ		
पूर्व	**दौरान**	**पश्चात्**
● संवेदनशील क्षेत्रों यथा जलजमाव बाहुल्य को चिन्हित करना।	● महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियांन चलाना।	● संचारी रोगों के प्रभावों व रिस्पास क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करना।
● सभावित क्षेत्रों में एन्टी लार्वा व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना।	● प्रभावित वार्डों एवं मुहल्लों में रोस्टर निर्धारित कर कीटनाशकों व एन्टी लार्वा का छिड़काव करना।	● जलजमाव के निदान हेतु नवीन योजना तथा जलनिकासी हेतु आवश्यक संख्या में नालों का प्रावधान करना।
● आसपास रहने वाले समुदाय को स्वच्छता के बारे में जागरूक करना।	● प्रभावित वार्डों का स्वास्थ्य विभाग के साथ सर्वेक्षण करना तथा संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु त्वरित कार्ययोजना बनाना।	●
● कूड़ा का उठाव नियमित रूप से करना।	● आसपास के समुदाय को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक व संवेदनशील बनाना।	
● जल स्त्रोतों की साफ–सफाई कराना।		
● नालों व नालियों के बहाव में हुए अवरोध को दूर करना।		

	• महामारी प्रबंधन हेतु किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा करना।	
जिला वेक्टर रोग जनित रोग नियंत्रण कार्यालय, बिहार शरीफ नालन्दा		
• संचारी रोगों के रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाना। • संक्रमण के प्रसार के दृष्टिगत संवेदनशील क्षेत्रों में रोकथाम व प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष माइक्रोप्लान का निर्माण करना। • महत्वपूर्ण हितभागियों हेतु क्षमतावर्द्धन व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। • एन्टी लार्वा, कीटनाशकों, ब्लीचिंग पाउडर आदि का पर्याप्त स्टॉक रखना।	• विशेष अभियान चलाकर प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों का छिड़काव करना। • प्रभावित क्षेत्रों में बचाव तथा रोग के प्रसार को कम करने के बारे में लोगों को जागरूक करना। • प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा किट के साथ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ, एन0एन0एम0, छिड़काव कर्मियों आदि की प्रतिनियुक्ति करना।	• प्रभावित क्षेत्रों का आंकलन कर माइक्रो प्लान में आवश्यक संशोधन करना। • प्रभावित क्षेत्रों में यदि संचारी रोगों की पुनरावृत्ति अधिक है तो संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञों का सहयोग लेना।
जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा		
• संचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु संबंधित हितभागियों को जागरूक व संवेदनशील बनाना। • महामारियों से प्रभावित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु पर्याप्त संख्या में विशेष वार्ड एवं बेड की व्यवस्था करना। • आवश्यक जीवनरक्षक दवाए, आई0वी0 फ्लूड, पी.पी.ई. सुरक्षा किट इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सभी अस्पतालों में करना। • एबंलेस सेवा का 24x7 प्रभावी रूप से संचालन करना।	• संचारी रोगों से ग्रसित व्यक्तियों की जांच व उपचार की व्यवस्था करना। • आपातकालीन सेवा प्रभावी संचालन करना। संचारी रोगों हेतु निर्धारित वार्डों में ही रोगियों को रखना। • वार्डों की साफ–सफाई व विंसक्रमित करने की कार्रवाई नियमित कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय चिकित्सकों की क्यू0आर0टी0 इलाज, जांच व जागरूकता प्रसार हेतु भेजना।	• संचारी रोगों की रोकथाम हेतु संबंधित हितभागियों को प्रशिक्षित करना। • क्षति आंकलन करना। • कार्ययोजना में आवश्यक संशोधन करना।
जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा		

• पशुपालकों को पशुओं को होने वाली संक्रामक बीमारियों के बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाना। • पशुओं के उपचार हेतु आवश्यक दवाओं व अन्य सामग्रियों की व्यवस्था रखना। • बर्ड फ्लू जैसी बीमारी के प्रसार होने पर आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करना।	• पशुओं की चिकित्सा हेतु मोबाइल चिकित्सा टीम को प्रभावित क्षेत्रों में भेजना। • अन्य पशुओं में संक्रामक बीमारियों का प्रसार नहीं होने पाए, इस हेतु विशेष चिकित्सा सह शरण स्थल का संचालन करना। • मृत पशुओं का निपटारा मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार करना।	• पशुपालकों को जागरूक व संवेदनशील बनाना। • पशुपालकों को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नालन्दा		
• सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना तथा सभी आपदा प्रबंधन योजनाओं में महामारी प्रबंधन एवं नियंत्रण को सम्मिलित करना। • महामारी रोकथाम के मद्देनजर जागरूकता कार्यक्रम को आयोजन करना।	• संबंधित विभागों द्वारा महामारियों से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करना। समीक्षात्मक बैठक का आयोजन जिलाधिकारी, नालन्दा की अध्यक्षता में करना।	• महामारी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाना तथा संबंधित विभागों को आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान करना। • मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य अनुग्रह अनुदान प्रभावितों को उपलब्ध कराना।

पार्थिव शवों के प्रबंधन हेतु बिहार शरीफ में शवदाह गृह एवं कब्रिस्तानों की सूची (टेबल संख्या–75)

क्र0 स0	स्थल का नाम	शवदाह गृह/कब्रिस्तान
1	मनिराम अखाड़ा	शवदाह गृह
2	सोहन कुंआ	शवदाह गृह
3	1 नम्बर	शवदाह गृह
4	गगन दीवान (रांची रोड)	कब्रिस्तान
5	भैंसासुर	कब्रिस्तान
6	बड़ी पहाड़ी	कब्रिस्तान
7	आशा नगर	कब्रिस्तान
8	सोहडीह	कब्रिस्तान
9	बड़ी दरगाह	कब्रिस्तान
10	मिरदाद बिगहा	कब्रिस्तान
11	मिरदाद लबेसराय	कब्रिस्तान
12	पतुआना	कब्रिस्तान

अध्याय–20
वार्ड स्तरीय कार्य योजना (जीवनरक्षक सुविधाएं व अस्पताल प्रबंधन)

स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक परिसर तथा पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा:

आपदा प्रबंधन के दौरान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान के जोखिम निराकरण अथवा शमनीकरण का प्रयास पहली प्राथमिकता होनी चाहिये। खतरो की चपेट में आई आबादी का बचाव करने के उपरांत स्कूलों में स्थापित अस्थाई राहत शिविर में सुरक्षित स्थानान्तरण करना होता है। घायलों की चिकित्सा नजदीकी अस्पताल में की जाती है।

औद्योगिक प्रतिष्ठान आपातकालीन संचालन केन्द्र के तौर पर उपयोग में लाये जा सकते है। कुछ खतरों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान विशेष संवेदनशील होते हैं। इनके विध्वंस अथवा क्षतिग्रस्त होने पर नये खतरे की संभावना बन जाती है। अतः इस आपदा प्रबंधन योजना में स्कूल सुरक्षा, अस्पताल सुरक्षा तथा औद्योगिक परिसर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

ऐतिहासिक एंव पुरातात्विक महत्व के स्थल तथा उस स्थल पर निर्मित संरचना हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये। अन्यथा इनका पुनर्स्थान या पुनर्निर्माण पूर्व की स्थिति में नहीं किया जा सकता है। भविष्य की पीढीयो के लिए इसे संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है।

■ **अस्पताल सुरक्षा :**

हाल के दिनों में भारत के तीन प्रमुख राजधानियों, लखनऊ, कोलकाता एवं भुवनेश्वर के अस्पतालों में लगी आग तथा उसके उपरांत हुए नुकसान तथा गुजरात के भुज में भूकंप के बाद अस्पतालों की स्थिति ने हमें सोचने पर विवश किया है कि अस्पतालों के लिए भी खुद का आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारी होनी चाहिए। इसका सुखद परिणाम यह होगा कि अस्पताल में भरती रोगी, आपदाओं के बाद अस्पताल में आने वाले रोगियों, उनके सहायक तथा अस्पताल में काम करने वाले लोगों को सुरक्षित और आश्वस्त सेवा मुहैया कराया जा सकेगा।

योजना से दूसरा लाभ यह होगा कि अस्पताल के संसाधन तथा सुविधाओं को काफी हद तक बचाया जा सकेगा।

इस योजना के हिस्से के रूप में अस्पताल के सभी स्तर के कर्मचारी होगें तथा सुरक्षा में लगे सुरक्षा गार्ड भी। आपदा से संबंधित अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना, विभिन्न प्रकार की आपदाओं से जुड़ी प्रत्युत्तर तथा पुनर्प्राप्ति योजना से युक्त होगी। इसमें अस्पताल से जुड़े सभी विभाग अपनी आंतरिक एवं वाह्य प्रत्युत्तर हेतु योजना रखेगें। यही नहीं, समन्वय तथा अभ्यास के साथ–साथ प्रशिक्षण की भी पर्याप्त व्यवस्था करेगें।

इस क्रम में दो प्रकार से दस्तावेज संधारण किये जायेगें – (1) घटना सुरक्षा पंजी तथा (2) सुरक्षा अभ्यास पंजी।

योजना निर्माण के क्रम में बिल्डिंग बायलॉज का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा दिये गये निर्देश के आलोक में भवन निर्माण एवं भवन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस अस्पताल सुरक्षा योजना को सभी स्तर के अस्पताल यथा सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर तथा

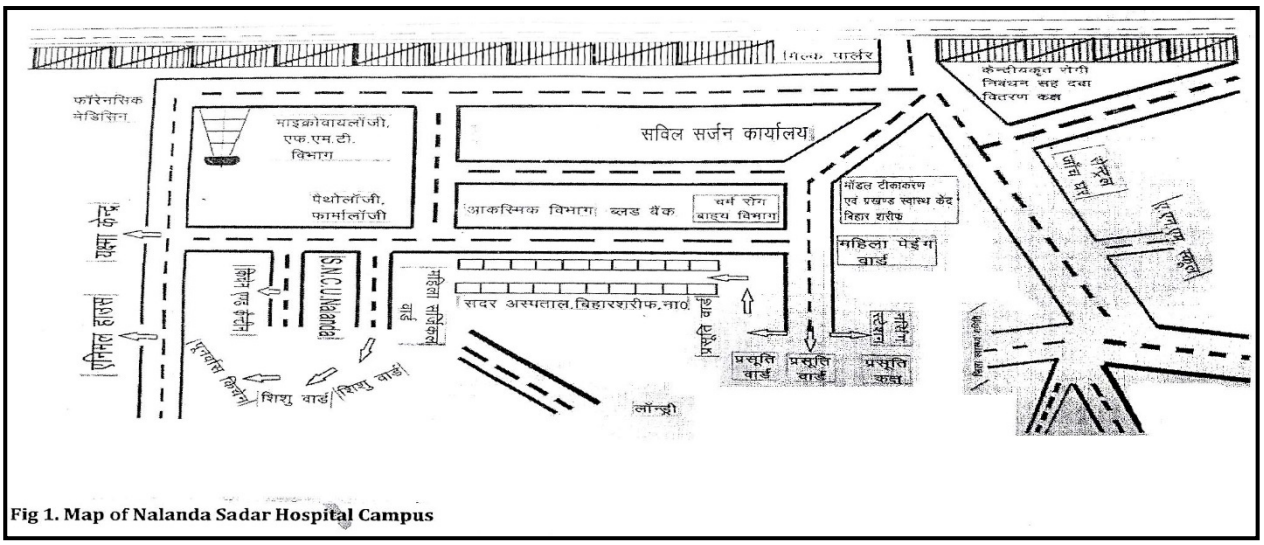

Fig 1. Map of Nalanda Sadar Hospital Campus

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में लागू करने का प्रयत्न किया जायेगा।

नालन्दा जिले में बिहार शरीफ अवस्थित सदर अस्पताल को विभिन्न आपदाओं के दौरान सुरक्षित रखने हेतु एक अस्पताल सुरक्षा योजना तैयार की गई है। आपदा प्रबंधन की दृष्टिकोण से अस्पताल भवन एवं इसके विभिन्न वार्डों, विभागों को आपदा के दौरान सुरक्षित बनाये रखने की यह सराहनीय पहल है। इस योजना में जन हताहत प्रबंधन, आग की स्थिति तथा भूकंप के समय में कार्य एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण किया गया है। सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर (रिस्पॉन्स) कार्य में यह योजना काफी प्रभावी होगी।

- बिहार शरीफ में अवस्थित सदर अस्पताल में प्रदान की जाती है। इसके मुख्य भवन का निर्माण 1937 में हुआ था जबकि शिशु आपात चिकित्सा तथा आपात चिकित्सा भवन का निर्माण क्रमशः वर्ष 2008, 2010 एवं 2012 में हुआ है।
- अस्पताल में कुल उपलब्ध 300 बेड (चिकित्सा शय्या) का विवरण :
  - मेडिसीन (80)।
  - सर्जरी एवं बर्न (10)।
  - हड्डी (60)।
  - शिशु (30)।
  - महिला एवं प्रसूति (40)।
  - सघन चिकित्सा वार्ड (6)।
  - आपात चिकित्सा (20)।
  - अन्य (74)।

प्रत्येक माह औसतन बाह्य चिकित्सा विभाग (ओपीडी) में 26,000 तथा आंतरिक चिकित्सा विभाग (आईपीडी) में 4,000 मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

- इस अस्पताल में 9 विशेषज्ञ, 26 चिकित्सक, 53 नर्स, 41 पारा मेडिकल अर्थात कुल 129 लोग चिकित्सीय सेवा में हैं। इसके अलावे 78 अन्य स्टाफ हैं। चिकित्सीय सेवा से 2 एवं कर्मचारी वर्ग से 6 कर्मी आग सुरक्षा में भी प्रशिक्षित हैं। अस्पताल में अल्ट्रासांउड एवं एक्स–रे की 1–1

मशीनें हैं। बिजली नहीं होने पर सोलर पैनेल की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ से अग्निशमन ऑफिस 1 कि॰मी॰ की दूरी पर स्थित है।

तैयारियाँ :

1. आपदा प्रबंधन समिति का गठन।
2. आपात संचालन केन्द्र का गठन।
3. सूचना एंव संचार समिति का गठन।
4. अचानक रोगी आने पर– 20 बेड आरक्षित, (दूसरी मंजिल पर अतिरिक्त 100 बेड लगाने की जगह)
5. मानक संचालन प्रक्रिया पालन के लिए जिम्मेदार चिकित्सक चिह्नित।
6. उपकरण उपलब्धता – स्टोर रूम।
7. भीड़ में घायलों का प्रबंधन – अस्पताल प्रबंधक।
8. चिह्नित ब्लड बैक – 3 ।
9. एम्बुलेंस– 2 सरकारी, 6 निजी चिह्नित।

नोटः योजना में ज्यादा लोगों के हताहत होने, आग लगने एवं भूकंप की स्थिति से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) शामिल की जायेगी।

1. जनहताहत प्रबंधन (Mass Casualty Management)
2. अग्नि सुरक्षा प्रबंधन (Fire Safety Management)
3. भूकंप सुरक्षा प्रबंधन (Earthquake Safety Management)

निम्नांकित तालिका विभिन्न प्रकार के आपदाओं से जुड़ी गतिविधियों से युक्त है ।

अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना एवं आपातकालिक तैयारियां –(टेबल संख्या–76)

(क) जनहताहत प्रबंधन (Mass Casualty Management):

क्र॰सं॰	उत्तरदायित्व	गतिविधियाँ	समय–सीमा (मिनट में)	जबाबदेही
1	**स्वास्थ्य प्रशासन और जिला स्तर पर व्यवस्था को उत्प्रेरित करना**	एम्बुलेंस को सक्रिय करना	0 – 30	सिविल सर्जन (जिलाधिकारी से सम्पर्क में रहेंगे। जिला प्रोग्राम ऑफिसर) सहायक रहेगें।
		नजदीकी सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को तैयार करना।	10 – 45	
		मानव संसाधन अन्य सरकारी व्यवस्था से हासिल करना।	10 – 50	
		आपातकालीन दवाईयां/ ड्रेसिंग, उपयोग की सामग्री एवं ईंधन सुरक्षित करना।	15 – 60	
		नजदीक के लेबोरेटरी तथा एक्सरे केन्द्रों को सचेत करना।	10 – 45	
		रेड क्रॉस तथा अस्पताल के ब्लड बैंक को तैयार रखना।	0 – 45	
2	**जिला अस्पताल के कमांड व्यवस्था को उत्प्रेरित करना**	सिविल सर्जन के साथ समन्वय तथा अद्यतन हालात की जानकारी रखना।	0 – 30	उपाधीक्षक (सिविल सर्जन तथा जिलाधिकारी से समन्वय बनाये रखेगें) अस्पताल प्रबंधक
		आपरेशन थियेटर, लैब तथा ब्लड बैक को ब्लड के स्टाफ समेत तैयार रहने को कहना।	0 – 30	

		आपातकालीन सेवा के इंचार्ज को सचेत करना।	0 – 10	सहायक रहेगें।
		मेडिकल ऑफिसर एवं विशेषज्ञ को सचेत रखना।	0 – 15	
		स्वयंसेवी को सचेत करना	10 – 30	
		शवगृह को तैयार रखना, मृतकों के रिश्तेदारों को सूचित करना तथा सहायक कर्मी द्वारा अच्छा व्यवहार ।	15 मिनट – 2 घंटा	
		मीडिया को सूचना देने वाले व्यक्ति को चिह्नित कर सचेत करना।	10 – 45	
		भीड़ नियंत्रण एवं पुलिस सुरक्षा – आपात सेवा एवं शव गृह के स्थल पर।	0 – 2 घंटा	
3	**घायलों का वर्गीकरण एवं क्षमता**	घायलों की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार वर्गीकरण करना।	0 – लगातार	एम॰ओ॰ इंचार्ज (प्रभारी) अपना प्रतिवेदन डी॰एस॰ और सी॰एस॰ को देगें।
		ब्लड बैंक को सूचित कर तैयार रखना।	0 – 10	
		अचानाक आये भीड़ के लिए क्षमता वाले क्षेत्र को चिह्नित करना।	0 – 5 घंटा	
		ऑपरेशन थियेटर को सक्रिय रखना।	0 – 60	
		पारामेडिकल प्रभारी को सतर्क रखना ।	0 – 15	
		चतुर्थ वर्ग के स्टाफ को वार्डों, बिस्तरों एवं आसपास की जगहों को साफ रखने का निर्देश देना।	0 – 10	
		अस्थायी वार्ड को सक्रिय करना (आँख, कान, नाक एवं गला, चर्म रोग इत्यादि)	0 – 15	
4	**जाँचशाला, फार्मेसी एवं अन्य वस्तुओं की आपूर्ति एवं सेवा से संबंधित तैयारी**	जाँचशाला को सूचित करना	0 – 15	नर्स इंचार्ज (अपना प्रतिवेदन आपातकालीन सेवा प्रधान को देगी।)
		आवश्यक दवा की आवश्यकता हेतु फार्मेसी को सचेत करना।	0 – 15	
		पारामेडिकल स्टाफ को तर्क संगत तरीके से तैनात करना।	0 – 10	
		ऑक्सीजन समेत अन्य वस्तुओं हेतु स्टोर को खबर करना।	0 – 30	
		आहार एवं लाउंड्री सेवा को तैयार करना ।	15 – लगातार	
जिले का जिलाधिकारी 'घटना कमांडर' होगें। परंतु विशेष आपातकालीन परिस्थिति में पुलिस, प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, एस॰डी॰आर॰एफ॰/एन॰डी॰आर॰एफ॰ से सीधा संपर्क करेगें। सिविल सर्जन तथा जिला आपदा प्रबंधन केन्द्र समन्वयन हेतु कार्यरत होगें।				

(ख) जिलास्तरीय अस्पताल में आग (Fire at District Hospital Level)

क्र॰सं॰	उत्तरदायित्व	गतिविधियाँ	समय–सीमा (मिनट में)	जबाबदेही
1	जिलास्तरीय स्वास्थ्य प्रशासन और प्रणाली की तीव्रता–तत्परता	गतिशील एम्बुलेंस तैयार रहना।	0 – 30	सिविल सर्जन/ सिविल सर्जन जिलाधिकारी से समन्वय बनाये रखेगें। जिला कार्यक्रम प्रबंधक
		त्वरित तैयारी के लिए सरकारी और निजी सुविधाऐं।	10 – 45	
		अन्य आवश्यक सरकारी गतिविधि।	10 – 50	
		सावधान–आपातकालीन औषधि, ड्रेसिंग, उपयोगी और आपातकालीन सुरक्षित इंधन के साथ।	15 – 60	
		नजदीकी लैब और इमेंजिंग केन्द्र का तैयार रहना ।	10 – 45	
		समीप के अस्पताल और रेड क्रॉस का तैयार रहना।	0 – 45	
2	जिला अस्पताल में आदेश प्रणाली की तीव्रता	सिविल सर्जन से समन्वय एवं अद्यतन जानकारी के साथ सम्पर्क।	0 – 30	उपाधीक्षक तथा जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन से समन्वय बनाये रखेगें। अस्पताल प्रबंधक सहायक होगें।
		ऑपरेशन थियेटर, लैब और ब्लड बैक को तैयार रहना।	0 – 30	
		आपातकालीन सेवा प्रबंधक को तैयार रहना।	0 – 10	
		मेडिकल ऑफिसर्स एवं विशेषज्ञ को तैयार रहना।	0 – 15	
		कार्यकर्त्ता को तैयार रहना।	10 – 30	
		शवगृह को तैयार रखना, मृत के रिश्तेदारों को सूचित करना तथा सहायक कर्मी द्वारा अच्छा व्यवहार।	15 मिनट – 2घंटा	
		मीडिया को सूचना देने वाले व्यक्ति को चिह्नित कर सचेत करना।	10 – 45	
		भीड़ नियंत्रण एवं पुलिस सुरक्षा – आपात सेवा एवं शव गृह के स्थल पर।	0 – 2 घंटा	
3	रोगियों की निकासी	वार्ड में रोगी के पास स्टाफ की व्यवस्था।	0 – 5	उपाधीक्षक कल्पना कुमार (9798601396) अस्पताल प्रभारी सहायक होगीं।
		स्टाफ द्वारा रोगी को भावनात्मक सहायता।	0 – 10	
		स्टाफ रोगी को सुरक्षित जगह में जाने के लिए सहायता (ओ.पी.डी. ब्लॉक के सामने खुले क्षेत्र में)	0 – 15	
		स्टाफ और रोगी को पंक्ति से बाहर निकालना।	5 – 15	
		रॉल कॉल करना ताकि सुनिश्चित हो सके कि रोगी ने स्थान खाली कर दिया है।	10 – 30	
4	अग्निशमन सुरक्षा	आपातकालीन नम्बर से अग्निशमन दल को सूचित करना।	0 – 2	अस्पताल प्रबंधक
		सार्वजनिक घोषणाओं से सामान्य जन को सावधान करना एवं उन्हें उचित दिशानिर्देश देना ताकि वे भवन से सुरक्षित निकल सकें।	0 – 2	

		अग्नि निकासी और आपातकालीन निकासी की सहायता से समान्य जन को प्रभावित क्षेत्र से निकाल कर उन्हें सुरक्षित स्थान में इकट्ठा करना।	0 – 10	
		मकान के सभी विद्युत आपूर्ति बंद कर देना, आपातकालीन विद्युत सेवा और अग्निशमन पैनल को छोड़कर।	0 – 2	
		नजदीक के स्थान में अग्निशमन का प्रयोग करना अथवा जल की उपलब्धता के समीप आग के परिमाण की तुलना में होज रील का उपयोग करना।	0 – 10	
		दिव्यांग, शारीरिक रूप से आश्रित, महिलाओं को सर्वप्रथम खाली कराना।	0 –15	
		अग्निशमन दल के पहुँचने पर उस स्थान के बारे में उन्हें निर्देश देना चाहिए।	5 –20	
5	**तीव्रगति से आगे बढ़ने की क्षमता**	घायलों को उनकी गंभीरता की दृष्टि से श्रेणीबद्ध करना।	0 – लगातार	एम.ओ.(प्रभारी) अपना प्रतिवेदन डी.एस.और सी.एस. को देगें।
		अग्निशाखा को सावधान करना।	0 – 10	
		दुर्घटना स्थल को चिह्नित कर उसे क्रियाशील बनाना।	0 – 2 घंटा	
		पारामेडिक प्रधान को सावधान करना।	0 – 15	
6	**लैब, फार्मेसी एवं अन्य संबंधित आपूर्ति एवं सेवा संबंधी विभागों को तैयार करना**	लैब को हमेशा तत्पर रखना।	0 – 15	नर्स इंचार्ज अपना प्रतिवेदन आपात सेवा के प्रधान को देंगे।
		आपातकालीन औषधि के लिए फार्मेसी का हमेशा तत्पर रहना।	0 – 15	
		पारामेडिक स्टाफ को तुरंत नियुक्त करना।	0 –10	
		उपयोग में आने वाली वस्तुओं एवं गैस आपूर्ति की दूकान को तैयार रखना।	0 –30	
		कपड़े धोने तथा आहार सेवाओं के लिए मुस्तैद रहना।	15 – लगातार	
जिला पदाधिकारी हीं दुर्घटना के प्रधान कमांडर होगें। वे किसी भी आपात स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकेंगें और तत्पश्चात् आई॰सी॰एस॰ व्यवस्था लागू करेगें। प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, प्रधान सचिव एवं आपदा प्रबंधन विभाग, पुलिस बल, एस॰डी॰आर॰एफ॰/एन॰डी॰आर॰एफ॰ की गतिशीलता के लिए जिलाधिकारी सम्पर्क करेगें। जिला का आपात सेवा केन्द्र और सिविल सर्जन अद्यतन जानकारी के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहेगें।				

(ग) जिलास्तरीय अस्पतालों में भूकंप (Earthquake at District Hospital Level)

क्र॰सं	उत्तरदायित्व	गतिविधियाँ	समय–सीमा (मिनट में)	जबाबदेही
1	**जिलास्तरीय स्वास्थ्य प्रशासन और प्रणाली की तीव्रता–तत्परता**	गतिशील एम्बुलेंस तैयार रहना।	0 – 30	सिविल सर्जन जिलाधिकारी से समन्वय बनाये रखेगें।
		सरकारी एवं निजी सुविधाओं की तैयारी एवं सावधानियाँ।	0 – 45	
		सरकारी स्तर से परे मानव संसाधन की गतिशीलता।	10 – 50	
		आपातकालीन औषधि, ड्रेसिंग, उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति के साथ–साथ	15 – 60	

		सुरक्षित ईधन के साथ वैन्डर्स तैयार रहेगें।		जिला कार्यक्रम प्रबंधक इनको सहयोग करेगें।
		लैब और एक्सरे केन्द्रों की त्वरित तैयारी।	10 –15	
		अस्पताल और रेड क्रॉस की त्वरित तैयारी।	0 – 45	
2	**जिला अस्पताल में आदेश प्रणाली की तीव्रता**	सिविल सर्जन से समन्वय एवं अद्यतन जानकारी।	0 – 30	उपाधीक्षक / जिलाधिकारी एवं सिविल सर्जन से समन्वय बनाये रखेगें। अस्पताल प्रबंधक सहायक होगें।
		ऑपरेशन थियेटर, लैब और ब्लड बैक को तैयार रहना।	0 – 30	
		आपातकालीन सेवा प्रबंधक को तैयार रहना।	0 – 10	
		मेडिकल ऑफिसर्स एवं विशेषज्ञ को तैयार रहना।	0 – 15	
		कार्यकर्त्ता को तैयार रहना।	10 – 30	
		शवगृह को तैयार रखना, मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करना तथा कर्मी द्वारा अच्छा व्यवहार।	15 मिनट – 2घंटा	
		मीडिया को सूचना देने वाले व्यक्ति को चिह्नित कर सचेत करना।	10 – 45	
		भीड़ नियंत्रण एवं पुलिस सुरक्षा – आपात सेवा एवं शव गृह स्थल पर।	0 – 2 घंटा	
3	**रोगियों की निकासी**	वार्ड में रोगी के पास स्टाफ का पहुँचना।	0 – 5	उपाधीक्षक अस्पताल प्रभारी सहायक होगी।
		रोगियों की निकासी के लिए स्टाफ की तैयारी।	0 – 10	
		स्टाफ रोगी को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने में सहयोग करेगें।	0 – 15	
		स्टाफ रोगी की कतार में निकासी करेगें।	5 – 15	
		यह सुनिश्चित करने के लिए की सभी रोगियों और अधिकृत व्यक्तियों ने स्थान खाली कर दिया है, रोल कॉल किया जायगा।	10 – 30	
4	**सुरक्षा**	आपातकालीन नम्बर से अग्निशमन दल को सूचित करना।	0 – 2	अस्पताल प्रबंधक
		सार्वजनिक घोषणाओं से सामान्य जन को सावधान करना एवं उन्हें उचित दिशानिर्देश देना ताकि वे भवन से सुरक्षित निकल सके।	0 – 2	
		अग्नि निकासी और आपातकालीन निकासी की सहायता से सामान्यजन को प्रभावित जगह से खाली करा देना और उन्हें सुरक्षित स्थान में इकट्ठा करना ।	0 – 10	

		मकान का विद्युत आपूर्ति बंद कर देना, आपातकालीन विद्युत सेवा और अग्निशमन पैनल को छोड़कर।	0 – 2	
		नजदीक के स्थान में अग्निशमन का प्रयोग करना अथवा जल की उपलब्धता के समीप आग के परिमाण की तुलना में होज रील का उपयोग करना ।	0 – 10	
		दिव्यांग, शारीरिक रूप से आश्रित, महिलाओं को सर्वप्रथम खाली कराना।	0 –15	
		अग्निशमन दल के पहुँचने पर उस स्थान के बारे में उन्हें निर्देश देना ।	5 –20	
5	**वर्गीकरण एवं तीव्रता की क्षमता**	दुर्घनाग्रस्तों का वर्गीकरण	0 – 5	एम.ओ.(प्रभारी) अपना प्रतिवेदन डी.एस.और सी.एस. को देगें।
		अग्निशाखा को सावधान करना।	0 – 10	
		दुर्घटना स्थल को चिह्नित कर उसे क्रियाशील बनाना।	0 – 2 घंटा	
		पारामेडिकल प्रधान को सावधान करना।	0 – 15	
6	लैब, फार्मेसी एवं अन्य सेवा से संबंधित आपूर्ति एवं सेवा संबंधी विभागों को तैयार करना	लैब को हमेशा तैयार रखना।	0 – 15	नर्स इंचार्ज अपना प्रतिवेदन आपात सेवा के प्रधान को देगे।
		आपातकालीन औषधि के लिए फार्मेसी का हमेशा तैयार रहना।	0 – 15	
		पारामेडिक स्टाफ की तुरंत नियुक्ति करना।	0 –10	
		उपयोग में आने वाली वस्तुएं एवं गैस आपूर्ति की दुकान को तैयार रखना।	0 –30	
		कपड़े धोने तथा आहार सेवाओं के लिए तैयार रहना।	15 – लगातार	
जिला पदाधिकारी दुर्घटना के प्रधान कमांडर होगें। वे किसी भी आपात स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकेंगें और तत्पश्चात् आई॰सी॰एस॰ व्यवस्था लागू करेगें। प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, प्रधान सचिव एवं आपदा प्रबंधन विभाग आदि पुलिस बल, एस॰डी॰आर॰एफ॰/एन॰डी॰आर॰एफ॰ की गतिशीलता के लिए जिलाधिकारी सम्पर्क करेगें। ऐसे हीं समय जिला का आपात सेवा केन्द्र और सिविल सर्जन अद्यतन जानकारी के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहेगें।				

स्कूल सुरक्षा : विभिन्न आपदा के समय बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। आपदा प्रबंधकों ने माना है कि चूँकि बच्चे भविष्य के मूल्यवान नागरिक हैं, अतः उन्हें बार–बार के अभ्यास से संभावित आपदाओं में, उससे लड़ने और बचने हेतु मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाय। ऐसा करने से बच्चे खुद और साथ हीं उन परिवारों को भी आपदा से निपटने के गुणों से वाकिफ करा सकते हैं जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। यह कहने कि आवश्यकता नहीं है कि कम उम्र के बच्चें होने की वजह से उनकी निर्भरता दूसरो पर बनी रहती है। विद्यालय भवन चूंकि सार्वजनिक होते है अतः इनका निर्माण भूकंपरोधी

विद्यालयों में घटित कुछ हादसे –

शिक्षा विभाग बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय है। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वर्ष 2008 में कोसी नदी से आयी बाढ़ के दौरान सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिले के 7480 विद्यालय प्रभावित हुए। जिसमें क्रमशः 173 विद्यालय पूर्णतः तथा 481 विद्यालय आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इसी प्रकार वर्ष 2013 में सारण जिले के गंडामन प्राथमिक विद्यालय में विषाक्त मध्याहन् भोजन खाने से 23 बच्चों की मृत्यु हो गई। वर्ष 2016 में गंगा में आयी बाढ़ के कारण 3 मध्य विद्यालय पानी के तेजधार में विलुप्त हो गये।

स्त्रोत–मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम, कार्यक्रम क्रियान्वयन दस्तावेज, 2017

तकनीक से युक्त होना चाहिए या जो विद्यायल भवन पहले से निर्मित है उनमे भूकंपरोधी तकनीक के अधीन सुधार लाया जाना चाहिए।

भारतीय संदर्भ में विद्यालय सुरक्षा के क्षेत्र में दो घटनाएँ – तमिलनाडू के कुंभलकोलम के विद्यायल में लगी आग जिसमें 300 से ज्यादा बच्चो की मौत हुई तथा गुजरात के भुज में आई भूकंप, जो झंडोत्तोलन के समय आया, में भी काफी बच्चे हताहत हुये थे, अति महत्वपूर्ण हैं।

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपदा प्रबंधन विभाग, राज्य एवं जिला आपदा प्राधिकरण, शिक्षा विभाग तथा जिलाधिकारी स्तर से किये गये प्रयासों की वजह से सभी जिलों में स्कूलों के शिक्षक तथा छात्र–छात्राएँ, मॉकड्रिल के माध्यम से भूकम्प तथा आग से बचने के विभिन्न तरीकों से परिचित हो चूके है। अब आवश्यकता है कि इन प्रयासों की निरंतता बनाये रखा जाय ताकि वे भविष्य में स्वयं की सुरक्षा तो कर ही सके साथ में समाज को भी लाभ मिल सके। आपदा में बच्चे सबसे ज्यादा कष्ट झेलते है। ऐसी स्थिति में सुरक्षित वातावरण बनाने हेतु स्कूल सुरक्षा को जिला आपदा प्रबंधन योजना का मुख्य अंग बनाया गया है।

स्कूल हमारे समाज निर्माण का अभिन्न हिस्सा है अतः शिक्षा विभाग को भी इन तैयारियों में जोड़ने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। स्कूल सुरक्षा को हम निम्नलिखित छः चरणों में हासिल कर सकते है–

पूर्व तैयारी :

1. स्कूली स्तर की खतरे एवं संवेदनशीलता के संबंध में जागरूकता बढ़ाते हुए स्कूल से जुड़े शिक्षकों, छात्रों, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों के बीच इसका रेखांकन करना।
2. खतरों और कमजोरियों, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक ढाँचे, अंदर की क्षमता और भूमिकाओं की पहचान, विभिन्न हितधारकों को सुचारू योजना बनाने में मददगार साबित होगी।
3. निकासी योजना, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण स्कूल आपदा प्रबंधन योजना की सफलता सुनिश्चित करेगी।
4. चेतावनी दल, जाकरूकता कार्य दल, निकासी कार्य दल, खोज एवं बचाव कार्य दल, प्राथमिक चिकित्सा कार्य दल, अग्नि सुरक्षा कार्य दल, मनोवैज्ञानिक सहायता कार्य दल, साइट सुरक्षाटास्क फोर्स आदि सहित विभिन्न कार्य दलों का गठन।
5. आपातकालीन प्रबंधन के लिए सभी संसाधन एजेंसियों से संपर्क एवं उनके संबंध में जानकरी प्राप्त करना।
6. आपातकालीन निकास मार्ग, प्रदर्शन और निकासी, बचाव, अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा छात्रों द्वारा प्राप्त कौशल का परीक्षण करने की कार्यकुलशता का मॉक ड्रिल का आयोजन कर छात्र/छात्राओं की समझ को बढ़ाना ।

जागरूकता : पूर्व में किये गये प्रयासों की सफलता को देखते हुए इसे विस्तार कर, भूकंप एवं अग्नि के अलावे, अन्य आपदायें जैसे लू, शीतलहर, सड़क सुरक्षा आदि का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह के कार्यक्रम को चलाये जाने से निम्नलिखित सीख प्राप्त होगें।

1. बच्चों में आपदा पूर्व तैयारी करने की संस्कृति विकसित होना।

2. विद्यालयों के शिक्षक एवं बच्चे अपनी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होना।
3. विद्यालय सुरक्षा विषय से संबंधित मास्टर प्रशिक्षक तैयार होना।
4. सुचना, शैक्षणिक एवं संचार (आई॰ई॰सी॰) सामग्रियों से बच्चों का जागरूक होना।

जिला विद्यायल सुरक्षा योजना –
शिक्षा विभाग, बिहार के अनुसार राज्य में लगभग 80000 सरकारी विद्यालय हैं। जिसमें 95 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं। बच्चों के सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री विद्यायल सुरक्षा योजना के अतंगर्त बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के संयुक्त तत्वाधान में वर्ष 2015 से विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के संदर्भ में मॉकड्रिल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का भी सहयोग लिया गया तथा इसका परिणाम सफल रहा है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जीवन में व्यापकता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य शोध शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् की सहायता से जिला स्तरीय एंव प्रखंड स्तरीय तथा विद्यालय स्तरीय गतिविधियों एवं भूमिकाओं की रूप रेखा तैयार की जायें।

साप्ताहिक कार्यक्रम : आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बिहार द्वारा पारित बहु–आपदा न्यूनीकरण रोडमैप (2015–30) में भी शिक्षा संबंधित विषय के अंतर्गत विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित करने पर विशेष बल दिया गया है। इस रोडमैप को ध्यान में रखते हुए राज्य एवं जिला स्तर के सहयोग से विद्यालय सुरक्षा के विभिन्न गतिविधियों को लागू करने हेतु प्रयत्न किये जायेंगे। इसे प्रत्येक सप्ताह शनिवार या सुविधानुसार किसी अन्य दिन आयोजित किये जा सकते है।

साप्ताहिक कार्यक्रम का उद्देश्य :

- बच्चों को आपदा जोखिम से परिचित कराना ।
- बच्चों को जोखिम न्यूनीकरण की प्रक्रिया में शामिल करना।
- बच्चों को विभिन्न प्रकार के आपदा के कुप्रभाव से बचाना।
- बच्चों का आपदा प्रबंधन कौशल विकास करना।
- आपदा से होने वाली मौतों को कम करना।
- आपदा से होनेवाले नुकसान को पूर्व तैयारियों के माध्यम से कम करना।
- विद्यालयों को सुरक्षित बनाना।
- आपदा से बचाव के तरीकों को समाज तक फैलाना एवं आत्मनिर्भर करना।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्कूलों में 'सुरक्षित शनिवार' कार्यक्रम के आयेाजन हेतु आवश्यकतानुसार निम्न विषयों में से किसी एक का चुनाव कर विवेचना करने का सुझाव दें सकती है–

1. मौसम आधारित आपदाएँ ।
2. सामान्य समय में होनेवाली आपदाएँ/घटनाएँ ।
3. स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ।
4. पोषण संबंधी परेशानियाँ।
5. स्वच्छता संबंधी।
6. बाल सुरक्षा संबंधी।
7. जलवायु परिवर्तन एवं
8. बच्चों की खराब आदतों संबंधी।

पंचायतों के प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के अंर्तगत जिन विद्यालयों में ये कार्यक्रम आयोजित किये गये उन सभी विद्यालय में छात्र–छात्राओं द्वारा सुरक्षा संबंधी प्रदर्शन सफलता पूर्वक किया गया। किन्तु

आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को भी समझा जाये कि विद्यालयों की संख्या, विद्यालयों के प्रकार, इन विद्यलायों में नामांकित बच्चों तथा इनमें कार्यरत शिक्षकों की दृष्टि से आपदाजनित खतरों के लिए यह कितना संवेदनशील है? निम्नाकित तालिकाऐं इन्हीं सारी संवेदनशीलताओं से जुड़ी है।

सहयोगी संस्था : सुरक्षित स्कूल कार्यक्रम के सफलता हेतु निम्नलिखित विभाग, संस्थानों एवं संभाग के सहयोग से सफलता हासिल करना होगा। वे है :–

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद्।
- राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिला शिक्षा परियोजना परिषद्।
- जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)।
- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी।
- स्कूल स्तरीय शिक्षा समिति।

स्कूल प्रत्युत्तर दल का गठन (क्षमतावर्धन) : जैसा कि विदित है, स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अध्यापकों, छात्रों एवं कर्मचारियों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण क्षमता को बढ़ाना, इसलिए सभी स्कूलों से यह अपेक्षा होगी कि वो स्कूल स्तर पर प्रत्युत्तर दल का गठन करेगें ताकि मॉक ड्रिल के माध्यम से उनका क्षमतावर्धन हो। दल निम्नवत होगा–

क्र.सं.	टीम	टीम की बनावट	मुख्य काम
1	**इन्सीडेन्ट कमांडर**	**प्रधानाचार्य**	1. आपदा के दौरान किये जाने वाले राहत व बचाव कार्य सुचारू रूप से कराना। 2. किसी आपदा के बाद यदि राहत व बचाव कार्य के लिए सरकारी या गैर–सरकारी एजेसिंयां स्कूल परिसर में पहुँचती है तो उन्हें सभी आवश्यक सूचना प्रदान करना।
2	**स्कूल आपदा प्रबंधन समिति**	**प्रधानाचार्य / उपप्रधानाचार्य, शिक्षक–2 (1पुरूष,1महिला) स्कूल स्टाफ–2**	1. 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' तैयार करना। 2. समयान्तराल पर 'स्कूल आपदा प्रबंधन योजना' का मूल्यांकन करना तथा उसे अपडेट करना। 3. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर सरकारी संगठनों से मिलाप करना तथा स्कूल में आपदा प्रबंधन व जीवन बचाव संबंधित तकनिकी प्रशिक्षण का आयोजन करना। 4. समय–समय पर आपदा के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी, गैर–सरकारी संगठनों के मदद से स्कूल परिसर में आपदा के विभिन्न पहलूओं पर मॉकड्रिल कराना। 5. आपदा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संगठनों का संपर्क नंबर रिकार्ड में रखना व समयान्तराल पर उसे अपडेट करना।

			6. आपदा से संबंधित प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल में स्कूल के सभी अध्यापकों एवं छात्रों के भागीदारी को सुनिश्चित करना।
3	जागरूकता अभियान दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. आपदा के प्रति छात्रों एवं शिक्षकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना। 2. स्कूल परिसर में आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारी देने के लिए पोस्टर, पम्पलेट, आसान तरीका 'क्या करें–क्या न करें' प्रदर्शित करना। 3. स्कूल में आपदा प्रबंधन से संबंधित लेख/निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।
4	आपातकालीन अलार्म दल	शिक्षक –2, स्कूल स्टॉफ–1	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान विद्यालय परिसर में मौजूद छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को अलार्म के माध्यम से सावधान करना। 2. अलग–अलग घटनाओं के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के अलार्म मुकर्रर किये जा सकते है जो कि छात्रों व अध्यापकों सभी को मालुम हों।
5	निकासी दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान सभी छात्रों को शांतिपूर्वक ढंग से क्लास रूम से बाहर निकालना व एसेम्बली प्वाइंट पर इकट्ठा करना। 2. ऐसेम्बली प्वाइंट में बच्चों की गिनती करना तथा इसकी सूचना 'स्कूल आपदा प्रबंधन समिति' व खोज एवं बचाव दल को देना।
6	खोज व बचाव दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर) इस दल में स्कूल के सीनियर छात्रों के सेक्शन को भी शामिल किया जाये।	एसेम्बली प्वाइंट में इकट्ठा होने के बाद यदि कोई छात्र गुम हो तो तुरंत खोज एवं बचाव के कार्य करना।
7	प्राथमिक उपचार दल	स्कूल डॉक्टर/नर्स 3–4 शिक्षक स्कूल के सीनियर सेक्शन के छात्रों को भी शामिल किया जाये।	1. घायल छात्रों, अध्यापकों या अन्य स्कूल स्टॉफ का प्राथमिक उपचार। 2. स्कूल परिसर में प्राथमिक उपचार किट तैयार रखना।
8	फायर फाईटिंग दल	5–6 शिक्षक (स्कूल में छात्रों व शिक्षकों की संख्या पर निर्भर)	1. स्कूल में उपलब्ध आग बुझाने के बारे में जानकारी रखना।

			2. मुख्य बिजली आपूर्ति 'कट' के बारे में जानकारी होना ताकि शॉट सर्किट की स्थिति में मेन लाईन काटा जा सके। 3. आगजनी के हालात में आग पर काबू पाने का प्रयास करना।
9	**परिवहन प्रबंधन दल**	**स्कूल के वाहन समन्वयक शिक्षक–2, सीनियर सेक्शन के छात्र–2**	1. स्कूल में उपलब्ध सभी गाड़ियों, उनके रूट व आने जाने वाले छात्रों की सूची तैयार रखना। 2. किसी आपातकालीन आपदा के दौरान स्कूल आपदा प्रबंधन समिति को सहयोग करना।
10	**मीडिया प्रबंधन दल**	**उप प्रधानाचार्य या अन्य वरिष्ठ स्कूल स्टॉफ**	1. पत्रकार सम्मेलन से पहले स्कूल आपदा प्रबंधन समिति से किसी भी घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेना। 2. आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय मीडिया के संपर्क में रहना।

औद्योगिक सुरक्षा :

जहाँ उद्योग विकास के लिए जरूरी है, वहीं वह आंतरिक दुर्घटना एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय भी है। आंतरिक दुर्घटना, उस उद्योग में उपयोग की जा रही सामग्री एवं सुरक्षा के अवयवों की अनदेखी के कारण होती है, जबकि उस उद्योग से वायु या जल में उत्सर्जित की जा रही पदार्थ पर्यावरण को दूषित करने का कारण माना जाता है।

सन् 2015 में देश भर में पर्यावरण एवं वन विभाग के मंत्रियों ने बैठक में यह सुनिश्चित करने का निर्णय किया कि एक ओर जहाँ उद्योगों की स्थापना में कोई कठिनाई नहीं हो वही कुछ मानक बना लिए जाये ताकि पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। परिणामस्वरूप यह तय हुआ कि उद्योगों को उसमें व्यवहृत की जाने वाली सामग्री और उसके उत्पादन के आधार पर उत्सर्जन – (वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खतरनाक कचरा एवं उपयोग के उपरांत बेकार हो गये संसाधन) उसको रंग (कलर कोड) के आधार पर चिह्नित किया जाय। इस आशय का पत्र केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली ने अपने 17 मार्च 2016 के पत्र से भी सभी राज्यों का ध्यान आकृष्ट किया है। कलर कोड की विशिष्ट एवं विस्तृत सूची बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में उपलब्ध है। संक्षेप में वो इस प्रकार है :

सारणी– (5.1) प्रदूषण मापने के स्कोर :

क्रम सं॰	प्रदूषण स्कोर	रंग (कलर कोड)	उत्पादन के आधार पर उद्योगों की संख्या
1	60+	लाल (रेड)	60
2	30-59	नारंगी (औरेंज)	83
3	15-29	हरा (ग्रीन)	63
4	15 से कम	सफेद (व्हाईट)	36

श्रोतः पी॰आई॰बी॰–2016

खतरे का आकलन :

इस नगरीय क्षेत्र में कई बड़े, मंझोले एवं छोटे आकार के उद्योग लगे है तथा वे उपरोक्त श्रेणियों में आते है। जिला प्रशासन को इन उद्योगों में प्रदूषण (वायु/जल) को कम करने तथा मानक स्तर पर बनाये रखने हेतु सतत् प्रयास करना होगा। जिले से उद्योगों की सूची मुख्यतया बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना, जिला उद्योग केन्द्र तथा मुख्य कारखाना निरीक्षक, पटना से प्राप्त हैं।

न्यूनीकरण : उद्योग स्थापना की पूर्ण जानकारी हासिल करते हुए एक सुनियोजित ढंग से, उद्योगों के प्रकार, उसकी क्षमता, उत्पादन की प्रक्रिया, उपयोग किये जा रहे उपकरण, खतरे एवं

दुर्घटना के प्रकार

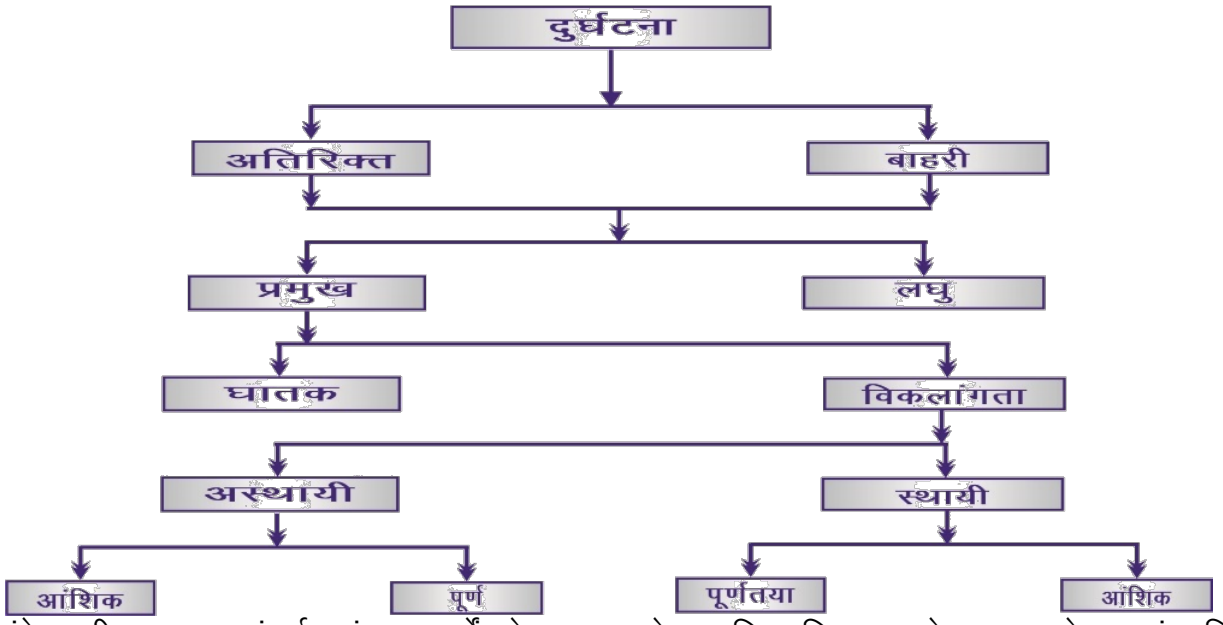

संवेदनशीलता का संपूर्ण आंकड़ा सर्वे के माध्यम से एकत्रित किया जायेगा। इसके उपरांत जिला उद्योग केन्द्र, श्रम संसाधन विभाग, कारखाना निरीक्षक के संयुक्त प्रयास से औद्योगिक दुर्घटना के दोनों हीं आयाम, उद्योग में आग लगने एवं वायु प्रदूषण फैलने वाली घटनाएँ कम की जा सकेंगी। औद्योगिक अग्निकांड में मुख्यतया गलतियाँ ऐसे उद्योग के आंतरिक फिटिंग, उपयोग की जाने वाली मशीनरी का समुचित रख रखाव का अभाव एवं व्यॉलर का समय–समय पर पर्यवेक्षण का अभाव मुख्य कारण बनता है। इसके लिए कारखाना अधिनियम,1948 के सुरक्षा उपायों को लागू करना उचित होगा।

सारणी – (5.2) बिहार शरीफ में चिह्नित खतरनाक उद्योग :

क्र॰ रू	उद्योग का नाम, पता एवं दूरभाष संख्या	उत्पदित वस्तु का नाम एवं प्रकार	फैक्ट्री/ उद्योग का प्रकार	सभांवित खतरा (समुदाय के लिए)	सभांवित खतरा (कार्यरत कर्मी के लिए)
1	2	3	5	6	7
1	नालन्दा अल्यूमीनियम वर्क्स, परवलपुर, नालन्दा।	अल्यूमीनियम सीट	खतरनाक	आग, गैस आदि	आग, गैस आदि
2	मे. महावीर मंडल वर्क्स, चौक बाजार, बिहार शरीफ।	–	खतरनाक	आग	आग एवं अन्य
3	मे. चंचल मेटल वर्क्स	–	खतरनाक	आग	आग एवं अन्य

	सालूगंज, बिहार शरीफ।				
4	मेसर्स संतामणि हैन्डमेड पेपर इंडस्ट्रिज, डोलासोन सराय, बिहार शरीफ।	पेपर उत्पादन	खतरनाक	आग	आग
5	बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन लि., नालन्दा डेयरी प्रोजेक्ट, बिहार शरीफ।	दुग्ध उत्पादन	खतरनाक	अमोनिया गैस लीक	अमोनिया गैस लीक

श्रोतः मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद्,पटना

विभिन्न प्रकार के उद्योगों की सूची :

	कोल्ड स्टोरेज	राईस मिल	हैन्ड मेड पेपर	आयुध/रेल कारखाना	मेटल	दुग्ध शीतक संयंत्र
बिहार शरीफ	48	54	1	—	2	1

श्रोतः जिला उद्योग केन्द्र, बिहार शरीफ

नगर निगम बिहार शरीफ अपने इस नगरीय आपदा प्रबंधन योजना के संवृद्धि हेतु शहर में उद्योग से जुड़ी विभिन्न पहलूओं के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करेगी। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद् को राज्य के सभी जिलों के वायु प्रदूषण के अनुश्रवण का दायित्व सौपा गया है। इस नगर क्षेत्र की जनसंख्या में दशकीय बढ़ोतरी हुई है। साथ हीं विभिन्न प्रकार के कृषि, औद्योगिक गतिविधियों, वाहनों से उत्सर्जन एवं अन्य विकास के कार्य परिवेशी वायु के गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं।

जबकि राज्यों पर वायु के मानक स्तर को बनाये रखने पर जोर है अतः यह आवश्यक हो गया है कि पटना के दो स्टेशनों को छोड़कर अन्य स्थलो पर भी पर्याप्त संख्या में वायु प्रदूषण अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना की जाय। राज्य में पटना के इंदिरा गाँधी विज्ञान कम्पेक्स (प्लेनिटेरियम) में लगातार वायु गुणवत्ता प्रदर्शन हेतु एक केन्द्र जुलाई 2011 में स्थापित किया गया है, जिसे जिला स्तर पर भी ले जाने की आवश्यकता है।

बिहार एनवीस सेन्टर, पटना द्वारा प्रदूषण के विभिन्न स्तरों का मानक मान निर्धारित किया है जो निम्न है–

सारणी – (5.4) प्रदूषण के स्तर का वर्गीकरण :

प्रदूषण का स्तर	**वार्षिक औसत उपस्थिति (सान्द्रण) की सीमा($\mu g/m^3$)**					
	औद्योगिक, आवासीय, ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्र			**पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र**		
	SO_2	**NO_2**	**PM_{10}**	**SO_2**	**NO_2**	**$PM_{,10}$**
निम्न Low (L)	0-25	0-20	0-30	0-10	0-15	0-30
मध्यModerate (M)	26-50	21-40	31-60	11-20	16-30	31-60
उच्चHigh (H)	51-75	41-60	61-90	21-30	31-45	61-90
गंभीरCritical (C)	>75	>60	>90	>30	>45	>90

श्रोतः बिहार एनवीस सेंटर, पटना

अध्याय–21
वार्ड स्तरीय कार्य योजना (वज्रपात एवं आंधी–तूफान)

नालन्दा जिले के शहरी भाग में अवस्थित बहु–मंजिला इमारतों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाईयों पर ताड़ित चालक व लाइटिंग अरेस्टर के अधिष्ठापन के कारण वज्रपात का प्रभाव अत्यंत नगण्य है। परन्तु जिले में वज्रपात की संवेदनशीलता तथा व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वज्रपात व मौसम से संबंधित चेतावनियों को तीव्र रूप से प्रसारित किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा विकसित 'इन्द्रवज्र' मोबाइल ऐप वज्रपात संबंधी पूर्व चेतावनी व संदेशों को समुदाय तक पहुँचाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रहा है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के मौसम के कारण बिहार शरीफ के क्षेत्रों में आंधी–तूफान से क्षति होने की संभावना रहती है। आंधी–तूफान से पेड–पौधों, विद्युत संरचनाओं व भवनों के प्रभावित होने की संभावना अधिक होती है। आंधी–तूफान का प्रभाव नगरीय क्षेत्र में स्लम क्षेत्रों में अधिक पड़ने की संभावना है, इस संबंध में स्थानीय निवासियों को आंधी–तूफान व वज्रपात से होने वाली क्षति के संबंध में जागरूक व संवेदनशील बनाने हेतु जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जा सकता है।

चित्र संख्या–27

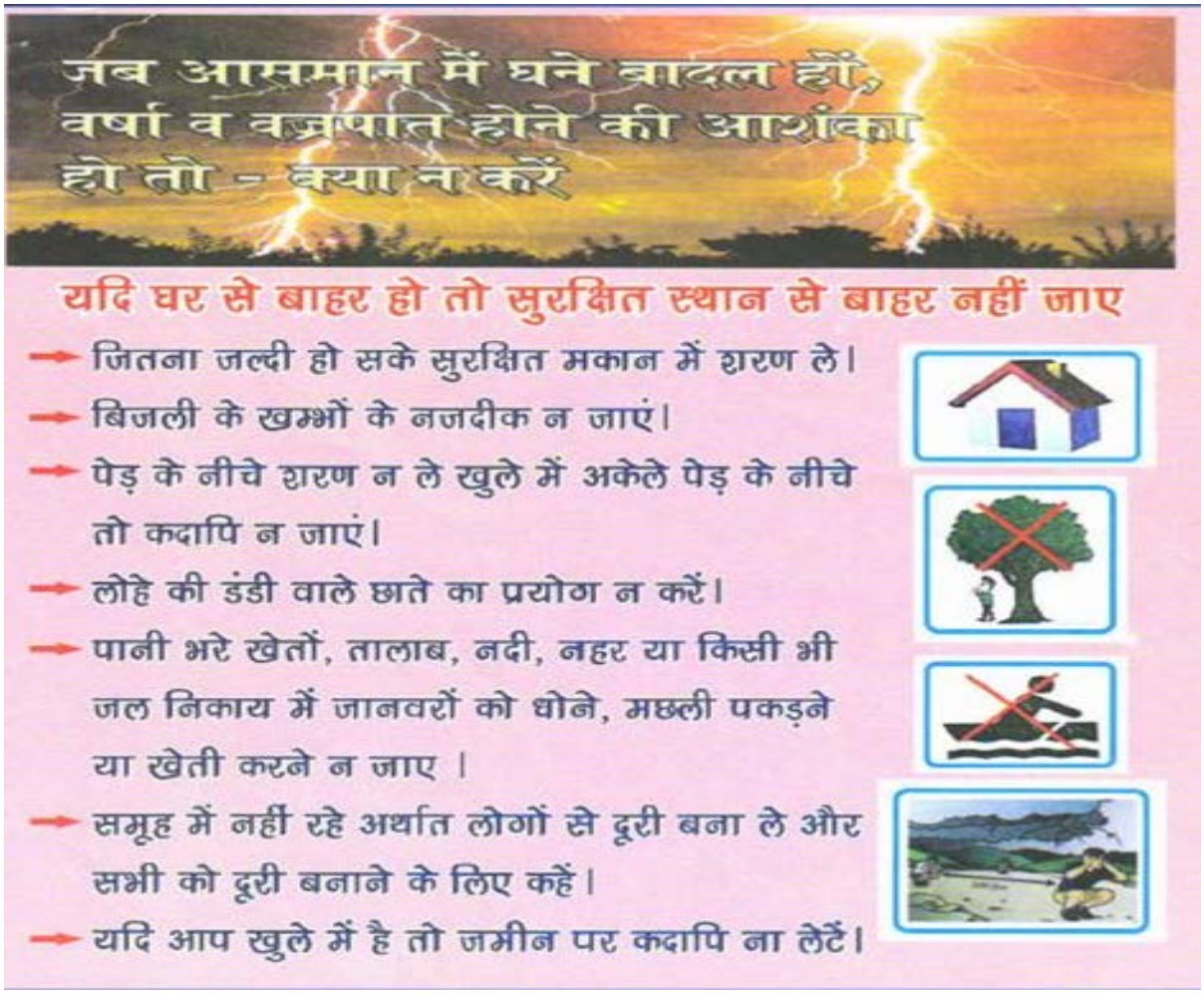

नगर निगम, बिहार शरीफ में अधिष्ठापित ताड़ित चालक व लाइटनिंग अरेस्टर का विवरण (टेबल संख्या–77)

क्र0	होटल/गेस्ट हाउस/रिसॉर्ट/मैरेज हॉल का नाम	विस्तृत पता	वार्ड	ताड़ित चालक	लाईटनिंग अरेस्टर
01	एलिट मैरेज हॉल	मोरातालाव	02	हॉ	नही
02	अरवी पैलेस	–––––	02	हॉ	–––––
03	उषा पैलेस	–––––	02	हॉ	–––––
04	कुन्दन मैरेज हॉल	–––––	02	हॉ	–––––
05	लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स एण्ड उत्सवहॉल	–––––	02	हॉ	–––––
06	राधा कृष्णाहॉल	–––––	02	–––––	हॉ

07	आरना मैरेज हॉल	————	02	हॉ	————
08	पाम गार्डेन	सोहसराय	03	हॉ	हॉ
09	चुन्नी भवन	सोहसराय	03	हॉ	————
10	बृन्दावन मैरेज हॉल	सोहसराय	04	न्ही	हॉ
11	बी2 पैलेस एण्ड बैंक्वेट हॉल	सोहसराय	04	हॉ	नही
12	गंगा मैरेज हॉल शषि कुमार	सोहसराय	04	न्ही	नही
13	होटल मौर्या श्री दिनेष कुमार	सोहसराय	04	हॉ	नही
14	शुभ मैरेज हॉल	————	05	————	————
15	शुभ शगुन मैरेज हॉल	————	05	नही	————
16	राधेकृष्ण वाटिका	————	05	नही	————
17	वैभव मैरेज हॉल	————	05	हॉ	————
18	एरावत पैलेस	————	06	नही	हॉ
19	रामजी मैरेज हॉल	————	06		————
20	आशा मैरेज हॉल	————	06	नही	————
21	मिश्रा मैरेज हॉल	————	08		हॉ
22	नालन्दा गेस्ट हाउस	————	08		————
23	बुद्धा मैरेजहॉल	मोगलकुआँ	09		हॉ
24	ममता मैरेज हॉल	मुशादपुर	10		हॉ
25	अशोक उत्सव हॉल	————	10	हॉ	————
26	श्रृष्टि मैरेज हॉल	————	15		————
27	प्रणव मैरेज हॉल	————	15	हॉ	————
28	जलसा मैरेज हॉल	————	16		————
29	होटल हमराज मैरेज हॉल	अम्बेर	16		————
30	होटल आनन्द पैलेस एण्ड मैरेज हॉल	अम्बेर	16		हॉ
31	सत्यम मैरेज हॉल	————	18		हॉ
32	मिलन मंडप मैरेज हॉल	————	19		हॉ
33	कुशवाहा धर्मषाला	————	19		हॉ
34	अपना मैरेज हॉल	————	20		हॉ
35	महेश मैरेज हॉल	————	20	हॉ	————
36	अंश मैरेज हॉल	————	20	हॉ	————
37	वैष्णवी वैंक्वेट हॉल	मंगलास्थान	21	हॉ	————
38	शुभ लक्ष्मी मैरेज हॉल सत्येन्द्र कुमर	देवीसराय	21		————
39	परिणय उत्सव हॉल	————	————		————
40	होटल मुन लाइट	रामचन्द्रपुरउतरीभाग	22		————
41	होटल सनराईज संजय कुमार वर्मा	रामचन्द्रपुरउतरीभाग	22	हॉ	————
42	होटल अजन्ता अषोक प्रसाद	रामचन्द्रपुरउतरीभाग	22	हॉ	————
43	होटल राज पैलेस	रामचन्द्रपुरउतरीभाग	22	हॉ	————
44	होटल मनिष पैलेस मनिष कुमार	रामचन्द्रपुरउतरीभाग	22		हॉ
45	ऑर्चिड रेस्टोरेन्ट (रिलायंस ट्रेण्डस के उपर)	रामचन्द्रपुरउतरीभाग	22	नही	————
46	शुभ लक्ष्मी मैरेज हॉल	शिवपुरी	22	नही	
47	होटल हरि ओम पैलेस सुवे देवी पति–उपेन्द्र प्रसाद यादव	रामचन्द्रपुर द0 भाग	23	नही	————
48	ऑरियेन्ट फ्युजन रेस्टोरेन्ट	भरावपर	23	नही	————
49	होटल अमुल्या इन	म्सारपुर	23		हॉ

	निषा रानी जौजे–अनुप कुमार				
50	होटल बी0एम0 पैलेस विनोद कुमार वो मनोज कुमार वल्दान–वासुदेव प्रसाद	कांटापर	23		हॉ
51	श्री साई पैलेस राजन वो पिन्टु वल्द– स्व0 केदार प्रसाद	गगनदीवान	23		हॉ
52	श्री कृष्णा पैलेष श्रवण कुमार वल्द– स्व0 कृष्णा प्रसाद	गगनदीवान	23	नही	————
53	दुर्गा मैरेज हॉल	नालारोड	23	हॉ	————
54	चस्का रेस्टुरेन्ट मो0 शहरोज आलम	रांचीरोड	23	हॉ	————
55	एलिट फैमिली रेस्टुरेन्ट	कमरूद्दीनगंज	24	हॉ	————
56	अतिथि फैमीली रेस्टोरेन्ट	रांचीरोडजिलापरिष्ादमार्केट	24	नही	————
57	शीतल छाया	कमरूद्दीनगंज	24	नही	हॉ
58	स्वर्ग उत्सव हॉल	भैसासुर	25	नही	————
59	कुशवाहा धर्मषाला	भैसासुर	25	हॉ	————
60	सुशीला पैलेस	————	26	हॉ	————
61	होटल कमला	अम्बेर	26	हॉ	————
62	होटल गुड़िया	अम्बेर	26		हॉ
63	घुंघट मैरेज हॉल	पटेलनगर	27		————
64	गुरूकृपा मैरेज हॉल	खन्दकपर, देकुलीघाट	27		हॉ
65	राज कॉटेज मैरेज हॉल	किलापर, गढ़पर	27		हॉ
66	आँचल उत्सव हॉल	किलापर, गढ़पर	27		हॉ
67	प्रकाश उत्सव हॉल	नईसराय	28		————
68	ओम उत्सव हॉल	नईसराय	28	नही	————
69	दयाल वाटिका मैरेज हॉल	खन्दकपर	29	नही	————
70	रहमान पैलेस	बैगनावाद	29	नही	————
71	खुषी मैरेज हॉल	खन्दकपर	29	नही	————
72	बैंक्वेट हॉल	खन्दकपर	29	हॉ	————
73	स्वंवर मैरेज हॉल	खन्दकपर	29	हॉ	————
74	रॉयल पैलेस	बरादरी	29	हॉ	————
75	होटल वाटिका	खन्दकपर	29		हॉ
76	गुलशन होटल	खन्दकपर	29		हॉ
77	बिटुज रेस्टुरेन्ट सुधा देवी जौजे–विनोद कुमार	खन्दकपर	30	नही	————
78	साईनाथ उत्सव हॉल	खन्दकपर	30	नही	————
79	होटल कुष्णा बसन्ती देवी जौजे–सिद्धेश्वर प्रसाद	खन्दकपर	31	नही	————
80	होटल अम्बर रेस्ट हाउस मुमताज हसन वल्द–मंजुर हसन	खन्दकपर	31	नही	————
81	होटल मंगलम शिवेक रंजन वल्द–राजीव रंजन	खन्दकपर	31	हॉ	————
82	होटल कान्हा आशा देवी जौजे धर्मेन्द्र कुमार	खन्दकपर	31	हॉ	————
83	हबीबा खातुन जौजे–आविद हुसैन	खन्दकपर	31	हॉ	————

84	सगर रेसिडेन्सी ठाकुर मानबोत्तम वलवंत सिंह वल्द–श्री राम प्रसाद सिंह	खन्दकपर	31		हॉ
85	परिणय उत्सव हॉल शकुन्तला देवी जौजे–कौषलेन्द्र कुमार	खन्दकपर	31		हॉ
86	कुशवाहा सामुदायिक भवन	म्हलपर	33		हॉ
87	जैन मुदिर धर्मषाला	चौखण्डीपर	34		हॉ
88	सावित्री पैलेस	आलमगंज	36	हॉ	–––––
89	म्युर पैलेस	आलमगंज	36	हॉ	–––––
90	महताव पैलेस	आलमगंज	36	नही	–––––
91	कलावती पैलेस	कमरूद्दीनगंज	36	नही	–––––
92	अमीन कम्पलेक्स	भुषट्टा	36	नही	–––––
93	नालन्दा मिष्ठान भण्डार	पुलपर	36	हॉ	–––––
94	सगुन पैलेस	आलमगंज	36	हॉ	
95	एशिया होटल	मुरारपुर	37	हॉ	–––––
96	अलिशा पैलेस	–––––	41	हॉ	–––––
97	लब्ली मैरेज हॉल	–––––	42	हॉ	–––––
98	नालन्दा मैरेज हॉल,	मनिबाबा अखाड़ारोड	43		नही
99	राधा कृष्णा उत्सव हॉल श्री शिवेन्द्र कुमार एच0यु0एफ0	कारगिलचौक के पास	44		नही
100	उत्सव हॉल मेहरपर	बैंककॉलोनी के पास	44		नही
101	शिवधारी मैरेज हॉल	–––––	44		नही
102	खाना खजाना होटल	चोराबगीचाचौड़ाहा सेदक्षिण	44	हॉ	–––––
103	म्हादेव मैरेज हॉल	अखाड़ापरअलीनगर	46	हॉ	–––––
104	शिवगुरू मैरेज हॉल	अलीनगर	46	हॉ	–––––
105	शुभम मैरेज हॉल	–––––	47	हॉ	
106	छरवार पैलेस	–––––	47		नही
107	शीतला मैरेज हॉल	–––––	48		नही
108	राम कृष्णा पैलेस	सिपाह	49		नही
109	विनायक पैलेस	सिपाह	49		नही
110	मद्रास पैलेस	चोराबगीचा	49		हॉ

अध्याय–22
संचार योजना

22.1 बिहार शरीफ के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदाधिकारियों, अभियंताओं, कर्मियों का सम्पर्क विवरण (टेबल संख्या–78)

क्र॰	पदाधिकारियों के पदनाम	मोबाईल
1	श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, नालन्दा।	9473191214
2	श्री अशोक मिश्रा, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, नालन्दा।	9431822972
3	श्री वैभव श्रीवास्तव, भा0प्र0से0, उप विकास आयुक्त, नालन्दा।	9431818350
4	श्री तरणजोत सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ।	9798514959
5	श्री मंजीत कुमार, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, नालन्दा।	9473191215
6	डॉ0 अविनाश कुमार सिंह, सिविल सर्जन, नालन्दा	9470003507
7	श्री नवीन कुमार पाण्डेय, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालन्दा।	7004508970
8	सुश्री उपासना सिंह, बि0प्र0से0, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, नालन्दा	8800512371
9	अभिषेक कपासिया, भा0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ।	9473191216
10	श्री सुधीर कुमार, बि0प्र0से0, अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा।	9473191218
11	सुश्री अनिता सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर।	9473191217
12	श्री रवि कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, नालन्दा	6202751139
13	श्री विकास कुमार, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा	8544412963
14	श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, नालन्दा	8544426127
15	श्रीमती रीना कुमारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, नालन्दा	9431005021
16	श्री सत्येन्द्र कुमार वर्मा, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहार शरीफ।	8637831408
17	श्रीमती गायत्री कुमारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, नालन्दा	7091898883
18	श्री राजीव रंजन, जिला समन्वयक लोहिया स्वच्छ, बिहार अभियान, नालन्दा।	9608989825
19	श्री प्रभात कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार शरीफ।	8544412356
20	श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा।	9430440070
21	श्री अर्जुन सिंह, जिला योजना पदाधिकारी, नालन्दा।	9939195527
22	श्री सुशील कुमार सिन्हा, जिला कल्याण पदाधिकारी, नालन्दा।	9631196858
23	श्री विशेश्वर प्रसाद, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा।	7320923248
24	श्री उमाशंकर भगत, जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका, नालन्दा।	9771478619
25	श्री नवीन कुमार सिंह, जिला अग्निशाम पदाधिकारी, नालन्दा।	9065790860

26	श्री अरविन्द कुमार सिंह, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, नालन्दा।	9470033534
27	श्री केशव प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा।	8544411662
28	श्री शैलेन्द्र कुमार चौधरी, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण पदाधिकारी, नालन्दा।	9304536541
29	मो0 हदीश, कारखाना निरीक्षक, बिहार शरीफ, नालन्दा।	9431236005
30	श्री ज्ञानेन्द्र शेखर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, नालन्दा	9473191889
31	श्री अजीत कुमार, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, नालन्दा।	7587165655
32	श्री सुनील कुमार ठाकुर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा।	9334334755
33	श्री रविन्द्र कुमार, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, नालन्दा	9430209883
34	श्री संजय कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा।	9431818731
35	श्री अभय कुमार गौरव, जिला उद्यान पदाधिकारी, नालन्दा	9431818937
36	श्री विनय रंजन, नगर प्रबंधक, नगर निगम, बिहार शरीफ।	6202589552
37	श्री शैलेन्द्र कुमार, राजस्व पदाधिकारी, नगर निगम, बिहार शरीफ।	9097263619
38	श्री अनिल पासवान, सहायक राजस्व पदाधिकारी, नगर निगम, बिहार शरीफ।	9939236970
39	श्री परमानन्द प्रसाद, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम, बिहार शरीफ।	9431477681
40	श्री सतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर, नालन्दा।	9798650884
41	श्री विकास कुमार, कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, बिहार शरीफ	9262699607
42	श्री बिरेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, बिहार शरीफ नगर निगम। (बुडको)	9431621940
43	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार शरीफ	8544428565
44	श्री अजय कुमार वर्मा, कार्यपालक अभियंता, नालन्दा भवन प्रमंडल, बिहार शरीफ	9572148603
45	श्री नवल किशोर प्रडित, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बिहार शरीफ।	9470001280
46	श्री सुधीर कुमार, कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियं0 एवं जल निस्स0 प्रमंडल, बिहार शरीफ।	7463889571
47	श्री पंकज कुमार, कार्यपालक अभियंता, स्था0क्षे0अभि0सं0, कार्य प्रमंडल–01 बिहार शरीफ	8292212502
48	श्री राजेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता, लघु सिचाईं प्रमंडल, नालन्दा।	9199424770
49	श्री विजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ –2, बिहार शरीफ	9470001311
50	श्री मो0 कमर हासमी, वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, कार्य प्रमंडल, पटना/नालन्दा।	7903002191
51	श्री रजनीश रमन, उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, राजगीर (B.S.R.D.C.)	9431005704
52	श्री धर्मेन्द्र पंडित, अंचल अधिकारी, बिहार शरीफ।	8544412691

53	श्री रंजीत कुमार, अंचल अधिकारी, रहुई।	8544412695
54	श्री रौशन रंजन, राजस्व पदाधिकारी, बिहार शरीफ अंचल।	7004561626
55	सुश्री अनामिका सिंह, राजस्व पदाधिकारी, रहुई अंचल।	9399169483
56	श्रीमती रंजना सिंह, बा0वि0परि0पदा0, बिहार शरीफ सदर शहरी	9431005101
57	श्रीमती शिखा कुमारी सिंह, बा0वि0परि0पदा0, रहुई	9431005091

नगर निगम के अभियंताओं व कर्मियों का सम्पर्क विवरण

क्र0 सं0	कार्यालय कर्मी का नाम	पदनाम	मोबाइल
1	श्री दीपक कुमार	कनीय अभियंता	8936800708
2	श्री धिरेन्द्र कुमार	कनीय अभियंता	9939284676
3	श्री किशोर कुणाल	अमीन कुमार	9955548165
4	श्री अमरेश राज	कार्यापालक सहायक	9304589157
5	श्री गौतम कुमार	कार्यापालक सहायक	6201772658
6	श्री नवनीत कुमार	कार्यापालक सहायक	8083631460
7	श्री प्रवीण कुमार	कार्यापालक सहायक	9386510169
8	श्री अमर कुमार	कार्यापालक सहायक	9693880484
9	श्री अरूण कुमार	सहायक	9525758904
10	मो ईरफान अशरफ	दैनिक ऑफिस मोहर्रिर	7079543916
11	मो ईमरान हमिदी खान	कोषपाल	7488463888
12	श्री अंकुश कुमार	एकाउटेण्ट	7549908086
13	श्री नीरज कुमार	सहायक	6207052308
14	मो तनवीर आलम	सहायक	9905297466
15	श्री शैलेन्द्र कुमार	राजस्व पदाधिकारी	9097263619
16	श्री अनील रविदास	सहायक राजस्व पदाधिकारी	9939236970
17	श्री परमानन्द प्रसाद	विद्युत पर्यवेक्षक	9934845513
18	नसीम उद्दीन	लाईट पियून	9931915602
19	श्री राजु रविदास	आदेश पाल	8709366820
20	श्री नीरज कुमार	आदेश पाल	8709340558

21	मो बसीम उद्दीन	आदेश पाल	9608372099
22	श्री धर्मेन्द्र रविदास	पियून	
23	श्री अनील कुमार	कलेक्शन पियून	
24	श्री संजीव कुमार	दैनिक सहायक	7858974001
25	श्री रंजीत कुमार	अनुबधित सहायक	8227841712
26	श्री अरबिन्द कुमार	दैनिक आदश पाल	9771049112
27	श्री सुबोध कुमार	दैनिक सहायक	7050182564
28	श्री रविन्द्र प्रसाद	अनुबधित सहायक	9905010363
29	श्रीमति निशिकान्ता देवी	दैनिक सहायक	9798293484
30	मो खुर्शिद आलम	दैनिक पियून	9128714295
31	प्रभात कुमार	दैनिक सहायक	6201346625
32	श्रीमति मोना कुमारी	दैनिक सहायक	6200408808
33	श्री देवेन्द्र कुमार	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	7004326161
34	श्रीमति सोनी कुमारी	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	9570497874
35	श्री नन्दन कुमार	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	8409725156
36	श्री मनोज कुमार ठाकुर	अनबधित कम्प्यूटर ऑपरेटर	8521365895
37	श्री कर्ण राज	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	8409893922
38	मो अरिफ खान	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	8935953710
39	श्री सन्नी देव भारती	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	8252571646
40	श्री पंकज कुमार	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	9708060090
41	मो मेराज उद्दीन	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	7903744862
42	श्री रवि रंजन	अभियंता	9304217643
43	श्री सन्नी कुमार	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	7903319481
44	मो वामिक अहमद	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	9525584292
45	मो जीशन शोऐब	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	7870692539
46	श्रीमति शिल्पा कुमारी	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	7004709130

47	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार केशव	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	9905752684
48	श्रीमति पुजा कुमारी	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	8114529524
49	श्री नागेन्द्र कुमार सत्यपाल	कनीय अभियंता यांत्रीक	8862893015
48	श्री संजीव कुमार	दैनिक पियून	9905444707

22.2 जनप्रतिनिधियों का सम्पर्क विवरण (बिहार शरीफ)

श्रीमति अनीता देवी, आवास
महापौर, बिहार शरीफ नगर निगम।
मुहल्ला–डॉ0 कॉलोनी,(निलकंठेश्वर मंदिर के पास)
पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–बिहार, जिला–नालन्दा।
पिन कोड–803101
मोबाईल नं0–8809554340,879727850

आईशा शाहीन, आवास
उप महापौर, बिहार शरीफ नगर निगम।
मुहल्ला–भैंसासुर, टेलीफोन एक्सचेंज के पास
पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार, जिला–नालन्दा।
पिन कोड–803101 मोबाईल न0–700489480

सशक्त स्थायी समिति के सदस्य

श्रीमति शुजाता देवी
सशक्त स्थायी समिति सदस्य–सह–वार्ड पार्षद वार्ड सं0–03
बिहार शरीफ नगर निगम।
आवास– मोहल्ला–बीच बाजार, सोहसराय, थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा।
पिन कोड–803118 मोबाईल नं0–7004653705, 6287233635

श्रीमति अंबिका सोनी
सशक्त स्थायी समिति सदस्य–सह–वार्ड पार्षद वार्ड सं0–16
बिहार शरीफ नगर निगम, नालन्दा।
आवास– मोहल्ला–अम्बेर, रहुई रोड पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार जिला–नालन्दा।
पिन कोड–803101 मोबाईल नं0–8210910122

श्रीमति कुमारी रेणु मेहता
सशक्त स्थायी समिति सदस्य–सह–वार्ड पार्षद वार्ड सं0–18
बिहार शरीफ नगर निगम, नालन्दा।
आवास– मोहल्ला–सिंगारहाट, थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय, जिला–नालन्दा।
पिन कोड–803118 मोबाईल नं0–9334472812, 7004772692

श्रीमति हेमन्ती देवी
सशक्त स्थायी समिति सदस्य–सह–वार्ड पार्षद वार्ड सं0–27
बिहार शरीफ नगर निगम, नालन्दा।
आवास–मोहल्ला–गढ़पर, पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार, जिला–नालन्दा।
पिन कोड–803101 मोबाईल नं0–7061081846

श्रीमति सुषमा राय
सशक्त स्थायी समिति सदस्य–सह–वार्ड पार्षद वार्ड सं0–29
बिहार शरीफ नगर निगम, नालन्दा।
आवास– मोहल्ला–अजीजघाट, पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार, जिला–नालन्दा।
पिन कोड–803101 मोबाईल नं0–9576878762

आरफा खातुन
सशक्त स्थायी समिति सदस्य–सह–वार्ड पार्षद वार्ड सं0–45
बिहार शरीफ नगर निगम, नालन्दा।
आवास–मोहल्ला–बड़ीदरगाह, पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार,जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101 मोबाईल नं0–9801323373, 9931592660

श्रीमति सविता देवी
सशक्त स्थायी समिति सदस्य–सह–वार्ड पार्षद वार्ड सं0–47
बिहार शरीफ नगर निगम, नालन्दा।
आवास–मोहल्ला–मघड़ा सराय, पोस्ट–मघड़ा, थाना–दीपनगर, जिला–नालन्दा।
पिन कोड–803216 मोबाईल नं0–7979972148, 9142542249

बिहार शरीफ के वार्ड पार्षद की सूची (टेबल संख्या–79)

वार्ड संख्या	पार्षद का नाम	टावास	मोबाईल नम्बर
1	श्रीमति वीणा कुमारी	मोहल्ला–सोहडीह, बिहार शरीफ, थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	7484862510
2	श्रीमति आषा कुमारी	मोहल्ला– बबुरबन्ना, बिहार शरीफ, थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	8521826352 9608114244

4	श्रीमति वन्दना गुप्ता	मोहल्ला–करूणाबाग,(देवी स्थान के पास),थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	9835896449
5	श्री विनोद रविदास	मोहल्ला–सलेमपुर, थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	9973570086
6	श्री विवेक कुमार	मोहल्ला–आशानगर(पंडितगली) थाना–सोहसराय,पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	6204012004
7	श्री राज कुमार	मोहल्ला–हबीबपुरा,आशानगर, मोगलकुऑ, थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	8709492565
8	श्री रविन्द्र कुमार	मोहल्ला–बसारबिघा, थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	9334932307
9	अमानुल्लाह	मोहल्ला–खासगंज,बौलीपर थाना–सोहसराय,पोस्ट–सोहसराय जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	6203572740
10	श्री मन्ना यादव	मोहल्ला–टिकुलीपर, थाना–बिहार, पोस्ट–बिहार शरीफ, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9835686930
11	इसमत प्रवीण	मोहल्ला–ईमादपुर, थाना–बिहार, पोस्ट–बिहार शरीफ जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	8335994786 9153175418
12	श्री दिनेष कुमार	मोहल्ला–इमादपुर, थाना–बिहार, पोस्ट–बिहार शरीफ जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9471443946
13	शाहिन अंजुम	मोहल्ला–छज्जु, पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9334662297 9470443666
14	साबरिन खातुन	मोहल्ला–मिरदाद, थाना–बिहार, पोस्ट–बिहार शरीफ, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	7488118150

15	श्रीमति निर्मला सिंहा	मोहल्ला–नईसराय, चौधरी कॉलोनी, थाना–बिहार, पोस्ट–बिहार शरीफ जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	8969368896
17	मो0 खालिद आलम भुट्टो	मोहल्ला–कागजी, थाना–बिहार, पोस्ट–बिहार शरीफ, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9431350219 7903337517
19	श्रीमति पुष्पा देवी	मोहल्ला–छोटी पहाड़ी, मंसुर नगर थाना–सोहसराय, पोस्ट–सोहसराय, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	9431062026 9110027798
20	श्रीमति नेहा शर्मा	मोहल्ला–बड़ीपहाड़ी, थाना–लहेरी, पोस्ट–सोहसराय, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803118	8294871840
21	श्रीमति शोभा देवी	मोहल्ला–देवीसराय, थाना–दीपनगर, पोस्ट–मघड़ा, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803216	8877995544 9973050007
22	श्री सच्चिदानन्द प्रसाद	मोहल्ला–शिवपुरी,रामचन्द्रपूर पोस्ट–बिहार शरीफ,थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9304777564
23	श्रीमति सुनीता देवी	मोहल्ला– सोहनकुआँ,पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9693889965 9334993426
24	ई0 अली अहमद	आवास– ग्रीन लाईफ, भैंसासुर, पोस्ट–बिहार शरीफ, जिला–नालन्दा।	9431006653

		कार्यालय–काशीतकीया–कमरूद्दीनगंज, थाना–लहेरी,पोस्ट–बिहार शरीफ, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	
25	श्रीमति नुतन सविता	मोहल्ला– भैंसासुर (छोटी मस्जिद के पीछे), पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9204446709 9334912115
26	श्रीमति रीना महतो	मोहल्ला–गढ़पर, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9334279643
28	श्री संजय कुमार	मोहल्ला–गौरागढ़, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9308286236
30	श्रीमति सीमा गुप्ता	मोहल्ला–खंदकपर पोस्ट–बिहार शरीफ,थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9934719622 9304421251
31	श्री अंजनी कुमार	मोहल्ला–सकुनतकलॉ, पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	7992369761 9431489944
32	अजीजा खातून	मोहल्ला–बनौलिया (नीम अड़ान), पोस्ट–बिहार शरीफ,थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9308564911 7677830001
33	श्री जितेन्द्र कुमार	मोहल्ला–महलपर, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	8789620799 9304467222
34	श्रीमति आरती	मोहल्ला–कंटाही, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	8850343645 6204597454
35	श्री धनन्जय कुमार उर्फ पप्पु यादव	मोहल्ला–मथुरिया, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	6205851953 9334671973
36	श्री नरेश प्रसाद	मोहल्ला–लहेरी, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	7992331291 9431488086

37	श्री संजय कुमार	मोहल्ला–मुरारपुर,भरावपर पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9431487956 7079945866
38	श्रीमति उषा देवी	मोहल्ला–मथुरिया, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	8544072983
39	आसमा खातुन	मोहल्ला–गगनदीवान, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	7667300430 9661231184
40	सरफराज अहमद	मोहल्ला–कोहनासराय, पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–लहेरी, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	8292386617 9334997314
41	शमीम	मोहल्ला–थवई (शेरपुर), बिहार शरीफ, पोस्ट–बिहार शरीफ थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9931044885
42	श्री चन्दन कुमार	मोहल्ला–सालूगंज (खारीकुऑ), पोस्ट–बिहार शरीफ,थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9304798689
43	मो0 जमील	मोहल्ला–कटरा, पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	7631791281
44	श्रीमति तनुजा देवी	मोहल्ला–मेहरपर,(पहड़पुरा), पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9308696081
46	श्रीमति चिन्तु	मोहल्ला–अलीनगर, पोस्ट–बिहार शरीफ, थाना–बिहार, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803101	9507082277 8603720557
48	श्रीमति बन्टी कुमारी	मोहल्ला–मघड़ा,(मॉ शितला मंदिर के पास), पोस्ट– मघड़ा, थाना–दीपनगर, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803216	7992470736 7033130180
49	श्री सुमन कुशवाहा	मोहल्ला–सिपाह, पोस्ट– राणा विगहा, थाना–दीपनगर, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803216	9334472847

50	श्रीमति माखो देवी	मोहल्ला–विजवनपर, पोस्ट–महानन्दपुर थाना–दीपनगर, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803216	8521536221
51	श्रीमति कविता कुमारी	मोहल्ला–चकदिलावर, पोस्ट–तुंगी थाना–दीपनगर, जिला–नालन्दा। पिन कोड–803216	9608358917 9835682462

22.3 नगर निगम, बिहार शरीफ के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों की सूची व सम्पर्क विवरण (टेबल संख्या–80)

क्रं0	कार्यरत कर्मी का नाम	वाहन का प्रकार	मोबाइल
1	मो0 मुस्तकीम	जे0से0वी0 बैक हॉक	9661164724
2	रूपेश कुमार	जे0से0वी0 रोबोट–1	8102825594
3	सेतोष कुमार	जे0से0वी0 रोबोट–2	8294486743
4	सुजीत कुमार	जे0से0वी0 रोबोट–3	8051668396
5	कपीलदेव प्रसाद	जे0से0वी0 रोबोट–4	6201776078
6	प्रियान्सु कुमार	**LNT PAY LOADER**	7903097181
	ट्रक चालक		
1	नागो विन्द	सुपर सकर	9661083069
2	अजित कुमार सिन्हा	पेल लोडर	8294701731
3	आशिष कुमार वर्मा	पेल लोडर	7367953981
6	दिलिप कुमार	मल जेट	8521496890
	टिपर चालक		
1	सुशील चन्द्र तिवारी	टिपर नं0– 01	9693804020
2	धर्मवीर दास रविदास	टिपर नं0– 02	6201730815
3	सोहन कुमार	टिपर नं0– 03	9006492203
4	प्रदुम कुमार	टिपर नं0– 04	8825375761
5	जितेन्द्र कुमार	टिपर नं0– 05	8757092759
6	राहुल पासवान	टिपर नं0– 06	8102897029
7	धर्मेन्द्र रविदास	टिपर नं0– 07	8809886373
8	राम जनम पासवान	टिपर नं0– 08	9470441782

9	प्रकाश चौधरी	टिपर नं0– 09	8298088031
10	बब्लु कुमार	टिपर नं0– 10	9430968893
11	शिव कुमार दास	टिपर नं0– 11	7033940571
12	संतोष दास	टिपर नं0– 12	6201896737
13	धन्नजय कुमार	टिपर नं0– 13	9973013207
14	छोटे पासवान	टिपर नं0– 14	9693121771
15	धर्मवीर कुमार	टिपर नं0– 15	9155516953
16	बब्लु कुमार	टिपर नं0– 16	9117260380
17	सोनू सिंह	टिपर नं0– 17	6200537118
18	सत्येन्द्र कुमार	टिपर नं0– 18	9661918327
19	उमेश कुमार	टिपर नं0– 20	9135191295
20	सुबोध कुमार	टिपर नं0– 21	8298441914
21	सुजीत कुमार	टिपर नं0– 26	8709114640
		ट्रैक्टर चालक	
1	सुनील कुमार	आयशर 01	9835669084
2	बिरेश दास	आयशर 02	8677962606 7808223744
3	दिनेश कुमार	आयशर 03	9939301131
4	रामाश्रय रविदास	आयशर 05	8757157966
5	पिन्टू कुमार	आयशर 06	8709122873
6	विजय चौहान	आयशर 07	9931165176
7	संजय दास	आयशर 08	9973119513
8	मसुदन दास	आयशर 09	6204012149
9	कारू यादव	आयशर 10	9006469639
10	अजय कुमार	आयशर 11	8789702298
11	सुरज देव	आयशर 12	9128592206
12	राकेश कुमार (ऑपरेटर)	चलन्त शौचालय (01)	9122855604
13	राजा डोम (ऑपरेटर)	चलन्त शौचालय (02)	8235845057
14	कैलाश दास	महिन्द्रा 01	9102050935
15	दिनेश दास	महिन्द्रा 2897	6200714951
16	सुजीत कुमार	टैफे (पानी में)	9507037904

22.4 विभिन्न संसाधनों व उपकरणों के सेवा–प्रदाताओं का सम्पर्क विवरण (टेबल संख्या–81)

नगर वार्डवार महत्वपूर्ण स्थानीय सेवा प्रदाताओं, अस्पतालों एवं अन्य हितभागियों का सम्पर्क विवरण

वार्ड संख्या	नाम/सेवा प्रदाता एजेंसी	सेवा/सुविधा का प्रकार	दूरभाष/मोबाइल नम्बर
01	निर्मल गंगाजल वाटर सप्लायर	पेयजल की सुविधा	9525323010
	पंकज कुमार	टेंट	6201192431
	मो0 अरमान	हार्डवेयर	8229025455
	टुनटुन प्रसाद	पम्पसेट–पानी निकासी हेतु	6203500586
02	अर्जुन	किराना दुकान	7856849674
	सन्टू	किराना दुकान	9934691897
	कुमार मेडिकल हॉल–	दवा दुकान	9279079244
	संत मेडिकल हॉल	दवा दुकान	9905998249
	आजाद मिल–	पशु आहार	9234402249
	रिंकी आर0ओ0	पेयजल आपूर्ति	9262562649
	कारू मिस्त्री	मिस्त्री	9693717339
	चौधरी टेन्ट हाउस	टेन्ट हाउस	8789781175
	अरविन्द टेन्ट निराला टेन्ट हाउस	टेन्ट हाउस	6205627352
	साधना टेन्ट हाउस–	टेन्ट हाउस	9334620139
	महात्मा हार्डवेयर	हार्डवेयर	9835081962
	मन्टु साव मिल	टिम्बर	9835045520
03	श्रीचन्द किराना	किराना	8051410333
	दीपक कुमार बिचली अड्डान किराना	किराना	7903055793
	गौरीर मेडिकल दुकान	दवा दुकान	7645940228
	सुषमा मेडिकल	दवा दुकान	9279358801
	भारत मेडिकल हॉल	दवा दुकान	9905293286
	सुरभी मेडिकल हॉल	दवा दुकान	8651341797
	अल–मिजन मेडिकल हॉल	दवा दुकान	8102182038
	डॉ0 अरूण कुमार	अस्पताल	7563978236
	वाटर प्लान्ट– ए0 एफ0 डब्लू0 दुकान	पेयजल आपूति	9122536397
	अरविन्द मिस्त्री	राज मिस्त्री	9135087801
	राजु टेन्ट हाउस एवं पंडाल	टेन्ट हाउस	7654367392
	रामप्रवेष प्रसाद राज मिस्त्री	राज मिस्त्री	8404911939
	पालम गार्डेन	विवाह भवन	9708076544
	चुन्नी भवन	विवाह भवन	9386151263
	उमेश कुमार, प्रभारी, राम चरण,मध्य विद्यालय, सोहसराय	शरणालय	7903227293
	डा0 मनीष कुमार, मनीष क्लीनिक अस्पताल,	अस्पताल	9709456019
	डा0 रवि कुमार, सागर डेंटल अस्पताल	अस्पताल	8210296836
	अवधेश प्रसाद	किराना दुकान	9208542122

04	स्तोष कुमार	किराना दुकान	9931744357
	अनिल कुमार	किराना दुकान	9525324446
	संजय	किराना दुकान	7352880695
	अरूण कुमार	किराना दुकान	9835014023
	स्तोष कुमार	किराना दुकान	9162823973
	मुन्ना गुप्ता	किराना दुकान	7970881941
	जय प्रकाश	किराना दुकान	9334835491
	सरोज मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	6112232840
	न्यू गुजल मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	7992301722
	डजाला मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	9431687814
	आनंद मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	8936831985
	महेश मेडिकल हॉल	मेडिकल हॉल	9122566488
	नील जल	पेयजल	7762867299
	हिम जल	पेयजल	8935863989
	सम्भू पासवान	टिंबर शाप	9835768524
	ऋषि टेंट हाउस	टेंट हाउस	9835699300
	रजनीश टेंट हाउस	टेंट हाउस	7762866232
	सूरज टेंट हाउस	टेंट हाउस	9304860021
	न्यू बाम्बे हार्डवेयर	निमार्ण सामग्री	8825121480
	कामता हार्डवेयर	निमार्ण सामग्री	9608069737
	श्रीराम हार्डवेयर	निमार्ण सामग्री	8409600000
	शर्मा इंजीनियरिंग वर्कशाप	वेल्डिंग शाप	7677240067
	वृंदावन मैरेज हाल	निजी विवाह भवन	8271416835
	बी–02 पैलेस एण्ड वैंकवेट हाल	निजी विवाह भवन	9931151157
	गंगा मैरेज हॉल	निजी विवाह भवन	7909028429
05	डॉ0 अशोक कुमार, किसान कॉलेज सोहसराय बिहार शरीफ	शरणालय	8292498214
	धर्मशीला कुमार, प्रयाग लाल साहु उच्च विद्यालय	सरकारी कार्यालय	8298442266
	राजीव रंजन सिन्हा, मध्य विद्यालय सलेमपुर बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	8210340289
	श्रीकान्त प्रसाद, कन्या मध्य विद्यालय सलेमपुर बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	9835018757
	विनोद कुमार, उत्यक्रमित मध्य विद्यालय तलाव पर सोहसराय बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	9708367112
	डॉ0 संजीत कुमार, के0 एस0 टी0 कॉलेज सोहसराय बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	8789458155
	ओम प्रकास रविदास, सलेमपुर रविदास टोला सोहसराय	सामुदायिक भवन	8051509271
	दिनेश पासवान, सलेमपुर खदापर कुआं सोहसराय,	सामुदायिक भवन	7209741305
	प्रसुन कुमार अकेला, पी0 एल0 साहु सोहसराय बिहार शरीफ	सरकारी विद्यालय	7992242581

	पवन कुमार यादव सुरज कुमार, शुभ मैरेज हॉल 17 नं0 सोहसराय	विवाह भवन	7678518060
	धर्मेन्द्र कुमार, शुभ शगुन मैरेज हॉल 17 नं0 सोहसराय	विवाह भवन	8936078442
	चन्द्रमौली प्रसाद, राधे कृष्ण बाटीका 17 नं0	विवाह भवन	9006344509
06	अर्चना कुमारी, कन्या मध्य विद्यालय पंडित गली	स्कूल	7061194202
	मनोज कुमार, उत्क्रमित मध्य विद्यालय तालाबपर	स्कूल	8252484964
	सारजदा वानो, कन्या मध्य विद्यालय तलाबपर	स्कूल	7004583491
	डॉ कुमार गौरव, अंजू हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9931283014
	डॉ कुमार गौरव, अंजू मेडिकल हॉल	प्राईवेट अस्पताल	8210316192
	श्रवण, अंजु मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	8210316192
	रविन्द्र कुमार, गंगोत्री पेय जल	पेयजल	9334932370
	महावीर साव	राज मिस्त्री	7258905765
	विनोद सिंह	मजदूर	6201020955
	भरत साव	राज मिस्त्री	8809840148
	छोटू पासवान	राज मिस्त्री	7859008575
	जवाहर पासवान	मजदूर	7371863001
	विजय पासवान	मजदूर	9135135028
	धर्मेन्द्र कुमार	मिस्त्री	6204477446
	शक्ति, उपकार टेन्ट हाउस	टेन्ट हाउस	9113110062
	सूरज, एस. के. इण्डस्ट्री गेट ग्रीन चैनल	ग्रील निर्माता	6207988720
	संतोष, मेहता इन्जिनियरिंग	ग्रील निर्माता	6206696263
	सुधीर,	ट्रैक्टर	9835227989
	रिंकु	निजी विवाह भवन	9700495084
	सुरेश कुमार	निजी विवाह भवन	9931294179
	सुधीर	निजी विवाह भवन	9831299439
	धर्मशीला कुमारी, प्राथमिक विद्यालय हविवपुरा	स्कूल	9123433601
07	धर्मशीला कुमारी, उर्दू मध्य विद्यालय मदरसा आषानगर	स्कूल	8294667116
	मो0 फैजान अमिरी, उर्दू कन्या प्राथमिक विद्यालय	स्कूल	9771739271
	धर्मशीला कुमारी, कन्या प्राथमिक विद्यालय हविवपुरा	स्कूल	7541945814
	मजरूहल हक, उर्दू प्राथमिक विद्यालय वसार विगहा	स्कूल	9199300927
	सुरेन्द्र रविदास	राजमिस्त्री	7549594265
08	सुरेश रविदास	राजमिस्त्री	9835078809
	जयपाल मिस्त्री	ग्रील निर्माता	9576971095
	तारा कुमारी, प्रथामिक विद्यालय जलालपुर	स्कूल	8709462424

	मुन्ना साव	किराना दुकानदार	9304210330
	जगत प्रसाद कुमार	दवा दुकानदार	9608936808
	सुरेन्द्र प्रसाद	पेयजल	9905061596
	उमेष प्रसाद	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9709768326
	दयानन्द चौधरी	राज मिस्त्री	7762866231
	सुधेन्द्रर प्रसाद मिश्रा	टेन्ट	9199844392
	अनिल चौधरी,	ग्रील निर्माता	7368906836
	सुभेन्द्रर प्रसाद मिश्रा, मिश्रा मैरेज हॉल	निजी विवाह भवन	9199844392
	प्रमोद कुमार सिंह, उर्दु प्राथमिक विद्यालय खासगंज	स्कूल	9608272549
09	अंकित राज, उर्दु प्राथमिक विद्यालय खासगंज	स्कूल	7991164404
	मो0 जरीफ आजम, मध्य विद्यालय खासगंज	स्कूल	9060589582
	सवा यासमिन, उर्दु कन्या प्राथमिक विद्यालय, खासगंज	स्कूल	9693701040
	अकेला राही, सामुदायिक भवन, खासगंज वासतल	सामुदायिक भवन	9955539596
	धनन्जय कुमार	सरकारी कार्यालय	9308009006
	डॉ0 अवधेष कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8084833739 06112233433
	मुकेष कुमार, मोती मेमोरियल हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9430254003
	डॉ0 संजय कुमार, आषा हॉस्पिटल ए0 मल्टी स्पेषलिस्ट हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9934499994
	मो0 आदिल,	किराना दुकानदार	8083871317
	गुड्डु कुमार	किराना स्टोर	9798240870
	सोनु कुमार	किराना स्टोर	6203533708
	सुनिल साव	किराना स्टोर	9572488384
	राजेश कुमार	किराना स्टोर	8340376320
	प्रेम कुमार	दवा दुकानदार	7209834278
	नन्दकिशोर मिस्त्री	जलावन लकड़ी	6202969421
	सुनिल मिस्त्री	राज मिस्त्री	6203332525
	दिलीप मिस्त्री	राज मिस्त्री	7970626628
	राजीव कुमार	मजदूर	9905701114
	संतोष कुमार	मजदूर	9263550493
	पप्पु कुमार	मजदूर	7678776025
	पंकज कुमार	मजदूर	6203024905
	रामानन्द	मजदूर	7970516669
	अशोक पंडित	राज मिस्त्री	8294951940
	मो0 शहजादा	टेन्ट हाउस	9835423029
	धनन्जय कुमार	टेन्ट हाउस	9955392224 9572432416
	सतीष कुमार	हार्डवेयर दुकान	8210982738

	मो0 जाफर अबी	ट्रैक्टर	9835648481
	नालन्दा जिला खादी उद्योग	सरकारी कार्यालय	8298972736
10	डॉ विवेकानन्द कुमार, आई केयर	प्राईवेट अस्पताल	9308462602
	डॉ0 उर्मिला सिंह, शिवम हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9934298000
	डॉ0 वीरमणी कुमार, मगध हेल्थ केयर	प्राईवेट अस्पताल	7631197720
	डॉ0 बालमुकुन्द प्रसाद, बसु सर्जिकल हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	8552727760
	संजय कुमार मेहता,	गणमान्य व्यक्ति	7004165485
	रविरंजन कुमार,	गणमान्य व्यक्ति	9304371748
	शंकर प्रसाद	किराना दुकानदार	9835282833
	रंजीत, रंजीत मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9304175834
	संजीव कुमार	जलावन लकड़ी बिक्रेता	7485069791
	मो0 नेमतुलहा	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9835625712
	सुधीर	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9835686932
	गणेश प्रसाद, प्रेम साउंड	टेन्ट	9334098791
	वॉवी	हार्डवेयर दुकान	9934047359
	राकेश चौधरी, श्रीराम स्टील फर्निचर	ग्रील निर्माता	6207289866
	भारत हार्डवेयर	ग्रील निर्माता	9608403654
	रंजीत, ममता मैरेज हॉल	निजी विवाह भवन	6200313315
	अशोक कुमार, अशोक उसत्व हॉल	निजी विवाह भवन	9835864116
	यासमीन जुरहत, उर्दु कन्या प्राथमिक विद्यालय, नवादा पर इमादपुर।	स्कूल	8651086400
	मो0 फजरूल रहमान, नेशनल हाई स्कूल +2 शेखाना खुर्द।	स्कूल	9060858836
	निम्मी शमीम, नेशनल मिडिल स्कुल शेखाना खुर्द ।	स्कूल	9905845252
	वहेरिस्ता वजनेयारा, उर्दु कन्या प्राथमिक विद्यालय बड़ी शेखाना नीम तल।	स्कूल	7488971253
11	ऐहतेशाम अख्तर, उर्दु मध्य विद्यालय इमादपुर नदी पर।	स्कूल	9122949459
	मो0 फैज	मजदुर	9909687015
	मो0 इसराफिल	मजदुर	9135085380
	मो0 सुल्तान रैन	मजदुर	9334696003
	मो0 गुडु खान	मजदुर	9708239694
	मो0 मुजम्मिल	मजदुर	7428854850
	मो0 ऐहरार	मजदुर	7488157009
	मो0 जावेद	मिस्त्री	9007173972
	मो0 चाँद	मिस्त्री	6202243176
	मो0 कल्लु	मजदुर	9006987080
	मो0 फरयाद	टेन्ट हाउस	8709713212
	मो0 मुन्ना	टेन्ट हाउस	8227810270

	प्रवीण कुमार रत्नाकर, मध्य विद्यालय इमादपुर चमरटोली	स्कूल	9263762558
	मो0 ऐहेतेशाम, उर्दू प्राथमिक स्कूल इमादपुर नदी पर।	स्कूल	6299768415
	इकबाल, इकबाल नर्सिंग होम	प्राईवेट अस्पताल	8228950540
	मो0 जावेद	मजदुर	9835365272
12	नदीम जाफर,	समुदायक भवन	9334662297
	प्रमिला, नर्सिंग होम	नर्सिंग होम	9386075018
	अकिल मोदी	किराना दुकानदार	7870702086
	मो0 जावेद अख्तर	किराना दुकानदार	8229855308
13	शिवु, आर्यण दवा दुकान	दवा दुकान	6207883481
	मो0 हसनैन	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	9334879891
	मो0 शफीक खान	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9279597556
	मो0 ऐनी	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9117606448
	मो0 शालकिन मिस्त्री	राज मिस्त्री	7488373115
	मो0 फुल	राज मिस्त्री	8207381001
	मो0 महबुब	राज मिस्त्री	9835503369
	शारूख	राज मिस्त्री	9507905799
	मो0 शकिल	मजदूर	7631836933
	मो0 मुशिव	मजदूर	9798167585
	मो0 शाहिद	मजदूर	6203460314
	मो0 गोल्डन	मजदूर	7857055982
	मो0 सिकन्दर	मजदूर	8210706905
	मो0 मुस्ताफ, भारत टेन्ट	टेन्ट	9693932916
	मो0 मासुम	हार्डवेयर दुकान	8340103584
	मो0 नवाव	ग्रील निर्माता	9939655266
	मो0 शाहजाद	ग्रील निर्माता	9709663271
	मो0 सुफियान	ग्रील निर्माता	9576450745
	तब्सुम प्रवीण, उर्दू प्रथमिक विद्यालय मिरदाद	स्कूल	8340473286
	सुमित्रा कुमारी, प्राथमिक विद्यालय पतुआना	स्कूल	9507667402
	गजाला प्रवीण, उच्च विद्यालय मिरदाद	स्कूल	7978557951
	पप्पु खान, समुदायिक भवन मिल्लत कॉलोनी	स्कूल	7488118150
14	साजिद अंसारी,	किराना दुकानदार	854101531
	शमषाद	राज मिस्त्री	6201517518
	इरफान	राज मिस्त्री	6201517518
	अरमान	राज मिस्त्री	9852604751
	नषीम अंसारी	राज मिस्त्री	7654293945
	सदाम	मजदूर	8252409601
	साजिद	मजदूर	7564858719
	अजेय कुमार, आवसीय केन्द्रीय विद्यालय (भदानी गली।)	निजी स्कूल	9852514058

	दिपेन्द्र कुमार, संत निकेतन अकादमी एवं हाई स्कूल संगत गली	निजी स्कूल	8252666118
	मनीष कुमार, आईडल नॉलेज टेपल स्कूल शेर मंजिल रोड।	निजी स्कूल	9308455986
	अमीत कुमार, किड्स वाटिका चौधरी कॉलोनी	निजी स्कूल	7033265027
15	बालमुकुन्द प्रसाद, लर्निंग लोडेर प्री0 एण्ड प्रायमरी	निजी स्कूल	9319918885
	अभिषेक कुमार, विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल स्टेषन रोड।	निजी स्कूल	9708493366
	डॉ0 प्रदीप प्रसाद, नालन्दा सर्जरी सेन्टर नईसराय चौक	प्राईवेट अस्पताल	9386366765
	डॉ0 अखिलेष कुमार, अर्नव हेल्थ केयर	प्राईवेट अस्पताल	8603550928
	गीता सिन्हा, प्रसव केन्द्र सूर्य कल्याणमयी सस्ंथान द्वारा संचालीत, चौधरी कॉलोनी के गेट पर।	प्राईवेट अस्पताल	9334879954
	प्रदीप क्लिनिक	प्राईवेट अस्पताल	9931917231
	मनोज, मनियाँ किराना नईसराय चौक	किराना दुकानदार	8252389673 7369077170
	शषिभूषण प्रसाद	किराना दुकानदार	9835430945
	कुमुद रंजन	दवा दुकानदार	7004830942
	मार्स	दवा दुकानदार	9304504167
	राज मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9608246359
	रमेष	दवा दुकानदार	9279073607
	अपोष कुमार	राज मिस्त्री	8189153300
	रकु ठिकेदार	राज मिस्त्री	9122390242
	चमरव ठिकेदार	राज मिस्त्री	9835809360
	कुन्दन कुमार	मजदूर	9661498064
	दीपु कुमार	टेन्ट	6205993438
	राजु कुमार	टेन्ट	7903863493
	महेन्द्र कुमार सिंहा	टेन्ट	9334815810
	अंशु	हार्डवेयर दुकान	9304874268
	विजेन्द्र प्रसाद	हार्डवेयर दुकान	8084679910
	अषोक, किसान हार्डवेयर	हार्डवेयर दुकान	9334715121
	रिषी कुमार	विवाह भवन	9431050014
	अनिल	विवाह भवन	9955655774
	सोगरा हाई स्कूल	सरकारी कार्यालय	06112237463
	जिला समाहरणालय	सरकारी कार्यालय	06112235203
	अनुमण्डल बिहार शरीफ कार्यालय	सरकारी कार्यालय	06112235211
	पंकज कुमार झा ,रजिस्ट्री ऑफिस	सरकारी कार्यालय	9110036331
16	बिहार अग्निशाम	सरकारी कार्यालय	06112235230
	मो0 फैज आलम, बिहार गृह रक्षा वाहिनी जिला सगादेष्य कार्यालय	सरकारी कार्यालय	9773191920

	बब्लू, कार्यपालक अभिंयता का कार्यालय बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम	सरकारी कार्यालय	8809733944
	कोषागार कार्यालय जिला	सरकारी कार्यालय	06112225020
	डॉ0 आकाष भट्ट	प्राईवेट अस्पताल	8207826384
	डॉ0 कृष्णा प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9835044533
	डॉ0 संजीव कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8603997836
	संजय कुमार	किराना दुकानदार	7492800456
	पिण्टु कुमार	किराना दुकानदार	7061386234
	गणेष साव	किराना दुकानदार	9135628234
	राजेष कुमार	किराना दुकानदार	7488745022
	मोजहीर	दवा दुकानदार	9939352625
	चन्दन	दवा दुकानदार	9386160085
	शिवजी	दवा दुकानदार	9905126127
	दीपक कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9693132482
	जगत	जलावन लकड़ी बिक्रेता	7762864938
	उपेन्द्र	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9471866561
	अरविन्द कुमार	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9471866561
	दिलीप राजमिस्त्री	राजमिस्त्री	8271702691
	कारू	मजदूरी	7587095681
	सुजीत	मजदूरी	8651647501
	जीतु	मजदूरी	8409054268
	उचित	राजमिस्त्री	7520529391
	पप्पु	राजमिस्त्री	7549789584
	शिशुपाल	राजमिस्त्री	8235843784
	तनिक	राजमिस्त्री	7563912501
	सिकु	म्जदूरी	8434133539
	सुरज	राजमिस्त्री	9835637778
	चुन्नु	मजदूरी	7857878715
	प्रसाद	टेन्ट	8709756650
	शरण	हार्डवेयर दुकान	9122831302
	भूषण जी प्रसाद	ग्रील निर्माता	8340336455
	शम्श हसन	विवाह भवन	6203916944
	श्याम किशोर प्रसाद	विवाह भवन	9835243707
	शिव कुमार	विवाह भवन	8789466148
	डॉ0 राजीव कुमार सिन्हा, जानवर अस्पताल	पशु अस्पताल	7277127100
	शहनाज बानो उर्दू कन्या प्राथमिक विद्यालय, कागजी मोहल्ला	सरकारी स्कूल	9905017777
	प्रदीप कुमार, प्राथमिक विद्यालय विजली ऑफिस	सरकारी स्कूल	9931005230
	चन्द्रशेखर, मध्य विद्यालय कागजी मोहल्ला	सरकारी स्कूल	8210344963
	डॉ मशकुर आलम आमल क्लिनिक	प्राईवेट अस्पताल	06112232020

17	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार दिव्या ज्योति हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	9560834452
	डॉ0 अनीत सिन्हा सुर्या क्लिनिक	प्राईवेट अस्पताल	06112234786
	डॉ0 अभय कुमार सिंह जीवनधारा क्लिनिक	प्राईवेट अस्पताल	9560834452
	डॉ0 सुजीत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8539939770
	डॉ0 बैधनाथ सिंह	प्राईवेट अस्पताल	9835498083
	कैपिटल हॉस्पिटल	प्राईवेट अस्पताल	7061870585
	डॉ0 ब्रजेष कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8603009864
	डॉ0 नागेन्द्र प्रसाद सिंह	प्राईवेट अस्पताल	06112233244
	डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह	प्राईवेट अस्पताल	9470899510
	डॉ0 श्रीमती बैदही	प्राईवेट अस्पताल	9304111260
	डॉ0 राजीब कुमार सिन्हा राजकिय पषु चिकित्सालय	मवेशी अस्पताल	7277127100
	दिनेष प्रसाद राजगीर मेडिकल हॉल पैला पोखर	दवा दुकानदार	9905684440
	मनोज कुमार सिटी मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9835222431
	सिटी मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9334559056
	राजमणि कुमार मणि मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9570953491
	राजीव रंजन जुली मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	7903932010
	अमरनाथ सिंह, कुशवाहा डेयरी फार्म	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8051186730
	मो0 दिलशाद करिम,	पेयजल आपूर्तिकत्ता	9304306207
	गुड्डू शर्मा	जलावन लकड़ी बिक्रेता	7488868504
	मो0 शहबाज	हार्डवेयर दुकान	9047052760
	मो0 अकबर	हार्डवेयर दुकान	9525384428
	रमेश कुमार रंजन	सरकारी कार्यालय	8544428623
	डॉ0 एम0 एस	प्राईवेट अस्पताल	7461918183
	डॉ0यू0 के0	प्राईवेट अस्पताल	7654775386
	डॉ0 ललन कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9905627841
	डॉ0 कुमारी लक्ष्मी	प्राईवेट अस्पताल	7808424877
18	राजीव रंजन कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7903295389
	डॉ0 राजीव रंजन	प्राईवेट अस्पताल	9113792952
	प्रदीप कुमार	किराना दुकानदार	7061277570
	ममता रानी	किराना दुकानदार	9304290886
	बंसी साव	किराना दुकानदार	9905053680
	रामवावु, श्री राम मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9430610496
	विजय, किषोर मेडिकल हॉल	दवा दुकानदार	9835862858
	सुरेन्द्र कुमार	दवा दुकानदार	7004387242
	सुनील कुमार	दवा दुकानदार	9304474066
	विद्यापति	दवा दुकानदार	9934451784
	मुकेष कुमार	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9934459333
	बब्लु कुमार	जलावन लकड़ी बिक्रेता	7979984427
	गौरव षिवम	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	9835835791
	विष्णु	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	9123173243
	विनोद ताँती	राज मिस्त्री	9110102518

	सुरेश प्रसाद	राज मिस्त्री	9308538458
	सुरेन्द्र यावद	टेन्ट	9835015522
	शंकर कुमार	टेन्ट	9905488734
	दिपेष	हार्डवेयर दुकान	7004907204
	पंकज कुमार	ग्रील निर्माता	7903694809
	अर्जुन कुमार	ग्रील निर्माता	9934283305
	दिनेष कुमार	ट्रैक्टर	9934841873
	विजय यादव	ट्रैक्टर	9199979073
	अर्जुन प्रसाद	निजी विवाह भवन	9304557441
	डॉ0 पप्पू कुमार	प्राईवेट अस्पताल	6206680368
	मो0 जमील अख्तर	प्राईवेट अस्पताल	9905468963
	रविरंजन कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9122606628
	डॉ0 मृत्युंजय कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8825312767
	डॉ0 अरूण कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9431419665
19	डॉ0 अरबिन्द कुमार	प्राईवेट अस्पताल	06612–236956
	डॉ0 प्रषांत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9155709326
	डॉ0 अरूण कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9955760759
	डॉ0 अषोक कुमार	प्राईवेट अस्पताल	943103836
	डॉ0ष्याम बिहारी	प्राईवेट अस्पताल	9204149822
	आनन्द प्रसाद	दवा दुकानदार	7870222597
	हिमांषु कुमार	दवा दुकानदार	9835858940
	नागेन्द्र कुमार	दवा दुकानदार	9263865641
	संजय कुमार	दवा दुकानदार	9934627239
	मनोज कुमार	दवा दुकानदार	7903468996
	पप्पू मिस्त्री	जलावन लकड़ी बिक्रेता	8678809325
	जलावन लकड़ी बिक्रेता	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9798350729
	संतोष साव	राज मिस्त्री	7061772084
	राजा राम	मजदूर	7061881839
	प्रकाष कुमार	टेन्ट हाउस	8651896354
	संतोष कुमार	गौरव इंजिनियरिंग ग्रील निर्माता	6209010030
	विनोद कुमार	प्रेम इंजिनियरिंग ग्रील निर्माता	9162962697
	अजय प्रसाद	निजी विवाह भवन	9798281150
	कमलेष प्रसाद	निजी विवाह भवन	9386442809
	मंदीप भारती	सरकारी कार्यालय	9595894795
	जयप्रकाष नारायण	सरकारी कार्यालय	9110176284
	परमानंद कुमार	सरकारी कार्यालय	7033098052
	डा. कृष्णा कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8051861024
	डा0 अभय डा0 चंचला कुमारी	प्राईवेट अस्पताल	7070783048
20	डा0 शषी कपुर	प्राईवेट अस्पताल	7061684248
	डा0 अमरदीप कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7970607037
	डा0 अभय कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8935841459
	संजय कुमार	किराना दुकानदार	8709123169
	महेन्द्र प्रसाद	दवा दुकानदार	9279268617

	कुन्दन कुमार	दवा दुकानदार	7061002026
	सुरज कुमार	प्राईवेट एम्बुलेंस	7808326013
	संजय कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8709123169
	शंभु कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	6207766371
	अजय प्रसाद	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	7488895820
	राकेष कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	9204906091
	राजो कुमार	मिस्त्री	9905299465
	अनुप कुमार	मिस्त्री	7782076468
	मनोज साव	मिस्त्री	8002857927
	अजय साव	मिस्त्री	9334316834
	प्रहलाद कुमार	मिस्त्री	9386502685
	सुजीत कुमार	टेन्ट हाउस	7631552684
	विकाष कुमारं	टेन्ट हाउस	7870774460
	विनोद कुमार मेहता	हार्डवेयर दुकान	9262249473
	उपेन्द्र कुमार	हार्डवेयर दुकान	6202040872
	आकाष वर्मा	मैरिज हॉल	9304036920
	महेष प्रसाद	मैरिज हॉल	9279333827
	अंष मैरिज हॉल	मैरिज हॉल	9801868694
	डॉ कुमारी रेणु	प्राईवेट अस्पताल	9102811544
	डॉ आषुतोष कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9835440947
	रेखा कुमारी	प्राईवेट अस्पताल	7762955135
	डॉ0 धनंनजय	प्राईवेट अस्पताल	7870220246
	डॉ निजित नाथ	प्राईवेट अस्पताल	6299823383
21	डॉ अनिक राज	प्राईवेट अस्पताल	8789221368
	डॉ राहुल कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8405059592
	डॉ राजेंद्र प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9431687634
	डॉ रणधीर भारती	प्राईवेट अस्पताल	9308056408
	डॉ विकाष	प्राईवेट अस्पताल	6206291705
	डॉ नीरज	प्राईवेट अस्पताल	6206291705
	राहुल कुमार	किराना दुकानदार	8709096862
	सुनीत प्रसाद	किराना दुकानदार	9430470105
	सुरज कुमार	किराना दुकानदार	8210415648
	धर्मेन्द्र कुमार	किराना दुकानदार	8210466879
	धर्मेन्द्र कुमार	किराना दुकानदार	8210466879
	सुनील	किराना दुकानदार	7631435040
	बबलू कुमार	किराना दुकानदार	6204279443
	प्रेमचन्द गुप्ता	किराना दुकानदार	9334804013
	अनिरूद्ध प्रसाद	दवा दुकानदार	9308574212
	शंभु कुमार	दवा दुकानदार	9835284584
	नीतिष कुमार	दवा दुकानदार	9204508588
	सुनील कुमार	दवा दुकानदार	9905270840
	सुनील कुमार	दवा दुकानदार	9708325535
	रामदेव प्रसाद	दवा दुकानदार	7462838473
	विनोद कुमार	दवा दुकानदार	9835798708
	मंजु देवी	दवा दुकानदार	7004771385

	हीरा साव लाल	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8877458862
	संजय प्रसाद	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9304074390
	प्रमोद प्रसाद	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	7033821346
	राजेश कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9835287004
	नमिता भारती	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9608441414
	सत्येन्द्र प्रसाद	टेन्ट हॉउस	983562869
	राजेश कुमार	हार्डवेयर दुकान	8210457094
	राकेश कुमार	हार्डवेयर दुकान	9576325724
	दिलीप कुमार	हार्डवेयर दुकान	9006358973
	अनुज कुमार शर्मा	हार्डवेयर दुकान	943106135
	शहजाद	हार्डवेयर दुकान	8102710077
	औवेस आलम	हार्डवेयर दुकान	3895334750
	श्री कुमार	ग्रील निर्माता	9504553945
	संजीव कुमार	निजी विवाह भवन	6204763570
	प्रमोद कुमार	निजी विवाह भवन	9608252898
	शंकर कुमार	सामुदायिक भवन	9163420295
	कुमारी रीना सिन्हा	प्राथमिक विद्यालय	9905239236
	डॉ0 देवदत	प्राईवेट अस्पताल	8252486855
	डॉ0 मृत्युंजय कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7004726476
	डौ0 शैलेन्द्र कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9835284803
22	डॉ0 शम्भुशरण गुप्ता	प्राईवेट अस्पताल	7543850454
	डॉ0 संत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9155929623
	डॉ0 सुजीत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	6205139972
	डॉ0 राजीव रंजन	प्राईवेट अस्पताल	8409865202
	डॉ0 वृजभुषण	प्राईवेट अस्पताल	9801459791
	डॉ0 पी0 के0 सिन्हा	प्राईवेट अस्पताल	9939754543
	डॉ0 प्रशांत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9939754543
	डॉ0 रमेश कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9334810572
	शान्तनु कुमार	दवा दुकान	9304086264
	विद्या सागर	दवा दुकान	9430557381
	उपेन्द्र कुमार वर्मा	दवा दुकान	9939754543
	डॉ0 शैलेन्द्र कुमार	दवा दुकान	9835284803
	अनिल कुमार	दवा दुकान	9572063415
	अशोक पासवान	प्राईवेट एम्बुलेंस	9955875849
	छोटु कुमार	पेयजल आपूर्तिकत्ता	9204612987
	सत्य शिव प्रभाकर	पेयजल आपूर्तिकत्ता	6203960879
	रामानन्द मिस्त्री	राज मिस्त्री	9572839259
	डब्लु कुमार	राज मिस्त्री	9798684233
	जैकी साव	राज मिस्त्री	9835152116
	केषो मिस्त्री	राज मिस्त्री	9031191448
	विवेक कुमार	मजदुर	9142688155
	विनोद कुमार	राज मिस्त्री	7654213011
	वसुदेव मिस्त्री	राज मिस्त्री	9304468001
	अखिलेश मिस्त्री	राज मिस्त्री	8235355787
	टुनटुन मिस्त्री	राज मिस्त्री	9523988028

	दीपु महतो	टेन्ट हाउस	9835427990
	सहदेव प्रसाद	टेन्ट हाउस	9934984943
	नीरज पाण्डे	टेन्ट हाउस	9709625175
	दीपक कुमार	हार्डवेयर दुकान	9835677581
	अजय कुमार	हार्डवेयर दुकान	9204525432
	बब्लु कुमार	हार्डवेयर दुकान	8235190594
	आदर्श पटेल	ग्रील निर्माता	9386109592
	दीपक कुमार	जे0सी00बी0 एवं पानी टैंकर	6200262274
	पुटुस जी	ट्रैक्टर	9204508798
	महेन्द्र जी	ट्रैक्टर	9304199436
	मनोज कुमार	विवाह भवन	9386230910
	शैलेन्द्र कुमार	विवाह भवन	8434047682
	डॉ0 पंकज कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9122126264
	डॉ0 पवन भारती	प्राईवेट अस्पताल	9570382736
	डॉ0 अवधेश प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9835053902
	डॉ0 सियाषरण	प्राईवेट अस्पताल	9835270101
	डॉ रंजना	प्राईवेट अस्पताल	9546442624
23	अविनाश कुमार	किराना दुकान	8294977831
	महेश प्रसाद	किराना दुकान	6202430205
	राजेश कुमार	किराना दुकान	9835094463
	रणजीत कुमार	किराना दुकान	6207414752
	संजय जी	गैस गोदाम	8271346560
	सुनील कुमार	गैस गोदाम	9631731991
	सुभाष शर्मा	दवा दुकान	9386286191
	यदुनन्दन प्रसाद	दवा दुकान	9572057032
	अमीत कुमार	दवा दुकान	9931053829
	विरेष प्रसाद	दवा दुकान	9905959210
	मनोज कुमार	दवा दुकान	9801804962
	नवनीत कुमार	हार्डवेयर दुकान	7488551705
	तरूण कुमार	हार्डवेयर दुकान	9835689723
	राजेश कुमार	हार्डवेयर दुकान	9835416932
	राणा मिस्त्री	ग्रील निर्माता	9060998874
	विजय विश्वकर्मा	ग्रील निर्माता	9934283404
	शेराज	ग्रील निर्माता	7482906399
	रविन्द्र कुमार	जे0सी0बी0	9334254641
	रविन्द्र कुमार	ट्रैक्टर	9334254641
	विणेष्वर यादव	ट्रैक्टर	7479791752
	अर्जुन यावद	ट्रैक्टर	9934048031
	पिक्कु जी	क्रेन	9934974045
	उपेन्द्र यादव	निजी विवाह भवन	9911566307
	विनोद यावद	निजी विवाह भवन	9431687831
	श्रवण कुमार	निजी विवाह भवन	9386488291
	राजन कुमार	निजी विवाह भवन	8709286382
	अनुप कुमार	एल0आई0सी0 ऑफिस	9431493421
	सुनील कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9905661890

	डॉ0 रामानन्द कौशिक	प्राईवेट अस्पताल	9430584287
	डॉ0 ओम	प्राईवेट अस्पताल	8757939182
	रविशंकर प्रसाद	दवा दुकान	9801278066
24	अनील कुमार	दवा दुकान	9431677603
	कुमुद कुमार	दवा दुकान	9708025503
	आनन्द कुमार	हार्डवेयर दुकान	9905018932
	विरेन्द्र कुमार	हार्डवेयर दुकान	9304474507
	श्री राम एग्रो	डीजल पम्पिंग सेट	7903277424
	गोपी सिंह	सरकारी कार्यालय	9905412608
	राहुल कुमार	सरकारी कार्यालय	7903760787
	कारू कुमार	सरकारी कार्यालय	9304545467
	व्यापार मंडल, प्रखण्ड कार्यालय, अंचल कार्यालय बिहार शरीफ	सरकारी कार्यालय	9709680281
	डॉ0 सुरेष प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	06112–232666
25	डॉ0 सुजीत	प्राईवेट अस्पताल	8809013405
	डॉ0 राजीव रंजन	प्राईवेट अस्पताल	9835401092
	डॉ0 रंजन कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9117435386
	डॉ0 अजय कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9835096398
	शैलेन्द्र प्रभाकर	दवा दुकान	9835486921
	दानिश रजा	दवा दुकान	8797282109
	इंण्डिया मेडिकल हॉल	दवा दुकान	9431687716
	रणजीत कुमार	प्राईवेट एम्बुलेंस	9955269955
	धर्मवीर कुमार	प्राईवेट एम्बुलेंस	9570749645
	लाल बाबु	प्राईवेट एम्बुलेंस	9631079400
	संजीव कुमार	प्राईवेट एम्बुलेंस	9905862612
	राजा कुमार	पेयजल आपूर्तिकत्ता	9234926172
	कुलदीप कुमार	राज मिस्त्री	9931649553
	अमरजीत कुमार	राज मिस्त्री	9905966910
	अजय कुमार	राज मिस्त्री	9931607656
	अरमान	ग्रील निर्माता	7903614014
	विनोद कुमार	ग्रील निर्माता	8873419003
	मुन्ना प्रसाद	ग्रील निर्माता	7549268261
	आशुतोष कुमार	निजी विवाह भवन	9835292208
	मनोज कुमार	निजी विवाह भवन	9431687277
	सुनिता सिन्हा	सरकारी कार्यालय	7992389335
	परमेश्वर महतो	सरकारी कार्यालय	9334279643
	प्रियंका सिन्हा	सरकारी कार्यालय	9507365290
	शिवजतन पासवान	सरकारी कार्यालय	8797727530
	विरेन्द्र यादव	सरकारी कार्यालय	9431822167
26	सैयद सहनवाज	सरकारी कार्यालय	7739786535
	दिलीप कुमार	सरकारी कार्यालय	9470701400
	डॉ0 उमेश सिन्हा	प्राईवेट अस्पताल	9470412973
	डॉ0 दिपक प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	7319859988
	पंकज सिंह	प्राईवेट अस्पताल	9934003968
	नीतीश कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9523683994

	डॉ0 लक्ष्मण	प्राईवेट अस्पताल	7781832868
	डॉ0 जितेन्द्र कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9234136246
	डॉ0 विरेन्द्र सिंह	प्राईवेट अस्पताल	06112231055
	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9097352585
	डॉ0 इन्द्रजीत प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	8084021863
	जी मेडिकल स्टोर	दवा दुकान	9572836220
	विनोद प्रसाद	दवा दुकान	9123466098
	राजमेन्द्र कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	7250628111
	किषोरी पासवान	राजमिस्त्री	7462870123
	महेन्द्र पासवान	राजमिस्त्री	9798688919
	साहिल कुमार	राजमिस्त्री	7462870123
	शैलेश पासवान	राजमिस्त्री	6207062335
	रामप्रवेश साव	राजमिस्त्री	8409356725
	रवि कुमार	मजदूर	7562956496
	संजय पासवान	मजदूर	9386672853
	चुन्नु पासवान	राजमिस्त्री	7562956496
	मुन्नु पासवान	राजमिस्त्री	6203973877
	राकेष पासवान	मजदूर	7479736715
	विकी कुमार	मजदूर	7070849979
	विनय पासवान	राजमिस्त्री	7479736715
	शैलेश कुमार	टेन्ट	8409078722
	मो0 सदाब	ग्रील निर्माता	8809139658
	अजीत कुमार	ग्रील निर्माता	9430283617
	कल्लु जी	ग्रील निर्माता	9386999876
	शैलेजानन्द प्रकाश	निजी विवाह भवन	9709707087
	नवल किशोर प्रसाद	निजी विवाह भवन	9737407002
	राणा सिंह	निजी विवाह भवन	7488895208
	संजु कुमार	स्कूल	9534614571
	नितु कुमारी	स्कूल	9939227547
	डॉ0 प्रदीप प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9386366676
	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9771945802
	सुधीर कुमार	पेयजल आपूर्तिकत्ता	9102040655
27	मुकेष कुमार	पेयजल आपूर्तिकत्ता	9934062238
	जयराम प्रसाद	राज मिस्त्री	9065568513
	राजीव कुमार	मजदूर	9308710838
	अगनु कुमार	राज मिस्त्री	8809177436
	अजय कुमार	मजदूर	9835303588
	बुधानी मिस्त्री	राज मिस्त्री	9576126515
	दिलीप कुमार	टेन्ट हाउस	9113496362
	अषोक कुमार	ग्रील निर्माता	7979050947
	राजु कुमार	पेक पोकलेन	7479934786
	ब्रह्मप्रसाद चौधरी	ट्रैक्टर, पोकलेन, जे0बी0सी0एवं पानी टैंकर	9304059932
	नितिन कुमार सिंह	विवाह भवन	7004773754
	पंकज कुमार सिंह	विवाह भवन	9835601258

	सुरेन्द्र कुमार	स्कूल	9934451632
	संजय कुमार	स्कूल	9304256877
	अतहर हुसैन	स्कूल	9304273560
	सिंकु सावैया	सरकारी कार्यालय	9110959154
	डॉ0 देवव्रत	प्राईवेट अस्पताल	9798719148
28	धरमवीर कुमार	मिस्त्री	7667997004
	सुनील राम	मिस्त्री	9570439774
	जुगनू कुमार	मिस्त्री	9608335884
	पिंटु कुमार	म्जदुर	9608335884
	धर्मेन्द्र कुमार	ग्रील निर्माता	9708239416
	धनन्जय कुमार	ट्रैक्टर	8051462580
	भरत कुमार	डीजल पम्पिंग सेट	9155294648
	प्रकाष कुमार	विवाह भवन	7903204304
	उदय कुमार	विवाह भवन	9934213488
	स्नेहलता कुमारी	सरकारी कार्यालय	9835765240
	मुशर्रत प्रवीन	सरकारी कार्यालय	9006562834
	चन्द्रिका साव	किराना दुकान	7677599230
	मुन्ना कुमार	दवा दुकान	7250556435
	डॉ0 फैसल	दवा दुकान	8294526776
29	नरेन्द्र कुमार	प्राईवेट एम्बुलेंस	7488422855
	उपेन्द्र यादव	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	7739256979
	अनील कुमार	पेयजल आपूर्तिकत्ता	9711338506
	जसीम	पेयजल आपूर्तिकत्ता	8083933101
	श्यामसुन्दर शर्मा	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9934283345
	सुनील कुमार	मिस्त्री	9771673850
	प्रमोद कुमार	मिस्त्री	7091334019
	मोनु कुमार	मिस्त्री	9308310529
	हजारी पासवान	मिस्त्री	9279836992
	देवनन्द पासवान	मजदुर	8804418493
	छोटु पासवान	म्जदुर	9525325090
	उपेन्द्र कुमार	टेन्ट हाउस	8540017645
	श्री राम हार्डवेयर	हार्डवेयर दुकान	7488229776
	फुल कुमार	ग्रील निर्माता	8809930091
	जितेन्द्र कुमार	निजी विवाह भवन	9431061134
	विश्वजीत कुमार	निजी विवाह भवन	7488867019
	शहनवाज आलम	निजी विवाह भवन	7369918594
	आमीर सोहेल	निजी विवाह भवन	7369918594
	अजय कुमार	निजी विवाह भवन	9905260579
	मो0 सिराज	निजी विवाह भवन	8051496674
	अरूण कुमार	निजी विवाह भवन	9955522428
	मो0 आसलम	सरकारी स्कूल	9905858634
	विनोद रंजन	सरकारी स्कूल	9955291890
	डॉ0 अरबिन्द कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7250311443
	डॉ0 विनोद कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9431025037
	कुमार इन्द्रजीत	प्राईवेट अस्पताल	7004733182

	डॉ0 विरेन्द्र कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9431488332
30	डॉ0 सतीष कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9852613601
	डॉ0 अवधेश कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9934268923
	संजय कुमार	किराना दुकान	9304290872
	बउआ	किराना दुकान	9835269291
	रविन्द्र कुमार	किराना दुकान	9835915850
	अनीस प्रसाद	दवा दुकान	9431678400
	उपेन्द्र प्रसाद	दवा दुकान	9931315676
	उषा देवी	दवा दुकान	9304256978
	अनीस सिंह	दवा दुकान	9431687864
	मनीष कुमार	दवा दुकान	9386114366
	पिन्टु कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9835498124
	आलोक कुमार	हार्डवेयर दुकान	8789806578
	अवधेश कुमार	हार्डवेयर दुकान	9576301913
	सुधीर कुमार वर्मा	हार्डवेयर दुकान	9431687382
	धर्मेन्द्र कुमार	ग्रील निर्माता	9835467527
	राजकुमार खन्ना	निजी विवाह भवन	9835228270
	मो0 हारूण राशिद	स्कूल	9122818341
	फ्रांसिरका मिड	स्कूल	7488723216
	रूबी कुमारी	स्कूल	9835464485
	श्री विनय कुमार	स्कूल	8789349856
	शकीला बानो	स्कूल	7050911118
	जमाल इरफान	स्कूल	8051848772
31	शैलेष कुमार	सरकारी कार्यालय	8789499845
	डॉ0 बलराम	सरकारी अस्पताल	9470003513
	डॉ0 जयराम नारायण	सरकारी कार्यालय	6202397938
	डॉ0 अंषुमान	प्राईवेट अस्पताल	9318801797
	डॉ0 प्रिया रंजन	प्राईवेट अस्पताल	6203975490
	दिपक कुमार	दवा दुकान	8809650849
	कृष्णा कुमार	दवा दुकान	6201817695
	प्रेम कुमार	दवा दुकान	8340224650
	अजन्ता महतो	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9708467131
	श्यामवरण कुमार	राज मिस्त्री	9570551218
	छोटु कुमार	राज मिस्त्री	8538985915
	प्रेमचन्द मिस्त्री	राज मिस्त्री	7739883845
	योगेन्द्र प्रसाद	राज मिस्त्री	9199949485
	उपेन्द्र कुमार	मजदुर	9955707041
	षिवनारायण पासवान	मजदुर	7767078946
	प्रमोद कुमार	मजदुर	9939362587
	सुरज पासवान	मजदुर	6305359754
	छोटु कुमार	मजदुर	8002463124
	मनोज रविदास	मजदुर	8076797445
	जितेन्द्र कुमार	मजदुर	7491830278
	धरम कुमार	मजदुर	7491867915
	रमेष कुमार	टेन्ट हाउस	9304242363

	रीतेष कुमार	टेन्ट हाउस	9835498097
	जीतेन्द्र कुमार	टेन्ट हाउस	8292210179
	कामिनी कौषल	निजी विवाह भवन	6201812495
	डॉ0 प्रिय रंजन	निजी विवाह भवन	6203975490
	श्री सिद्धेष्वर प्रसाद	निजी विवाह भवन	9431194156
	शहराज आरा	सरकारी स्कूल	9386559259
	मो0 आषरफ आलम	सरकारी स्कूल	9939293875
	मो0 दानिष	दवा दुकान	9304677266
	मो0 शहिद	राज मिस्त्री	7370854511
	मो0 छोटु	राज मिस्त्री	9801663981
	मो0 रिक्कु	राज मिस्त्री	8434198826
32	मो0 रहुफसाह	राज मिस्त्री	7480084660
	मो0 नैय्यर	राज मिस्त्री	8544573442
	मो0 नवाव	राज मिस्त्री	9135056103
	मो0 आमीर	राज मिस्त्री	8210822036
	भोलुसाह	टेन्ट हाउस	9122323356
	हिरो	टेन्ट हाउस	7634068142
	मो0 शौकत	टेन्ट हाउस	9308622374
	सुधीर कुमार	सरकारी कार्यालय	7870907730
	शुलील कुमार	सरकारी कार्यालय	7488427670
	वार्ड पार्षद	सरकारी कार्यालय	8789620799
	सुजीत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7903742810
	डॉ0 प्रदीप कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9431071203
	नंदु साव	किराना दुकानदार	8936088799
33	शंकर साव	किराना दुकानदार	8409277385
	विष्णु जी	किराना दुकानदार	9031464311
	वच्चु साव	किराना दुकानदार	9608495124
	विपीन साव	किराना दुकानदार	8877676745
	पिन्टु कुमार	दवा दुकान	7488010546
	प्रदीप कुमार	दवा दुकान	8409974094
	सुजीत कुमार	दवा दुकान	7903742810
	अनील राम महलपर	राज मिस्त्री	9709627196
	दर्षन कुमार	मजदूर	6200264015
	राजेष कुमार	राज मिस्त्री	8603550198
	सुकुमार	मजदुर	9334560882
	सच्चु यावद	राज मिस्त्री	9631476736
	दिनेष प्रसाद	टेन्ट हाउस	8757786111
	मंटु जी	टेन्ट हाउस	8298374467
	वंटी जी	टेन्ट हाउस	7542840565
	रौषन	हार्डवेयर दुकान	7541882907
	जितेन्द्र कुमार	ग्रील निर्माता	7254984683
	माणिक	ग्रील निर्माता	7004241844
	संजीव	ग्रील निर्माता	7654975357
	अर्जुन यादव	ट्रैक्टर	6201921602
	अनिल महतो	ट्रैक्टर	7079020253

	सुधीर महतो	निजी विवाह भवन	7870690773
	राजकुमार	स्कूल	8877579510
	धर्मेन्द्र कुमार	किराना दुकानदार	9304381003
	आशीष रंजन	किराना दुकानदार	9031699328
	संतोष कुमार	किराना दुकानदार	6200683215
	कारू साव	किराना दुकानदार	9835664085
	विजय साव	किराना दुकानदार	8227813281
34	मो0 आजम	दवा दुकान	9431649648
	सुनील कुमार	दवा दुकान	8092842928
	संतोष कुमार गुप्ता	दवा दुकान	9162417470
	डॉ0 सुजीत कुमार	दवा दुकान	9693197896
	पिन्टु कुमार	दवा दुकान	9835684775
	प्रवेष यादव	राज मिस्त्री	6204640343
	विपीन यादव	राज मिस्त्री	8092521662
	मदवन प्रसाद वर्मा	समुदायिक भवन	7479611180
	दिपक कुमार	किराना दुकान	9431867849
	रंजु कुमार	दवा दुकान	8271955943
	श्रवण साव	राज मिस्त्री	7739924364
	गोपाल प्रसाद	मजदुर	7462887763
	मुकेष कुमार	मजदुर	6203291535
35	नागेन्द्र रजक	मजदुर	7479447448
	जॉनी रजक	मजदुर	8809325801
	रौषन कुमार	मजदुर	7301556636
	रविन्द्र कुमार	मजदुर	9110182760
	जय प्रकाष रजक	मजदुर	9709476920
	मो0 जाफर	मजदुर	9939044156
	संतोष कुमार	मजदुर	9155498662
	पप्पु पासवान	मजदुर	9031297630
	पवन कुमार	मजदुर	9110136093
	संजय कुमार	मजदुर	9110136093
	कुन्दन कुमार	हार्डवेयर दुकान	9835464493
	मुर्शरत जहॉ	महिला कॉलेज	8789224197
	खुर्शीद आलम	समाज सेवी	9304686502
	अरूण कुमार	शिक्षक	6299902054
	मुन्ना कुमार	किराना दुकान	9135092529
	आरिफ	राज मिस्त्री	9798062319
	नौशाद	राज मिस्त्री	9693852242
36	गुड्डु टेन्ट	टेन्ट	9334813320
	बाबा टेन्ट	टेन्ट	9334513546
	बिहार हार्डवेयर	हार्डवेयर दुकान	9709594181
	कारू	निजी विवाह भवन	9835045777
	राज कुमार	निजी विवाह भवन	9334114415
	विपिन कुमार	निजी विवाह भवन	9065724754
	राजकुमार प्रसाद	किराना दुकान	7903440586
	श्रवण कुमार	किराना दुकान	9546874379

	योगेन्द्र प्रसाद	दवा दुकान	9431050034
	महेन्द्र कुमार	दवा दुकान	8210213028
	हरेन्द्र कुमार	दवा दुकान	9835203553
	प्रेमचन्द्र भारती	दवा दुकान	7631761920
37	कुमुद कुमार	दवा दुकान	9708025503
	अशोक कुमार	मवेषी खाद्य सामग्री दुकान	9570901735
	संतोष कुमार	टेन्ट हाउस	9934684428
	सुजीत कुमार	टेन्ट हाउस	8757792233
	संजय कुमार	टेन्ट हाउस	9973010262
	हुमंयु अख्तर तारिक	निजी विवाह भवन	9431687857
	सुधा कुमारी	सरकारी कार्यालय	8757463521
	राजकीय मध्य विद्यालय गोलापर	सरकारी कार्यालय	7366976925
	सुजीत कुमार	किराना दुकान	9835454403
	राजकुमार	किराना दुकान	7857901141
	प्रेम कुमार	किराना दुकान	8051897796
	मुन्ना कुमार	किराना दुकान	8877674999
38	सत्यजीत कुमार	किराना दुकान	9852694576
	लाल कुमार	किराना दुकान	9122914722
	सदानन्द प्रसाद	किराना दुकान	7481040448
	गोपाल शरण	किराना दुकान	9905427931
	विनोद वर्णवाल	किराना दुकान	9835805263
	सिताराम वर्णवाल	किराना दुकान	7667687005
	अनिल वर्णवाल	किराना दुकान	7277986938
	किस्टो कुमार	किराना दुकान	8210089622
	दयानन्द शर्मा	हार्डवेयर दुकान	9835695900
	रितेष कुमार	हार्डवेयर दुकान	9801493702
	कच्ची तालाब	तालाब	7667300430
	मखदुम बाग	तालाब	7667300430
	बिल्लु पोखर	तालाब	7667300430
	वुचड़खाना	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9070263619
	अबु मुजफर	स्कूल	7631626323
	मो0 गुडडु	राज मिस्त्री	7857971796
39	मो0 नासीर	राज मिस्त्री	7857894036
	मो0 महमुद	राज मिस्त्री	9006565343
	कल्लु मिस्त्री	राज मिस्त्री	9835203443
40	सोनु	राज मिस्त्री	9798546806
41	मोनु	राज मिस्त्री	9031331138
	जाफर	राज मिस्त्री	7859086753
	एजाज	राज मिस्त्री	6203136825
	फैसल	राज मिस्त्री	8226947316
	अख्तर	राज मिस्त्री	9570649892
	गोल्डन	राज मिस्त्री	8002362092
	फैयाज	राज मिस्त्री	8540929446
	सहजाद	मजदुर	9661232603
	कमाल	मजदुर	9835850501

	विक्की	मजदुर	6200412706
	विर	मजदुर	6206828139
	कल्लु	मजदुर	9570994068
	छोटु	मजदुर	6200217673
	गुडडु	मजदुर	9304220532
	मो0 मुख्तार	निजी विवाह भवन	7903421614
	विजय साव	किराना दुकान	8084017446
	मुन्ना कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	6206738044
	किशोर साव	जलावन लकड़ी बिक्रेता	7543091452
	अखिलेष प्रसाद वर्मा	जलावन लकड़ी बिक्रेता	8709985998
	संजय यादव	राज मिस्त्री	7352254021
	प्रेम कुमार	राज मिस्त्री	703159318
42	सोनु कुमार	ग्रील निर्माता	7050111170
	मो0 आतीफ	निजी विवाह भवन	9534611369
	राषदा खातुन	स्कूल	9835409835
	मो0 इकबाल	दवा दुकान	7488032710
	मो0 आरिफ	दवा दुकान	7250314206
	अमरकान्त भारती	पेयजल आपूर्तिकत्ता	9835010004
	गुडडू	पेयजल आपूर्तिकत्ता	7261038545
	मो0 आजम	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9386939626
43	नेजाम उददीन	मिस्त्री	8407944660
	मो0 नसीम उददीन	मिस्त्री	9709789131
	मो0 फिरोज	लेबर	9117964265
	मो0 छोटु	लेबर	6204594575
	मो0 बारिश	लेबर	6204594575
	मो0 शमशाद	मिस्त्री	9162243553
	मो0 मुन्ना	टेन्ट हाउस	9525945824
	मो0 जीमल	टेन्ट हाउस	9709333334
	सेराज	टेन्ट हाउस	9835850838
	किशोर प्रसाद	ग्रील निर्माता	7667575811
	मो0 दानिश	निजी विवाह भवन	9540268381
	अखिलेष्वर प्रसाद	स्कूल	9304874184
	संजय पासवान	सरकारी कार्यालय	7654827011
	राजेन्द्र पासवान	सरकारी कार्यालय	9798062807
	बंगाली प्रसादी	सरकारी कार्यालय	9934692601
	अनिल कुमार सिन्हा	प्राईवेट अस्पताल	9801598008
	भोला प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9525587644
44	डॉ0 दीनानाथ वर्मा	प्राईवेट अस्पताल	9308972968
	डॉ0 बुद्ध प्रकाश	प्राईवेट अस्पताल	7479837388
	डॉ0 के0पी0 गुप्ता	प्राईवेट अस्पताल	7644927942
	डॉ0 अजय कुमार	प्राईवेट अस्पताल	8797280174
	डॉ0 प्रशांत कुमार	प्राईवेट अस्पताल	7011996288
	संतोष कुमार	किराना दुकान	6200030359
	शैलेन्द्र कुमार	किराना दुकान	9835429372
	राजकुमार	किराना दुकान	9128649100

	भोला साव	किराना दुकान	7562008043
	अभयकान्त	दवा दुकान	9835062627
	रीतेष कुमार	दवा दुकान	8271993298
	सिद्धेश्वर प्रसाद	दवा दुकान	9570425776
	विनय कुमार	दवा दुकान	9835801862
	वेद व्यास	दवा दुकान	9308505355
	वेद व्यास	प्राईवेट एम्बुलेंस	9308505355
	अशोक कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	6201557739
	संजय कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9534252951
	अनील पासवान	राज मिस्त्री	7493071910
	उदय कुमार	राज मिस्त्री	7493071910
	अंकित कुमार	राज मिस्त्री	7493071910
	प्रहलाद पासवान	राज मिस्त्री	7282858812
	जगेषर पासवान	राज मिस्त्री	9958562018
	दयानन्द पासवान	राज मिस्त्री	7520206599
	संजय तांती	राज मिस्त्री	9113406545
	राज कुमार पासवान	राज मिस्त्री	6206055355
	छोट तांती	राज मिस्त्री	6206055355
	पानो देवी	राज मिस्त्री	9958562018
	भीष्म पासवान	राज मिस्त्री	7282858812
	अरविन्द पासवान	राज मिस्त्री	9334924939
	संजु देवी	राज मिस्त्री	9334924939
	प्रवीला देवी	राज मिस्त्री	9113406451
	रूबी देवी	राज मिस्त्री	9113406451
	बच्ची देवी	राज मिस्त्री	7520206599
	पिंकी देवी	राज मिस्त्री	7282858812
	सुनील पासवान	राज मिस्त्री	9113406451
	पिन्टु पासवान	राज मिस्त्री	9113406451
	कारू पासवान	राज मिस्त्री	9113406451
	रामउचित पासवान	राज मिस्त्री	6204159047
	अशोक पासवान	राज मिस्त्री	6204159047
	जितेन्द्र पासवान	राज मिस्त्री	8406909119
	पवन कुमार	राज मिस्त्री	9141653590
	दीपक कुमार	राज मिस्त्री	9341653590
	विमला देवी	राज मिस्त्री	9341653590
	मुन्नी देवी	राज मिस्त्री	9341653590
	राधिका कुमारी	राज मिस्त्री	9341653590
	रूपा देवी	राज मिस्त्री	9341653590
	अवधेष पासवान	राज मिस्त्री	9471630813
	टिन्कु देवी	राज मिस्त्री	9471630813
	शत्रुधन सिन्हा	टेन्ट हाउस	9162138402
	बालकिशुन साव	हार्डवेयर दुकान	6207090114
	संतोष कुमार सिन्हा	हार्डवेयर दुकान	9431686212 9534304230
	प्रो0 बिनोद मिस्त्री	हार्डवेयर दुकान	6202927937

	योगेन्द्र प्रसाद	ग्रील निर्माता	9006371880
	भोला मिस्त्री	ग्रील निर्माता	9608257717
	शैलेन्द्र कुमार वर्मा	ट्रैक्टर	9835063196
	अरविन्द कुमार	ट्रैक्टर	9835210181
	शिवेन्द्र कुमार वर्मा	निजी विवाह भवन	9308872063
	सुरज प्रसाद	निजी विवाह भवन	7761858695
	मो0 करीम उद्दीन हैदर	स्कूल	6200237150
	मुन्ना कुमार	किराना दुकान	9122024236
	सरवर	किराना दुकान	9079397549
	मो0 रियाज उद्दीन	मजदुर	7050508035
	मो0 एजाज	मजदुर	9951521577
	मो0 हुसैन	मजदुर	9135258987
45	मो0 मिस्टर	मजदुर	7631888873
	मो0 अरमान	मिस्त्री	8084995933
	मो0 बबलु	मजदुर	7631888873
	मो0 कलाम	मजदुर	7808224812
	मो0 शेरू	मजदुर	7256927358
	मो0 चांद	मजदुर	9709481818
	मो0 निसार	मजदुर	8051468873
	मो0 रमजान	मजदुर	7488699730
	मो0 शकील	मजदुर	9155317896
	मो0 रिजवान	राज मिस्त्री	8083547319
	मो0 आविद	मजदुर	6206402744
	मो0 सेराज	मजदुर	7485069652
	मो0 छोटु	मजदुर	7091923676
	मो0 मुन्नी	मजदुर	6206402744
	मो0 तौफिक	मजदुर	9709929522
	मो0 कारू	मजदुर	9709481818
	मो0 साविर	मजदुर	7808224812
	सुलेखा कुमारी	सरकारी कार्यालय	8271359165
	अंजुम इकबाल	सरकारी कार्यालय	7631286999
	संजय कुमार	सरकारी कार्यालय	9308524969
	चिंतु कुमारी माननीय वार्ड पार्षद	सरकारी कार्यालय	9507082277
	शंकर स्वर्णकार	सरकारी कार्यालय	7759983214
46	रविन्द्र	किराना दुकान	7079661720
	मनीष कुमार	किराना दुकान	6202005120
	डिम्पल साव	किराना दुकान	8229086373
	चंदन कुमार	किराना दुकान	9471830793
	सुधीर कुमार	दवा दुकान	8789075177
	संजय	दवा दुकान	9631811096
	अखिलेष कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	9708084006
	पवन कुमार	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8507301550
	अर्जुन	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	8986419565
	रंजीत मिस्त्री	राज मिस्त्री	8051588998

	ललीत चौधरी	मजदुर	6202005120
	अवध पासवान	राज मिस्त्री	9534183861
	दुर्गा पासवान	राज मिस्त्री	8603067313
	धर्मवीर साव	राज मिस्त्री	9798368653
	कारू पासवान	मजदुर	8757243072
	राजेश पासवान	राज मिस्त्री	7463030817
	गणेश पासवान	राज मिस्त्री	7643955558
	अवधेश मिस्त्री	राज मिस्त्री	9508715663
	अजय पासवान	राज मिस्त्री	9661364612
	राकेष पासवान	मजदुर	9725277733
	आकाश साव	राजमिस्त्री	8873326328
	गणेष चौधरी	मजदुर	7079214412
	पिन्टु पासवान	मजदुर	9508667928
	चंदन कुमार	टेन्ट	6204983624
	अमरनाथ कुमार	टेन्ट	6200021548
	अमन कुमार	टेन्ट	9097829115
	रवि किरण कुमार	ग्रील निर्माता	7543828983
	संजय यादव	ट्रैक्टर	9631811096
	सुरेश प्रसाद	ट्रैक्टर	8051220045
	सुनील कुमारी	निजी विवाह भवन	9308502393
	अजीत कुमार	निजी विवाह भवन	9334372717
	सुनिल मेडिकल हॉल	दवा दुकान	9334498142
	अनुज कुमार	दवा दुकान	9334498142
	सुधीर कुमार	किराना दुकान	8873639245
	कपिल देव वर्मा	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	8292233081
	रामप्रवेश मिस्त्री	जलावन लकड़ी बिक्रेता	8016684027
	अर्जुन प्रसाद	राजमिस्त्री	6205707732
47	नगेश्वर प्रसाद	राजमिस्त्री	7570952798
	संजय पासवान	मजदुर	8521002340
	अजय पासवान	मजदुर	6203889386
	विजय प्रसाद	टेन्ट हाउस	9304864427
	रवि कुमार	टेन्ट हाउस	9905294381
	उदय कुमार	टेन्ट हाउस	7549316665
	विशेश्वर प्रसाद	हार्डवेयर दुकान	9905852809
	संजय कुमार	हार्डवेयर दुकान	9835864757
	रामरतन प्रसाद	हार्डवेयर दुकान	9798868422
	सुरेश प्रसाद	ग्रील निर्माता	7543061480
	गेन्हारी प्रसाद	ग्रील निर्माता	9570325820
	श्यामदेव प्रसाद	निजी विवाह भवन	7033581559
	रौशन कुमार	निजी विवाह भवन	9939142542
	पंकज कुमार	सरकारी स्कूल	7004849500
	अभिषेक कुमार पाण्डेय	सरकारी स्कूल	9835464192
	पंकज जी	सरकारी स्कूल	9835864116
	चन्द्रमणी कुमारी	प्राईवेट अस्पताल	7765974607
	मुरारी सिंह	किराना दुकान	7546458748

	विट्ठु महतो	किराना दुकान	7004483840
48	मुकेश कुमार	किराना दुकान	8877997952
	ललन पाण्डेय	किराना दुकान	9113774676
	प्रदीप जी	किराना दुकान	8709400935
	राजीव जी	किराना दुकान	8340148384
	विनोद कुमार	दवा दुकान	8809616573
	मिथलेष कुमार	दवा दुकान	8757855999
	निरंजन पाण्डेय	दवा दुकान	7004548130
	धनी महतो	दवा दुकान	9279015222
	डॉ0 वी0पी0 भारती	दवा दुकान	7549771409
	लडडू जी	मवेशी खाद्य सामग्री दुकान	7044548766
	दशरथ रविदास	राज मिस्त्री	9973893410
	उपेन्द्र मिस्त्री	राज मिस्त्री	8541077627
	राजा मिस्त्री	राज मिस्त्री	7462018191
	उपेन्द्र पंडित	राज मिस्त्री	7488275327
	भुषण निस्की	राज मिस्त्री	8877237743
	जीकांत रविदास	राज मिस्त्री	9546111497
	राहुल मिस्त्री	राज मिस्त्री	7979018500
	सरयुग रविदास	राज मिस्त्री	7667305464
	विजय जी	टेन्ट	9304864427
	प्रमोद जी	टेन्ट	9835725259
	सोनु कुमार	टेन्ट	8340667471
	अमीत कुमार	हार्डवेयर दुकान	8210345699
	गोरेलाल सिंह	ग्रील निर्माता	7321970469
	अविनाश कुमार	टैक्टर	9798405550
	विमल पासवान	टैक्टर	9934176987
	मनीष कुमार	निजी विवाह भवन	7903030830
	मृत्युंजय कुमार सिंह	सरकारी कार्यालय	9431688061
	सुमन कुशवाहा	सरकारी कार्यालय	9835081552
	डॉ0 देवेन्द्र कुमार	सरकारी स्कूल	9835680798
	मो0 तकी हसन अजुवी	सरकारी स्कूल	9693804182
	ध्रुवशंकर रविदास	सरकारी स्कूल	8804253313
	आर0 कुमार	प्राईवेट अस्पताल	9835317701 9693665941
49	डॉ0 पी0 सिन्हा	प्राईवेट अस्पताल	7277023378 9709741937
	डॉ0 संजय प्रसाद	प्राईवेट अस्पताल	9973147371 9709680909
	राजेश कुमार	किराना दुकान	9631560378
	सुधीर कुमार	किराना दुकान	9934779394
	उमेश कुशवाहा	दवा दुकान	9304817668
	दीनानाथ	प्राईवेट एम्बुलेंस	9835317701 9693665941
	सुदर्शन कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	6204980959
	जितेन्द्र कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	8877735253

	महेश कुमार	पेयजल आपूर्तिकर्त्ता	7004328445
	उमेश मिस्त्री	जलावन लकड़ी बिक्रेता	9931413599
	गुडडू कुमार	राज मिस्त्री	7631891864
	वसधीर कुमार	राज मिस्त्री	9608070180
	राजनन्दन कुमार	राज मिस्त्री	9708044508
	जितेन्द्र कुमार	राज मिस्त्री	6206557885
	नागेन्द्र प्रसाद	राज मिस्त्री	9128723244
	नवीन कुमार	राज मिस्त्री	8298223500
	मनोज चौधरी	राज मिस्त्री	7061032048
	रामरूप कुमार	मजदूर	7520215622
	कन्हैया पासवान	मजदूर	9570293418
	मनचन कुमार	मजदूर	7654945583
	राज कुमार	मजदूर	9570293418
	अरविन्द केवट	मजदूर	7667981221
	रविकान्त कुमार	मजदूर	8789020764
	सुबोध पासवान	मजदूर	9570293418
	सुधीर पासवान	मजदूर	9570293418
	मुन्ना ठाकुर	मजदूर	7667865803
	पिन्टु कुमार	टेन्ट हाउस	8969349711
	रविन्द्र प्रसाद	टेन्ट हाउस	9608409933
	राजेश कुमार	टेन्ट हाउस	9097372699
	रविशंकर प्रसाद	टेन्ट हाउस	9060131507
	अमरेन्द्र कुमार	हार्डवेयर दुकान	8877946040
	कामता केवट	हार्डवेयर दुकान	8002015260
	राहुल कुमार	हार्डवेयर दुकान	8252592629 9835190224
	जितेन्द्र कुमार	ग्रील निर्माता	8797731067
	सुरज कुमार	ग्रील निर्माता	7739799865 8210211412
	सतीश सिंह	ग्रील निर्माता	9570296062 9771109255
	मनोज कुमार	ग्रील निर्माता	9122821376
	रवि केवट	ट्रैक्टर	7667981221
	रामप्रवेश यादव	ट्रैक्टर	7549695370
	रवि केवट	डीजल पम्पिंग सेट	7667981221
	प्रवीण कुमार	निजी विवाह भवन	9801275555
	संजु प्रसाद	निजी विवाह भवन	7004259415
	रेखा कुमारी	सरकारी कार्यालय	6201954742
	शिशुपाल प्र0कु0 सिन्हा	सरकारी कार्यालय	7903151164
	अलखदेव कुमार आर्या	सरकारी कार्यालय	9835070505
	कामदेव प्रसाद	सरकारी कार्यालय	6206977336
	प्रेमलता सिन्हा	सरकारी कार्यालय	7561952546
	बसंत राम	सरकारी कार्यालय	8809416343
50	संजय चौधरी	सरकारी कार्यालय	7654338815
	प्रमोद कुमार	राज मिस्त्री	9771653869

	राजबल्लभ कुमार	टेन्ट	8757283431
	कमलेश कुमार	ट्रैक्टर	8969140357
	लक्ष्मण कुमार	ट्रैक्टर	7739998912
	पप्पु कुमार	मिस्त्री	6205070258
	चन्दन कुमार	मिस्त्री	7070043053
	जवाहर केवट	मिस्त्री	9525674456
	लडडु केवट	म्जदुर	7010524165
	पप्पु केवट	मिस्त्री	9534617610
	जितेन्द्र केवट	मजदुर	7079512759
51	बिन्दा केवट	मिस्त्री	9142613386
	सुधीर केवट	मजदुर	8409575031
	परंजु केवट	मजदुर	7061379640
	जेठन केवट	मजदुर	7654587112
	शिवशंकर साव	मजदुर	6209410046
	धन्नजय केवट	मजदुर	8863955375
	शुकर केवट	मिस्त्री	8102136881
	छोटे केवट	मिस्त्री	8877577130
	राजु केवट	मिस्त्री	9525674466
	राजा कुमार	मजदुर	6204104041
	सुरज कुमार	मजदुर	6208727879
	साजन कुमार	मजदुर	8252767995
	मिथलेष कुमार	मजदुर	8226970940

22.5 महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बर (टेबल संख्या–82)

1	विद्युत सेवा	1912
2	पुलिस	100, 112
3	अग्निशमन	101, 112
4	एंबुलेंस सेवा	102, 108, 112
5	यातायात पुलिस	103
6	चाइल्ड लाइन	1098
7	रेलवे पुछताछ	139
8	रेल दुर्घटना	1072
9	सड़क दुर्घटना	1073
10	महिला हेल्पलाइन	1091, 181
11	भूकम्प	1092
12	चाइल्ड हेल्पलाइन	1098
13	किसान कॉल सेन्टर	1551

14	नगर निगम हेल्पलाइन	06112–232271
15	कंट्रोल रूम, नगर निगम	06112–232272
16	जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र, नालन्दा	06112–233168

2.6 बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत मानव संसाधन का विवरण (टेबल संख्या–83)

Sl.no.	Name of Employee	Designation	Contact No
1	Vikash Kumar Jha	CS (Company Secretary)	9560562287
2	Kedarson Patra	Manager (Monitoring and Evaluation)	9937278565
3	Md. Gulrez Alam	Manager (IT)	7277754862
4	Mrityunjay Kumar	Senior Manager (Technical)	7406596034
5	Abhishek Kumar	Manager (Technical)	9066619899
6	Md.Atalique Zahir	Manager (Technical)	7290008747
7	Hatim Ali	Accountant	9311401088
8	Sumit Kumar	Manager (Finance and Procurement)	9013054264
9	Binod Kumar	CEO (Chief Executive Officer)	7004771207
10	Asif Gayas	Senior Manager (Technical)	7488763191
11	Durga Kumari	Manager (Technical)	9911475621
12	Pawan kumar	CGM (Chief General Manager)	6200365862
13	Atish Kumar Sharma	CFO (Chief Finance Officer)	9473309731

22.7 बिहार शरीफ के मीडिया प्रतिनिधियों (प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक) की सूची (टेबल संख्या–83)

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

क्र0	नाम	पदनाम	मीडिया का नाम	मोबाईलनं0
1	रंजीत कुमार सिंह	संवाददाता	आजतक	9431879719
2	निरंजन कुमार	संवाददाता	आकाशवाणी	7004307757
3	मो0 महमूद	संवाददाता	जी न्यूज	8298607355
4	आर0एस0एस0 चौहान	संवाददाता	ए0बी0पी0 न्यूज	9431663180
5	कुमार प्रशांत	संवाददाता,	दूरदर्शन	9334047773
6	अभिषेक कुमार	संवाददाता,	न्यूज 18	9708819204 7004010773
7	शिवकुमार	संवाददाता	इण्डिया टीवीं	9334598481
8	रविरंजन	संवाददाता	एन0डी0 टीवी	9334404612, 9431061168
9	राजकुमार मिश्रा	संवाददाता	न्यूज–24	9334070967, 9470465337
10	ऋषिकेश कुमार	संवाददाता	साधना न्यूज (ए0एन0आई0)	9304231471 9472243471
11	श्री दीपक विश्वकर्मा	संवाददाता	टाईम्स नाउ	9334153201 9334160742

प्रिन्ट मीडिया

क्र0	नाम	प्दनाम	मीडिया का नाम	मोबाईलनं0
1	रामाशंकर प्रसाद	संवाददाता	पी0टी0आई0	9431455807
2	रजनीकान्त	ब्यूरो चीफ	दैनिक जागरण	9693098555
3	कौशलेन्द्र	ब्यूरो चीफ	आज	9471000515 7549555555
4	आशुतोष कुमार आर्य	ब्यूरो चीफ	हिन्दुस्तान	9431882794
6	चन्द्रमणी पाण्डेय	संवाददाता	राष्ट्रीय सहारा	7667200728
7	अरूण कुमार	ब्यूरो चीफ	प्रभात खबर	9304934736
8	मो0 फारूख नदीम	संवाददाता	टाइम्स ऑफ इंडिया	7004745418
9	सुजीत कुमार वर्मा	संवाददाता	दैनिक भाष्कर	9304131844
10	महफूज आलम	संवाददाता	राष्ट्रीय सहारा उर्दू	9835067622
11	मो0 इलियास खॉ	संवाददाता	पिन्दार(उर्दू दैनिक)	9534366031
12	मो0 हसनैन आलम	संवाददाता	कौमी तंजीम	9334879891 9430212391
13	मो0 अफताब आलम	संवाददाता	सहारा एक्सप्रेस	9304548876
13	मो0 दानिश	संवाददाता	तसीर	7808609045
14	मो0 हामिद फिरदौसी	संवाददाता	इन्कलाब	9709683475